खण्ड-311, अंक-4
बुधवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1896
(21 अगस्त, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 311 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 21 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—400

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां) (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री

गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (सैदनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री,
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहरिवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेणी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्म पाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्म पाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजू राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल , श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांकेलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुंशी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती

यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भड़ौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु, (एडवोकेट) श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री

विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नज्जन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

कतिपय समितियों एवं निकायों के परिवर्तित निर्वाचन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन यह निश्चय करता है कि समितियों एवं निकायों के लिये निर्वाचन जो 21 व 22 अगस्त, 1974 को होने को है वह उक्त दिनांक के स्थान पर 22 अगस्त, 1974 को 12 बजे से 5 बजे तक हो और नाम वापिसी का अन्तिम समय 21 अगस्त, 1974 को 5 बजे तक हो ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—
मैं इससे सहमत हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन यह निश्चय करता है कि समितियों एवं निकायों के लिए निर्वाचन जो 21 व 22 अगस्त, 1974 को होने को है वह उक्त दिनांकों के स्थान पर 22 अगस्त, 1974 12 बजे से तक 5 बजे हो और नाम वापिसी का अन्तिम समय 21 अगस्त, 1974 को 5 बजे तक हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 21 अगस्त, 1974

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

देहात तथा शहर के गरीब लोगों को सस्ते दामों पर गल्ला देने की कथित योजना

**1—श्री मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सस्ते दामों पर दिया जाने वाला गल्ला पहिले देहात और शहर के गरीब लोगों को मिले और अगर बच जाय तब बड़े लोगों को मिले ? इस सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर है, तो निर्णय कब तक ले लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है क्यों कि देहाती व शहरी क्षेत्रों की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं ।

श्री मोहम्मद असमल—

मैंने जो प्रश्न किया था तो मेरा मकसद यह था कि हमने जो गल्ला वसूल किया है वह चूंकि इतना तो है नहीं कि उसे सबको दे दिया जाय तो जो शहर या गांव के गरीब लोग हैं उनको कम से कम सस्ते दामों पर दे दिया जाय, तो क्या ऐसी कोई योजना बना रहे हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

इसी का उत्तर तो माननीय मन्त्री जी ने दिया है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिनके कार्ड नहीं बने हैं तो उनको गल्ला नहीं मिलता है, क्या इसकी व्यवस्था करेंगी कि जो गरीब आदमी है जिनकी डेढ़-दो सौ की आमदनी है उनके राशन-कार्ड बनवा दिये जायं ?

श्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह हो सकता है कि शहरों में कुछ लोगों के कार्ड न बने हों, लेकिन शासन के पास जो अब तक की रिपोर्ट है वह यह है कि हर जिले में करीब-करीब जनसंख्या से अधिक राशन-कार्ड के यूनिट्स दिये गये हैं ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

मन्त्री जी को यह योजना बनाने में क्या दिक्कत है कि जिनकी आमदनी 500 से कम मासिक है, ऐसे गरीब लोगों को सस्ता अन्न मिल सके और उनको दोनों वक्त रोटी मिल सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इस तरह के सुझाव समय-समय पर आते रहे हैं, अभी इस पर विचार नहीं किया गया ।

सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेगी कि देहरादून और हर जगह राशन मिल रहा है तो सहारनपुर को सस्ता गल्ला क्यों नहीं मिल रहा है जिसके लिए जिले के सब विधायकों ने बार-बार लिख कर दिया है कि वहां पर किसी भाव पर बाजार में गल्ला नहीं मिल रहा है तो सस्ते दामों पर देने के लिए सहारनपुर में कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सहारनपुर की तरह ही कुछ अन्य जिले भी हैं पश्चिम के जिनकी सरप्लस डिस्ट्रिक्ट होने के नाते गल्ला नहीं दिया जा रहा है । पर जब यह कठिनाई विधायकों द्वारा बताई गई और हमारे पास भी जिलाधीशों की तरफ से रिपोर्ट आयी कि गल्ला उपलब्ध नहीं हो रहा है अधिक रोक थाम होने के कारण तो जैसा कि मैंने पहले घोषणा की थी रिटेल दुकानदारों को यह इजाजत दी गयी कि वह किसानों से लेकर गल्ले को उपलब्ध करायें । उसके बाद से कोई ऐसी सूचना शासन के पास नहीं है जहां पर ऐसी कठिनाई बतायी गयी हो ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इस बदली हुई परिस्थिति में जबकि बाढ़ ने इतना भंयकर रूप धारण किया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पिछली फसल तो हुई नहीं यह फसल भी नष्ट हो गयी उनको खिलाने के लिये माननीय मंत्री जी की क्या योजना है ? क्या मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगी कि हर न्याय पंचायत सेक्टर पर एक सस्ते गल्ले की दुकान खोलें ताकि उनको सही दाम पर अनाज मिल सके ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

हमने मंत्रि परिषद के स्तर पर कल ही निर्णय लिया है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ गयी है और फसल भी काफी नष्ट हो चुकी है वहां पर जो हमारी चीनी की दुकानें न्याय पंचायतों में हैं उन्हीं के द्वारा गल्ला वितरण भी चार किलो प्रति यूनिट के हिसाब से कराया जायगा । इस तरह से प्रभावित क्षेत्र की जनता जिसको आज कठिनाई है, उसको राहत मिलेगी । इसके साथ-साथ हम यह भी करने जा रहे हैं कि हमारे माननीय विधायक जो कि उस क्षेत्र के हैं और उस न्याय पंचायत में जो गल्ले की दुकानें हैं उनमें वह अपने तरीके से या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भी यह देखें कि वहां हर गल्ला वितरित हो रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी जिले जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनमें प्रत्येक न्याय पंचायत में राशन की जो दुकानें हैं उन पर मोटे अनाज के साथ-साथ गेहूं के वितरण की व्यवस्था भी सरकार के विचाराधीन है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी हम पूरे जिले में तो यह नहीं कर रहे हैं लेकिन जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उन न्याय पंचायतों में तुरन्त इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मोटे अनाज के साथ चावल बगैरह की भी व्यवस्था हो जाय यह हम कर रहे हैं। अभी गेहूं के वितरण की बात नहीं आयी है लेकिन अगर गेहूं भी उपलब्ध होता है तो उस पर भी हम विचार करेंगे।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जिस प्रकार से आप शहरी अंचलों में मोटा अनाज राशन द्वारा वितरण कराती हैं चूंकि अन्नाभाव है ग्रामीण अंचलों में आप उसको नहीं कर पा रही हैं, तो क्या आपके पास ऐसे अभावग्रस्त जिलों की सूची है उनमें जो भूमिहीन और गरीब लोग हैं उनको स्थायी रूप से राशन दिलवाने की व्यवस्था आप कर रही हैं या करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जहां तक आबादी का सवाल है हमारी जो देहात और शहर की आबादी है उसके आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि करीब-करीब 7 करोड़ की आबादी हमारे देहाती क्षेत्रों में है। अगर उन सब जगहों पर जहां भूमिहीन है राशन की व्यवस्था कराते हैं तो अभी तक जो वितरण व्यवस्था है कि 10 हजार तक की आबादी के क्षेत्रों में ही हम राशन देते हैं उसमें भी करीब 87 हजार टन की आवश्यकता होती है जब कि हमें 30 हजार टन ही मिलता है। अगर देहाती क्षेत्र को भी ले लिया जाय तो कम से कम 3 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी जिससे कि हर माह केवल 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल ही एक व्यक्ति को दिया जा सकेगा। फिर सभी के लिये व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि हम पूरे प्रोडक्शन को भी लें, फ्री ट्रेड का फिर क्या हो, यह सब नीति संबंधी प्रश्न हैं और व्यापक प्रश्न हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद बौनेरिया (जिला आगरा)—

मंत्री जी ऐसा करें कि शहरों में 500 रुपये से अधिक आमदनी वालों को राशन कार्ड से गल्ला न दें और उसे बचाकर टाउन एरिया क्षेत्रों में दें। इसमें क्या आपत्ति है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी इस पर पूरी तरह से विचार नहीं हुआ है।

श्री हिम्मत सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि शहरों में आबादी से ज्यादा यूनिट्स के कार्ड बने हुये हैं, तो क्या वे यूनिट्स की जांच कराने की कोई योजना बना रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

चेक कराने की योजना बनायी गयी है। कवाल टाउन्स में एरिया राशनिंग आफिसर्स से कहा गया है कि वे जल्द से जल्दी चेकिंग करके बोगस कार्ड्स को खत्म करें।

श्री रामलखन (जिला बस्ती)—

पूर्वी क्षेत्र के जिलों में जहां बाढ़ आती है वहां राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। वहां पिछड़ी और हरिजन जाति के लोगों को गल्ला दिलवाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

देहाती क्षेत्रों में जहां बाढ़ आती है वहां के राशन कार्ड बनाने के आदेश दिये गये हैं। जहां कार्ड नहीं बने हों वहां गांव के प्रधान जो बना कर देंगे उसी के आधार पर लोगों को जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के हैं, अनाज मिल जायेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

पहाड़ी क्षेत्र में, नैनीताल, हलद्वानी, लालकुंवा, किच्छा, आदि में सस्ते गल्ले की दुकानों से न तो गेहूं दिया जा रहा है न चावल। पहले चावल दिया जाता था अब वह भी बन्द कर दिया गया है। वहां के लिये मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वहां के लोगों को गेहूं और चावल मिल सके।

डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

आवश्यकता देखकर चालू कर दिया जायेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

देहाती क्षेत्रों के लिये सरकार ने एक नीति बनायी है कि एकड़ से नीचे जो किसान हैं या जो बिना जमीन वाले हैं उनको सरकार मौके दर मौके गल्ला भी वितरित करेगी। तो क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर अब भी विचार कर रही है या विचार निश्चित हो गया है कि जो हरिजन या एक एकड़ से नीचे वाले लोगों को गेहूं न मिल सकने पर जैसे कि राशन की और चीजें मिलती हैं, उसी कार्ड पर मोटा गल्ला बंटवाने की व्यवस्था करेगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी एक एकड़ वाले या भूमिहीनों की बात जो माननीय सदस्य ने कही-केवल मोटे गल्ले की जो व्यवस्था की गयी है उसके लिये आदेश जारी हुआ है। जहां तक सवाल है गेहूं या और अनाज के वितरण करने का, अभी तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये देहाती इलाके में इन्तजाम किया गया है, बाकी के लिये अभी कोई अदेश नहीं है।

[लखनऊ इण्टर कालेज, लखनऊ के इण्टर कक्षाओं को बन्द करने के निर्णय के विरुद्ध अध्यापकों का अनशन]

**2—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित लखनऊ इन्टर कालेज द्वारा चालू शिक्षा सत्र से अपनी इण्टर कक्षाओं को समाप्त किया जा रहा है जिससे कि लगभग 20 प्रवक्ता बेरोजगार हो रहे हैं ? तथा क्या यह सही है कि इसके विरोध स्वरूप अध्यापकगण आज कल आन्दोलन कर रहे हैं तथा भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार कक्षायें कायम रखने की दृष्टि से क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

लखनऊ इन्टर कालेज, लखनऊ द्वारा अपनी इन्टर कक्षाओं को समाप्त नहीं किया जा रहा है। अतः अध्यापकों के बेरोजगार होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्धक द्वारा विद्यालय के प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र सहाय जो प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में उनका कार्य देख रहे थे, को दिनांक 6-8-74 से निलम्बित किये जाने पर माध्यमिक शिक्षक संघ, लखनऊ ने निलम्बन तथा इन्टर कक्षायें बन्द करने के निर्णय के विरोध में विद्यालय प्रांगण में 9-8-74 से सामूहिक अनशन प्रारम्भ किया था। प्रबन्ध समिति स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसमें विरोधा भास है मान्यवर। एक तरफ सरकार ने कहा है कि इंटर कक्षायें समाप्त की जा रही हैं और दूसरी ओर कहा गया कि इंटर कक्षायें बन्द करने के विरोध में सामूहिक अनशन प्रारम्भ किया जा रहा है, तो दोनों में क्या सही है ? क्या यह सही है कि डी० आई० ओ० एस० को संस्तुति की गयी है और प्रबन्धक समिति द्वारा इंटर कक्षायें बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो वह संस्तुति क्या है और दोनों बातों में सत्य क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो देखने में विरोधाभास लगता है लेकिन तथ्य यह है कि 15-8-74 को प्रबन्ध समिति की एक इमर्जेंसी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि बावजूद इसके कि इंटर कक्षायें बन्द करने के पहले प्रस्ताव किया गया है जून के महीने में, लेकिन अब उसको कार्यान्वित करने के लिये प्रिन्सपल को कोई आदेश नहीं दिया गया है कि इंटर कक्षायें बंद करें और न तो प्रस्ताव के अनुसार इंटरमीडियेट बोर्ड को इसकी सूचना दी गई है। इस तरह से पहले प्रस्ताव जून में आया था लेकिन बाद में 15 अगस्त, की बैठक में प्रबन्ध कारणी समिति ने यह निर्णय लिया कि इसको कार्यान्वित न किया जाय। इसलिये वह विरोधाभास नहीं होता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा कई अध्यापकों को उनकी सेवा की समाप्ति का नोटिस दिया गया है ? यदि हां तो उसका कारण क्या था और कितने अध्यापकों को किस आधार पर इस प्रकार की नोटिस दी गयी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

हमारे पास जो सूचना है उसमें केवल एक अध्यापक के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की गई है जो कि प्रधानाचार्य के न होने पर उस बैठक में उपस्थित थे जबकि प्रबन्धकारणी समिति ने यह निर्णय लिया था कि यह कक्षायें न लगाई जायं। इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया। प्रबन्धकारणी समिति ने उस सिलसिले में यह कहा था कि यह बात बाहर न जाय और चूंकि यह जो अध्यापक हैं उन्होंने इस बात को बाहर फैलाया जिससे यह समझा गया कि उन्होंने विश्वास के खिलाफ काम किया है और इस आधार पर प्रबन्ध समिति ने उनको निलम्बित किया।

श्री ऊदल--

प्रबन्ध कमेटी ने 12 वीं कक्षायें न चलाने का फैसला क्यों किया ? लड़के कम थे या कोई और कारण था ? माननीय मंत्री जी इसको डिटेल में बतलाने की कृपा करें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, एक कारण तो यह है कि वहां विद्यार्थी कम हैं। यह तो आंकड़ों से विदित हैं। आंकड़े इस प्रकार के हैं:---

1969-70 में कक्षा 11 में 12 विद्यार्थी थे और कक्षा 12 में 13 विद्यार्थी थे। 1970-71 में 7 विद्यार्थी कक्षा 11 में थे और 22 विद्यार्थी कक्षा 12 में थे। 1971-72 में 3 विद्यार्थी कक्षा 11 में थे और 12 विद्यार्थी कक्षा 12 में थे। 1972-73 में 10 विद्यार्थी कक्षा 11 में थे और 7 विद्यार्थी कक्षा 12 में थे। 1973-74 में 8 विद्यार्थी कक्षा 11 में थे और 14 विद्यार्थी कक्षा 12 में थे।

इसलिये इस हालत में अच्छा यह समझा गया कि इसको चलाना ठीक नहीं है। लेकिन बाद में दूसरा विचार किया गया और प्रबन्धक ने इसको फिलहाल चालू रखने का निर्णय लिया है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

क्या मंत्री महोदया बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और प्रबन्धक कौन सज्जन हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, इस प्रबंध समिति के जो प्रबन्धक हैं वह श्री बाबू त्रिलोकी सिंह हैं, जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं यही इसको चला रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

मान्यवर, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी को ध्यान होगा कि शिक्षा संहिता में एक नियम है और उसमें कहा गया है कि कम से कम 5 विद्यार्थी जिस सेक्शन में हो उसको तोड़ा न जाय। यदि यह बात सही है तो यह कक्षायें क्यों बन्द की जा रही हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, यह तो ठीक है कि यदि 5 विद्यार्थी हों तो कक्षा खोली जा सकती है। यह नियम है। लेकिन अगर कोई यह समझता है कि हम इसे नहीं चला पायेंगे तो वह इसको बंद करने के लिये इंटरमीडियेट बोर्ड की आज्ञा ले सकता है, इसके लिये कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

मान्यवर, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि एक अध्यापक निलम्बित किया गया है केवल इसलिये कि उसने कोई बात बाहर फैला दी थी, तो यह निलंबित करने का कोई कारण नहीं है। यह प्रबंध निंदनीय है। क्या मंत्री जी इस अध्यापक को रि-इन्स्टेट करने की कोई व्यवस्था करेंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, केवल बात फैल कर अगर रह जाती तो दूसरी बात थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर आंदोलन और अनशन हुये। तो इस वजह से सीरियस व्यू में इसको लिया गया।

श्री जगदीश अवस्थी---

मान्यवर, क्या मंत्री महोदया बतलाने की कृपा करेंगी कि इस शिक्षा संस्था को इंटरमीडिएट कक्षाओं की मान्यता कब से प्राप्त हुयी थी और जो अध्यापक को निलंबित किया गया है, वह किस आधार पर निलम्बित किया गया है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय, कहा जाता है कि इनके बारे में बहुत सी अनियमितायें थीं। परीक्षा-फल ठीक नहीं था, और कार्य असंतोषजनक था। यह सारी बातें थीं। इसी कारण से निलंबित किया गया है। और कब से मान्यता दी गयी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े मैंने बताये हैं। मेरा अंदाजा है कि शायद 8-9 वर्ष से मान्यता प्राप्त है, ऐसा मुझे लगता है।

श्री ऊदल—

माननीय, क्या सरकार ने, जो इस कालेज के प्रिंसिपल हैं, उनको शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश दिया गया कि आपके यहां लड़कों की संख्या कम है अतः आप लड़कों की तादाद बढ़ाइये, नहीं तो आपकी मान्यता खत्म कर दी जायगी? माननीय, यह कालेज लखनऊ के बीचोबीच में स्थित है, तो क्या कोई ऐसी नोटिस दी गयी है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बस्ती की बांसी तहसील के चंवर ताल तथा फजिहतवा नाले के बरसाती पानी से प्रभावित गांव

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील बांसी (ब्लाक बांसी) के अन्तर्गत चंवर ताल एवं फजिहतवा नाले के बरसाती पानी से ग्राम घुसवां के निकट संतोषवा नाले में एक बांध बनाये जाने के कारण बरसाती पानी के जमाव से इस समय लगभग 30 गांव बुरी तरह से घिरे हैं, जिससे कि गांव डूब जाने की सम्भावना है? यदि हां, तो पानी के निकास तथा गांव की रक्षा हेतु सरकार क्या तुरन्त कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

बस्ती जनपद की बांसी तहसील (ब्लाक बांसी) के अन्तर्गत चंवर ताल एवं फजिहतवा नाले के बरसाती पानी से, ग्राम घुसवा के निकट संतोषवा नाले में एक बांध ग्रामीणों द्वारा बनाये जाने के कारण, कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। नदियों में बाढ़ के कारण इस समय पूरा क्षेत्र जलप्लावित है नदियों का जल स्तर गिरने पर बांध निकलवाकर पानी के निकासी की व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय, इस सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न करूंगा। यह मेरे क्षेत्र का मामला है। यह जो फजिहतवा नाला और चंवर ताल हैं दोनों एक दूसरे के निकट हैं जिनमें सदैव पानी इकठ्ठा हो जाने के कारण लगभग 50 गांव हर वर्ष जलमग्न रहते हैं। तो सरकार की क्या कोई ऐसी योजना है और जैसा कि बताया गया है नाले का पानी निकालकर नदी में गिराया जायगा जिससे कि उस क्षेत्र में फसल बोई जा सके?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह जो चंवर ताल एवं फजिहतगा नाला है वह राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती के क्षेत्र में स्थित है। बरसाती पानी चंवर ताल से फजिहतगा नाले में होकर संतोषवा नाले द्वारा बूढ़ी राप्ती में गिरता है। लकिन वहां के ग्रामीणों ने एक बांध बना दिया है जिसके कारण पानी का वाटर लागिंग हो गया है। अब जिलाधीश को यह आदेश दिनांक 25-7-74 को दिये ग`हैं और इसके बाद उनको लिखा भी गया है कि वे जो ग्रामीणों ने बांध बना दिया है जिसकी वजह से वाटर लागिंग हो गया है उसको तोड़ करके पानी की निकासी की व्यवस्था कर। यह आदेश चले गये हैं और जैसे ही पानी कम होगा जो इस समय बाढ़ के कारण भरा हुआ है वैसे ही उस बांध को तोड़ करके पानी की निकासी की व्यवस्था की जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने सवाल दूसरा पूछा था और यदि सिंचाई मंत्री जी होते तो आश्वासन देने का वे प्रयास भी करते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, जैसा कि मैंने कहा कि हर वर्ष वह एरिया जलमग्न रहता है और यदि बांध कटवा भी देंगे तब भी पानी नहीं निकल पायेगा और उससे सैकड़ों गांव जलमग्न रहते हैं, जिससे कि पानी वहां न रुकने पाये और वह राप्ती नदी में चला जाय और जिससे वहां अन्न पैदा हो सके क्योंकि पानी के कारण वहां अन्न भी नहीं पैदा होता है परन्तु सरकार उनसे लगान फिर भी लेती है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो सूचना है उसमें किसी योजना का उल्लेख नहीं है। जिस योजना का उल्लेख है वह तो इतना ही है कि जो ग्रामीण लोगों ने बांध बना दिया है जिससे कि पानी वहां रुका हुआ हुआ है उसको तोड़ करके पानी निकलवाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, जो गांव डूबे हुये हैं और फसल का नुकसान हो रहा है क्या उस पर विचार करके पानी निकलवाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इस संबंध में शासन विचार करेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ में गोमती की बाढ़ को रोकने हेतु बन्धे का निर्माण

*1—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में गोमती की बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिये बन्धा निर्माण कार्य अब तक पूरा न हो पाने का क्या कारण है जब कि वर्षा का मौसम आ जाने से बाढ़ का संकट सम्भावित हो गया है ? निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह कार्य तीन विभागों अर्थात् सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा स्थानीय शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पूरा किया जाना है। कार्य पूरे न होने का मुख्य कारण

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

धन की कमी रही है। इस योजना क कार्य वर्ष 1975 के वर्षा काल से पहले पूरे करना निर्धारित था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, सरकार का सबसे बड़ा कन्डेमनेशन यह है कि न तो मंत्रियों में कोआर्डिनेशन है म विभागों में कोआर्डिमेशन है और न जिलाधीशों व अधिकारियों में कोआर्डिनेशन है। लखनऊ एक बार बह गया और फिर भी बह जाय परन्तु बांध बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ। इसका कारण है कि यह काम किसका है। या तो इस काम को आधा सिंचाई विभाग करे, आधा पी० डब्लू० डी० करे, आधा शासन बनवाये, तो यह वैसे ही है जैसे कि शासन के मंत्रिगणों की बात है। तो मान्यवर, ऐसा कब समय आयेगा जबकि इन तीनों विभागों में कोआर्डिनेशन होगा और यह काम पूरा होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जैसा माननीय त्रिपाठी जी कह रहे हैं तो वैसी बात नहीं है। सन् 1971 में बाढ़ को रोकने के लिये तीन मुख्य अभियन्ताओं की एक कमेटी बनी थी। जिसमें सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण के मुख्य अभियन्ता तथा स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के मुख्य अभियन्ता थे। इन तीनों अभियन्ताओं ने मिल कर एक योजना तैयार की और उस योजना के मुताबिक कार्य हो रहा है। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि कोआर्डिनेशन नहीं है, तो अगर कोआर्डीनेशन न होता तो बाढ़ रोकने के लिए जो योजना तैयार की है वह न बन पाती और उसी योजना के मुताबिक कार्य हो रहा है। किन्तु धनाभाव के कारण जितना कार्य होना चाहिए था उतना कार्य नहीं हो पा रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जब से यह बांध बनना प्रारम्भ हुआ, उस समय से लेकर अब तक कितना धन सरकार ने अलाट किया, कितना खर्च हुआ और कितना बाकी बचा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, 1972–73 में विभाग ने 175 लाख रुपये की मांग की थी। 110 लाख रुपये आवंटित हुये थे और 152.30 लाख रुपये खर्च हुये। 1973–74 में 105 लाख रुपये की मांग की गई थी, 65 लाख रुपय आवंटित हुये और 78.00 लाख रुपये व्यय हुये। 1974–75 में 85 लाख रुपये की मांग है, 20 लाख रुपये आवंटित हुये हैं और जून, 19.4 तक 10.80 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में तीन चरण कमेटी ने तय किये थे। पम्पिंग कार्य के लिये 334 लाख रुपये की धनराशि रखी गई थी। गगा बाढ़ आयोग ने इसको अनुमोदित किया था। द्वितीय चरण के लिये 387 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था। हार्डिंग पुल पर बांध न बनने के कारण पम्पिंग योजना का कार्य नहीं हो पा रहा। भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपये पूरे प्रदेश के लिये बाढ़ रोकने के लिये दिये हैं। जिसमें से लगभग ढ़ाई करोड़ रुपया लखनऊ में बाढ़ रोकने के लिये है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अभी हमारे मंत्री जी ने तीन चरणों की व्याख्या की। दो चरण रहते तो ठीक होता, लेकिन 3 हो जाने की वजह से लंगड़ी लगाने लगे। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब यह सरकार आश्वासन देगी कि यह निश्चित रूप से आने वाले बाढ़ के वर्ष यानी 1975 के पूर्व इसकी पूर्ति हो जायेगी और किसी प्रकार का धनाभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि जितना आपने अलाट किया उससे ज्यादा खर्चा हुआ है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय, जिन तीन चरणों का उल्लेख किया है--प्रथम चरण का कार्य 31 मार्च, 1975 के पूर्व ही पूरा हो जायेगा ।

श्री ऊदल--

जब शुरू-शु में यह प्लान बनाया गया था तो इसका टोटल एस्टीमेट क्या था और जब फाइनल होगा तो उस समय तक कितना खर्च अनुमानित होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

* 2--श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री धर्म वीर--

[निरस्त]

जिला परिषदीय जूनियर हाई स्कूल तथा गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के वेतन-क्रम में असमानता

3*--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के जूनियर कक्षाओं के अध्यापकों के वेतनक्रमों में असमानता है ? यदि हां तो क्यों तथा क्या सरकार दोनों वेतनक्रमों को समान स्तर पर लायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां ।

उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुति पर विभिन्न वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं ।

जी नहीं, क्योंकि उनके दायित्व एवं सेवा नियम भिन्न-भिन्न हैं ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

यह जो अन्तिम उत्तर मिला है उसके अनुसार बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापकों और अन्य जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापकों के उत्तर-दायित्व और सेवाओं में अन्तर बताया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दोनों अध्यापकों में जो एक ही कक्षाओं को पढ़ाते हैं उनके दायित्व और सेवा नियमों में किस-किस प्रकार की भिन्नता है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

राजकीय विद्यालयों के अध्यापक प्रदेश के किसी भाग में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं परन्तु बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 9 (3) के प्रतिबन्ध के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता । गैर सरकारी स्कूलों में स्थानान्तरण की कोई व्यवस्था नहीं है । चूंकि सेवा प्रकृतियां भिन्न-भिन्न हैं और विभिन्न वेतनमानों के दायित्व अलग-अलग हैं अतः उनके वेतनमानों को एक समान किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगी जिन दायित्वों और सेवा नियमों में भिन्नता के कारण समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है तो दायित्वों और नियमों को समान बना कर समान वेतन करने का प्रयास करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह एक व्यापक और नीति विषयक प्रश्न है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बतला दूं कि एक कमेटी इस विषय पर विचार कर रही है।

श्री जगदीश अवस्थी—

जूनियर स्कूल जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाये जा रहे हैं उनका वेतनमान और जो गैर सरकारी जूनियर स्कूल हैं उनका वेतन मान, इनमें कितना अन्तर है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

थोड़ा अन्तर है जो निम्न प्रकार है जो बेसिक शिक्षा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक हैं उनका 200 से 320 का ग्रेड है। यह हाई स्कूल प्रशिक्षित के लिए है। जूनियर हाई स्कूल प्रशिक्षित का 185 से 265 का ग्रेड है। अन्य राजकीय स्कूलों में यानी (1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, (2) आदर्श विद्यालय और (3) स्वतंत्र राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में जूनियर कक्षाओं के अध्यापकों को क्रमशः (1) 250 से 425, (2) 200 से 320 तथा (3) 200 से 320 का ग्रेड है। गैर सरकारी स्कूलों के जूनियर कक्षाओं के सहायक अध्यापकों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नलिखित वेतनमान दिये गये हैं: (1) सहायक अध्यापक (सी0 टी0) को 220 से 400, (2) सहायक अध्यापक (जे0 टी0 सी0) को 195 से 315, और (3) सहायक अध्यापक (अप्रशिक्षित) को 170 रुपये नियत है। इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा अन्तर है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिल बहराइच)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो कमेटी विचार कर रही है तो वह किन-किन पहलुओं पर विचार कर रही है और कब तक उन पर विचार हो जायगा और उस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित प्रश्न और समस्याएं हैं उन सब पर विचार कर रही है। य सारे प्रश्न कि उनके दायित्व क्या हैं और क्या उनके ग्रेड हों यह सब उसके परिधि में आ जाते हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

कौन-कौन सदस्य हैं और कौन-कौन सी मुख्य समस्याओं पर समिति विचार कर रही है उसका उत्तर नहीं आया।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। वह कहती हैं कि समिति राष्ट्रीयकरण प्रश्न पर विचार कर रही है। वह कब से विचार कर रही है और यह विचार कब तक समाप्त हो जायगा। अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कब तक विचार समाप्त हो जायगा, यह नहीं बतला सकती। विचार हो रहा है। कई बैठकें हो चुकी हैं और कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी तैयार की है।

श्री ऊदल—

क्या यह समिति जो 5,7 किस्म की शिक्षा इस प्रदेश में दी जाती हैं उनमें एकरूपता हो जाय इस पर भी विचार कर रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शिक्षा के सम्बन्ध में बारबार जो सवाल यहां उठाये जाते है उन सभी को लेकर यह समिति विचार कर रही है ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

उस समिति में कौन-कौन से लोग हैं उनके नाम माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मेरे पास फाइल नहीं है इसलिये मैं नाम नहीं बतला सकती।

श्री कल्याण सिंह—

समिति की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गयी है उसमें किन-किन बातों पर प्रकाश डाला गया है क्या सरकार संक्षेप में उस पर प्रकाश डालेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह दूसरा सवाल है।

हिन्द मजदूर पंचायत, तथा लिफ्ट सिंचाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की मांगें

* 4—श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें हिन्द मजदूर पंचायत, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश लिफ्ट सिंचाई कर्मचारी संघ का 18-सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 4 मई, 1973 तथा 23 नवम्बर, 1973 को 18-सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां तो क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि राज्य के लिफ्ट सिंचाई श्रमिकों की 18-सूत्रीय मांगों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

हिन्द मजदूर पंचायत, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश लिफ्ट सिंचाई कर्मचारी संघ के सम्मिलित नाम से 18 सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 4-5-1973 और पैम्फलेट दिनांक 26-11-1973 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। उक्त पंचायत तथा संघ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर भी उनमें से न्याय संगत तथा समुचित मांगों के संबंध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है और सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ताओं को आदेश दे दिये गये हैं कि श्रमिकों को नियमानुसार सुविधायें दे दी जायें।

श्री हरिकेवल--

हिन्द मजदूर पंचायत और लिफ्ट सिंचाई कर्मचारी संघ ने जो 18 सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया है उसमें उनकी कौन-कौन सी मांग हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह मांग-पत्र काफी विस्तृत है लेकिन मैं मोटी-मोटी बातें सदन के समक्ष रख देता हूं। पहली मांग यह थी कि वर्कचार्ज में लिफ्ट इरीगेशन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको रेगुलर कर दिया जाय। शासन ने 4007 स्थायी पदों का सृजन किया है और उनमें से 500 लिफ्ट इरीगेशन के वर्कचार्ज कर्मचारियों के पद भी शामिल हैं। दूसरी मांग यह थी कि उनकी वेतन वृद्धि मिलनी चाहिये। सरकार ने 150 रुपये वेतन पाने वाले को 25 रुपये की वृद्धि दी। 151 से 300 रुपये वेतन पाने वालें की 35 रुपय और 301 से अधिक वेतन पाने वाले को 40 रुपये की वृद्धि दी। इस प्रकार उनके वेतन वृद्धि की मांग को पूरा किया। उनकी एक मांग यह भी थी कि जो वर्कचार्ज कर्मचारी हैं उनको साप्ताहिक केजुअल, अर्जित तथा मेडिकल लीव मिलनी चाहिये। नियमानुसार सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। उनकी एक मांग यह भी थी कि उनको नियमानुसार नियुक्ति पत्र दिया जाय। शासन ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है और वर्कचार्ज कर्मचारियों को अब नियुक्ति-पत्र दिया जाता है। एक माँग यह थी कि उनको 20 प्रतिशत बोनस दिया जाय। नियमानुसार यह बोनस नहीं दिया जा सकता था। मान्यवर, इसी तरह की उनकी मांगें थीं जिनमें से कुछ को सरकार ने मान लिया है और जो नियमों के अन्तर्गत नहीं आती थीं उनको स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह स्कीम कब से चली, इसमें कुल कितने कर्मचारी हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो ब्यौरे का सवाल है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितने अस्थायी पदों का सृजन किया गया था उनको रेगुलर कर दिया गया है। इसके अलावा मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि राजाज्ञा के अनुसार जितने कर्मचारी 3 साल से अधिक अवधि से काम करते चले आ रहे हैं उनको वे स्थायी कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका वे जवाब दे चुके हैं।

श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 3 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी वर्कचार्ज जितने भी कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने के आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक ये आदेश जारी हो जायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है ।

*5--श्री जयराज गौतम--

[13वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत सौरिख नादेमऊ सड़क का निर्माण कार्य

*6--डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत सौरिख-तिरवा रोड पर नादेमऊ से आगे तिरवा तक बन रही सड़क का निर्माण-कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ? तथा निर्माण-कार्य फिर कब से प्रारम्भ किया जाएगा ? क्या यह सही है कि उल्लिखित सड़क निर्माण के लिये स्वीकृत धनराशि किसी अन्य सड़क निर्माण हेतु स्थानान्तरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

जी हां। तिर्वा की ओर तहसील कन्नौज में इस सड़क के पड़ने वाले भाग पर स्थित ग्रामों में चकबन्दी का कार्य हो रहा था जिस कारण सड़क निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति होने में कठिनाइयां हुईं और सड़क के निर्माण कार्य आरम्भ करने में अत्यधिक विलम्ब होने की सम्भावना हो गयी । अतः यह निर्णय किया गया कि सौरिख की ओर से कार्य प्रारम्भ किया जाय । कुल स्वीकृत लागत के अन्दर सौरिख से नादेमऊ तक के भाग का निर्माण कार्य किया जा रहा है । नादेमऊ से आगे तिर्वा तक के भाग के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

तिर्वा से सौरिख तक सड़क के निर्माण के लिये स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य सड़क हेतु स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

जनपद बस्ती में टेस्टवर्क तथा मस्टर रोल के अन्तर्गत सड़क पर मिट्टी का कार्य

*7--श्री प्रभू दयाल (जिला बस्ती)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत 1972-73 और 74 मार्च तक धर्म सिंघवा से उस्का बाजार और पकड़ी से लौटने तक टेस्ट वर्क तथा मस्टर रोल के जरिये कितनी मील सड़क बनी है और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

प्रश्नगत मार्गों पर 16.40 किलोमीटर पर मिट्टी का कार्य किया गया है और 1,36,609.25 रुपये व्यय हुआ ।

श्री प्रभू दयाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों पर जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन पर जांच करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

माननीय सदस्य का किस तरह की गड़बड़ी से मतलब है । अगर वे वह बता देंगे तो जो भी कार्यवाही उसमें करने की आवश्यकता होगी, करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर कितने क्यूबिक फिट मिट्टी पड़ी हुई है ? दूसरे यह कि क्या सरकार को कोई ऐसा शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है कि मस्टर रोल में पानी डाल दिया गया जिससे कोई यह न पढ़ सके कि उसमें क्या लिखा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा

मान्यवर, जिस सड़क का उल्लेख किया गया है, वह मौके पर बनी थी या वह केवल कागज में ही बनी थी ? क्या इसकी मंत्री जी जांच करवायेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, जांच करवायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कितने क्यूबिक फीट मिट्टी इस सड़क पर पड़ी हुई है जिसका कि 1 लाख कुछ हजार रुपया पेमेंट हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मैंने बताया कि इसकी सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह ब्योरे का सवाल है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह सड़क मेरे क्षेत्र की है। मैं कई बार वहां से आया और गया, किन्तु मैंने तो नहीं देखा कि कितनी मिट्टी पड़ी हुई है....

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, यहां तो सूचना यही है कि मिट्टी पड़ी हुई है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसकी मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस सम्बन्धित सड़क का मामला आज आया है, उस सड़क पर कितनी मिट्टी पड़ी और इसमें जो टेन्ट वर्क का कार्य हुआ है, वह मिट्टी कितने रुपये घनफुट के हिसाब से नाप कर उनको पेमेन्ट किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मैंने निवेदन कर दिया जितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन कितने घनफुट मिट्टी पड़ी इसकी सूचना मेरे पास है नहीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मिट्टी किस सड़क पर किस स्थान से किस स्थान तक अर्थात् किस गांव से किस गांव तक पड़ी है ? क्योंकि मैं उसे फिर देखने की कोशिश करूंगा ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

गांव की सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन धर्म-सिधवा से उरुवा तक का जो मार्ग है वह 7 किलोमीटर है और उसमें से 6.4 किलोमीटर में दोनों बगलों में मिट्टी पड़ गई है। दूसरी सड़क जो पकड़ी से लोटन तक की है वह 10 किलोमीटर है और उसमें से दोनों बगलों में दसों किलोमीटर पर मिट्टी पड़ गई है ।

जनपद, आजमगढ़ के दोहरी घाट पम्प नहर के हेड पर पम्पों से कृषकों को पानी न मिलना

*8—श्री बया राम भास्कर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दोहरी घाट पम्प नहर के हेड पर कुल 12 पम्प लगे हैं जिन्हें इस वर्ष खरीफ की सिंचाई के लिये एक साथ क्यों नही चलाया गया ? इस प्रकार किसानों को समय पर पानी नहीं देने के लिये जिम्मेदार अधिकारी कौन है ? शासन द्वारा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

प्रश्न का प्रथम भाग

इस पम्प नहर के हेड पर 12 पम्प लगे हैं जिसमें से केवल 11 पम्प एक साथ चलाने होते हैं क्योंकि एक पम्प स्टैन्ड बाई होता है। ये पम्प एक साथ इसलिये नहीं चल पाये क्योंकि इनमें से 3 पम्पों की मोटरें जल गयी थीं और 4 पम्प बदले जा रहे थे। जो पम्प चल रहे थे उन्हें भी पूरे समय बिजली नहीं मिली। अतः कृषकों को समुचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाया।

प्रश्न का द्वितीय तथा तृतीय भाग

उपरोक्त कारणों से किसी अधिकारी के दोषी होने का तथा उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, बी० टी० सी० ट्रेन्ड उम्मीदवारों को सर्विस

*9—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित बी० टी० सी० ट्रेन्ड कितने उम्मीदवारों को अभी तक पिछले दो वर्षों में फर्रुखाबाद जनपद में सर्विस दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अनवार जमील—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न 6—7—74 का था और यह 9—8—74 को एक बार स्थगित भी हो चुका है, इस प्रकार करीब ढाई महीने हो चुके हैं फिर भी सूचना सरकार के पास नहीं आ सकी है, तो क्या इसके लिये सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग शुरू करेगी ? यह तो पूरे सूबे का प्रश्न नहीं है, सिर्फ फर्रुखाबाद जिले के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न और इसकी जो प्रकृति है कुछ ऐसी है कि यह बहुत टेढ़ा सवाल है। अब श्री अनवार जमील का ही अगला सवाल।

छिबरामऊ फर्रुखाबाद सड़क का निर्माण-कार्य

*10---श्री अनवार जमील---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतने का कृपा करेंगे कि छिबरामऊ से फर्रुखाबाद जाने वाली सड़क का निर्माण-कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न ही उसकी पैंटिंग हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

इस मार्ग का निर्माण अप्रैल 1972 में पूरा हो चुका है। इसके 9.6 कि0 मी0 भाग की पैंटिंग भी हो चुकी है। शेष भाग की पैंटिंग कराना इस समय धनाभाव के कारण संभव नहीं है।

श्री अनवार जमील---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुराना कार्य है, पूरे कार्यों के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, तो पुराना कार्य धनाभाव के कारण क्यों नहीं किया जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

इस सड़क की कंकड़ की स्वीकृति हुई थी। जितनी कंकड़ की सड़क की स्वीकृति हुई थी पूरी बन चुकी है। 9.6 किलोमीटर, अलग से कोई स्वीकृति नहीं थी, ए0 आर0 ऐंड0 एस0 आर0 एम0 डी0 से पैच कर दी गयी। आगे जितनी सड़क है उसके लिए प्राक्कलन भेजा गया था कि बजट में प्रावधान किया जाय, इस वर्ष वह नहीं हो सका।

श्री अनवार जमील---

मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि कब तक पैंटिंग हो जायगी सड़क की ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष---

धनाभाव की बात....

एक सदस्य---

इसका उत्तर नहीं आया कि धनाभाव कब तक पूरा हो जायगा, उसके लिए कौन से उपाय कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

वह क्या बताएं ?

बस्ती जनपद के डुमरियागंज-बढ़नी सड़क पर सिफरी नाले के पुल की मरम्मत

*11---श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज-बढ़नी सड़क पर सिफरी नाले के ऊपर का पुल बहुत जर्जर और पुराना हो चुका है और उसकी रेलिंग एक तरफ से टूट गई है इसके फलस्वरूप अनेकों घटनायें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो उस पुल का शीघ्र नया निर्माण करने के सम्बन्ध में अविलम्ब आदेश प्रसारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत पुल पुराना है, परन्तु जर्जर नहीं है । इसकी रेलिंग टूटी अवस्था में है, जिसकी मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है । इस स्थान पर नया पुल बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है वर्तमान यातायात की दृष्टि से इस नाले पर अभी नये पुल की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

माननीय मंत्री जी ने अपनी सूचना में उस पुल को जर्जर नहीं माना है, पुराना माना है। उसकी रेलिंग टूट गयी है। उसको बनवाने का आश्वासन दे रहे हैं क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि वह पुल पुराना है, यदि उसके पाये इतने मजबूत हैं, इंजीनियर आदि के देखने म वह चल सकता है, किन्तु उस पर पुल जो है, बहुत पतला है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, रेलिंग के बनवाने के साथ-साथ क्या पुल को और चौड़ा बनवाने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह बात सत्य है कि पुल कम चौड़ा है, केवल दस फीट चौड़ा है, रेलिंग जो टूटी हुई है वह व्यवस्था की जा रही है। ऐसी आशा करते हैं कि 30 सितम्बर तक उसको बना देंगे जहां तक पाये का सवाल है, देख लेंगे और चौड़ा करने का सवाल है उसको भी देखेंगे। उसके लिए धन उपलब्ध हो सकेगा तो उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जायगा।

*12—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल तथा श्री राम चरन शाह—

[13 वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ में आयोजित प्रादेशिक बाल समारोह हेतु कानपुर के अध्यापकों से धन की कथित वसूली

*13—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि 1973 में लखनऊ में प्रादेशिक बाल समारोह के आयोजन में कानपुर जिले के लगभग 10 हजार प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों के अध्यापकों से 30 हजार रुपये बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा वसूले गये थे ? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से तथा क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 हजार नहीं, कुछ रुपया वसूल हुआ है या बिलकुल नहीं वसूल हुआ है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यापकों के द्वारा नहीं लेकिन जो विद्यालय में क्रीड़ाकोष होता है उसके लिए 18 हजार 4 सौ 24 रुपये के करीब इनको दिया गया था ।

विभागीय इकाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कर्वी जिला बांदा में मजदूरों की छटनी

*14—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग), सा0 नि0 वि0, कर्वी (बांदा) के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों का निर्माण-कार्य दिनांक 20-6-74 से बन्द करके निर्माण मजदूरों की छटनी कर दी गई है? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य क्यों बन्द किया गया और इसके फलस्वरूप कितने मजदूरों को काम पर से अलग किया गया?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां।

बांदा जनपद में काली कपासी मिट्टी (ब्लेक कोटन सोमल) होने के कारण वर्षा ऋतु के दौरान कार्य करना साधारणतया सम्भव नहीं होता है और इसी कारण जून, 1974 के दौरान कुल 264 मजदूरों को काम पर से अलग किया गया।

श्री राम सजीवन—

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह काली मिट्टी होने के कारण वहां काम बन्द है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गत वर्ष जो बरसात के दिनों में काली मिट्टी होने के कारण इन्हीं सड़कों पर निर्माण-कार्य हुआ था या नहीं हुआ था?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, गत वर्ष काम हुआ या नहीं, इसकी सूचना नहीं है लेकिन प्रायः बरसात में 15 जून से लेकर 30 सितम्बर तक यह स्थिति होती है कि काम कम हो पाता है। इसलिये मजदूर कम लगते हैं।

क रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बरसात खत्म होने जा रही है तो क्या मंत्री जी तुरन्त इसके बाद काम लगाने का आश्वासन देंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिस मार्ग पर जितना धन है और जितनी आवश्यकता होगी मजदूर लगाये जायेंगे। यह हमेशा ही होता है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

छटनी करने से पहले या छटनी करते वक्त इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के तहत क्या मजदूरों को मुआवजा देंग?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

इसमें छटनी का प्रश्न नहीं है। यह रोजाना मजदूरी के लिये आते हैं। जिस दिन काम होता है यह लोग लगे रहते हैं वरना चले जाते हैं।

नोट—नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जिला मेरठ के बड़ौत-बुढ़ाना सड़क पर कृष्णी नदी के पुल का निर्माण

*15 –श्री धर्म वीर सिंह (जिला मेरठ)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ के अन्तर्गत बड़ौत–बुढ़ाना सड़क पर ग्राम बामनौली के पास जो कृष्णी नदी का पुल कई वर्षों पूर्व बनाया जाना था, उसका निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उपरोक्त महत्वपूर्ण सड़क को निकट भविष्य में कब तक पूण करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुल का ठेका जिस ठेकेदार को दिया गया था उसने कार्य आरम्भ नहीं किया और मामला लिखा-पढ़ी में चलता रहा । अब यह कार्य राज्य सेतु निगम को अप्रैल, 1974 में हस्तांतरित कर दिया गया है । प्रश्नगत पुल तथा उसके पहुंच मार्गों को छोड़-कर बड़ौत बुढ़ाना सड़क का निर्माण-कार्य-पूर्ण हो चुका है । धनाभाव के कारण पुल का निर्माण-कार्य इस वर्ष प्रारम्भ नहीं हो सकेगा ।

शारदा सहायक परियोजनाप्तर्गत, नहरों के लिए लाई गई भूमि का मुआवजा

*16––श्री जंगबहादुर वर्मा तथा श्री नन्हे लाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत सरकार शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत नई नहरें बनाने जा रही है तथा शारदा नहर की पुरानी नहरें चौड़ी की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या जिन किसानों की जमीन ले ली गई है उन्हें मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया के मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा हरिजन छात्रों स कथित शुल्क की वसूली

*17—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)––

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किन-किन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य हरिजनों से प्रवेश हेतु अनिवायतः शुल्क लेते हैं ? देवरिया जिले में किन-किन विद्यालयों ने जुलाई, 1973 से चलने वाले गत वर्ष के शिक्षा सत्र में (अनुसूचित जाति) हरिजन छात्रों से शुल्क लेकर प्रवेश किये और अब तक उन्हें वापस नहीं किये ? क्या सरकार उनसे लिये गये शुल्क उन्हें वापस कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री राम जी लाल सहायक)—

देवरिया जनपद के कोई भी प्रधानाचार्य हरिजनों से प्रवेश हेतु शुल्क नहीं लेते हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के ग्राम वसूली की बड़ी गन्डक फीडर स्केप निर्माण हेतु ली गई भूमि का प्रतिकर

*18—श्री श्रीनारायण—

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के ग्राम वसूली की बड़ी गन्डक फीडर स्केप निर्माण हेतु ली गई भूमि का प्रतिकर सम्बन्धित व्यक्तियों को न मिलने में बिलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सम्बन्धित काश्तकारान द्वारा प्रतिकर धनराशि न स्वीकार करने के कारण उस धनराशि को 18 अगस्त, 1969 को रेवेन्यू डिपाजिट में जमा कर दिया गया, जिसमें अधिकांश भू-स्वामी रीपेमेन्ट आर्डर द्वारा अपने प्रतिकर का भुगतान ले चुके हैं। अतः प्रतिकर वितरण में बिलम्ब का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जौनपुर तथा प्रतापगढ़ जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा प्राध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमान

*19—श्रीमती शिवकुमारी दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जौनपुर तथा प्रतापगढ़ जनपदों के कितने और कौन ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके अध्यापकों एवं प्राध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमान 1969 तथा नवीन वेतनमान, 1974, अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और सम्बन्धित कितने और किन अध्यापक-प्राध्यापकों को अभी तक पुराना वेतन मान ही दिया जा रहा है और क्यों ? और अनावश्यक विलम्ब करने वाले कर्मचारियों को दन्डित करेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जौनपुर एवं प्रतापगढ़ जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासकों की कथित नियुक्ति

*20—श्रीमती शिव कुमारी दुबे—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जौनपुर एवं प्रतापगढ़ जनपदों के कितने और किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) की नियुक्ति की गई है और क्यों ? क्या इन प्रशासकों की नियुक्ति के फलस्वरूप सम्बन्धित माध्यमिक विद्यालयों का कुछ सुधार हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जौनपुर एवं प्रतापगढ़ जनपद के किसी भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रशासक की नियुक्ति नहीं की गई है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट बी० टी० सी० केंद्रों की समाप्ति

*21—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त प्राइवेट बी० टी० सी० प्रशिशण केन्द्रों को समाप्त करने से कितने अध्यापक बेरोजगार हो गये हैं ? क्या सरकार उन्हें कोई विकल्प रोजगार देने पर विचार कर रही है ? क्या शिक्षा मंत्री यह भी

बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार शिक्षा सत्र 1974–75 से कुछ निजी बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण विद्यालयों को तोड़ रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

कुल 46 अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट बी0 टी0 सी0 केन्द्रों को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप अनुमानतः 300 अध्यापक प्रभावित हुये हैं। वास्तविक संख्या विभिन्न केन्द्रों से प्रतीक्षित है।

जी हां।

जी हां। जुलाई, 1974 से 46 ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र समाप्त कर दिये गये हैं। आगामी पांच वर्षों में उपलब्ध हो सकने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक लोगों को प्रशिक्षण न देने का निर्णय शासन ने लिया है।

प्रधानाचार्य, डी0 ए0 बी0 नारंग इंटर कालेज, धुघली, गोरखपुर के बकाया वेतन का भुगतान

*22—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, डी० ए० वी0 नारंग इन्टर कालेज, धुघली, गोरखपुर को निलम्बन के बाद बहाल होने पर दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से 14 जुलाई, 1973 तक मार्च से जून, 1974 तक का बकाया वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां। भुगतान नहीं किया गया है।

प्रधानाचार्य को संस्था में नियुक्त साधिकार नियंत्रक द्वारा बहाल किये जाने तथा सेवा विस्तरण प्रदान करने की विधिक स्थिति विभाग के विचाराधीन है। न्याय विभाग की राय लेकर आवश्यक निर्णय शीघ्र लिया जायगा।

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया का शिकायती-पत्र

*श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1974 का प्राप्त हुआ है, जिसमें सीनियर बेसिक विद्यालय, चिलबड़ा गांव, जनपद, बलिया के प्राधानाध्यापक तथा उनके कुछ तथाकथित समर्थकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में विवरण अंकित है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन अनियमितताओं का जिक्र है और सरकार ने उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां।

पत्र में निम्नलिखित अनियमितताओं का जिक्र है:—

1—सीनियर बेसिक फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों से दो किश्त में 15 रुपया तथा 5 रुपया जबर्दस्ती फार्म दाखला फीस वसूल किया जबकि विभाग द्वारा कुल 8–50 पैसा ही निर्धारित है।

[श्री रामजी लाल सहायक]

2--परीक्षा शुल्क (त्रिमाही, छमाही आदि) 3-50 पैसा वसूल रहे हैं जबकि सुना गया है कि विभाग द्वारा 1-25 पैसा ही निर्धारित है।

3--सूखा, बाढ़, से सम्बन्धित गावों के छात्रों की शिक्षा शुल्क शासन द्वारा मार्च, 1974 तक माफ है फिर भी जबर्दस्ती मार-पीट कर छात्रों से वसूली की गई है।

4--कास्ट कली तथा कृषि की प्रयोगिक परीक्षा के नाम पर 3-00 जबर्दस्ती फीस में से काट लिया गया है।

5--प्रवेश पत्र के नाम पर 1-00 प्रति छात्र लिया गया है जबकि इसके हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

6--प्रत्येक छात्र से प्रति माह में 8 पैसा अधिक प्रति माह लिया जा रहा है।

7--फरवरी, मार्च 1974 की शिक्षा शुल्क वसूल करके क्या राजकोष में जमा किया गया यदि नहीं तो क्यो? और कहां जमा किया गया है।

जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

हमीरपुर महोबा सड़क का निर्माण कार्य

*24--श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर महोबा सड़क का कार्य कुड़ौरा ग्राम के निकट गत कई मास से रुक-रुक कर के क्यों हो रहा है जब कि वर्षा काल आ गया है? और इस स्थान पर बेतबा नदी की बाढ़ से सड़क के डूबने का भय है, इस स्थान पर सड़क के निर्माण-कार्य को पूरा होने की कब तक आशा है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

ग्राम कुड़ौरा के निकट बेतवा नदी के पानी के अधिक समय तक इकट्ठा रहने एवं काली मिट्टी (दलदली) होने के कारण कार्य रुक रुक कर हो पाता है। मार्च, 1976 तक कार्य के पूर्व हो जाने की सम्भावना है।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों का वेतन-क्रम तथा पदोन्नति

*25--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों का दो वेतन-क्रम है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

श्री राम जी लाल सहायक--

जी हां। निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं कार्य के अनुसार।

*26--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शिक्षा-पुनर्व्यवस्था में कार्यरत प्रसार शिक्षकों को अभी तक पदोन्नति क्यों नहीं दी गई और अब ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसनें शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना को शिक्षा विभाग में विलीन करने की बात है? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक कार्यान्वित करने जा रही है?

श्री राम जी सहायक--

स्थान रिक्त होने पर समय-समय पर पदोन्नतियां दी गई हैं । विचाराधीन है ।

जनपद, एटा में दरियावगंज कुरावली मार्ग का निर्माण

*27—श्री लटूरी सिंह (जिला एटा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद, एटा की तहसील अलीगंज के कस्बा दरियागंज से कुरावली रोड निर्माणार्थ स्वीकृत है ? यदि हां, तो सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

प्रश्न-गत मार्ग का निर्माण स्वीकृत नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

चुनार तहसील, जिला मिर्जापुर की बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिए भवन निर्माण

*28—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनार तहसील, मिर्जापुर में कितने और कौन-कौन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के लिये भवन नहीं हैं व अर्धनिर्मित हैं ? इन भवनों के तत्काल निर्माण हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक--

चुनार तहसील के अंतर्गत 54 पाठशालायें भवन रहित तथा 70 पाठशालायें अर्द्ध निर्मित हैं जिनके नाम संलग्न तालिका में अंकित है । बसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व के भवनों की मरम्मत आदि का दायित्व जिला परिषदों का था जिसका वे निर्वहन नहीं कर रहीं हैं । संसाधनों की कमी के कारण उक्त भवनों का निर्माण अभी संभव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 512–515 पर)

जिला परिषद्, सुल्तानपुर के प्रारम्भिक तथा जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों के प्राविडेन्ट फन्ड का लेखा-जोखा

*29--श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

क्या यह सच है कि जनपद, सुल्तानपुर में प्रारम्भिक शिक्षकों के प्राविडेन्ट फन्ड का कोई लेखा–जोखा जिला परिषद्, सुल्तानपुर में अभी तक नहीं रखा गया है और न शिक्षकों को प्राविडेन्ट फंड के लेखे-जोखे का विवरण-पत्र ही दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और अब तक उन शिक्षकों को उनके प्राविडेन्ट फंड का लेखा-जोखा पत्र दे दिया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जिला परिषद्, सुलतानपुर के सभी प्रारम्भिक तथा जूनियर हाई स्कूल बालक एवं बालिका विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के प्राविडेन्ट फन्ड लेखा की पोस्टिंग 1970–71 तक तैयार है और यह लेखा संबंधित अध्यापकों को 17–10–70 को दिया गया था । उसके बाद का विवरण-पत्र नहीं दिया गया है जो कुछ समय बाद दिया जा सकेगा ।

नगरपालिका, सुल्तानपुर के प्रारम्भिक शिक्षकों को मध्यावधि चुनाव भत्ता न मिलना

*30--श्री शिव कुमार पाण्डेय--

क्या यह सच है कि सन् 1960 में हुए विधान सभा के मध्यावधि चुनाव में कार्य करने वाले जनपद, सुल्तानपुर के प्रारम्भिक शिक्षकों को चुनाव भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां तो भुगतान न करने का कारण क्या है ? और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक--

नगरपालिका, सुल्तानपुर के प्राथमिक अध्यापकों का सन् 1969 के मध्यावधि चुनाव संबंधी कोई चुनाव भत्ता देयक नगर क्षेत्र कार्यालय में भुगतान हेतु उपलब्ध नहीं है और कदाचित 1969 के मध्यावधि चुनाव भत्ता देयक भुगतान हेतु शेष नहीं है ।

*31--श्री संत सिंह यूसुफ--

[12 वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री शिव प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अमेठी, जिला सुल्तानपुरी के प्रबन्धक के विरुद्ध गबन तथा डकैतों को पनाह देने का आरोप

*32--राजा रणन्जय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सन् 1971-72 में श्री शिव प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अमेठी, जिला सुल्तानपुर का निरीक्षण करके तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रबन्धक को विद्यालय की बहुत बड़ी धनराशि का गबन करने, उसका दुरुपयोग करने और अत्यधिक भ्रष्टाचार फैलाने का उत्तरदायी ठहराया था ? और इसके विरुद्ध शासन से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उस पर आज तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक--

संदर्भित निरीक्षण आख्या के अभाव में यह सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उक्त संस्था में गबन हुआ या नहीं ।

*33--राजा रणन्जय सिंह--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त विद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध डकैतों तथा अन्य असामाजिक तत्वों को पनाह देने का गम्भीर आरोप है और इसी के अन्तर्गत उन्हें भा० द० वि० सं० 216 की नोटिस भी दी जा चुकी है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां ।

जी नहीं ।

गोरखपुर जनपद के विकास खण्डों में पंच वर्षीय योजनाओं में सड़कों का निर्माण

*34--श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के सहजनवां तथा पाली विकास खंडों में गत पंचवर्षीय योजनाओं में एक भी सड़क न तो बनी है और

न ही बनने के लिये प्रस्तावित हुई ? यदि हां, तो क्यों ? तथा जिले के अन्य विकास खंडों में जो सड़कें बनीं या प्रस्तावित हुई उनका आधार क्या था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

पालो विकास खण्ड में सहतनवां-बखिरा मार्ग के 4.4 कि०मी० भाग का निर्माण किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन सड़कों का चुनाव निर्माण के लिये किया जाता है, उनका महत्व पूरे जिले के आधार पर आंका जाता है। विकास खण्डों के आधार पर निर्माण के लिये सड़कों का चुनाव नहीं किया जाता।

जवाहर मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद में छात्रों से भवन शुल्क लिया जाना

*35--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहर मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद में प्रतिमाह प्रति छात्र से आठ आना भवन शुल्क क्यों लिया जाता है और क्या अवैध शुल्क वसूली के विरुद्ध कोई शिकायत ? यदि हां, तो क्या जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां।

भवन शुल्क के रूप में म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 265, दिनांक 27-7-71 के अनुसार।

जी हां।

श्री विमल प्रसाद तिवारी तत्कालीन अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, फर्रुखाबाद जो प्रश्नकर्त्ता हैं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा उत्तर दे दिया गया है।

पशु चिकित्सालय, घोसी, जनपद आजमगढ़ के भवन में दरार तथा जनपद में पशु संक्रामक रोग

*36---श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि पशु चिकित्सालय, घोसी, जनपद आजमगढ़ के भवन की छत फट गयी है तथा बरसात का पानी अन्दर ही गिर रहा है जिससे वहां की मशीन की तथा धन-जन की भयंकर क्षति की सम्भावना है ? यदि हां, तो उक्त भवन की मरम्मत की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गयी ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

प्रश्नगत पशु चिकित्सालय के दो कमरों की छत में दरार पड़ जाने के कारण उनमें बरसात का कुछ पानी अन्दर आ जाता है।

मशीनें आदि हटा दी गई हैं। मरम्मत का प्रश्न विचाराधीन है।

*37---श्री जफर आजमी--

क्या सरकार को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद में पशुओं की बीमारी जोरों से फैली हुयी है ? यदि हां, तो जनवरी, 1974 से अब तक कितने पशुओं के मरने की सूचना मिली है तथा पशुओं में बीमारी को रोकने के लिये अब तक क्या-क्या प्रभावी कदम उठाया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं और न किसी पशु के किसी संक्रमक रोग से मरने की सूचना है। तथ्य केवल इतना है कि गत जुलाई में जनपद के तीन ग्रामों. . मोलनापुर, बाघनपुर व चकहसन चकलात में गलघोटू बीमारी के फैलने की सूचना प्राप्त हुई जो जांच कराने पर गलत पाई गई। फिर भी इन ग्रामों तथा आस पास के ग्रामों में पशुओं को इस रोग के बचाव के लिये 2260 पशुओं को सुरक्षात्मक टीके लगा दिये गये।

बधवार, 21 अगस्त, 1974 के लिए निर्धारित

तारांकित प्रश्न

प्राइमरी पाठशाला, बगला गांव नगरपालिका मुरादाबाद के अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापक के पेंशन का भुगतान

*1--श्री चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राइमरी पाठशाला, बगला गांव, नगरपालिका, मुरादाबाद के अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापक को शासनादेश संख्या 6250/15(5)/-3341/71, दिनांक 3 नवम्बर, 1973 के अन्तर्गत स्पष्ट आदेशों के बावजूद सन् 1969 से अभी तक पेन्शन न दिये जाने का क्या कारण है तथा उक्त शासनादेश के पैरा 4 में अपेक्षित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम जी लाल सहायक--

यद्यपि प्रसंगगत राजाज्ञा दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में श्री हरि शंकर पांडे के पेंशन के भुगतान हेतु स्पष्ट आदेश दिये गये थे, परन्तु नगरपालिका, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या 272(2) मु० क० (73), दिनांक 7 नवम्बर, 1973 द्वारा शासन के समक्ष उनके पेंशन तथा प्राविडेन्ट फण्ड का जो लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, उसमें अनेक त्रुटियां थीं। अतः राजाज्ञा दिनांक 5 फरवरी, 1974 द्वारा उन्हें स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा गया था जो कई स्मरण-पत्रों के पश्चात् भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पायी है। उपर्युक्त परिस्थिति में पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका। अधिक भुगतान के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की याचिकाओं पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का निर्णय

*2--श्री सत्य प्रकाश तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 13 सितम्बर, 1973 को सिंचाई विभाग के कुछ सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता के बारे में याचिकाओं पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त निर्णय को लागू किया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां,

उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित आदेशवत ज्येष्टता सूची निर्गत करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

बहराइच जिले में भकला नदी की बाढ़ रोकने तथा ग्रामों को नदी के कटाव से बचाने की योजना

*3--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में भकला नदी की बाढ़ रोकने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

कोई योजना विचारधीन नहीं है।

*4--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार के ध्यान में बहराइच जिले में भकला नदी के किनारे के कई गांवों में पिछले दो वर्षों से कटाव हो रहा है, जिससे आबादी को खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो वह कौन-कौन से गांव हैं और उन्हें बचाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां। जनपद, बहराइच में भकला नदी के किनारे बसे रघुनाथपुर, मनिकापुर, लक्ष्मणपुर, मोहेनापुर, इब्राहिमपुर और मोतना खरियारी ग्रामों में कटान से नुकसान हो रहा है। कटान रोकने की अभी कोई योजना नहीं है।

बन्द विद्यालयों के छात्रों के शिक्षा सत्र का शिक्षा शुल्क लेना

*5--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई में विद्यालय बन्द हैं, छात्र विद्यालयों में पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या से जुलाई मास का शिक्षा शुल्क से छात्रों को मुक्त किया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक--

विद्यालय 26 जुलाई, 1974 से खोल दिये गये थे नियमानुसार संस्थागत छात्रों से शिक्षा शुल्क पूरे शिक्षा सत्र अर्थात् 1 जुलाई से 30 जून तक का देय होता है। संस्था में नया प्रवेश लेने वाले छात्रों को उस माह से शिक्षा शुल्क का भुगतान करना होता है जिस महीने में वे प्रवेश लेते हैं अतः जुलाई मास के शिक्षा शुल्क से मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

इटावा के राजकीय विद्यालयों को अपग्रेड न करना

*6--श्रीमती सुखदा मिश्र (जिला इटावा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इटावा के राजकीय विद्यालयों को अपग्रड करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल और कितने मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल किये जाने की सम्भावना है और वे किन ग्रामों में स्थापित किये जायेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*7--श्री कल्याण सिंह तथा श्री इन्द्रपाल सिंह--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

हाईस्कूल तथा समकक्ष मान्यताप्राप्त प्राथमिक अध्यापकों व अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण से कथित छूट

*8--श्री कल्याण सिंह तथा श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण ऐसी प्राथमिक अध्यापिकाओं और अध्यापकों को प्रशिक्षण के प्रतिबन्ध से मुक्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है जो 10 अथवा इससे अधिक वर्ष से लगातार अध्यापन कार्य करती आ रही है? यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल तथा चमोली जिलों के जूनियर हाईस्कूल व हाईस्कूल के प्राथमिक अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

*9--श्री शिवानन्दन नौटियाल (जिला पौढी-गढवाल)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल तथा चमोली जिलों से वर्ष 1974 में कितने जूनियर हाई स्कूलों एवं हाई स्कूलों के आवेदन-पत्र प्राथमिक अनुदान हेतु सरकार को मिले हैं और कितने तथा किन-किन को प्राथमिक अनुदान दिया गया? और उसको देने का आधार क्या था?

श्री रामजी लाल सहायक--

47 जूनियर हाई स्कूलों तथा 10 हाई स्कूलों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। केवल जूनियर हाई स्कूल, उफरैं खाल, पौड़ी गढ़वाल तथा जवाहर लाल नेहरू स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल को प्राथमिक अनुदान दिया गया। अनुदान देने का आधार विद्यालयों द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति किया जाना तथा वरीयता क्रम में आना है।

*10--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[13वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*11--श्री राम लखन (जिला इटावा)--

[13वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*12--श्री राम लखन (जिला इटावा)--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

जिला गोरखपुर के विकास खण्ड, गोला बाजार के ग्रामों को घाघरा नदी के कटाव से क्षति

*13--श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की तहसील बांसगांव के विकास खंड गोला बाजार के ग्राम बिसरा और कुकरहवा में घाघरा नदी द्वारा भयंकर

कटाव हो रहा है और इन गांवों के कट जाने की आशंका उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

गोला बाजार विकास खण्ड के ग्राम बिसरा व कुकरहवा को घाघरा नदी के कटान से कुछ क्षति पहुंची है । घाघरा जैसी बड़ी नदी पर इस प्रकार से बसे ग्रामों को कटान से सुरक्षा प्रदान करना आर्थिक व तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है ।

*14--श्री राम नारायण पाठक, श्री श्याम मिश्रा, श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री गजाधर बाजपेयी तथा श्री शिव लाल--

[13वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*15--श्री ऊदल--

[13 वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*16-17--श्री राम पूजन पटेल--

[13वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*18--श्री राम जी सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*19--श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी--

[13वें बुधवार के लिए स्थगित]

*20--श्री मुहम्मद असगर अहमद--

[10वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले की ग्राम सभाओं के निवासियों का राजकीय नलकूप लगाने के लिए प्रार्थना-पत्र

*21--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिले की ग्राम सभा अहरौला नरवा, मेदापुर, विशुनपुर, परगना उतरौला, जिला गोन्डा के निवासियों का कोई आवेदन-पत्र 22 अथवा 23 अप्रैल, 1974 को मिला जिसमें कि सिंचाई व्यवस्था हेतु राजकीय नलकूप लगाने की प्रार्थना की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र के आधार पर कथित पत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य कराया गया ।

*22--कुंवर श्रीपाल सिंह--

[13वें धवार के लिये स्थगित ।]

सण्डीला के आई० आर० इण्टर कालेज की इण्टर परीक्षा में विज्ञान की व्यवस्था हेतु आवेदन-पत्र

*23—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के अन्तर्गत सण्डीला के आई० आर० इण्टर कालेज में सरकार शीघ्र साइंस विभाग खुलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

कथित विद्यालय ने इन्टरमीडिएट में विज्ञान की मान्यता हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद को नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर कोई आवेदन-पत्र प्रेषित नहीं किया है। अतः विज्ञान वर्ग खुलवाने की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

*24—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री देव कुमार यादव—

[13 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, लखनऊ की मांगें

*25—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 जुलाई, 1974 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, 7—विश्वेश्वर नाथ रोड, लखनऊ का प्रतिनिधि मण्डल मिला था और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों की विभिन्न मांगों से सम्बन्धित तीन मांग-पत्र प्रस्तुत किये थे ? यदि हां तो उपरोक्त मांग-पत्रों में उल्लिखित किन मांगों को सरकार ने स्वीकार किया तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जिनको नहीं स्वीकार किया गया वे क्या थी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां।

तीन मांग-पत्र प्रस्तुत किये थे जिसमें से दो सार्वजनिक निर्माण विभाग से व एक सेतु निगम से सम्बन्धित था।

प्रथम मांग-पत्र में तीन मांगों को विचार हेतु स्वीकार किया गया था वे संलग्न सूची में तारांकित है तथा शेष अस्वीकार किया गया।

दूसरा मांग-पत्र मजदूरों की छटनी रोकने से सम्बन्धित था जो स्वीकार नहीं किया जा सका।

तीसरा मांग-पत्र सेतु निगम के कर्मचारियों से सम्बन्धित था जिसमें से कुछ मांगों पर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। शेष मांगों पर सेतु निगम के सेवा नियम बनने पर ही विचार करना सम्भव होगा।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 516 पर।)

*26—श्री मधुकर दिघे—

[13वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*27—श्री रामरीत बिन्द, श्री कैलाश सिंह, श्री गिरिजा शंकर पाठक—

[13वें बुधवार के लिये स्थगित।]

श्री मर्दन सिंह इंटर कालेज, तालबेहट जिला ललितपुर के प्रधानाचार्य के कार्यकाल की समाप्ति

*28—भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि श्री मर्दन सिंह इन्टर कालेज, तालबेहट, जिला ललितपुर के वर्तमान प्रधानाचार्य का कार्यकाल जून, 1974 को समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो अब किस प्रकार से प्रिन्सिपल का कार्य कर रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

परन्तु विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने नवीन प्रधानाचार्य का चुनाव होने तक उन्हें कार्यरत बनाये रखने का निर्णय लिया है ।

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा गोण्डा बहराइच तथा बस्ती के लिए कथित लिफ्ट सिंचाई योजना

*29—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा), श्री मंगरे सिंह (जिला गोंडा), श्री विजय पाल सिंह (जिला गोंडा), श्री राम पति (जिला गोंडा), श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री गंगाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच), श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री सुखदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने गोन्डा, बहराइच तथा बस्ती जिले के लिये राप्ती तथा घाघरा लिफ्ट सिंचाई योजना क्रमशः 28 करोड़ तथा 63.61 करोड़ की तैयार की है ? यदि हां, तो इन दोनों योजनाओं को सरकार कब से लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं लिफ्ट सिंचाई की ऐसी कोई योजना सिंचाई विभाग ने तैयार नहीं की है ।

*30—श्री दयाराम भास्कर—

[13वें बुधवार के लिए स्थगित]

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया का स्थानान्तरण न करने के लिए विधायकों के पत्र

*31—श्री राम सुन्दर पान्डे—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जुलाई, 1974 तथा 18 जुलाई, 1974 को क्रमशः माध्यमिक शिक्षा मंत्री तथा माननीय मुख्य मन्त्री को आजमगढ़ जिले के विधायकों ने पत्र लिख कर आग्रह किया था कि जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को आजमगढ़ स्थानान्तरित न किया जाय क्योंकि 8 जून, 1974 को आजमगढ़ से देवरिया भेजे गये हैं और जाने तथा आने में सरकार का हजारों रुपया निरर्थक व्यय भी होगा ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

विधायकों के पत्र दिनांक 11-7-74 तथा 18-7-74 क्रमशः शिक्षा मंत्री तथा मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए जिनमें जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया को पुनः आजमगढ़ न भेजने का आग्रह किया गया था ।

[श्री रामजी लाल सहायक]

उपरोक्त अधिकारी 1 जुलाई, 1974 को आजमगढ़ में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे। उन्हें वहां से प्रशासकीय कारणों से पुनः गाजीपुर स्थानान्तरित किया गया।

लोक सेवा आयोग के परामर्श से सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल की भर्ती

*32--श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, 1963 में 400 एस० डी० आई० (सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल) की भर्ती के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि 200 लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये जायेंगे और शेष काम कर रहे व्यक्तियों में से स्थायी किये जायेंगे ? यदि हां, तो अब तक अलग-अलग कितनी नियुक्तियां हुईं और क्या शासन ने इस व्यवस्था को अब समाप्त करने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक--

यह सम्पूर्ण प्रश्न अभी लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचाराधीन है।

नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं।

*33--श्री सत्यपाल मलिक--

[13 वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*34--श्री भगवती सिंह, श्री शिव चरन लाल, श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री मूल चन्द राजपूत--

[13 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

प्राइमरी कन्या पाठशालाओं की सेविकाओं का वेतन-क्रम

*35--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी कन्या पाठशालाओं में बालिकाओं को घर से लाने आदि के लिये जो सेविकायें हैं उनका वेतन-क्रम क्या है ? महंगाई के इस समय में क्या सरकार इस वेतन-क्रम को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक--

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*36--श्री बंशीधर तथा श्री मुंशी लाल--

[13 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

इटावा तथा एटा जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों के स्थानांतरण का स्थगन

*37--श्री राम सुन्दर पान्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा तथा एटा जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों का स्थानान्तरण गत 2, 3 माह के अन्दर ही लगभग 4-5 बार हुये हैं और स्थगित भी किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

इन दो अधिकारियों का स्थानान्तरण केवल एक बार स्थगित किया गया था परन्तु बाद में पुनर्विचार के फलस्वरूप कार्यान्वित किया गया।

मेरठ मण्डल में जूनियर हाईस्कूल को बन्द न करने का विचार

*38—श्री मूल चन्द राजपूत (जिला मुजफ्फर नगर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल में जिला परिषद् जूनियर हाई स्कूल की छात्र संख्या 20-30 है और वहां 3-4 अध्यापक कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी हां, क्योंकि गत वर्षों में प्रश्नगत स्कूलों के पास हाई स्कूल खुल गये हैं, जहां कक्षा 8 की परीक्षा वहीं के प्रधान अध्यापक ही ले लेते हैं, और आसानी से पास होने का प्रलोभन देकर बेसिक स्कूलों से छात्रों को बरगला कर ले जाते है।

जी नहीं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न-गत स्कूल गत वर्षों में ही खोले गये हैं और अभी इनमें छात्र संख्या बढ़ जाने की संभावना है।

जिला एटा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*39—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप सम्बन्धी पत्र जो जांच के लिये तारीख 18 मई, 1974 को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया था और जिसे मुख्य मन्त्री ने तत्काल उचित कार्यवाही हेतु सचिव शिक्षा के पास भेजा गया था उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम जी लाल सहायक—

कथित शिकायती-पत्र पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा द्वारा जांच के आदेश दिये दिये गये हैं। आख्या प्रतीक्षित है।

*40-41—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[13 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

अतारंकित प्रश्न

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के प्राइमरी विद्यालयों के भवन हेतु अनुदान

1—डाक्टर धर्म पाल सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1973-74 में जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कितना धन दिया गया तथा उस धन से कितने भवन बने ?

श्री राम जी लाल सहायक—

वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में 18,600 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया परन्तु बेसिक शिक्षा परिषद् के पास भवन निर्माण हेतु कोई अभिकरण न होने के कारण कोई स्कूल भवन नहीं बनाये जा सके हैं।

फर्रुखाबाद जिले के विकास खण्ड उमर्दा तथा हसेरन की पाठशालाओं के जीर्ण भवन

2—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या वह इस बात की जांच करायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के विकास खंड उमर्दा, हसेरन सौरिख में कितनी पाठशालाओं के भवन ऐसी जीर्ण अवस्था में हैं जो कि छात्रों के बैठने के लिये उपयोग में नहीं आ रहे हैं?

श्री राम जी लाल सहायक—

विकास खंड उमर्दा, हसेरन तथा सौरिख में क्रमशः 26, 9, तथा 11 पाठशालायें ऐसी है जो छात्रों के बैठने के लिये अनुपयुक्त हैं। हसेरन नामक कोई भी विकास खंड, फर्रुखाबाद जनपद में नहीं है।

गोरखपुर के पाली ब्लाक में सहजनवा बखेरा मार्ग का निर्माण

3—श्री शारदा प्रसाद रावत—

3 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहजनवां, बाखिरा मार्ग का निर्माण कार्य सहजनवां व पाली ब्लाक में अब तक कितने किलोमीटर चौथी पंचवर्षीय योजना में विभाग द्वारा किया गया है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गोरखपुर के पाली ब्लाक में सहजनवां बखिरा मार्ग का 4.4 किलोमीटर भाग का निर्माण किया गया है। इस मार्ग के किसी भाग का निर्माण सहजनवां ब्लाक में नहीं किया गया है। जिज्ञासा के उत्तर में सहजनवां ब्लाक का जो उल्लेख किया गया था वह गलत था, जिस के लिये खेद है। गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है।

4—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

[13वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड, मुंहा तथा नवाबगंज में पानी निकासी हेतु ड्रेन बनाने के कार्य

5—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के दूसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सन्दर्भ में मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, जमुनहा तथा नवाबगंज में दलदल भूमि के उद्धार हेतु किन-किन स्थानों पर ड्रेन बनाने का कार्य सरकार के विचाराधीन है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच जिले के मार्गों तथा पुलों के निर्माण पर किया गया व्यय

6—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में भिनगा, सिरसिया एवं कैसरगंज चौबरी डोह मार्ग पर अप्रैल, 1973 से मई, 1974 तक इन सड़कों

के निर्माण पर अलग-अलग कितना रुपया व्यय किया गया है तथा इन सड़कों पर बन रहे पुलों पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्गों तथा पुलों के निर्माण पर अप्रैल, 1973 से मई, 1974 तक निम्नलिखित व्यय हुआ है:—

1—भिनगा-सिरसिया-चौधरीडीह मार्ग पर रुपये 1,41,921

2—ककरहरी-चौधरीडीह मार्ग पर— रुपये 60,059

3—प्रश्नगत मार्गों पर बन रहे समस्त पुलों पर कुल व्यय—रुपये 6,45,462.14

डी० पी० एड का प्रशिक्षण प्रधानाचार्य पदों के लिए मान्य न होना तथा तृतीय श्रेणी में एम० ए० उत्तीर्ण शिक्षक को प्रशिक्षण योग्यता में छूट

7—श्री दशरथ सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री श्रीनारायण, श्री प्यारे लाल शर्मा तथा श्री रामपति (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० पी० एड० (डिप्लोमा फिजिकल एजूकेशन) का प्रशिक्षण हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्य पदों के लिये एल० टी० और बी० एड० की भांति मान्य है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध विभागीय आदेश कब निर्गत किये गय हैं ?

श्री राम जी लाल सहायक—

जी नहीं ।

8—श्री दशरथ सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री श्रीनारायण, श्री प्यारे लाल शर्मा, तथा श्री रामपति—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य पदों के लिये तृतीय श्रेणी में एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण जे० टी० सी० शिक्षक को प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है ? इस सन्दर्भ में क्या पिछले 6 वर्षों में शिक्षा संहिता के नियमों के विरुद्ध बस्ती जिले के किसी शिक्षक को छूट दी गई है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही किया ?

श्री राम जी लाल सहायक—

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ङ की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तृतीय श्रेणी में एम० ए० उत्तीर्ण शिक्षक को भी प्रशिक्षण योग्यता से छूट दी जा सकती है । शिक्षा संहिता में हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के अध्यापक/प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता से छूट देने के सम्बन्ध में कोई नियम निधारित नहीं है । अतः किसी अध्यापक को शिक्षा संहिता के नियमों के विरुद्ध छूट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हायर सेकेंड्री स्कूलों की विज्ञान की प्रयोगशाला निर्माणार्थ तथा यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान

9—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1973-74 में प्रदेश के किन-किन हायर सेकेन्डरी स्कूलों को विज्ञान की शिक्षा देने हेतु प्रयोगशाला निर्माणार्थ तथा यन्त्र क्रय करने के लिये अनुदान दिया गया है ?

श्री राम जी लाल सहायक--

अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 517-518 पर)

सिंचाई कार्य मण्डल, गोरखपुर के वर्कचार्ज पर कार्यरत नलकूप चालक

10--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्यमण्डल, गोरखपुर में कितन नलकूप चालक वर्क चार्ज पर इस समय काम कर रहे हैं तथा इनमें से कितने को रेगुलर पद पर प्रदान करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उक्त मण्डल में 140 नलकूप चालक वर्क चार्ज पर समय काम कर रहे हैं किन्तु इनमें से किसी को भी रेगुलर पद प्रदान करने का प्रश्न अभी विचारधीन नहीं है

जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील में सिंचाई हेतु गंगा नदी से कथित नहर निकालने की व्यवस्था

11--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद में हंडिया तहसील में गंगा नदी से टेमा ग्राम से सिंचाई हेतु कोई नहर निकाली जा रही है ? यदि हां, तो वह किन-किन गावों से होकर आयेगी तथा यह नहर कितनी चौड़ी और कितनी लम्बी होगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्न का प्रथम भाग

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील में बाढ़ योजना के अन्तर्गत पानी निकासी हेतु कठित नहर की योजना

12--श्री अठईराम तथा चन्दन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद में तहसील हंडिया में ताल गवाईन से बाढ़ योजना के अन्तर्गत सरकार ने पानी की निकासी के लिये कोई नहर निकालने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह नहर किन-किन गांवों से निकाली जायगी और कब तक यह नहर तैयार हो जावेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्यालयों को दी गयी धनराशि तथा माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान शिक्षा हेतु अनुदान

13—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1973-74 में प्रदेश के किन-किन स्वावलम्बी विद्यालयों को कितने-कितने रुपये की धनराशि प्रदान की गई है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

300 रु० प्रति विद्यालय की दर से 100 विद्यालयों को कुल 30,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई । विद्यालयों के नामों की सूचना एकत्र की जा रही है ।

14—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1973-74 में प्रदेश में किन-किन माध्यमिक विद्यालयों को विधान की शिक्षा देने हेतु अनुदान प्रदान किया गया है ?

श्री राम जी लाल सहायक—

व्यक्तिगत प्रबंध समितियों द्वारा संचालित 24 विद्यालयों की सूची संलग्न है । इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित 51 विद्यालयों को भी अनुदान दिया जायेगा । अभी तक इन विद्यालयों का अन्तिम रूप से चयन नहीं हो पाया है ।

(देखिए तत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 519 पर)

फर्रुखाबाद जिले में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण तथा मुहम्मदाबाद शम्शाबाद रोड पर स्थित नाला बगहर का जीर्ण पुल

15—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सड़कें बन रही हैं और यह सड़क कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिए तत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 520 पर)

16—श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुहम्मदाबाद-शमशाबाद रोड पर नाला बगहर का पुल जीर्ण अवस्था में है और इस पर कई घटनाएं ट्रक गिरने की हुई ? यदि हां, तो यह नया पुल कब तक बन जावेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

इस पुल पर एक ट्रक दुर्घटना हुई है । इस समय नये पुल बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

[जनपद कानपुर में चौबेपुर बिठूर तथा मैनावती मार्ग के निर्माण की कथित योजना

17—श्री राम नारायण पाठक, श्री श्याम मिश्र, श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर तथा श्री जटाधार बाजपेयी (जिला कानपुर) —

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि कानपुर जनपद में चौबेपुर से बिठूर को जाने वाली सड़क जो केवल आठ किलोमीटर है तथा मैनावती मार्ग जो कानपुर से बिठूर को जाता है केवल आठ किलोमीटर है और इसके बन जाने से कानपुर से बिठूर का सम्पर्क समीप हो जायेगा ? यदि हां, तब क्या इन सड़कों को बनाने की कोई योजना है ? यदि हां तो वह योजना क्या है और कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्गों के निर्माण की कोई योजना अभी शासन के विचाराधीन नहीं है अतः किसी योजना के कार्यान्वित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

18—श्री लटूरी सिंह—

[10 वें शुक्रवार के जिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

19—श्री अनवार जमील—

[13 वें बुधवार के लिए स्थगित]

नैनीताल जिले में बांधों की भूमि पर अवैध कब्जे

20—श्री तेज बहादुर (जिला पीलीभीत)—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में बेगुल ढौरा व शारदा डामों की भूमि मे कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों के अवैध कब्जे बने हुये हैं और इन कब्जों को हटाने के लिये विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

नैनीताल जिले में बांधों की भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1—बैगुल बांध की भूमि पर वर्ष 1969–70 से 1020–08 एकड़ भूमि पर 435 व्यक्तियों के अवैध कब्जे हैं ।

2—ढौरा बांध की भूमि पर वर्ष 1972 से 614 एकड़ भूमि पर 168 व्यक्तियों के अवैध कब्जे हैं ।

3—शारदा सागर बांध की भूमि पर वर्ष 1965 से 897.79 भूमि पर 314 व्यक्तियों के कब्जे हैं (उपरोक्त से संबंधित †सूचियां अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखी है जिसे सदस्य महोदय देख सकते हैं)

उक्त अवैध कब्जों को जिलाधीश द्वारा खाली करवाने के लिये प्रयत्न किये गये । सफलता न मिलने पर परगनाधीश की अदालत में मुकदमें भेजे जा रहे हैं ।

21—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

[13 वें बुधवार के लिये स्थगित]

---

†छापी नहीं गयीं ।

जिला मुजफ्फरनगर में श्रमदान से निर्मित कुरथल बरकता मार्ग

22—श्री मूल चन्द राजपूत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में ग्राम कुथैल से बुढ़ाना तक श्रमदान द्वारा कोई सड़क बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी मिट्टी गिरवाई का भुगतान किसे किया गया है और किस आधार पर तथा इस पर कार्य कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। ग्राम कुरथल तथा ग्राम बरकता की सीमा में स्थानीय ग्राम वासियों ने वर्ष 1971 तथा 1972 में श्रमदान से मिट्टी डलवाई तथा श्रमदान द्वारा एवं चन्दे से इस मार्ग की मरम्मत भी कराई गई। बुढ़ाना कस्बे के अंतर्गत मार्ग पर टाउन एरिया कमेटी बुढ़ाना की देख-रेख में श्रमदान का कार्य किया गया। इस प्रकार कुल रु0 49,125 की अनुमानित मूल्य का मिट्टी का कार्य कराया गया। इसमें से केवल रु0 925 का मरम्मत का कार्य ठेके पर कराया गया।

बुढ़ाना-बरकता मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेस्ट वर्क के अंतर्गत वर्ष 1973–74 में मिट्टी का कार्य किया गया उसका भुगतान मस्टररोल द्वारा श्रमिकों को किया गया था।

बुढ़ाना-बरकता-कुरथल मार्ग न तो जिला परिषद के प्रबंध में है और न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के। यह मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है अतः आगे कार्य करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता है।

कमालगंज, विधान सभाई क्षेत्र में रजीपुर से उधरनपुर तक पक्की सड़क के निर्माण की मांग

23—श्री अनवार जमील—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि कमालगंज विधान सभा क्षेत्र में रजीपुर से उधरनपुर तक पक्की रोड बनवाने की नितान्त आवश्यकता है ? क्या सरकार इस सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता देगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

धनाभाव के कारण प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कराना इस समय सम्भव नहीं है।

आगरा मण्डल में ए० ए० पास अध्यापक तथा अध्यापिकाओं सेठ हरचरण को एल० टी० वेतन-क्रम

24—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा मण्डल में अध्यापिकाओं व अध्यापकों के नाम एवं विस्तृत अनुभव सहित जो चित्र कला विषय से एम० ए० हैं और 1970–71 से लगातार इन्टर कक्षाओं को कला विषय पढ़ा रहे हैं वे इस समय क्या वेतन मान पा रहे हैं ?

श्री राम जी लाल सहायक—

बालिका विद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल श्रीमती प्रमिला गुप्ता, अध्यापिका, सेठ हरचरण दास कन्या इण्टर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ही एक ऐसी अध्यापिका हैं। वह एल0 टी0 वेतनक्रम में कार्य कर रही हैं।

बालक विद्यालयों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला गाजीपुर में पक्की सड़कों व पक्के पुलों का निर्माण

25—श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में 1974-75 के अन्तर्गत कितने किलोमीटर पक्की सड़क तथा कितने पक्के पुल बनाने की योजना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला गाजीपुर में वर्ष 1974-75 में 22 किलोमीटर सड़क यातायात के योग्य पूर्ण होने की आशा है तथा चार पक्के पुल निर्माणाधीन है ।

गाजीपुर जिले में मगई तथा बेसों नदियों पर पुलों का निर्माण

26—श्री झिलमिट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के जैरामपुर व हंसराजपुर पक्की सड़क मगई नदी पर तथा हंसराजपुर सादियाबाद की सड़क बेसों नदी पर पक्का पुल बनने हेतु कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क व पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मगई नदी पर पुल निर्माण पर का कार्य शुरू हो गया है और इस पुल का दिसम्बर 1974-75 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । बेसों नदी पर पुल निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं है । अतः इस पर कार्य शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय, मैं नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या 30 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमने प्रश्न किया था कि—"क्या यह सच है कि सन् 1969 में (माननीय, इसमें 1960 लिखा हुआ है) हुये विधान सभा के मध्यावधि चुनाव में कार्य करने वाले जनपद सुल्तानपुर के प्रारम्भिक शिक्षकों को चुनाव भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो भुगतान न करने का क्या कारण है और कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?" यह हमारा प्रश्न था और उत्तर जो दिया है वह यह है कि, "नगर पालिका सुल्तानपुर के प्रारम्भिक अध्यापकों के 1969 के मध्यावधि चुनाव संबंधी देय नगर क्षेत्र कार्यालय में भुगतान हेतु उपलब्ध नहीं है ।" और कदाचित 1969 के मध्यवधि चुनाव भत्ता देय भुगतान हेतु शेष नहीं है । हम सुल्तानपुर जनपद के प्रारम्भिक अध्यापकों का प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर नगरपालिका सुल्तानपुर के अध्यापकों के बारे में दिया जा रहा है । दो बार इस प्रश्न को बाकी स्थगित किया गया और जिला परिषद् से आज तक उनको भत्ता नहीं मिला । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को स्थगित करके अगली बार लाने की कृपा करें क्योंकि जवाब नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह हो सकता है कि आप चर्चा के लिये लिख कर दें ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

हम दफा 49 में लिख कर दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

दे दीजियेगा ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी--)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि की 18 वीं वार्षिक रिपोर्ट को, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित तथा निगम के वर्ष 1970-71 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को, क्रमशः स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन्स ऐक्ट की धारा 398 की उपधारा (3) एवं धारा 37 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 तथा उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गए संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश विश्व-विद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) विधेयक, 1974, को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधयक विधान सभा द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1974 को पारित किया गया था और 19 अगस्त, 1974 को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित वापस हुआ है।

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 521-524 पर)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1974

सचिव विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं अपनी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1974, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "6" आगे पृष्ठ 525-534 पर)

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की ओर देखकर)

यह तो आप बार-बार दे रहे हैं। गिरफ्तारी वाला विशेषाधिकार का मामला नहीं है। यह आप रोज दे रहे हैं। इसी विषय पर 13 और 20 अगस्त, 1974 को भी विशेषाधिकार

†छापी नहीं गयी।

[श्री अध्यक्ष]

की अवहेलना के प्रश्न उठाये गये थे जिन्हें आग्रह किया जा चुका है । उसी विषय पर फिर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न देना नियमित नहीं है। मंत्री जी चाहें तो वक्तव्य दे दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमान जी मैं यह कहता था कि....

श्री अध्यक्ष--

हम कैसे कह सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं यह कह रहा था कि मैं इसको बार-बार इसलिये दे रहा हूं कि अगले दिन उन्हें आना था । रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया । जब कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया था इसलिये मैंने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है । लेकिन यदि आप इस निर्णय पर पहुंचे कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है तो माननीय तिवारी जी कल ही बयान दे दें । जब उन्हें कुछ करना नहीं होता है तो दूसरी ओर देखने लगते हैं ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, 30 अगस्त, को कार्य-स्थान प्रस्ताव दिया गया था । उस पर सरकार की ओर से माननीय राजमंगल पांडेय ने कहा था कि ववतक्य हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

बांदा के विषय में कल होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर तिवारी जी ने कुछ नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष--

यदि वह नहीं सुनें तो हम क्या करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बार-बार यह मोशन आता है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं पता लगा लूंगा ।

26 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर श्री राम सेवक यादव द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

अध्यक्ष महोदय ।

विधान सभा ।

दिनांक 26 जुलाई, 1974 को श्री गोविन्द सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा, द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में श्री राम सेवक यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि--

अगर मान्यवर, खेती में उस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है तो हदबन्दी कानून के

अन्तर्गत वह आयेगी। तो क्या मंत्री जी उसकी जांच जिलाधीश से करवा रहे हैं कि कितनी जमीन ऐसी है जिस पर खेती होती है।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि—

श्रीमन् 1964 में 15 चाय बगानों का क्षेत्रफल जो 4252 एकड़ था वह सन् 1972 में 2900 एकड़ रह गया था। अब 823 एकड़ भूमि जो है वह सीलिंग ऐक्ट में आ गयी है उसे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार ने ले लिया और 523 एकड़ के क्षेत्रफल में कृषि हो रही है। जो भूमि कृषि के अन्दर है उसमें कार्यवाही हो रही है और उसके अन्तर्गत सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है :—

श्रीमन् 1964 में 15 चाय बगानों का क्षेत्रफल जो 4252 एकड़ था वह सन् 1973 में 2906 एकड़ रह गया था। अब 823 एकड़ भूमि जो है उसे केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार ने ले लिया 523 एकड़ के क्षेत्रफल में कृषि हो रही है। जो भूमि कृषि के अन्दर है उसमें कार्यवाही हो रही है और उसके अन्तर्गत सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, (1974) के छठे शुक्रवार के लिये निर्धारित

(श्री गोविन्द सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर)

प्रश्न	उत्तर
3—क्या राजस्व मंत्री को यह विदित है कि जिला देहरादून के चाय बगान के मालिकान चाय बागों को काटकर जमीन को खेती के लिये इस्तेमाल कर रहें हैं? यदि हां, तो उस जमीन को लैण्ड सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया?	3—जी हां। चाय बागानों को काटकर जो भूमि कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जा रही है उस पर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण संशोधन अधिनियम 1972 के प्राविधान लागू होंगे जिनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो सूचना नीचे से आयी थी वह गलत थी या इन्होंने यहां पर पढ़ने में गलती की। यह साफ कर दें?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कभी-कभी सदन में उत्तर देते वक्त जैसे 1973 कहना था और 1972 कह दिया। इस तरह से हो सकता है कि गलती से कह दिया हो।

श्री राम सेवक यादव—

मैं जानना चाहता हूं कि यहां से गलती हुई है या वहां से गलती हुई है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

दोनों बातें हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष—

यहां मंत्रियों की तादाद कम है। आज राजस्व मंत्री हैं नहीं।

26 जून, 1974 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

वित्त मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 26-6-1974 को सर्वश्री राम सेवक यादव तथा मधुकर दिघे द्वारा पूंछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में श्री राम सेवक यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो प्रथम सूचना है उसके बाद क्या कोई पुलिस अधिकारी घटना स्थल के लिये रवाना हुआ और यह जो दूसरी सूचना है उसके बाद गया तो कितनी देर बाद गया।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "पहली जो घटना थी यह नान कागनीजेबिल आफेन्स की थी इसलिये थाने से जाने का प्रश्न नहीं था। दूसरी घटना जो घटी उसकी रिपोर्ट 12.30 बजे हुई और जो मेरे पास पेपर्स है उनके मुताबिक रवानगी 3.15 पर हो गई।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार होना चाहिये था "पहली जो घटना थी यह कागनीजेबिल आफेन्स की थी, इसलिये थाने से जाने का प्रश्न नहीं था। दूसरी घटना जो घटी उसकी रिपोर्ट 12.30 बजे हुई और जो मेरे पास पेपर्स हैं उनके मुताबिक पुलिस की रवानगी 12.30 बजे ही हो गई।"

भूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है

विधान सभा के द्वितीय सत्र (1974) के लिये सर्वश्री राम सेवक यादव तथा मधुकर दिघे के अल्प-सूचित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि बाराबंकी जनपद थाना मोहम्मदपुर के अन्तर्गत ग्राम गोवामिर्जापुर के कुछ लोगों ने ग्राम बल्लोपुर पर दिनांक 25 मई, 1974 को हमला कर 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी व कइयों को बुरी तरह घायल किया व मृतकों की लाश काटकर घाघरा नदी में फेंक दिया जबकि उक्त घटना के पूर्व उसी दिन बल्लोपुर के लोगों ने थाना मोहम्मदपुर में इस आशय की रपट लिखाई थी कि उन्हें हमला एवं जानमाल का खतरा है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और क्या थाने में अंकित कराई गई दोनों रपटो की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?	श्री ब्रम्हादीन, निवासी बल्लोपुर, जिला बाराबंकी ने दिनांक 25 मई, 1974 को 11 बजे पूर्वाह्न में थाना मोहम्मदपुर पर यह सूचना दी कि श्री कृष्णानन्द और उनके लड़के राकेश, निवासीगण ग्राम गोवा उसी दिन 8 बजे सुबह बैलगाड़ी मांगने आये तथा बैलगाड़ी देने से इन्कार करने पर लाठी लेकर मारने दौड़े और जानमाल की धमकी दी। यह सूचना पर एक अहस्तक्षेपनीय मुकदमा थाने पर दर्ज किया गया। सूचना देने के बाद जैसे ही वह ब्रह्मादीन वापस जाने वाला था उसका भाई राजा राम ने 12.30 बजे थाने पर आकर इस आशय की रिपोर्ट दी कि उपरोक्त कृष्णानन्द और राकेश तीन अन्य नामांकित एवं 10, 12 अज्ञात व्यक्तियों के साथ शस्त्रास्त्र से लेस होकर पुनः 8 बजे

आये और गाली गुप्ता देने लगे। मना करने पर उन्होंने गोलियां चलाई और मारपीट की तथा गोली से घायल दो व्यक्तियों को लाठी में टांग कर उठा ले गये। रिपोर्ट में 7 अन्य व्यक्तियों के घायल होने की सूचना भी थी। इस सूचना पर थाने पर अपराध संख्या 81, अन्तर्गत धारा 147/148/307 342/504/149 भारतीय दन्ड विधान दर्ज किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। बिवेचना के मध्य घायल अशरफी तथा काशी राम के कत्ल करके उनकी लाशों को घाघरा में नदी में डाल दिये जाने की बात मालूम हुई। अतः मुकदमें में धारा 302/201 भारतीय दंड विधान बढ़ा दी गई। 1 नामांकित अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा 4 न्यायालय में आत्म-समर्पण कर चुके हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होगा कि दूसरी घटना पहली रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने के पूर्व ही घट चुकी थी। दोनों रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न हैं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने साफ ढंग से पूछा है कि सवा 12 बजे की रिपोर्ट है और अगर समय से पुलिस चली जाती तो लाश को वह गायब न कर पाते। मैं स्पष्ट रूप से योजना चाहता हूं कि यह इनके बयान में गलती हुई या नीचे से गलत सूचना आयी है। क्या तथ्य हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

रिपोर्ट लिखाने के बाद ही वह गयी।

श्री रामसेवक यादव--

मैंने जानकारी की थी इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी शायद जवाब दे रहे थे।

श्री रामसेवक यादव--

माननीय मुख्य मंत्री नहीं श्री राज मंगल पाण्डेय उत्तर दे रहे थे।

श्री अध्यक्ष--

इस पर आप प्रश्न कर सकते हैं तब जवाब दिया जा सकता है।

ग्राम मटियरा, थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर के हरिजनों को ग्राम पाली के सवर्णों द्वारा मारे पीटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जिला गोरखपुर में थाना सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम मटियरा राप्ती नदी के किनारे स्थित है और इस गांव से पांच किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पाली है। गत वर्ष राप्ती नदी में पानी उतरने के पश्चात् लगभग 300 बीघा जमीन खेती योग्य निकल आई थी जिसको लेकर ग्राम मटियरा के प्रधान श्री नारायण पासी एवं ग्राम पाली के श्री शमशेर सिंह सैथवार के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। विवादग्रस्त भूमि को धारा 145 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कुर्क किया गया था तथा दोनों गुटों के मुख्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/116 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही भी की गई थी।

दिनांक 7/8 अगस्त, 1974 की रात में ग्राम मटियरा में स्थित उपरोक्त श्री शमशेर सिंह की छावनी में आग लग गई थी जिसकी रिपोर्ट दिनांक 8-8-74 को ग्राम मटियरा के 24 नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध थाने पर लिखाई गई। दिनांक 9-8-74 को ग्राम मटियरा के के श्री राजकिशोर सिंह व दो अन्य व्यक्तियों ने थाना सहजनवा पर श्री शमशेर सिंह व 18 अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादीगण को ग्राम पाली में ले जाकर जबरदस्ती, बन्द कर देने, मारपीट करने, सड़ा हुआ आलू खिलाने, नाक पर मैला बांधने आदि की रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर धारा 147/323/384/342/330/325 भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और विवेचना आरम्भ की गई।

दिनांक 10-8-74 को श्री राम प्रीति प्रसाद निवासी ग्राम मटियरा ने श्री शमशेर सिंह व 21 अन्य नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट करने, एक व्यक्ति के मुंह में पेशाब करने, एक अन्य व्यक्ति को पकड़ कर ले जाने, कुछ सामान गायब हो जाने आदि की रिपोर्ट लिखाई। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना सहजनवां पर धारा 147/364/323/427/379/भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई।

इन दोनों घटनाओं में कुल मिला कर 26 अभियुक्त नामजद किये गए। 15 अभियुक्त दोनों अभियोगों में नामजद किये गए हैं।

थानाध्यक्ष सहजनवां उपलब्ध कर्मचारीगण के साथ तुरन्त ही घटनास्थल पर गए। अभियुक्त शमशेर सिंह व 2 अन्य अभियुक्त दिनांक 10-8-74 को गिरफ्तार किये गए और 11-8-74 को जेल भेजे गए। शेष 23 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 12-8-74 को धारा 82-83 जाब्ता फौजदारी की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इनमें से 5 अभियुक्तों ने 13-8-74 को, 16 अभियुक्तों ने दिनांक 16-8-74 को और शेष दो अभियुक्तों ने दिनांक 17-8-74 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया।

दोनों अभियुक्तों की विवेचना पूरी की जा चुकी है। दिनांक 10-8-74 को दर्ज कराये गए अभियोग की विवेचना से धारा 364 भा० दं० वि० का अपराध होना नहीं पाया गया।

इन दोनों घटनाओं में 4 व्यक्तियों को 2-2 और एक व्यक्ति को तीन चोटें आई हैं। इनमें से दो चोटें जांच में रखी गई और बाकी सब साधारण पाई गई।

यह कहना सत्य नहीं है कि कोई हरिजन अपना घर छोड़ कर चला गया है। घटनास्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक प्लैटून पी० ए० सी० दिनांक 10-8-74 को ही भेज दी गई थी। ग्राम मटियरा के हरिजन पुलिस व्यवस्था एवं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। घटनास्थल पर किसी प्रकार का तनाव या उत्तेजना नहीं पाई गई।

क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र, जिलाधिकारी तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं।

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्री राजकिशोर सिंह के साथ जो दो अन्य व्यक्ति थाना सहजनवां में गये थे, क्या वे हरिजन थे और वे झगड़े में भी थे, क्योंकि इसमें यह बात छिपाई गई है, केवल राजकिशोर सिंह को ही सामने रखा गया है। मान्यवर, तथ्य यह है कि वह भी उसी नाव में आ रहे थे जिसमें ये हरिजन बैठे थे और उनके सामने उन्हें जबरदस्ती ले जाकर बन्द किया गया, उनकी नाक पर मारा गया, बांधा गया और सड़ी हुई आलू खिलाई गई और मारा पीटा गया। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सारी कार्यवाही उस दिन घटी है जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे गोरखपुर में गये थे और एक आदमी को इस काम के लिए लगा दिया गया था और उससे कहला दिया गया था कि जितना चाहो आज खुलकर अत्याचार कर लो। इसके बाद फिर मौका नहीं लगेगा। मान्यवर, यह सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष की ओर से ही हुई हैं और उस व्यक्ति के द्वारा हुई हैं जो कि आपके कांग्रेस के एजेंट चुनाव में रह चुके हैं। मान्यवर, इसकी तहकीकात करा लें। और आपकी पार्टी के सदस्य हैं वे वहां पर अत्याचार कर रहे हैं। इस घटना के पहले मार्च और अप्रैल महीने में हरिजनों की गायों और भैंसों को 400 आदमी पाली में ले गये और उनको मारने पीटने के कारण कई भैंसों के बच्चे पेट से गिर गये और इस प्रकार से हरिजनों के साथ अत्याचार किए गये हैं। क्या कारण है कि पुलिस इनको प्रोत्साहन दे रही है और कोई सख्त कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है? साथ ही जो जमीन वहां पर गांव समाज की है, उसको दिए जाने में हरिजनों को या मिलिट्री के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है बल्कि उनको प्रोत्साहन देने के बजाय वहां पर जमींदार क्यों बार-बार कब्जा लेने के लिए जाते हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वास्तव में घटना का जो विवरण है, वह बड़ा चिन्तनीय है और माननीय सदस्य को जो वेदना हुई है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह जो ग्राम मटियरा है, यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है और इस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पाली है। दोनों के बीच में माडर ताल स्थिति है। बाढ़ के मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए गये थे। गोरखपुर में भयंकर बाढ़ थी। यह सब को विदित है कि नाव द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता था। गत वर्ष राप्ती नदी ने जब अपना स्थान बदला तो 300 बीघा खेती योग्य जमीन निकल आयी। तो इसमें विवाद हो गया है ग्राम मटियरा के प्रधान और ग्राम पाली के शमशेर सिंह सेंधवार, दोनों प्रधानों के बीच। माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि जमीन का झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और जमीन की धारा 145 दं0 प्र0 स0 में कुर्क करवा लिया गया था। शमशेर सिंह एवं उनके साथियों की बन्दूकों का लाइसेन्स सस्पेंड करवाया गया एवं दोनों पार्टियों के मुख्य व्यक्तियों का चालान धारा 107/117 दं0 प्र0 स0 के अन्तर्गत किया गया।

जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, श्री राजकिशोर सिंह ने 9 अगस्त की रात को लगभग 8 1/2 बजे इस आशय की रिपोर्ट लिखायी कि जब वह दिनांक 8-8-74 को 4 बजे अपने गांव नाव द्वारा जा रहा था अपने साथी धक्कल पासी एवं सोभी पासी के साथ तो उस समय शमशेर सिंह सेंधवार आदि नामजद मुल्जिमानों ने उनकी नाव को रोका और उन तीनों को अपनी नाव में ग्राम पाली ले गये और अपनी कोठरी में रखा, सड़ा आलू खिलाये, नाक पर पट्टी बांधी, सादे प्रोनोट पर हस्ताक्षर कराये। इसी के आधार पर पुलिस ने जो कार्यवाही की वह यह है कि ग्राम मटियरी उन दिनों बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरा था और किसी ओर से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आने जाने का रास्ता नहीं था। थाना सहजनवां के अधिकांश कर्मचारीगण बाढ़ नियंत्रण ड्यूटी पर लगे थे। फिर भी दिनांक 10 अगस्त, 1974 को थानाध्यक्ष ने अभियुक्त शमशेर सिंह एव दो अन्य नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अब ये सब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करता हूं कि वे कानून के अन्दर हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुतर्फा 107 की कार्यवाही की गयी है। हरिजनों के नाक पर पट्टी बांध कर उन्हें कोठरी में बन्द किया गया है और उनको मारा पीटा गया है, सड़ा आलू खिलाया गया है, इसके खिलाफ पुलिस ने किस धारा में कार्यवाही की है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जितनी धारायें लगायी जा सकती थीं 147/323/384/342/330/305 उनके अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अभियुक्तों से झगड़ा पहले से चल रहा था और आपके बयान से भी पता चलता है कि जमीन को लेकर विवाद था। 145 की कार्यवाही की गयी और 107/117 की कार्यवाही की गयी तो वह मुकदमा कैसे खत्म हो गया और वह जमीन किसको मिल गयी, इसका कुछ ज्ञान है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो मेरी सूचना है, यह भूमि अभी कुर्क है। अगर उसके पहले कोई विवाद चल रहा होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य की जानकारी सही हो सकती है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले मुकदमा हुआ था और उन लोगों ने जरदस्ती मारपीट की थी और उस समय अभियुक्तों की बन्दूकें जब्त हुई थीं, लेकिन कोई प्रीकाशन पुलिस ने नहीं ली जिससे गरीब हरिजनों की रक्षा हो सके और उसके बाद भी हरिजनों को इस तरह से मारा गया, कोठरी में बन्द करके ऐसा सलूक किया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जैसा मैंने बताया कि पूर्व कार्यवाही जो हुई, 145 के अन्तर्गत भूमि कुर्क हुई और शमशेर सिंह इत्यादि की बन्दूकों के लाइसेंस निरस्त किये गये और दोनों गुटों के मुख्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/117 की कार्यवाही की गयी। उसके बाद बाढ़ आ गयी, लेकिन पी० ए० सी० के प्लाटून वहां भेजे गये और आज भी जहां हरिजन लोग पानी वगैरह पीते हैं और इधर-उधर जाते हैं वहां डेढ़ सेक्शन पी० ए० सी० का लगा हुआ है और जिलाधिकारी मौके पर गये। सीनियर एस० एस० पी० भी गये थे और व्यवस्था ठीक है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा कि आपने स्वीकार किया है कि सहजनवां थाने पर पुलिस नहीं थी, बाढ़ में लगी हुई थी, तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जी० डी० के अनुसार कौन-कौन गांव थे और उस समय कितने पुलिस के लोग थाने पर मौजूद थे और घटना के बाद विवेचना किस तारीख को प्रारम्भ की गयी?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जहां तक पहली घटना का सवाल है, थानाध्यक्ष तुरन्त ही उपलब्ध कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर गये। दिनांक 10 अगस्त को अभियुक्त शमशेर सिंह और दो अन्य नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बाकी के विरुद्ध 82' 83 दंड प्रक्रिया संहिता की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। 15 नामजद अभियुक्तों को 16 अगस्त तक न्यायालय में उपस्थित किया। 17 अगस्त को बाकी के एक को भी उपस्थित करा लिया गया।

जहां तक दूसरी घटना का सम्बन्ध है, सूचना प्राप्त होते ही सहजनवां के थानाध्यक्ष ने जाकर 3 अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार किया और 16 अगस्त तक 17 मुल्जिमों को न्यायालय में उपस्थित करा दिया गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

इस चीज को देखते हुए कि 9 तारीख को घटना हुई और उसमें काफी हरिजन बन्द किये गये, मारे गये और यह सब हुआ और कायदे से रिपोर्ट भी दर्ज हो गयी, मुकदमा कायम हो गया, लेकिन पुलिस ने उस रोज कार्यवाही नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि 10 तारीख को फिर हरिजन मारे गये, पीटे गये और सड़ा आलू खिलाया गया, मैला बांधा गया। तो यह पुलिस की अकर्मण्यता के कारण ऐसी चीज हुई। तो इतना बड़ा कांड हुआ, बड़े अधिकारी वहां कब गये इसका उल्लेख कहीं है? मेरी जानकारी के मुताबिक 18 तारीख को पहुंचे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जैसा मैंने पहले बताया, एक विशेष असाधारण स्थिति गोरखपुर में थी। राप्ती नदी की बाढ़ से शहर में मोर्चे लगे हुए थे, सबका ध्यान बाढ़ पर गया हुआ था तो मुख्य अधिकारियों का ध्यान घटनास्थल पर नहीं जा सका। सहजनवां के थानाध्यक्ष 11 अगस्त को गये। पुलिस अधीक्षक 13 अगस्त को और जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 ने 13 अगस्त को निरीक्षण किया।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

यह जो विवादित भूमि है यह कब से खाली है और जिसके नाम दर्ज है? यदि नहीं दर्ज की गयी, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जैसा मैंने पहले माननीय सदस्य से क्षमा मांगी यह तो पिछले वर्ष राप्ती नदी में पानी घटने के कारण जो 300 बीघा जमीन खेती के लिये निकल आयी थी उसको लेकर ग्राम मटियरा के प्रधान श्री नारायण पासी एवं ग्राम पाली के श्री शमशेर सिंह सेंथवार के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। अब यह किस के नाम दर्ज है इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

जितनी यह सरकार हरिजनों की भलाई करने को चलती है उतनी ही उनकी दुर्दशा होती है। वह मारे जाते हैं, मूस की तरह भूने जाते हैं। "जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुण कपि रूप दिखावा।" तो हम यह जानना चाहते हैं सरकार से कि हरिजनों की भलाई करना छोड़ दें ताकि वह स्वयं अपनी रक्षा कर सकें।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष---

अब क्रम संख्या 12, श्री सुखपाल पांडेय, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में करण संख्या 207 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

यह जो घटना हुई जिसके मुताल्लिक थोड़ा सा समय लिया यह मामूली घटना नहीं है। गवर्नमेंट का सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चल रहा है यह उसका द्योतक है। घटना हो गयी, अब आप कार्यवाही करेंगे, यह मामूली बात है। ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिये इस प्रकार का ऐडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये। 9 तारीख की घटना, इतनी असाधारण घटना और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके कथन के मुताबिक 18 तारीख को जाते हैं, 9 दिन बाद। तो क्या माननीय मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रट और एस0 पी0 की कर्तव्यपरायणता से संतुष्ट हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

साधारणतया तो उनकी कर्तव्यपरायणता से असंतुष्ट होना स्वाभाविक था जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल का विचार है, लेकिन गोरखपुर जिले की असाधारण स्थिति के कारण, बर्ड घाट पर राप्ती नदी में इतना पानी आया हुआ था जितना पहले कभी नहीं आया था, वहां पम्प चल रहे थे और सारे लोग बाढ़ की सुरक्षा में लगे हुये थे, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा का कार्य सब साथ-साथ चल रहा था। ऐसे अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का घटना-स्थल पर कुछ विलम्ब से पहुंचना समझ में आ सकता है?

चौधरी चरण सिंह---

यह जो एलीबाइ गवर्नमेंट ढूंढ लेती है ऐसा नहीं होना चाहिये। फ्लड का काम है कलेक्टर और रेवन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन का लेकिन एस0 पी0 भी 18 तारीख से पहले नहीं गया। उसके लिये क्या सफाई है?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं तो मैं उसे मान लेता हूं, जाना चाहिये था। (हंसी)

चौधरी चरण सिंह---

ठीक है, सब लोग हंस दिये। उधर के लोग भी बड़े खुश हैं। सवाल यह है कि जब आपके पास रिपोर्ट आयी तो आपके पास फाइल पर कुछ है और आप उनसे पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं गये?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

पूछ लूंगा। (व्यवधान)

श्री मधुकर दिवे (जिला गोरखपुर)---

नदी के किनारे वाली जमीनों का झगड़ा लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है और सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई नीति नहीं अपनई।

श्री अध्यक्ष---

अब आप यह सब लिख कर दे दें।

श्री सुखपाल पांडेय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा द्वारा पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में करण संख्या 207 के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

दिनांक 18 अप्रैल, 1973 को बस्ती जिले से निर्वाचित भूतपूर्व विधान सभा के सदस्य श्री सुखपाल पाण्डे ने पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर श्री जमुना नारायण अवस्थी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में माननीय अध्यक्ष महोदय से शिकायत की कि दिनांक 14 अप्रैल, 1973 को कुछ अन्य लोगों के साथ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से उनके निवास स्थान पर मिलने गये, पांच बजे से पांच बजकर पचपन मिनट तक इन्तजार करने के बावजूद पुलिस अधीक्षक नहीं मिले और श्री पाण्डे को बिना मिले वापस जाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने की अनुमति नहीं दी और यह निर्णय दिया कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री एक वक्तव्य द्वारा सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करा दें।

2—इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है। दिनांक 14 अप्रैल, 1973 को शाम को सवा चार बजे सर्वश्री सुखपाल पाण्डे, अभिमन्यु पाण्डे, सदस्य, विधान सभा, नागेन्द्र नाथ शुक्ला व रामदास मिश्रा गोरखपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक से उनके कार्यालय में मिले और एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें थाना खजनी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें थीं। पुलिस उप महानिरीक्षक ने इन सज्जनों को पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना-पत्र के साथ मिलने के लिए कहा और साथ ही पुलिस अधीक्षक को टेलीफोन पर कह दिया कि इन लोगों को वे भेज रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उप महानिरीक्षक से कहा कि चूंकि वे प्रधान मंत्री के गोरखपुर आगमन के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था की तैयारी करने में सबेरे से अत्यधिक व्यस्त हैं, अतः यह महानुभाव कुछ समय बाद उनसे मिल लें तो सुविधाजनक होगा परन्तु तुरन्त बाद सर्वश्री सुखपाल पाण्डे, अभिमन्यु पाण्डे, सदस्य विधान सभा तथा अन्य व्यक्ति उनके निवास स्थान पर पहुंच गये इस बीच पुलिस अधीक्षक स्नान करने और भोजन खाने के लिए कार्यालय से उठ गये थे। जब 15–20 मिनट बाद पुलिस अधीक्षक बाहर आये तो उन्हें मालूम हुआ श्री सुखपाल पाण्डे जा चुके हैं और जाते समय यह कह गये कि वे पुलिस अधीक्षक को देख लेंगे। पुलिस अधीक्षक ने श्री सुखपाल पाण्डे, विधायक तथा अन्य व्यक्तियों से भेंट की तथा उनकी बात सुनकर और प्रार्थना-पत्र को जो वे लाये थे, लेकर तुरन्त पुलिस उपाधीक्षक को कार्य सौंप दिया जिससे वे संतुष्ट होकर तथा धन्यवाद देकर चले गये। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि आगन्तुकों को लगभग 15–20 मिनट इन्तजार करना पड़ा और उन्होंने अपने अर्दली से यह भी कह दिया था कि जब श्री पाण्डे तथा अन्य व्यक्ति आय तो उन्हें यह सूचित कर देना कि पुलिस अधीक्षक थोड़े ही समय में आ जायेंगे। तथा वे प्रतीक्षा कर लें। पुलिस अधीक्षक को खेद है कि श्री पाण्डे तत्कालीन विधायक को प्रतीक्षा करने में कठिनाई तथा असुविधा हुई और उनको यह बात बुरी लगी। पुलिस अधीक्षक का यह मंशा बिल्कुल नहीं था कि किसी प्रकार माननीय विधायक की मानहानि हो या उनका समय नष्ट हो। जो घटना हुई है उसके लिए पुलिस अधीक्षक को अत्यन्त खेद है परन्तु जो कष्ट तत्कालीन माननीय सदस्य को हुआ वह केवल परिस्थितियों के कारण हुआ।

(वक्तव्य के बाद)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज तो असरकारी कार्य दिवस है, इसलिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनायें अस्वीकृत हैं।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, एक बड़ा ही गम्भीर मसला है।

एक सदस्य--

हमारा वाला आवश्यक कार्यवाही के लिये ही भेज दें...

श्री अध्यक्ष--

आज यह कैसे लिया जा सकता है, आज तो असरकारी दिन है। क्या आप यह चाहते हैं कि आपका यह कार्य रुक जाये। कल फिर सूचना दीजिय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

कार्यवाही के लिये ही भेज दें।

एक सदस्य--

जबरिया लगान की वसूली हो रही है उसको रोकने के लिये ही मंत्री जी को कृपया भेज दें

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला हैं श्रीमन्, मैं माननीय तिवारी जी से जानना चाहूंगा। आगरा के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है। आप उनके पास भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

भिजवा तो देंगे ही।

श्री रामसेवक यादव--

दूसरा मैंने 301 का दिया था। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और केवल कल ही का दिन है।

श्री अध्यक्ष--

उसे मैं देख लूंगा और देख कर कल बतला दूंगा।

श्री रामसेवक यादव--

जो इंडस्ट्रीज डाइरेक्टोरेट है, वहां लघु उद्योग के संबंध में बड़ा ही भ्रष्टाचार है।

(व्यवधान)

लोहा वहां से बाहर जा रहा था और आयरन कंट्रोलर ने इस सिलसिले में लाइसेन्स कैंसिल किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

ठीक है वह भ्रटाचार सम्बन्धी है। लेकिन प्रश्न यह है कि वह आज थोड़े ही लिया जायेगा? आज गैर-सरकारी दिवस है।

श्री रामसेवक यादव--

तो कल ले लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, कल देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैंने एक दिया है। फैजाबाद में जो डिग्री कालज है उसे अनिश्चित काल के लिये वहां के अधिकारियों ने बन्द कर दिया है जिससे वहां बड़ा ही असन्तोष है। इस पर तो आप वक्तव्य दिलावा दें कि इस पर गवर्नमेंट क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अ.यक्ष--

सरकार का ही काम, काम रोको प्रस्ताव द्वारा रोका जाता है, आज आपका ही काम है। तो उसे तो आप रुकवाना चाहेंगे नहीं। नियम 51 में वक्तव्य के लिये आप दे सकते ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

तो नियम 51 में ही वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

शाम को नियम 51 पर जब कहेंगे तब, अभी तो नियम 56 की बात है ?

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

नियम 51 में ही फिर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के लिये आप लिख कर देंगे तब किया जायेगा। कई बार मैं इस सम्बन्ध में पहले भी सूचना दे चुका हूं। 56 का तो मतलब होता है कि आज का काम रुक जाय और आज का दिन तो आप का ही गैर-सरकारी कामों के लिये है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

फैजाबाद में 4 हजार लड़कों की पढ़ाई का प्रश्न है जिससे वहां काफी असन्तोष है।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि आप अपना ही काम रोकना थोड़े ही पसन्द करेंगे 51 के लिए जब आप शाम को कहेंगे तो उसको देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

इसको कल ले लें।

श्री अध्यक्ष--

कल दे दीजियेगा।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974

श्री अध्यक्ष--

अब श्री रामसेवक यादव, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री रामसेवक यादव जी जो बिल उपस्थित करने जा रहे हैं, उसी पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

आगरे का एक सवाल है मेरा.... ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

श्री रामसेवक यादव जो बिल प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस बिल की प्रति किसी सदस्य को नहीं मिली है । तो ऐसी स्थिति में...

श्री अध्यक्ष--

पहले उनको रखने दीजिये ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

रखने के पूर्व ही मेरा सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

बिल की प्रतियां बहुतों को मिली हैं । आप अपने लिये कहें कि आपको नहीं मिली । माननीय सदस्य निश्चित स्थान पर उसे देखने का कष्ट नहीं करते । (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

किसी को नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे यहां से सब को प्रतियां बंटी हैं ।

एक सदस्य--

दराज में रखी हैं, वहां से ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

सब को मिली हैं । आप अपना ले लें कहीं से ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हुं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(सरकारी पक्ष से नहीं की आवाज आयी)

एक सदस्य—

मान्यवर, हम लोगों ने नहीं कहा है।

(श्री रामसेवक यादव के खड़े होने पर शोर)

श्री अध्यक्ष—

आपका दल अगर नहीं कह देता है लेकिन अगर अनुज्ञा दे दी गयी है तो उस पर कोई एतराज नहीं होता है । अनुज्ञा देने पर लोक सभा में और यहां पर भी उदार दृष्टि बरती जाती है।

श्री रामसेवक यादव—

मान्यवर, असल में यह लोग हरिजनों और पिछड़े वर्ग को उठाना नहीं चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई डिवीजन करने की मांग होती तो बात दूसरी थी । सदन अगर कोई आज्ञा दे देता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। वह रखा जाता है। (शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, अगर विधेयक में कोई गड़बड़ी हो तो वह कानूनी दृष्टि से अस्वीकार होगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, हरिजनों के साथ बैकवर्ड नहीं लाया जा सकता है। हरिजनों और बैकवर्ड में मान्यवर, बड़ा अन्तर है। इनको साथ नहीं लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यह सिर्फ आज्ञा देने मात्र से संबंधित है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आप कहते हैं कि हां कहें और आप कहते हैं कि नहीं कहें। एसा यहां पर किया जाता है। यहां पर अभी हां की संख्या कम थी और नहीं की संख्या ज्यादा थी।

श्री अध्यक्ष—

यह बात अब नहीं उठती। जिस वक्त यह आज्ञा दी गयी आपको उसी वक्त कहना चाहिये था, अब नहीं।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, साफ जाहिर है इनकी मंशा क्या है। यह मनमानी कर रहे हैं।

(शोर)

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

मान्यवर, यहां 'नहीं' कहा गया है। आपको डिवीजन कराना चाहिये।..... (बीच में कई सदस्य बोलते रहे) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब आप इस वक्त रख रहे हैं। डिवीजन की बात मैं नहीं मानता। आपको उसी वक्त यह मांग करनी चाहिये थी। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि डिवीजन की मांग अब मैं नहीं मानता।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

श्रीमन्, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---

मेरी व्यवस्था नहीं। मैं दे चुका हूं।

श्री रुद्र प्रसाद---

मान्यवर, आप सुनने की कृपा करेंगे। मैं व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, दोनों लाबी से आपने 'हां' और 'ना' कहने को कहा। उधर से 'हां' कहा गया। इस पक्ष से 'नहीं' की संख्या अधिक थी। इस पर भी आज्ञा दे दी गयी इसलिये एतराज किया गया। डिवीजन करने की बात पर आपने कहा कि मैं डिवीजन की मांग नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष---

डिवीजन की बात आप लोग इस समय कर रहे हैं इसलिए मैं इसको नहीं मानता। सवाल यह है कि आपको उसी समय डिवीजन की मांग करनी चाहिये थी।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें। आपकी परिपाटी यह है कि इधर और उधर के बैठने वाले 'हां' और 'नहीं' कहते हैं। किसी चीज पर जब 'हां' की संख्या ज्यादा होती है तो आप कहते हैं कि 'हां' की संख्या अधिक है, और जब 'नहीं' की संख्या ज्यादा होती है तो आप कहते हैं कि 'नहीं' की संख्या ज्यादा है। मान्यवर, हमको आप बतलाने की कृपा करेंगे कि जब हमने 'नहीं' कहा तो कैसे आपने 'हां' की संख्या ज्यादा मान लिया ?

श्री अध्यक्ष---

मैं यहां असरकारी दिवस पर भी हां/नहीं कहूंगा। व्यवस्था मैं दे रहा हूं। आप डिवीजन मांगते।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आप न मानें आपके अधिकार की बात है लेकिन हम लोग सही हैं। हम लोगों ने उस वक्त भी नहीं कहा था। इसका मतलब यह कि आप हर वक्त 'हां' मानते हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह कोई सरकारी विधेयक नहीं है जिससे बरबस यह समझ लें कि आप जो उधर बैठे हैं, बहुमत का जो दल है वह 'ना' म है। कोई आवाज से नहीं हो सकता है। आवाज म 10 आदमी ज्यादा जोर से बोल सकते हैं और नहीं भी।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मान्यवर, परिपाटी यह है कि हम लोग 'न' भी बोलें तब भी आप कह देते हैं कि 'हां' की संख्या अधिक है ।

श्री अध्यक्ष—

गवर्नमेन्ट सोच लें, मुझे नहीं कहना है । गवर्नमेन्ट सोच ले क्योंकि ऐसा करने पर गवर्नमेन्ट का काम हर कदम पर रुकेगा । मैंने अनुज्ञा दे दी है । समय से आपने नहीं एतराज किया । आपका कोई एक आदमी यदि कहता है तो मैंने उसको नहीं सुना, जो मैं सुनूंगा उसी को करूंगा ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, अगर बिल के इन्टरोडक्शन के वोट आउट करना चाहेंगे ट्रेजरी बेन्चेज के माननीय सदस्य, तो इस तरह से अपोजीशन की तरफ से कोई बिल नहीं आ सकता है । यह भी विचार करने की बात है कि आपका बहुमत तो है ही इसलिए इस बात पर गैर-सरकारी बिल नहीं आ सकता है । दूसरे मान्यवर, आपके जरिये से माननीय तिवारी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि श्री राम सुन्दर पांडेय माननीय मुख्य मन्त्री जी की सीट पर बैठे हुए हैं, तो यह मुख्य मन्त्री जी की सीट है । मेरा सुझाव है कि उस सीट पर दूसरा कोई न बैठे । दूसरी बात आप कई बार खड़े भी हुए हैं और मुझे लगता है कि काफी इनका चेहरा-मोहरा मुख्य मन्त्री जी से मिलता है । तो मैं समझता हूं कि कंडीशन यह होनी चाहिये कि किसी एम 0 एल 0 ए 0 को वहां न बैठने दिया जाय ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मान्यवर, दिन पर दिन यह होता जायगा कि राम सुन्दर पांडेय को मुख्य मन्त्री समझ लेंगे । यह आपकी दृष्टि है ।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मैं तो ट्रेजरी बेन्चेज में बैठा हूं लेकिन कभी चीफ मिनिस्टर की सीट पर नहीं बैठा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है कि कभी भ्रम हो जाय ।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी की सीट पर कोई न बैठे ।

श्री राम सेवक यादव—

यह रिहल्सल कर रहे हैं, मुख्य मन्त्री की सीट पर बैठ कर ।

श्री अध्यक्ष—

कांग्रेस की ह्विप है यदि ह्विप का हुकुम नहीं मानता है कोई ....

एक सदस्य—

मुख्य मंत्री जी की कुर्सी हिलने लग गई है....

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुलतानपुर)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह सचेत रहें ताकि और कोई कुर्सी पर न बैठ जाय ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने पहले जो नान-आफीशियल प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं वह हमारे जैसे साधारण सदस्य के अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले हैं। दूसरी बात, मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा और जैसा अभी प्रार्थना की गई कि मुख्य मन्त्री के स्थान पर कोई न बैठे, मैं तो यह चाहूंगा कि नेता विरोधी दल का स्थान, और मान्यवर जो यह रिक्त स्थान है जो किन्हीं कारणों से भरा नहीं जा सकता–उपाध्यक्ष का स्थान इन तीन जगहों पर नीचे और मान्यवर, चौथी आपकी जगह तो आपकी आज्ञा के बिना भरी ही नहीं जा सकती, इन स्थानों की एक गरिमा है और मैं चाहूंगा कि इस गरिमा का हम में से प्रत्येक को ध्यान रखना चाहिये और चौधरी साहब का हमारी सदन की मर्यादा को बढ़ाने वाला प्रस्ताव है।

*श्री रामसेवक यादव––

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 535–539 पर)

(कुछ रुक कर) मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जिस तरह से अभी यह तय हुआ है कि इन तीन कुर्सियों पर कोई न बैठे, उसी प्रकार अगर यह भी हो जाय कि माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे रहें, कोई कहीं खड़ा न हो तो अच्छा है क्योंकि इससे बोलने वाले का ध्यान बंटता है।

मान्यवर, जैसा विधेयक के उद्देश्य में दिया हुआ है और यह विधेयक जिस उद्देश्य से लाया गया है, मैं आपके द्वारा माननीय सदन से अनुरोध करूंगा और सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उस विधेयक को कानून के रूप में परिवर्तित करें। आज 27 वर्षों की आजादी के बाद भी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व इस प्रदेश की और देश की सरकारी बड़ी नौकरियों और मैं यहां तक कहूंगा कि तीसरी और चौथी श्रेणियों में भी नहीं हो पाया है और प्रशासन जो है वह एक तरह से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है और हर जगह.....

(श्री स्वामी प्रसाद सिंह, राजस्व मन्त्री के मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठने पर हंसी।)

श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कंटीले तार से यह घिरवा दी जाय ताकि बैठने न पावें।

श्री रामसेवक यादव––

जहां तक हरिजनों और आदिवासियों का प्रश्न है उनके लिए संविधान में गजटी नौकरियों और दूसरी नौकरियों में संरक्षण प्राप्त है। यहां तक कि हरिजनों को गजटी नौकरी में साढ़े 12 प्रतिशत, आदिवासियों को 5 प्रतिशत है। लेकिन 63 तक के आंकड़ों की जानकारी के अनुसार, इधर जो भी स्थिति हो, बड़ी नौकरियों में मुश्किल से एक प्रतिशत भी स्थान इनको प्राप्त नहीं हुए जबकि उनके लिए स्थान सुरक्षित है। जहां दूसरे पिछड़े वर्गों का सवाल है आज तक उन्हें प्रदेश की सरकार से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। जो 62 के आंकड़े हैं उनके अनुसार हरिजन 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग 1 प्रतिशत और दूसरे लोग 88 प्रतिशत। अग्रिम मुस्लिम उनमें इसाई आदि 9 प्रतिशत। तबकि हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के इस प्रदेश और देश में बहुसंख्यक लोग हैं उन्हें गजटी नौकरियों में और दूसरी नौकरियों में कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

(इस समय 1 बजे अधिवक्ता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर 61 में अधिष्ठाता महोदय, इस विधान सभा में कुछ प्रश्न उत्तर हुए थे। हरिजनों को 46 में 16, 55 में 70, 60 में 194। यह तादाद बढ़ती नजर आयेगी। लोग कहेंगे कि हरिजनों की तादाद बढ़ रही है लेकिन अगर इसका प्रतिशत दूसरे लोगों की क्या संख्या है उसको देखते हुए निकाला जाय तो यह प्रतिशत बहुत ही निराशाजनक होगा।

श्री अधिष्ठाता—

और जातियों के आंकड़े भी पढ़ दें।

श्री रामसेवक यादव—

उन पर भी मैं आऊंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आंकड़े बाजी में न पड़ा करें बल्कि पूरी नौकरियों को और जो स्थान हरिजन और आदिवासियों को मिले हैं उनकी तुलना करें तो स्थिति बहुत भयंकर निकलेगी। अब तो आंकड़े ही नहीं मिलते क्योंकि जाति नहीं लिखी जाती। अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति क्या है। 46 में 34 थी, 55 में तरक्की करके 25 हो गयी। 60 में जरूर 67 है लेकिन अगर इसकी भी आंकड़ेबाजी में न पड़ कर तुलना करेंगे तो सही तस्वीर सामने आयेगी। अब अग्रिम जातियों की संख्या देखें। 46 में 1,251, 55 में 4,555, 60 में हो गयी 8,500 और अब जो तादाद होगी उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन निश्चय ही दिन दुगनी और रात चौगुनी यह संख्या बढ़ी होगी। यह कहने की बात नहीं कि जो अग्रिम जातियां हैं उनमें सबका स्थान नहीं है क्योंकि जाति की चक्की ही खराब है, इसकी भूख कभी मिटती नहीं। ब्राह्मण, क्षत्री को देखें। इनमें कोई बीस विश्वा वाला हो जाता है तो कोई उससे थोड़े वाला। कोई शिखर योग्यता में पहुंच सकेगा और उसमें धनी मानी लोगों का हिस्सा होगा। यह भयावह स्थिति पूरे समाज की है और प्रशासन में सरकारी नौकरियों की यह हालत है। जहां तक एंग्लो इंडियंस का सवाल है उनकी संख्या पहले 1901 थी, 56 में 630 हो गयी और 60 में 857। यह स्थिति है नौकरियों की। इसको देखते हुए मैं सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 340 की ओर आकर्षित करूंगा। संविधान के निर्माता देश की सामाजिक स्थिति से अवगत थे और उनके दिमाग में यह था कि जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है उनमें शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जो पहले से कमजोर तबका हरिजन और आदिवासियों का था उनके लिये तत्काल संविधान में स्थान सुरक्षित कर दिये। लेकिन दूसरे वर्गों के बारे में भी संविधान में साफ-साफ दिया हुआ है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आप देखें अनुसूची "अ" में जहां पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है उसमें 58 जातियों के नाम दिये हुए हैं और 53 नम्बर पर मुस्लिम कायस्थ लिखा हुआ है तो यह मुस्लिम कायस्थ कौन सी जाति है?

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं यह जानना चाहता था कि यह मुस्लिम कायस्थ कौन सी जाति है?

श्री अधिष्ठाता—

आपको भाषण का अवसर मिलेगा। आप उस समय अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री रामसेवक यादव—

अधिष्ठाता महोदय, संविधान के अनुच्छेद 340 में साफ दिया हुआ है कि राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेगा जिसका काम होगा इन वर्गों की शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने का और अध्ययन करने के बाद वह अपना प्रतिवेदन दे और साथ ही साथ यह भी सुझाव दे कि कैसे उनको उस स्थिति से निकाला जा सकता है । अनुच्छेद 340 में यह लिखा हुआ है:—

"340. (2) A Commission so appointed shall investigate the matter referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper."

आप देखें इसमें साफ दिया हुआ है कि कमीशन इन सब चीजों की जानकारी करेगा और जैसा उचित समझेगा उस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट देगा । इसीलिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 1953 को एक आयोग की नियुक्ति की गयी और संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके ही राष्ट्रपति ने उस कमीशन की नियुक्ति की थी और इस आयोग ने 30 मार्च, 1955 को अपना प्रतिवेदन दिया। उसके तीन हिस्से हैं ।

पहले तो मैं आर्टिकिल 15 (4) के बारे में कहना चाहता हूं जिसमें तकनीकी लोगों, डाक्टरों, इन्जीनियरों आदि के स्थानों को सुरक्षित करने की बात कही गई है। फिर आर्टिकिल 16 की उपधारा (4) में नौकरियों में भी स्थान सुरक्षित किये जायं यह सिफारिश की गई है । वैसे तो बहुत सी सिफारिशें हैं, लेकिन मैं अपने को इसी में महदूद रखना चाहूंगा कि यह सिफारिश उन्होंने की । इस आयोग ने एक प्रतिवेदन भारत सरकार को दिया जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, लेकिन दुख है कि न तो केन्द्र की सरकार ने और न ही हमारी प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ध्यान दिया । ध्यान थोड़ा सा गया । आर्टिकिल 15 (4) के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं में खास तौर से मेडिकल कालेजों की पढ़ाई के लिए स्थान सुरक्षित करने की बात यहां पर उठी जो कि कानून के तहत संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल था । आर्टिकिल 15 (4) में साफ लिखा हुआ है कि—

"15. (4) Nothing in this article or in clause (2) of Article 29, shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Schedule Castes and the Scheduled Tribes."

इसके तहत रिजर्वेशन्स किये पहाड़ी इलाके और ग्रामीण क्षेत्र के लिये और जिस तबके के लिये संविधान की यह धारा थी उसके लिये रिजर्वेशन नहीं किया । इसका नतीजा यह हुआ कि उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । उसका कारण कुछ भी रहा हो लेकिन इसी आधार पर रद्द किया गया और एक दिक्कत पैदा हो गयी । सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित करना तो दूर रहा पढ़ाई-लिखाई की मामूली सुविधा के लिये सुरक्षा का प्रश्न था जिसमें कि संविधान द्वारा व्यवस्था प्रदत्त थी, उसे सरकार ने न करके उसका बेजा इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया । इन्हीं सब चीजों से प्रेरित होकर यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है ।

विधेयक में साफ लिखा हुआ है क्यों कि कहीं-कहीं लोग यह भी कह सकते हैं कि अगर पिछड़ा वर्ग आ जायगा तो हरिजनों का हिस्सा मारा जायगा । इसीलिये अनुसूची "अ" में पिछड़ा वर्ग और अनुसूची "ब" में हरिजनों के लिये परसेन्टेज दिया हुआ है । पिछड़े वर्ग में श्रेणी (प्रथम) में 27 प्रतिशत, श्रेणी 2 (द्वितीय) में 30 प्रतिशत और श्रेणी 3, 4 (तृतीय एवं

चतुर्थ) में 30 प्रतिशत इसी प्रकार हरिजनों के लिये श्रेणी 1 (प्रथम) में 21 प्रतिशत, श्रेणी 2 (द्वितीय) में 19 प्रतिशत तथा श्रेणी 3 व 4 (तृतीय या चतुर्थ) में 19 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होंगे। इसमें साफ तौर से यह भी लिखा हुआ है कि जिनको संरक्षण नहीं मिला है उनके लिये व्यवस्था की गई है। इसी कारण यह साधारण सा विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस आशय से पेश किया गया है कि सदन इसको स्वीकारेगा। मैं इस पर लम्बी बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोग कहेंगे कि आजाद हिन्दुस्तान में सबको समान अवसर रहते हुए इस तरह की चीजें उचित नहीं हैं। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए। इसमें हरिजन आदिवासियों के लिये भी प्राविधान किया गया है और उसके ही तहत 340 में, उसके तहत 15 और 16 में यह सब दिया हुआ है। क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे, उनके सामने पूरे समाज की दृष्टि थी। इसलिए यह तर्क कि समान अवसर पर पूरे देश को बढ़ाएंगे, कहना पूर्णतया गलत है और यह सफल नहीं रहा है।

इस सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि यह समान अवसर चलने वाला नहीं है, इसके लिए तो विशेष अवसर का सिद्धांत अपनाना होगा और यह सिद्धांत संविधान में है ही। जो तबका अब तक बिलकुल अछूता रहा है, उनको भी अब उसमें शामिल करना है। आज हमारे इस प्रदेश में पिछड़े वर्ग का एक भी आदमी न आई0 ए0 एस0 में होगा, न जिले का कलेक्टर होगा और नही कोई उच्च अफसर होगा। यह सब उनके अति पिछड़ेपन का सबूत है और सरकार की उपेक्षा नीति का भी सबूत है। उनके लिए संरक्षण का कोई सवाल ही नहीं है। समान अवसर के आधार पर तो 27 वर्षों में कुछ हुआ नहीं है। आज जो स्थिति है, वह पूरे सदन, देश और प्रदेश के सामने है। हरिजनों को सुरक्षा तक भी नहीं मिलती है। इन हरिजनों के लिए भी यह थोड़ी व्यवस्था न होती तो जो तस्वीर दिखाई देती है, वह भी नहीं दिखाई देते। तो यह सरकार की मदद करने वाला है, हरिजनों और पिछड़े वर्ग दोनों के लिए लाभकारी है, इसलिए सरकार को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये और इसके लिए अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ में आपके द्वारा श्रीमन्, सरकार से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक का समर्थन करें और इसको कानूनी रूप में परिणित करें।

श्री अधिष्ठाता--

सामान्यतः अन्य माननीय सदस्यों के लिए इस पर 10 मिनट का समय होगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामसेवक जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसे देखने से तो ऐसा लगता है कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश के शोषित और पीड़ित लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए है, लेकिन वास्तव में इस विधेयक के पीछे मंशा ऐसी नहीं है। जैसे शुरू में मैंने निवेदन किया हमारे संविधान के जो निर्माता थे--अम्बेदकर, महात्मा गांधी आदि उ होंने हरिजनों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिम जातियों को एक साथ रखा, जो कि उचित था और आज की स्थिति में भी यही पूर्णतया ठीक है। हरिजनों का सम्बन्ध कभी भी उन जातियों से नहीं रहा है, जिनके साथ उन्हें लाने का माननीय सदस्य ने प्रयास किया है: जिनको समाज और संविधान में हर प्रकार का आरक्षण दिया गया था, वह यह समझकर दिया गया था कि यह देश में दबा हुआ और पीड़ित तबका है और ये पिछड़े वर्ग के लोग हरिजनों को दबाने में बराबर उनके साथ रहे हैं। आज भी आप देखेंगे हरिजनों को दबाने में, उन पर अत्याचार करने में यदि किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो यह वही जाति है, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने अपनी अनुसूची 'अ' में सबसे पहले किया है अर्थात् अहीर जाति। हमारे पूर्वी जिलों में यह अहीर जाति है और पश्चिम में जाट जाति है जो हरिजनों को सबसे अधिक दबाए हुए हैं। यह बराबर हरिजनों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

पर जुल्म करते रहे हैं। (व्यवधान) मैं बिल्कुल सही कहता हूं हरिजनों को दबाने में पिछड़ी जाति के कुछ लोगों का विशेष हाथ है। इसमें भले कुछ अपवाद हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हरिजनों को पिछड़े वर्ग के साथ कभी नहीं रखा जा सकता है। हरिजनों को विशेषाधिकार संविधान में मिला हुआ है और इसलिये....

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

तो क्या हरिजनों को ब्राह्मणों के साथ रख दिया जाए? क्या यही मिश्रा जी चाहते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि समाज में तेली, तमोली, बारी, अहीर, जाट, दर्जी, लोहार चमार, मेहतर, पासी नाम से कोई जातियां हों, मेरी निजी राय है कि सब लोग बराबर के इंसान हैं, सब बराबर हैं। लेकिन हरिजनों का जहां तक सवाल है हरिजन, शेड्यूल कास्ट्स को अलग इस संविधान में जगह मिली हुई है। जहां तक पिछड़ी जातियों का सवाल है, जिस तरह से आप उनको संरक्षण देने की बात कहते हैं, संविधान की कड़ी पढ़ कर रामसेवक जी ने पढ़कर सुनाया, 16 (4), 15 (4), इसका कतई मंशा नहीं है कि राज्य ऐसा करेगा ही। राज्य जहां जरूरत समझेगा, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जिन को संरक्षण देना जरूरी है, वह राज्य कर सकेगा। कमांड की बात नहीं है। राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि संरक्षण जरूर देगा।

अभी आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट में पहाड़ी और रूरल एरिया का संरक्षण का मामला चला गया और हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया संरक्षण। अगर इस तरह से जातियों के आधार पर संरक्षण देने लगें तो सारी सीटें संरक्षण में ही चली जायेंगी। जो पिछड़ी जातियों के पढ़े-लिखे लोग हैं वे लोग अपनी सुविधा के लिए जातिवाद का नारा लगा रहे हैं, नारा लगा कर सारे उस जनमत को संगठित करना चाहते हैं। पिछड़ी जातियों के कुछ पढ़े-लिखे लोग हैं जो पिछड़ी जातियों का नारा दे कर वोट पाने के लिए अपने पीछे संगठित करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये, अहीरों को पिछड़ा हुआ कहते हैं, उनकी प्रगति हो, या कुर्मी, कोरी, मेहतरों या और जो जातियां हैं उनकी तरक्की के लिए उनकी मंशा नहीं है बल्कि इस जाति के पढ़े-लिखे लोग अपनी व्यवस्था के लिए चाहते हैं और यह संविधान की मंशा के बिलकुल प्रतिकूल है। किसी भी विशेष जाति के लोगों को, जितने भी पढ़े लिखे आज नौजवान हैं, उनमें योग्यता का ख्याल न करके, रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी दे दें, संविधान की जो मंशा है यह उसके बिलकुल प्रतिकूल है। हरिजन, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए हमारे संविधान में है। लेकिन उसके साथ बैकवर्ड को जोड़ना.....

श्री रामसेवक यादव---

एक सवाल है। इसमें साफ लिखा है, अगर उनको सरकारी नौकरियों वगैरह में जगह नहीं मिली, आप हम को कोई आंकड़ा बता दें, अपने प्रदेश का बता दें, जो पिछड़ी जातियां इसमें लिखी हुई हैं और वह काका कालेलकर की रिपोर्ट की हैं, कितनी गजटी नौकरियों पर उनका है, और कितनी गजटी नौकरियों पर जो अग्रणी हैं, ब्राह्मण और ठाकुर खास तौर से जो बिलकुल एकाधिकार बन गया है, उनकी संख्या बता दें। तो तस्वीर साफ हो जायगी, चेहरा साफ हो जायगा।

श्री काशी नाथ मिश्र---

3-4 हजार साल से जो दोष चला आ रहा है, उसको हम और रामसेवक जी 20-25 वर्ष में नहीं काट सकते हैं। उस सिलसिले में कमी आ रही है। कांग्रेस सरकार की जो नीति चल रही है उसी सिलसिले में कमी आ रही है। आपने पढ़कर बताया कि हरिजनों की संख्या नौकरियों में बढ़ रही है। जब शिक्षा बिलकुल पिछड़ी जातियों में नहीं थी, उस व्यवस्था

में तमाम जातियों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने बिलकुल इस के विपरीत नीति चलायी है। कांग्रेस की नीति का नतीजा है कि और जातियां भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो संरक्षण देने की बात करते हैं, अगर सभी लोगों को संरक्षण दे दिया जाय, अभी जो प्रि-मेडिकल टेस्ट हुआ था उसमें संरक्षण दिया गया था, उस में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि इस तरह का रिजर्वेशन रूरल और पहाड़ी क्षेत्रों को दिया गया, यह संविधान में जो बराबर का अधिकार है उस पर कुठाराघात है। पूर्वी जिलों में एक गोंड जाति है। उसकी बड़ी कम तादाद है। लेकिन दबी हुई है। उनके लिए आवाज नहीं उठती है और छोटी छोटी जातियां पिछड़ी हुई हैं। इस संविधान की मंशा 15 (4) और 16 (4) की मंशा इन्हीं जातियों के लिए है। जिनकी तादाद कम है, जिनकी आबादी कम है, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अगर उनके लिए राज्य सोचता है, अगर शासन के कर्णधार सोचते हैं कि उनको विशेष रूप से संरक्षण देने की जरूरत है तो उनके लिये संरक्षण दिया जाता है। यह नहीं है कि 50 फीसदी आबादी है या 30 फीसदी आबादी है और लोक सेवा आयोग में न बैठना चाहें और अपनी योग्यता प्रदर्शित न करना चाहें और उनको आगे बढ़ाया जाय तो ऐसी व्यवस्था नहीं चल सकती है। यह बिल तिकड़म के आधार पर लाया गया है इसमें हरिजनों को जोड़ दिया जाय। कभी भी हरिजन बैक वर्ड क्लास के साथ जोड़े जा सकते हैं। उसका अस्तित्व ही अलग है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि बैकवर्ड लोगों के साथ हरिजनों को नहीं लाया जा सकता है।

*श्री त्रिवेणी सहाय---

अधिष्ठाता जी, श्री राम सेवक जी ने आज जो बिल उपस्थित किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय काशी नाथ मिश्र सदन में शान्ति रखें। बातचीत करना है तो वे लाबी में चले जायें।

श्री त्रिवेणी सहाय---

यह बिल केवल इस भावना से ही प्रेरित नहीं है कि कुछ बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को बढ़ाया जाय। यह हमारी हमेशा से भावना है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और हरिजन हैं वे शिक्षा में, आत्म दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और इसी तरह की अन्य मामलों में बहुत पीछे हैं। हमें उनको आगे बढ़ाना है और जिस स्तर पर हम चल रहे हैं उस स्तर तक उनको पहुंचाना है। उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। जिन लोगों ने वर्षों से गुलामी की है और सामाजिक न्याय पाने में पीछे रहे हैं तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम उनको आगे ले जायें। आगे बढ़ने की उनकी स्वयं की क्षमता नहीं है। उनको हमारे सहारे की आज जरूरत है। वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाये हैं। इसलिये वह पीछे हैं। अगर कोई यह कहे कि कांग्रेस सरकार ने उनको बढ़ाने का ठेका लिया है तो यह उनकी भूल होगी। जिसे समाज से प्रेम है उसे उन गरीब और हरिजन लोगों से भी प्रेम करना चाहिये। उनको यह सोचना चाहिये कि पिछड़ा वर्ग और हरिजन वर्ग कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है उस पर इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो भावना रखी है वह अलग है। उनका कहना है कि विभेदकारी शक्तियों को आगे बढ़ने न दें, लेकिन समाज में विभेदकारी शक्तियां बढ़ रही हैं। हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे समाज के अंग हैं जो देश को बनाते हैं। इनको सभी लोग अलगाव की दृष्टि से देखते हैं। यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये यह हमारे लिये घातक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

है। डाक्टर सीताराम जी यहां पर मन्त्री थे उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है। इसको हमने अच्छी तरह से देखा है। इसमें आदेशों का संकलन किया गया है। उन्होंने ऐसे सारे आदेशों को मिलाकर एक पुस्तक संग्रहीत करायी है। इस पुस्तक में 78 आदेशों की प्रतियां हैं। इनको मैंने पढ़ा है। सरकार का जो पहला आदेश है वह 1952 का है और वह श्री बी0 एन0 झा के हस्ताक्षर से दिया गया है। हरिजनों को इसमें 5 वर्ष की छूट दी गयी है। इसका मतलब यह है कि 52 से लेकर संविधान में जो बात दी गयी थी कि 18 परसेंट का जो रिजर्वेशन है उसकी तहत में काम किया जाय। आज 20 साल हो गये हैं। 20 साल के बाद 18 प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया और 27 को बढ़ाकर 45 किया गया तथा अब इसे 50 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि 18 प्रतिशत का कोटा पूरा हो जाय। इन आदेशों को निकालने में सरकार की कोई ढिलाई नहीं रहती है परन्तु इन आदेशों का कड़ाई के साथ पालन नहीं किया जाता है, नहीं हुआ।

श्रीमन्, मैं आपके सामने आंकड़े पेश करता हूं जो पंचवर्षीय योजनाएं बनीं श्रीमन् उन योजनाओं के अन्तर्गत सेवा योजन कार्यालय खोले गये, उसमें लोगों के प्रार्थना-पत्र इन्वाइट हुए, किस योजना में कितने प्रार्थना-पत्र इन्वाइट हुए ? प्रथम पचवर्षीय योजना में 16 लाख 75 हजार 17 प्रार्थना-पत्र इन्वाइट किये गये और नियुक्तियां हुयी--3 लाख 53 हजार। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 21 लाख 45 हजार 467 अप्लीकेशन्स इन्वाइट की गयी और नियुक्तियां हुई 2 लाख, 40 हजार 674। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 40 लाख 45 हजार 388 प्रार्थना-पत्र इन्वाइट किये गये और नियुक्तियां हुयी 4 लाख 53 हजार 742। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रार्थना-पत्र इन्वाइट किये गये--41 लाख, 53 हजार, 530 और नियुक्तियां की गई 3 लाख, 70 हजार 53। श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि प्रार्थना-पत्र 4 लाख के ऊपर हैं और नियुक्तियां 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में हुई हैं। जो सेवा योजन कार्यालय से नियुक्तियाँ होनी चाहिए थीं उन नियुक्तियों को सुपरसीड कर दिया गया अन्यथा कोई कठिनाई नहीं थी कि हरिजनों की, पिछड़ी जाति के लोगों की नियुक्तियां उसी प्रोपोर्शन से न हुई होतीं। आज जो बिल लाया गया वह कांस्टीट्यूशन की कुछ धाराओं के मातहत है। माननीय काशीनाथ जी ने कह दिया कि कांस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है। कांस्टीट्यूशन में स्पेशल प्राविजन है श्रीमन्। "स्पेशल प्राविजन्स रीलेटिंग टु सच इन क्लाजेज पार्ट 16 में श्रीमन्, यह सेक्शन आजकल 330 से लेकर 342 तक डील करता है"। 341 में कमीशन नियुक्त किया गया और उस कमीशन के तहत कौन-कौन सी जातियां शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं और कौन-कौन सी जातियां हरिजन जातियां हैं। उस कमीशन ने अपना ब्योरा प्रस्तुत किया। अब उसका आर्टिकिल 334 देखें श्रीमन्। इसमें जो आर्टिकिल्स हैं रिजर्वेशन आफ सीट्स फार शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दि हाउस आफ पीपुल यानी पार्लियामेन्ट में, असेम्बली में, इन जगहों के लिए एक सीमा बांध दी गई है कि इतने इन सेवाओं में लिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

इसमें तो 334 में तो है कि 30 वर्ष के बाद कोई रिजर्वेशन नहीं होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इसको तो बढ़ा दिया गया, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता---

पहले बीस वर्ष था अब 30 वर्ष हो गया।

श्री त्रिवेणी सहाय---

संविधान में स्पेशल प्राविजन्स देकर उनके लिए स्पेशल की गई। 1962 के आंकड़ों के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है---हरिजन 2 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग

1 प्रतिशत, अग्रिम जातियां 88 प्रतिशत और अग्रिम मुस्लिम एवं इसाई आदि 9 प्रतिशत। मान्यवर, जो बच्चा पढ़ने के लिये सन् 1947 में दाखिल हुआ वह अब इन्टर या बी0 ए0 तक पढ़कर आयेगा। परेशानी यह है कि इसको देखकर तकलीफ हो रही है कि अगर जैसी आज श्रीमन् योजना के अनुसार सर्विसेज में लेने वाली बात सरकार की ओर से होनी चाहिये इन विशेष परिस्थितियों में जिनको छूट दी गयी है, उनकी कोई बात नहीं है। जैसे पी0 ए0 सी0 में भर्ती हो रही है, और अगर वहां भी 50 प्रतिशत का रिजर्वेशन कर दिया गया तो क्या होगा? पुलिस और फोर्स के अन्दर जहां तक भर्ती का प्रश्न है उसमें प्राथमिकता आदमी विशेष को होनी चाहिये कि कौन कितना लम्बा है, कितना तगड़ा है, कितना स्टाउट है, उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री चेतराम गंगवार---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं देखता हूं कि ऐसे विधेयक समय-समय पर गैर सरकारी दिवस पर 1967 से कई बार आ चुके हैं। इनके पहले माननीय रूप नाथ सिंह यादव, जो कैबिनट स्तर के मन्त्री रह चुके हैं, भी कई बार इसे लाये हैं। अच्छा तो यह होता कि ऐसा विधेयक सरकारी पक्ष की ओर से आता। प्रस्तुत विधेयक में बहुत सी कमियां रह गयी हैं और यह सोच समझकर नहीं लाया गया है। इस बार विधान सभा का उपवेशन 3 महीने से चल रहा है और इस प्रकार का एक विधेयक आसानी से सरकार की ओर से आ सकता था।

यदि आप आंकड़े देखें तो आप पायेंगे कि वास्तव में इस वर्ग की, अनुसूचित जाति की, जनजातियों की या हरिजन समुदाय की या जो पिछड़े अन्य वर्ग हैं, उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय है। अभी माननीय काशी नाथ जी अपना भाषण करके चले गये हालांकि पार्लियामेन्ट्री पद्धति तो यह है कि दूसरों के भाषण को भी सुनें। उन्होंने अहीर, कुर्मी और जाट आदि की बात कही थीं। पिछड़ी जातियों में ये ही नहीं बल्कि नाई, कहार, निषाद, मल्लाह आदि भी आते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं कहीं नामोनिशान नहीं है। आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 में सरकारी नौकरियों में महेन्द्र, गंगवार और बरार नारायण यादव आये हैं। इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जगह-जगह पर नौकरियों में जहां पर इनके प्रतिनिधि या जो हरिजन हैं उनके प्रतिनिधि 18 प्रतिशत होने चाहिये वहां पर वे कहीं पर 3, कहीं पर 2, कहीं पर डेढ़ और अधिकाधिक 6 या 7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हैं। हालांकि हमारी सरकार इन मसले पर पूर्ण रूप से जागरूक है और इसने यह अनुभव किया है कि जहां पर 18 प्रतिशत पूर्ण नहीं, पहले इनको विशेष अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

बरेली का ही मैं एक किस्सा बताता हूं। वहां पर एक विष्णु इन्टर कालेज चलता है, वह विधान परिषद् के एक माननीय सदस्य की देख-रेख में चलता है। उन्होंने वहां पर अपनी ही जाति के एक गुप्ता को प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर रखा है। जब वहां पर रामचन्द्र व्यास और जगन मोहन व्यास गये तो उन्हें कहा गया कि ये इन जातियों के लोग यहां पर शिक्षा पायेंगे। तो इस तरह की अनेक घटनायें प्रदेश में होती रहती हैं।

जहां तक मंत्रिमण्डल का जब गठन होता है, उसमें भी आवश्यकता है कि इन जातियों के प्रतिनिधियों को उचित स्थान मिले, जब तक आप सारी चीजों में पिछड़ी जातियों, या हरिजनों के प्रतिनिधित्व की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इन जातियों का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। मंत्रिमण्डल के मामले में भी चिराग तले अंधेरा है। पंत जी के जमाने से हम देखते चले आ रहे हैं कि कभी तो कैबिनेट में 30 कभी 20 और कभी 15 और 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं लेकिन उनमें कभी ब्राह्मणों का और कभी गुप्ताओं का, एक ही जाति के लोग डोमिनेट करते रहे हैं। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें भी किसी हद तक आपने यह किया कि एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार–]

रामजीलाल सहायक, जो हरिजन हैं उनको मिनिस्टर बनाया और बनाते रहे और बाल्मीकि हैं, दूसरे लोग हैं जो इस सुविधा के अवसर पर सारे अवसर लूट लेते हैं तो शासन का ध्यान उस ओर गया और बाल्मीकि जैसे निचले स्तर के लोगों को भी आपने शासन में अवसर दिया। यादव जी ने जो यह विधेयक पेश किया, मेरा चार्ज है चौधरी चरण सिंह पर कि वह इस कुर्सी पर काफी दिन एस0 वी0 डी0 के जमाने में रहे, इस समय दिखाने के लिए बनावटी रूप से तो यह विधेयक उन्होंने पेश करा दिया। मैं यादव जी से पूछता हूं कि इससे पूर्व रामसेवक यादव के जमाने में क्या वजह थी, दो साल-डेढ़ साल आप रहे उसके बाद भी फिर मौका मिला चौधरी साहब को, क्यों नहीं इस विधेयक को पास करा दिया?

श्री रामसेवक यादव---

आपके साथ थे।

श्री चेतराम गंगवार---

आपकी अलग से गवर्नमेन्ट थी।

श्री सत्य प्रकाश मलवीय (जिला इलाहाबाद)---

चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के साथ मुख्य मन्त्री थे।

श्री चेतराम गंगवार---

मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के बाद इनकी एस0 वी0 डी0 की जिस तरह से कि आज 7 पार्टियों को मिलाकर दल का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ही कई पार्टी के लोगों की बनी हुई एस0 वी0 डी0 सरकार थी और तब भी इस विधेयक को नहीं ला पाये। मेरा यह निवेदन है कि सरकार इसकी जब ठीक उपयुक्त समय समझे तो इसको और व्यापक रूप से सोच-समझकर नया विधेयक लाये और कोई कदम उठाये।

जहां तक आंकड़ों की बात है, बहुत पुराने आंकड़े हैं, लेकिन जो भी हैं इनसे भी बड़ी निराशा हुई है। इन आंकड़ों से साबित हो जाता है कि आज विशेष अवसर प्रदान करने की हरिजनों, पिछड़ी जातियों के लिए आवश्यकता है। 1946 में हरिजन गजटेड अधिकारी 16 थे और 1960 में कुल 194 हरिजन हो पाये। यानी 4-5 गुना ही हो पाये। अन्य पिछड़ी जातियों के लोग 34 थे, वह 67 ही हो पाये। यानी अंग्रेजों के जमाने की भी आप चरम सीमा को लांघ गये। सवर्ण लोग जहां 1946 में 1251 थे उनको आपने 1960 में 8,500 तक पहुंचा दिया---8 गुना कर दिया। हरिजन 8 गुने नहीं कर पाये। जो अंग्रेजों के जमाने में व्यवस्था थी उसको भी तिलांजलि दे दी, उससे बहुत आगे बढ़ गये। इसके अलावा जो मुस्लिम, ईसाई आये हैं वह 1901 थे। मुसलमानों में भी बहुत सी गरीब जातियां हैं, बुनकर हैं और सारे लोग आते हैं उनमें आपने क्या किया कि वह 1901 थे, उनको 1960 में 858 कर दिया। वैसे उर्दू की बात करते रहते हैं, लेकिन जिस बात से सारे समाज का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं उस ओर ध्यान नहीं है। तो आर्थिक ढांचे को ठीक करना चाहिए। 88 परसेंट राजपत्रित अधिकारी सवर्ण हैं तो हमारी जो इनकम होती है स्टेट की उसका 67 परसेंट जो नौकरी पेशा लोग घर में रख लेते हैं तो सवर्ण कास्ट के लोगों को ही वह सब जाता है, काशीनाथ मिश्र जी के वर्ग को, उनके अलावा और किसका उससे फायदा होगा? तो ऐसा डिवीजन होना चाहिए कि हरिजन और पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच में इस 75 फीसदी इनकम का बटवारा हो और 15--20 फीसदी का बटवारा अग्रणीय जातियों में हो तो इस प्रदेश और देश की व्यवस्था ठीक हो सकती है। इसलिये मैं पुनः कहूंगा कि इस विधेयक में जो गलतियां और खामियां रह गयी हों सरकार उनको ठीक करने के उपरान्त इसको उपयुक्त समय पर स्वयं लावे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है, यह गैरबराबरी दूर करने के लिए और समानता को समाज में कायम करने के लिए लाया गया है। विधेयक के पीछे जो नियत और भावना है उससे सत्ता पक्ष की तरफ जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वह भी सहमत हैं और उसका आदर करते हैं। आशा है इसको पारित करने में सब सहायता करेंगे और इस देश में एक नया इतिहास कायम करेंगे। जैसा कि इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता माननीय यादव जी ने बतलाया कि 1953 में जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बनाया गया था उसने भारत सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अब 1953 से 1974 हो गया, करीब-करीब 21 साल, इस बीच में मुझे ऐसी जानकारी है और जैसा कि इस विधेयक में कहा भी गया है कि तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने भी इससे कुछ मिलता-जुलता विधेयक पारित किया है। आज हमारे प्रदेश में जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, व हरिजन वर्ग के हैं वह बिल्कुल अवनति के कगार पर हैं और जब तक उनको नियमों या कानून के जरिये नयी सुविधा नहीं प्रदान की जायगी तब तक समाज में समानता के पद पर वह पहुंच नहीं पायेंगे। इस विधेयक के पहले 1973 में भी इसी सदन में विचार किया गया था जबकि श्री रूपनाथ सिंह जी यादव इस सदन के सदस्य थे। उस पर चर्चा भी हुई लेकिन उसके बाद उस विधान सभा का सत्रावसान हो गया और फिर वह विषय कभी भी विधान सभा के समक्ष आया नहीं। लेकिन बारम्बार इस प्रदेश के बहुत से राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल शासन के जमाने में राज्यपाल महोदय को और मुख्य मन्त्री, माननीय बहुगुणा जी के पास भी पत्र भेज कर निवेदन किया कि इस प्रकार का विधेयक लाना चाहिये जिससे कि पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके और आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है।

जब 24 जनवरी, 73 को विधान सभा के समक्ष बहस हुई थी तो जनसंघ, भारतीय क्रांति दल और जितने भी विरोधी पक्ष के लोग थे उन्होंने उसमें भाग लिया और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी उस विधेयक के पक्ष में अपने विचार प्रकट किये थे। तो मैं यह चाहूंगा कि आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी अन्तर्आत्मा का ख्याल करते हुए इस विधेयक का साथ दें। यह बड़ा मासूम विधेयक है और यदि इस विधेयक को आज पारित किया जायगा तो निश्चित ही इस प्रदेश के पिछड़े लोगों का कल्याण होगा। गंगवार जी ने कहा कि इस विधेयक में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण यह व्यापक नहीं रह गया है और कुछ चीजें छूट गयी हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, विधेयक आज पारित हो सकता है और बाद में जो भी कमियां या खामियां समझ में आयें संशोधन के जरिये उसके हिसाब से इस विधेयक को संशोधित कर लें। मैंने विश्वविद्यालय विधेयक देखा। अभी चार दिन पहले विश्वविद्यालय विधेयक इसी सदन ने पारित किया लेकिन माननीय विधान परिषद् ने उसमें कुछ संशोधन किये और उस संशोधन के साथ वह विधेयक आज ही विधान सभा के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाने वाला है। तो वह विधेयक आज पारित कर दिया जाय और बाद में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता समझी जाय तो वह कर लिया जायगा।

अन्त में जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों, उनसे मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से अवश्य ही पारित करें।

*श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत दुख की बात रही कि जब संविद सरकार में माननीय चौधरी चरण सिंह जी, श्यामलाल यादव, रूप नाथ यादव और अन्य बहुत से लोग रहे उस वक्त वह बिल जो पेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनवारी लाल यादव—]

होना चाहिये था वह नहीं पेश किया गया और इस वक्त पेश किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बिल की मन्शा राष्ट्र के हित में है। मैं समझता हूं कि किसी राष्ट्र का उत्थान तभी हो सकता है जब कि हर वर्ग को समानता के आधार पर समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त हो और प्रशासन म भी उसका हाथ रहे। आजादी के बाद की स्थिति पर यदि ध्यान दिया जाय तो विदित होगा कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रशासन में बहुत कम हाथ रहा है। संविधान में तो हरिजनों के लिये रेजर्वेशन की बात कही गयी, मगर उस पर अमल नहीं किया गया। जो नीचे की सर्विसेज थीं, जहां अधिक योग्यता की जरूरत नहीं थी, वहां पर भी इनका रेजर्वेशन पूरा नहीं किया गया। यह एक गंभीर बात है। आप कह सकते हैं कि उनमें शिक्षा की कमी थी, मगर संविधान में उनके लिये कम्पलसरी एजूकेशन की भी बात कही गयी है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कम्पलसरी फ्री शिक्षा मिलेगी। उसको भी पूरा नहीं किया गया। अगर उसको कार्यान्वित किया गया होता तो इन लोगों की यह दशा न होती। ये लोग भी शिक्षित होते और शासन में अच्छे योग्य व्यक्ति आपको मिलते। हो सकता है कि फिर इस रेजर्वेशन की भी जरूरत न पड़ती। लेकिन जब फ्री कम्पलसरी एजूकेशन नहीं हुई तो इन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पायी। जब उनके लिये पूर्ण रूप से शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पायी, तभी यह रेजवशन करना पड़ा।

मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में यह रिजर्वेशन पूरा नहीं किया जाता। मैं एम0 एस-सी0 फर्स्ट क्लास हूं। 30 वर्ष तक मैंने सरकारी नौकरी की है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो 6 आदमी लिये गये थे डिवीजनल सुप्रिन्टेडेंट की पोस्ट के लिये। जो पहले नम्बर पर लिया गया वह हाई स्कूल ही था। उसके बाद जो लिये गये वे थर्ड क्लास ग्रेजुएट थे। मैं फर्स्ट क्लास एम0 एस-सी0 था, मगर मेरा नाम छठे नम्बर पर था। जो लोग लखनऊ में पैदा हुए थे, यहीं पले थे, वे फ्लश लैट्रीन के अलावा देहात में लैट्रीन नहीं जा सकते थे, मेरे साथ यह समस्या भी नहीं थी, मगर फिर भी मेरी अंतिम पोजीशन रखी गयी। खैर किसी तरह से मैं नियुक्त तो हो गया, मगर कोआपरेटिव विभाग में अन्य लोगों को 8–10 वर्ष सेवा करने पर क्लास वन की सर्विसेज में ले लिया गया, मैं जहां पर जिस पद पर नियुक्त हुआ, 20–22 वर्ष तक उसी एक पोस्ट पर बना रहा। मैंने विभाग में रहकर अनेक भ्रष्टाचार के मामले पुलिस को दिये और भ्रष्टाचार रोकने के सदा प्रयास किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सर्विसेज में यदि कुछ थोड़े बहुत लोग आ भी जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिल सकता है। अगर यह भी होता तो लोगों को इतनी शिकायत न होती। मैं समझता हूं कि आज ही क्या हमेशा से, पच्चीसो वर्ष से यह हो रहा है कि पिछड़े वर्ग के जो लोग सर्विसेज में जाने की कोशिश करते हैं उनमें बहुतों के साथ न्याय नहीं किया गया। मैंने अपना जीता-जागता उदाहरण इस सम्बन्ध में दिया है। और भी बहुत से उदाहरण हम लोगों के पास आ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग जहां कहीं थोड़े बहुत हैं भी, उनको येनकेन प्रकारेण किसी प्रकार से तंग व परेशान किया जाता है। जब मैं सर्विस में था तो एक मर्तबा एक विधायक ने उस वक्त के तत्कालीन मिनिस्टर से जाकर कहा कि इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप जाति की सिफारिश करने आये हैं। जबकि हमारे विभाग में 25 साल से क्लास वन और टू के आफिसर हेड क्वार्टर में हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट को छोड़ कर सब उसी जाति के थे और मिनिस्टर भी उसी जाति के थे। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि वे किस जाति के थे।

(व्यवधान)

मैं इस बात को कह रहा हूं तो इसका यह मतलब न लगाया जाय कि मैं राष्ट्रीयता विरोधी भावना रखता हूं या जाति-पांति के प्रचार के लिये कोई बात कह रहा हूं। मेरा यह सुझाव है कि अगर देश में सच्ची राष्ट्रीयता को ले आना है तो 60–70 प्रतिशत जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लड़कों के लिये प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक की व्यवस्था सरकार

की तरफ से होनी चाहिये। मैं तो कहता हूं कि गरीब लड़कों के लिये चाहे वे किसी जाति के हों, उन सबके लिये प्रारंभ से लेकर उच्चतम शिक्षा तक की व्यवस्था सरकार अपना खर्च लेकर कराये और अगर इस तरह से गवर्नमेन्ट नहीं करती है तो इन लोगों को भी रिजर्वेशन देना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसका आर्थिक भी बड़ा भारी पहलू है। आर्थिक पहलू यह है कि बजट अरबों से खरबों तक का होने जा रहा है और इसका 40 प्रतिशत शायद मैं कम ही कह रहा हूं, इस्टेब्लिशमेन्ट के ऊपर खर्च होता है और इस तरह से सारा पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अग्रिम हैं, जो बहुत आगे हैं। इससे एक समस्या और भी खड़ी होती है कि कंस्ट्रक्शन आफ पावर, कंस्ट्रक्शन आफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, यह हो रहा है। इसलिये कि जो आज मालदार हैं वे ही शासन में हैं और इस तरह से सारी सर्विसेज में मानोपाली किये हुए हैं। उनकी मानोपाली रोजगार में है, ठेकेदारी में है और शासन में भी बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इस तरह से जो उन्होंने अपना एकाधिपत्य कायम कर रखा है, मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेन्ट की नीति व पालिसी के विरुद्ध है।

मुझे प्रसन्नता है कि मुख्य मन्त्री जी ने हरिजनों के लिये 18 परसेंट का कोटा न पूरा होने पर, उसे 50 परसेंट कर दिया है, लेकिन अफसोस है कि उनको यह करने का मौका उस वक्त मिला जबकि दफ्तरों में कहीं जगह नहीं है या बहुत कम है या नाम मात्र को है और आर्थिक कठिनाई भी है। मैं समझता हूं कि यह पहलू जो है वह ऐसा है कि आज गवर्नमेन्ट को इस पर ध्यान देना है। मैं तो यह सुझाव देता हूं कि इसमें जातीयता का कोई सवाल नहीं है। मान्यवर, जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, जिनके पास बड़े-बड़े रोजगार हैं बड़े-बड़े कारखाने हैं। जो बड़ी हैसियत वाले हैं। उन लोगों के पास जिनके पास यह सब साधन हैं उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिये। ये लोग जिनके पास खेती है, इंडस्ट्री हैं इनको नौकरी न मिलने से यह अपना काम करेंगे। जहां कहीं एक्सेप्शन्स हों वहीं ही उनको नौकरी दी जाय। सर्विसेज उन्हीं लोगों को दी जायें, सर्विसेज में उन्हीं लोगों को तरजीह दी जाय जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। जिनके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है। यह मेरा कहना है। इस प्रकार की व्यवस्था करने से नौकरियों में बड़े लोगों का कंनसंट्रेशन कम होगा और जो और जरूरत मंदलोग हैं उनको नौकरियां मिलेंगीं। क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर में बड़े लोगों का कन्सन्ट्रेशन है, आर्थिक शक्ति में, ब्यापार में, इन्डस्ट्रीज में, सभी जगह इन्हीं बड़े लोगों का कन्सन्ट्रेशन हैं।

श्री अधिष्ठाता--,

मुझे कहना यह है कि यह बिल जो है इस पर विवाद अगले दिन जारी रहेगा।

श्री राम सेवक यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि इसको आज ही समाप्त कर लें।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें मेरी दिक्कत है। यहां प्राविधान है कि एक दिन संकल्प और एक दिन बिल ऐसी परम्परा रही है। लेकिन आज का पूरा दिन असरकारी कार्यों के लिये था। 2 बजे तक बिल लें और 2 बजे के बाद यह संकल्प लिया जाय। तो इस बिल पर विवाद अगले असरकारी दिन को चालू रहेगा।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, सदन तो कल तक का ही है। इस पर चर्चा कैसे जारी रहेगी।

श्री अधिष्ठाता--

मैं अर्ज कर रहा हूं कि स्पीकर साहब की चिट्ठी सभी माननीय सदस्यों को छापकर दी जा चुकी है। यह तो नियम के विपरीत है। इसमें हमारी दिक्कत है। इसलिये इस बिल पर विवाद अगले गैर सरकारी दिन को चालू रहेगा।

श्री रामसेवक यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस पर आधे घंटे और दे दें। जिससे इसको आज खत्म कर लिया जाय।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

मान्यवर, यह उचित होगा।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, 10-5 मिनट मंत्री जी बोल लें और बाकी हम लोग।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मोतीलाल जी, राम सेवक जी कहते हैं कि इस पर मंत्रीजी बोल लें और माननीय सदस्य बोल लें। फिर भी अन्य सदस्य इसमें कैसे बोलेंगे ?

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस पर वोट ले लिये जायं।

एक सदस्य--

अधिष्ठाता महोदय, 3-3 मिनट दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता--

जो नियमों में निश्चित है उसको मैं कैसे निलंबित कर सकता हूं।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस पर सदन की राय ले लें कि सदन क्या चाहता है। और इसको आधे घंटे में खत्म कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

राय तो उस बात के लिये ली जाती है जिसके सम्बन्ध में कोई नियम न हों। यह तो नियम में निश्चित है।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, नियम तो वेद भी हो सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

तो आप प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, मेरा तो प्रस्ताव है कि आधे घंटे में इस चर्चा को समाप्त कर लिया जाय।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं कुछ समझा नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का आग्रह है कि आधे घंटे में 15 मिनट मन्त्री जी ले लें और बाकी 15 मिनट में अन्य सदस्य अपनी राय दें। इसके लिये आधा घंटा समय बढ़ाने के लिये इनका एक प्रस्ताव है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप कोई प्रस्ताव न लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ओम प्रकाशसिंह जी का एक संकल्प है। आपको कोई एतराज नहीं है कि पूरे दिन बिल ले लिया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, पूरा दिन न दें। आप इस पर आधा घंटा दें।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मेरा संशोधन है कि इसको साढ़े चार बजे खत्म कर दें और यह प्रस्ताव मूव कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

साढ़े चार बजे विवाद जारी रहेगा। जो पेंडिंग है उसमें साढ़े चार बजे विवाद प्रारम्भ करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, नियमानुसार यह है कि यह विधेयक चलें।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, दोनों चले।

श्री अधिष्ठाता—

इस बिल को यदि समय के भीतर पास कर लें। निश्चित यह हुआ कि इस बिल का आज पांच बजे के भीतर विवाद जारी रहे और इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या संकल्प नहीं लिये जायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

संकल्प आज कैसे आ पायेगा—दूसरे दिन संकल्प आयेंगे। इस प्रकार ओम प्रकाश जी दोनों प्रश्नों के साथ न्याय हो सकेगा। सदन की राय से आप सहमत हो जायं। इसलिये आप बैठ जायं।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जो श्री राम सेवक यादव जी ने विधेयक पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। पं० काशीनाथ जी इस वक्त यहां नहीं हैं इसलिये मुझे बड़ा दुख है। उन्होंने एक चार्ज लगा दिया कि पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे नवजवानों को तिकड़म से गुमराह करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इससे मुझे महान दुख है। मान्यवर, सारी योग्यता के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिये तो इसको मैं मानता हूं। लेकिन विशेष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]

अवसर का भी प्राविधान किया है तो ठीक है। अब देखना है कि जो पिछड़ा वर्ग है और जो हरिजन हैं उनको विशेष अवसर प्रदान करना चाहिये अथवा नहीं। यदि चाहिये तो जितनी भी संविधान में धारायें दी गई हैं उन सब का प्रयोग सरकार अनिवार्य रूप से करे।

मान्यवर, अपने प्रदेश में शिक्षा के कितने रूप हैं और वहीं से समानता की आधार शिला प्रारम्भ होती है। एक बच्चा है जो आठ आने, एक रुपये या दो रुपये वाले में, एक 50 रु0 वाले में और एक 500 रुपये मासिक वाले स्कूल में पढ़ता है। आप देखें कि भिन्न-भिन्न प्रकार के स्कूल इस प्रदेश में हैं। उस आधार पर आप समझें और पं0 काशीनाथ मिश्र जो कि विद्वान् हैं इसको समझते हैं। यदि यह आधार शिक्षा का बना रहा और प्रदेश के अन्दर नौकरी योग्यता के अनुसार हर जगह मिली तो मैं समझता हूं कि वह चल नहीं सकता है क्योंकि जो शिक्षा का आधार है वह ऐसा है कि जहां एक बच्चा पढ़-लिख कर ऊपर को तथा होनहार होकर निकलता है तो वह नौकरी ढूंढता है। आज अपने प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या बहुत है और 90 प्रतिशत बच्चे उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये प्राइमरी स्कूल भी ऐसे हैं कि जिनमें ब्लैक बोर्ड नहीं है और न बैठने के लिये टाट पट्टी ही है। इसके अलावा वहां मास्टर भी साल में लगभग 25–30 दिन ही पढ़ाने आते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने कहा कि योग्यता के आधार पर लिया जाय। आप उन प्राइमरी स्कूलों के लिये क्या कर रहे हैं, जहां के पढ़े हुए बच्चों की योग्यता इस प्रकार की है। जो मांटेसरी स्कूल हैं, उनमें बड़ा भारी खर्च होता है और वही लोग जो 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत में हैं वहां अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं जिन्होंने इस प्रदेश का सारा का सारा धन अपने हाथ में ले रखा है। क्या आप उनसे उस अवसर को छीनना चाहते हैं, अगर यही योग्यता का मापदण्ड आपने रखा।

यह तर्क दिया गया कि डाक्टरी के लिये पहाड़ी, रूरल एरियाज के लिये जो रिजर्वेशन रखा गया है क्या वह संविधान के अन्दर है, क्या हाउस में उन नियमों को लाया गया था। गवर्नमन्ट ने जी0 ओ0 निकाल दिया और उसको उच्च न्यायालय ने नहा माना। मैं जानता हूं कि सरकार के कितने ही कानूनों में जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्याययालय में विरुद्ध निर्णय दे दिया जाता है तो माननीय मंत्रीगण उनके सन्दर्भ में कानूनों में आवश्यक संशोधन कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टरी में पहाड़ी और रूरल ऐरियाज में जो आ गये हैं उन्हें समानता क आधार पर क्या आप ठीक करेंगे कानून में ? आज समस्या यह हो गयी है इस शासन में कि जो आदमी पिछड़ा हुआ है वह पिछड़ता चला जा रहा है, उनके लिये आपने क्या किया ? मैं तो श्री राम सेवक जी यादव को धन्यवाद करूंगा कि वह यह विधेयक लाये। जैसा काशीनाथ मिश्र ने कहा, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनकी मांग को अब दबाया नहा जा सकता और जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे उतनी मांग बढ़ती जायेगी।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक विकल्प यह हो सकता है कि सन् 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा था जिसन सन् 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और आपकी सरकार और केन्द्रीय सरकार न उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है उस पर आप गौर करें, उसका अध्ययन करें और सोच कि क्या करना है। आपने देखा होगा कि इसी सदन में थारू जाति को हरिजनों में सम्मिलित किया गया कि उनका उत्थान नहीं हो पा रहा था और उनको वह सुविधायें नहीं मिल पा रही थीं ? अगर हम अपने संविधान को देखें तो पायगे कि अनुच्छेद 16 के (1) में दिया हुआ है कि समान अवसर नौकरियों में दिया जाय। कुछ पिछड़ वर्ग के लोग ऐसे हैं कि समान अवसर के आधार पर और समानता के आधार पर नहीं पहुंच सकते हैं। उसी के साथ-साथ क्लाज 4 में यह दिया गया है कि राज्य सरकार कुछ आदमियों की एक कमेटी बैठाये और प्रदेश म छानबीन करे कि कौन कौन सी कम्युनिटी एसी हैं जिन्ह नौकरियों में समान अवसर दिये जाने के बाद भी ऊपर नहीं पहुंच पाई हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार को यह

करने में क्या कठिनाई हो रही है ? आज इस प्रश्न को यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि चौधरी साहब थे तो क्यों नहीं हुआ, रूपनाथ सिंह जी थे तो क्यों नहीं किया । इस तरह से काम नहीं चलेगा । अगर आप इसको ग्राह्य मानते हैं, उचित समझते हैं, ठीक समझते हैं तो आपको करना चाहिये और यह कहकर रास्ता अपने बचने के लिये न ढूंढ़ें कि आपने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे । अगर आपको करना है तो निश्चित रूप से करें । आपको चाहिये कि आप मालूम करें कि प्रदेश में कौन-कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व इस सरकार में नहीं रहा है । इस प्रदेश के अन्दर पिछड़े हुए वर्ग की जातियों की संख्या बड़ी भारी है जिनका प्रतिनिधित्व इस राज्य की सरकार में नहीं है ।

तो मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अभी कहा गया कि यादव लोग, अहीर लोग बड़े दबा रहे हैं, मार रहे हैं, आप बचने के लिए क्यों ऐसी बातें करते हैं । सवाल सीधा साधा है कि अगर करना है तो करो । यह नहीं कि वोट कैचिंग डिवाइस अख्तियार कर रहे हैं । यह कहना असत्य है । संविधान में जो धारा 16 है और जो काका कालेलकर कमीशन ने बताया है उसके आधार पर परिस्थितियों को आंकें । माननीय राम सेवक यादव जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है तो उसके संबंध में सोचना पड़ेगा कि कौन-सी जातियां नौकरी में, आर्थिक स्थिति में पिछड़ी हैं । इसके बाद सब चीजों को देखते हुए हमें विशेष अवसर उन जातियों को प्रदान करने पड़ेंगे ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है । इसके कई आधार हैं और मैं चाहूंगा कि जब रामसेवक जी उत्तर दें तो उन बातों का जिक्र जरूर करें । पहली बात तो यह है कि राम सेवक जी ने इसमें कई जातियों का जिक्र किया है । मैं यह कहना चाहूंगा कि कौन सी जातियां अनुसूचित हों अगर यह सूची उससे भिन्न है जो कि राष्ट्रपति घोषित करते हैं तो इसको घोषित करने का अधिकार इस सदन को नहीं है । म श्रीमन् संविधान की धारा 342 को पढ़ना चाहूंगा जिसमें कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन आदिमजातियों का आदिम जाति समुदायों अथवा आदिमजातियों का आदिमजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा आदि-आदि । यानी ट्राइब्ज और जातियां दोनों को ही राष्ट्रपति, राज्यपाल या उस वक्त राज्य प्रमुख थे उनके परामर्श से घोषित करते हैं ।

श्री राम सेवक यादव---

यह जो रिपोर्ट है उसमें से ही है ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

मैं कह रहा था कि जहां तक अनुसूचित जातियों का प्रश्न है उनकी सूची इस संविधान के अनुसार रखी जाती है और जब तक उस सूची को राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे तो उसको मान्यता नहीं मिल पायेगी । दूसरी चीज यह है कि मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय रामसेवक जी और थोड़ा बहुत समाजवादी होने का दावा हम लोग भी कर सकते हैं .....

श्री राम सेवक यादव---

आप ज्यादा ही हैं ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

यह जो बिल रखा तो ऐसा मालूम हुआ कि संविधान की धाराओं के पालन के लिए यह बिल लाया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं यह उसके विपरीत है क्योंकि जहां तक नौकरियों के संरक्षण का सवाल है तो संविधान में धारा 335 उसके लिए है जिसमें लिखा हुआ है कि संघ

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगत के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सबस्यों के दावों का ध्यान रखा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

उसके नीचे वाला भी पढ़ दीजिये ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैं उस पर आ रहा हूं, श्रीमन्, उस विभेद को आपने नहीं समझा । जहां तक सरकारी नौकरियों में संरक्षण का प्रश्न है इसका सम्बन्ध अनुच्छे 335 से है ।

श्री अधिष्ठाता—

335 का जो दूसरा भाग है यह आप देखें । यह पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान नहीं करता ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैं यही कहने जा रहा था । आपने दो चीजों को मिला दिया । इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं हैं । एक तो जातियों से सम्बन्धित है और दूसरी वर्गों से सम्बन्धित है । पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को इसमें रखा गया है उन्हें आपने वर्ग बना दिया । पिछड़े वर्ग शब्द जो बार बार आया है संविधान के अन्दर अगर राम सेवक जी की मंशा है वह संविधान की मंशा होती तो पिछड़ो जातियों का जिक्र इसमें होता जो कि नहीं है । जातियों और वर्गों दोनों को आप मिलाइये नहीं । जातियां अपनी जगह हैं । जातियों के आधार पर जो संरक्षण दिया गया है वह अनुसूचित जातियों को दिया गया है । जातियों का इतिहास बहुत पुराना है । संविधान निर्माताओं ने एक विशेष जाति के लिये संरक्षण दिया जिसको आज हरिजन अथवा शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं । हजारों सालों से इन जातियों को दबाया गया था समाज में । उनको केवल ऐसा सेवा का अधिकार दिया गया था । इस सारे भेद को मिटाने के लिये यह व्यवस्था की गयी लोक सभा, विधान सभा, राज्य सभा अथवा जिला परिषदों में जो राजनीतिक अधिकार के केन्द्र स्थान थे उन सबमें हमने यह व्यवस्था की कि उन जातियों को संरक्षण दिया जाये, लेकिन अगर कुल जातियों को आप घुसेड़ना चाहेंगे तो उससे जो अव्यवस्था पैदा होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । जहां तक पिछड़े वर्ग का सम्बन्ध है कौन सा पिछड़ा वर्ग है ? जिस समाजवाद के राम सेवक जी हामी हैं उसके हम भी हामी हैं । मैं यह मानता हूं कि समाज के अन्दर केवल दो वर्ग हैं । एक पूंजीपतियों का वर्ग है और दूसरा काम करने वाले मजदूरों का 'सर्वहारा' लोगों का वर्ग है जो सम्पत्ति से वंचित है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका मतलब यह है कि वर्ग से मतलब क्लास से है ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

संविधान में 'क्लास' ही लिखा हुआ है जैसे बैकवर्ड क्लासेज । बैकवर्ड कास्ट नहीं लिखा हुआ है । अगर रामसेवक जी की मंशा संविधान की मंशा के अनुकूल है तो उनको वर्गों के इस वर्गीकरण को मानना होगा । इसको मान कर चलेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन वह जो इसमें रख रहे हैं वह कन्फ्यूजन पैदा करता है । इसमें वह कहते हैं सुनार, हलवाई या अहीर । अब अगर किसी समुदाय का नाम लूंगा तो उसे चोट पहुंचेगी । लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं और इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिये कि आजादी के पहले अहीर

जाति ऐसा समुदाय समझा जाता था जिसका खास तौर से खेती तथा पशुओं से सम्बन्ध था लेकिन जहां तक पूर्वी इलाके की बात है आज अहीर लोगों की सम्पन्नता की दृष्टि से, लिखाई पढ़ाई की दृष्टि से, सामाजिक स्थिति की दृष्टि से उनका स्थान वह नहीं है जो 1947–48 में था। अगर माननीय राम सेवक जी पिछड़े वर्ग के लोगों को सहायता देना चाहते हैं तो वर्गों का आधार जाति न बनायें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जातियां आपने गिनायी हैं जैसे सोनार तो मैं नहीं समझता हूं कि माननीय राम सेवक जी के जिले में सोनार जाति कौन है, वे क्या होते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है सोनार जो हैं वे मुख्य रूप से शहरों में ही बसते हैं और यह आज सब से बड़ा धनी वर्ग हम लोगों के बीच का है। सोने चांदी का व्यापार ये लोग करते हैं। इधर 10/15 साल से तो दूसरे व्यवसाय वाले लोग भी इस व्यापार में घुसने लगे हैं। तो इस प्रकार यदि आप जातियों के आधार पर परसेन्टेज रखना चाहेंगे तो मैं कहूंगा यह नितान्त गैर-समाजवादी तरीका होगा। मैं एक छोटा सा किस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् 24 में इंगलैण्ड में प्रोफेसर हैराल्ड लास्की पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य थे। कमीशन में 10/15 लड़कों का इन्टरव्यू था। एक लड़के से वह इन्टरव्यू कमेटी ताबड़तोड़ क्वेश्चन्स पूछती गयी जिनका उस लड़के ने सन्तोषजनक सभी सवालों के उत्तर दे दिया। उसके बाद दूसरा लड़का आया। उससे एक माननीय सदस्य ने पूछा कि तुमने कहां शिक्षा प्राप्त की ? तो उसने उत्तर दिया कि हैरो में। फिर उससे पूछा कि बैडमिन्टन के कप्तान का क्या नाम है? उसने वह भी बता दिया। फिर उससे पूछा गया कि वहां के प्रिंसिपल का क्या नाम है, वह भी उसने बता दिया। उसके बाद जब रिजल्ट निकला और प्रोफेसर हेराल्ड लास्की के सामने आया तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के से केवल यह पूछा गया था कि वह कहां पढ़ा है, बैडमिन्टन के कप्तान का क्या नाम है तथा वहां के प्रिंसिपल का क्या नाम है, उसका नाम पहले नम्बर पर था और जिस लड़के से 13/14 सवाल पूछे गये थे और जिनका उसने सैटिसफैक्टरी जवाब दे दिया था उसका नाम सातवें-आठवें नम्बर पर था। बाद में दूसरे सदस्य के पूछने पर उन्हें बताया कि प्रशासकीय सेवा का मुख्य आधार संस्कार है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नौकरियों की स्थिति यह हो गई। यह बिल्कुल गैरसमाजवादी तरीका है कि कोई लड़का 2 रुपये फीस दे और कोई 5 पैसा फीस दे। मैं माननीय रामसेवक जी से कहूंगा कि वे समाजवादी आदर्शों का ध्यान रखें। जाति के आधार को खत्म करते हुये बैकवर्ड क्लास के लिये अगर वे इस बिल को लाये होते तो मैं अवश्य उसका समर्थन करता अन्यथा मुझे विरोध करना पड़ेगा।

*श्री मोतीलाल देहलवी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बिल माननीय रामसेवक यादव जी ने रखा है वह कोई भी अपने को समाजवादी सरकार कहने वाली के लिये एक इम्तिहान का बिल है। गांधी जी ने अपने जीवन-काल में यह कल्पना की थी कि आजाद हिन्दुस्तान का कोई भी हरिजन प्रधान मंत्री होना चाहिये। यह उनकी कल्पना थी और यही उनकी भावना भी थी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि गांधी जी के आदर्श, उनकी भावना, उनकी कल्पना बिलकुल हमेशा-हमेशा के लिये धीरे-धीरे दफना दी गई। मान्यवर, हरिजनों को सदियों से प्रजा कहा जाता रहा और जो दूसरी जाति के लोग हैं अपने को शासक कहते रहे या हरिजन लोगों का प्रजा नाम से सम्बोधित करते रहे। सदियों से यह धारणा हरिजनों में और दूसरी सबलजातियों में पैदा रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि दो तरह की प्रवृत्तियों हमारे समाज में पैदा हो गईं। हरिजन महसूस करने लगा कि वह सही माने में 'प्रजा' है और वह शोषित होने के लिये ही है, दूसरी जातियों की धारणा बनी कि वह उन पर शासन करने के लिये ही हैं। इस तरह हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों में एक हीन भावना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल बेहलवी---]

पैदा हो गई और दूसरे लोगों में सुपरियारिटी की भावना बनी। जाहिर है कि जब तक इस भावना पर काबू नहीं पाया जायगा, तो हम लोग चाहे इधर के हों या उधर के हों, कितना भी हरिजनों के लिये कहें, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अगर सही मायने में दोनों भावनाओं को नियंत्रित करने की कोई भावना है तो फिर आज 27 साल के बाद कम से कम जो बागडोर वाली नौकरियां हैं, गजटेड अफसरों की नौकरियां हैं, उन पर हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों का कब्जा होना चाहिये था। किन्तु उसमें आज ज्यादातर होशियार लोग, चतुर और चालाक लोग हुकूमत को अपने हाथ में बनाये रखने के लिये, एक परम्परा बनाये रखने के लिये एक तर्क दे दिया करते हैं कि काबिल-लोग नहीं मिलते। मैं उन तर्कशील लोगों से पूछना चाहता हूं कि किसी को तरना तो तब आयेगा, जब कोई आदमी पानी में जायगा। जब तक कोई पानी में नहीं उतरेगा, तैरना आही नहीं सकता।

दूसरी बात प्रतियोगिता की रखी गई, जैसा हिम्मतसिंह जी ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि आज भी इस देश के अन्दर दो तरह की पढ़ाई हो रही है। एक कान्वेन्ट स्कूल हैं और दूसरे गरीब लोगों के स्कूल यानी कलम-बुदका, टाट-पट्टी वाले स्कूल हैं। दो तरह की पढ़ाई अभी तक हो रही है और आजादी के बाद भी सरकारी नौकरियों में शिक्षा और परीक्षा का माध्यम किसको रखा गया है? अंग्रेजी भाषा को। और माध्यम पर्सनालिटी व व्यक्तित्व को बनाया गया है। जाहिर है कि जो कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ने वाला लड़का होगा, वह गरीब लोगों का नहीं होगा, किसान का नहीं होगा, हरिजन का नहीं होगा। उसमें वही लड़के होंगे, जिनके घर वालों के हाथों में सदियों से बागडोर चली आ रही है, उन्हीं के लोग उनमें पढ़ते हैं। अब तो गजटेड अफसर की बात आ गई तो उनको चुनाव में अंग्रेजी और पर्सनालिटी के आधार पर लिया जायगा। तो जाहिर है कि कोई हरिजन या पिछड़ी जाति का बच्चा गजटेड नौकरी में नहीं पहुंच पायेगा। यह 27 साल से चली आ रही है। आपने केवल थोड़ा परिवर्तन किया, हरिजनों के लिये आंसू बहाने का काम किया और खास तौर से तब जब अभी चुनाव आने वाला होगा। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा—बाबू जगजीवन राम। उस समय रेडियो में 24 घंटे यही आता था 'जगजीवन राम कांग्रेस, जगजीवन राम कांग्रेस' और चुनाव के ही समय हरिजनों के वोट पाने के लिए प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष कौन हो गया—बाबू बैजनाथ कुरील। चुनाव खत्म हो गया जगजीवनराम कांग्रेस खत्म हो गई, इन्दिरा कांग्रेस हो गई। यह सिर्फ वोट पाने के लिए और यह समझ कर ही किया जाता ह कि ये अछूत हैं इनके समझ नहीं ह। आज 27 सालों से इसी तरह से हरिजनों का शोषण यह कांग्रसी सरकार करती चली आ रही है और अब भी कर रही ह। (व्यवधान) मैं चौधरी साहब की बात नहीं जानता। उनके साथ आप लोग ज्यादा रहे हैं। आप लोगों के साथ सरकार भी रही है। उनके बारे में आप ज्यादा जानते हैं। तो मान्यवर, जैसा आपने सदन में देखा, जैसे ही यह बिल आया, अपने को समाजवादी कहने वाले कांग्रेस के लोगों ने पहले यह कोशिश की कि यह बिल ही न आये। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी कि एक समाजवादी विचारधारा का बिल आ रहा था उसको कोशिश की कि न आने पाये और खास तौर से यह हमारे हरिजन विधायक हैं श्री गौरीशंकर जी यह भी बिल्कुल विरोध करने लगे।

श्री गौरी शंकर राय—

यह गलत बात है।

श्री मोतीलाल बेहलवी—

खैर पांडेय जी सही। अभी तक 27 सालों में से एक चीज चली आ रही है, प्रतियोगिता। जो सबल जातियां हैं, और जो निर्बल जातियां हैं, जिनको पिछड़ी जाति हरिजन कहा जाता है

गजटेड नौकरियों में या दूसरी नौकरियों में प्रतियोगिता चलती है, समाजवादी दल हमेशा से इन जातियों के लिए विशेष अवसर की मांग करता रहा और वह सिर्फ इसलिए कि प्रतियोगिता में--डाक्टर लोहिया ने कहा कि इनको विशेष अवसर मिलना चाहिए, डाक्टर लोहिया सिर्फ इसलिए कहते थे, समान अवसरों में ठीक वही कहानी होती है--जैसे पहलवान और गरीब को कहिए कि आप दोनों बराबर से दौड़िए जो आगे निकल जायगा उसे इनाम मिले जायगा। तो पहलवान तो आगे निकल ही जायगा। इसलिए हरिजन और पिछड़ी हुई जाति को विशेष अवसर देने की जरूरत है। अगर सही मानो में आप समाजवादी व्यवस्था के हामी हैं। यह एक खामी रही है। कभी किसी हरिजन या पिछड़ी जाति वाले को थानेदार बना दिया, ज्यादा से ज्यादा डी० एस० पी० बना दिया, लेकिन हरिजन आई० जी० नहीं मिलेगा, पिछड़ी जाति का आई० जी० नहीं मिलेगा, बागडोर वाली नौकरी हमेशा उनकी रहेगी। जिनकी हीन भावना है, अगर किसी हरिजन को दरोगा जी की जगह मिल गयी तो बड़ा खुश है कि बाबू जगजीवनराम, कुरील जी के कारण दरोगा हो गये। वह समझता है कि नियामत मिल गयी। आज उसका अनुचित फायदा कांग्रेस सरकार उठाती चली जा रही है। मैंने प्रतियोगिता की बात कही।

एक हरिजन कोरी जाति का, तीन महीने से बराबर मेरे पास आ रहा है। उसने लिखित परीक्षा पास की मुंसिफी की। इन्टरव्यू में उसको बुलाया गया। उसको फेल कर दिया गया। उसने प्रधान मंत्री को, राष्ट्रपति को, माननीय मुख्य मंत्री को न मालूम कितनी चिट्ठियां लिखीं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आज तक कहीं भी कोई सुनवायी नही हुई और यह लोग बात करते हैं समाजवाद की। तो मान्यवर, मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि अच्छा मौका है, यह बिल आया है, आप सब लोग अपने को समाजवादी कहते हों तो सब की अन्तर्आत्मा का तकाजा है कि आप इस बिल का समर्थन करें और इसको कार्यान्वित होने का मौका दें। माननीय ओमप्रकाश जी ने एक संवैधानिक आपत्ति उठा दी। उन्होंने वर्ग और जाति की बात उठा दी थी। जब कभी कोई वजीफा वगैरह के फार्म की बात आती है तो हमेशा पिछड़ा वर्ग लिखा रहता है। इसलिए वह भ्रमित न हों और यह समाजवादी विचार का बिल है इसमें बाल की खाल न निकाल कर इसको पास होने में मदद करें।

*श्री भूपसिंह केन (जिला मेरठ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस समय इस विधेयक पर विचार रखने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। माननीय यादव जी ने जो यह विधयक प्रस्तुत किया है, मैं उससे उनके विचार से बड़ा सहमत था। यदि दोनों चीजों को एक जगह जोड़ दें या उनको अलग-अलग रखें। जैसा कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति अलग-अलग चीज ह और पिछड़ा वर्ग अलग चीज है।

एक बात और है कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय संविधान के निर्माता शब्द कहे तो मुझे शक हुआ कि वास्तव में हमारे माननीय सदस्य यादव जी इससे सहमत होकर प्रस्तुत कर रहे हैं या केवल बाहरी दिखावा कर रहे हैं क्योंकि संविधान के निर्माता का नाम लेने में उनको संकोच हुआ। बाबा भीमराव उस समिति के चेयरमैन थे, उनका नाम लेने में उनको संकोच हुआ। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय उनको नाम लेना चाहिये था लेकिन उनको हिचकिचाहट हुई। मुझे एक बात का और शक है कि विरोधी दल के उपनेता हैं और चौधरी चरण सिंह नेता विरोधी दल हैं। ऐसा महसूस होता है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले या प्रस्तुत करते समय चौधरी साहब से कोई राय नहीं ली। उसका कारण है। यदि उप नेता विरोधी दल नेता विरोधी दल से सलाह लिये होते तो इस विधेयक को पेश करने से पहले तो मेरा ऐसा विचार है कि शायद उनका मन और इरादा यहां इस विधेयक को प्रस्तुत करन के लिये नहीं होता जब तक वह चौधरी साहब के क्षत्र छपरौली में नजर दौड़ा कर न देख लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)—

चौधरी साहब की इजाजत है और चुनाव घोषणा-पत्र में 25 परसेंट इसके लिये रिजर्वेशन का लिखा हुआ है ·· ···

श्री भूपसिंह केन—

अभी माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं करना चाहिये। इसको समझ लीजिये। अगर अनुसूचित जाति के लिए आपके दिल में भावना है और इस भावना को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया है तो राजनीति की बात नहीं सोचनी चाहिए। जब हम यह सोचते हैं कि अनुसूचित जाति को बढ़ावा देना है, तो उनके साथ हमदर्दी करना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरिजनों का उत्थान करना है तो उनको राजनीति के अखाड़े में नहीं घसीटना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कहता बल्कि मेरठ जिले में, बुलन्दशहर जिलें में जहां पर मैं घूमा हूं वहां की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। छपरौली मेरठ पड़ता है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल अपने चुनाव में हरिजनों पर किस तरह अत्याचार करते हैं यह देखना होगा। उन्हें इस विधेयक पर जिसे आज पेश किया गया अमल करना चाहिए। मैं तो चाहता यह था कि वह इस विधेयक को पेश करने के पहले वहां के हरिजनों से पूछते कि उनकी क्या हालत है। यह अवश्य है कि चुनाव में उनके इलाके में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक पुलिस लगायी गयी, वहां पर बाहरी पुलिस लगायी गयी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर पूरा प्रबन्ध किया गया था और फिर भी इतने प्रबंध होने के बावजूद भी चरण सिंह ने अपने क्षेत्र के गरीब और हरिजन लोगों को वोट नहीं डालने दिया। वहां पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस आज रहेगी कल रहेगी लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। इनके साथियों ने हर मुहल्ले में जाकर प्रभाव डाला कि वोट चौधरी चरण को दो। पुलिस हमेशा नहीं रहेगी लेकिन हम और आप हमेशा रहेंगे। आप इन बातों से अन्दाज लगा लीजिए कि ये हरिजनों के उत्थान के लिए और गरीबों के उत्थान के कहां तक हामी हैं।

एक सदस्य—

पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन को किसने रखा था ?

श्री भूपसिंह केन—

चौधरी साहेब ने ही इस विधेयक को पेश कराया है। उनसे मेरा यह आग्रह है कि वहां पर वह एलान कर दें कि यहां की जनता को किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जायगा और वह अपने पद से इस्तीफा दें और तब चुनाव लड़ें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि वह कितने हरिजनों के हामी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री शिवचरनलाल के खड़े होने पर) आपको अवसर मिलेगा। 4 बजे तक डिबेट होगी। श्री शिवचरण लाल जी समय आपको अवश्य मिलेगा।

*श्री हरिकेवल (जिला बेतरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामसेवक यादव जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे बड़ी समस्या इस देश की यह है कि अभी प्रारम्भ ही में जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत होने के लिए आया तो हमारे एक सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य को लगा कि जैसे उनके ऊपर कोई चोट हो रही है। उनको घबराहट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हो गई और कुछ तिलमिलाहट सी आ गई कि यह विधेयक पेश ही न हो। जहां तक अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे और वह कुछ कहते-कहते एक विशेष चुनाव क्षेत्र की चर्चा किये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव क्षेत्र में क्या हो रहा है? नियम और कायदा-कानून क्या बन्द है? समूचे देश और प्रदेश के लिए कायदा और कानून हुआ करता है न कि किसी विशेष स्थान की बात हुआ करती है?

(श्री भूप सिंह बैठ के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय भूपसिंह बैठ आप बैठें।

श्री हरि केवल--

अगर हमारे साथी सत्ताधारी दल में हैं तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं एक बात बतला देना चाहता हूं कि मेरे जैसा आदमी जो स्वतः पिछड़ा वर्ग का आदमी है और कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आज इस सदन में आकर कुछ अपनी बात कह सकता हूं, जिस तरीके से हिन्दुस्तान के शोषित, पीड़ित, दबी जाति के ऊपर आये दिन अत्याचार होता है, लोग पीटे जाते हैं, लोग चारपाई पर बैठ नहीं सकते हैं। अभी जो हमारे माननीय सदस्य खड़े हो रहे थे, उन्हीं की जाति के लोग चारपाई पर नहीं बैठ सकते हैं। यह हमको जानकारी है, उनको भी जानकारी है। आज 27 वर्ष के कांग्रेस शासन का यह उदाहरण है। श्रीमन्, बहुत से गांवों में अगर हरिजन लोग, आदिवासी लोग, दूसरी जाति के लोग अपने घड़े से पानी निकालना चाहें तो उनको पानी निकालने के लिए भी वर्जित है, नहीं निकाल कर पी सकता है। किसी ब्राह्मण और ठाकुर के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता। आज पिछड़ा वर्ग का आदमी कांग्रेस के 27 वर्षों के शासन के बाद भी ठाकुर और ब्राह्मण के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता है। मान्यवर, जिस तरीके से समाज का शोषण होता रहा है। अभी हमारे साथी परेशान हैं।

मैं दिल्ली से लेकर और लखनऊ के मंत्रिमंडल तक अपनी नजर को ले जाता हूं तो देखता हूं कि कौन लोग हैं आज यहां जो मंत्रिमंडल है, उसमें कितने बड़े लोगों की संख्या है, दिल्ली से लेकर यहां तक। देखा जाय तो समाज के हर जगहों पर, समाज के हर कदमों पर अगर कहीं जगह है तो इन दो वर्गों के लिए जगह है बाकी लोगों के लिए जगह नहीं है। दिल्ली से लेकर यहां तक ब्राह्मण और ठाकुर को नौकरियों में स्थान विशेषकर मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अभी तक एक ही वर्ग के हुए हैं। जिस तरीके से श्रीमन्, कोई सरकारी नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, हर नौकरी में सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है किनको? ऊंची-ऊंची जाति के लोगों को। आज हमारे घर का लड़का अगर पढ़ा-लिखा भी है, उसकी कुछ योग्यता भी है, तो अगर वह जाता है साक्षात्कार में सम्मिलित होता है, तो उसको चयन करने वाला, चयन समिति के लोग होते हैं, उसी वर्ग के लोग उसे देखते हैं कि नाम के आगे कहीं पंडित लगा है, कहीं सिंह लगा है। तो वह तो कमेटी में अयोग्य रहते हुए भी चुन लिया जाता है। लेकिन हमारे घर का लड़का जो होता है, उसकी योग्यता होते हुए भी उसे ठुकरा दिया जाता है। यह वास्तव में हकीकत है, आपको घबराहट क्यों हो रही है? इलाहाबाद से लखनऊ और पूरे देश में एक ही पार्टी का राज्य है। अब गांवों में झोपड़ियों में रहने वाले लोग इस बात को सोचने लगे हैं कि हमारी उपेक्षा कब तक की जायगी। हम भी इन्सान हैं, हमारे भी अधिकार हैं। वे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे हैं और अब जगह-जगह पर पिछड़े वर्ग के लोगों में चेतना आ रही है, वे सोचने के लिए तैयार हैं कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, उन्हें हमें मिलना चाहिए। अब 85 प्रतिशत लोगों के मन में एक जागृति पैदा होने लगी है। मैं चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में राजनीति में, हर जगह 60 प्रतिशत जगह इन लोगों के लिए रिजर्व की जानी चाहिए। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया ने यह सोचकर कि इस देश की जनता में भाई-चारा की व्यवस्था रहे, राष्ट्र खंडित न हो, यह कहा था कि सब को अधिकार मिलें।

[श्री हरि केवल—]

इसलिए उन्होंने 60 प्रतिशत की बात कही थी। यदि सरकारी नौकरियों में आज हर जगह पर 60 प्रतिशत की जगह इन जातियों के लिए सुरक्षित कर दी जाय तो देश का बहुत भला हो सकता है और एक नये समाज का निर्माण हो सकता है, यह इस विधेयक से झलकता है।

जहां तक हमारे बच्चों की पढ़ाई का प्रश्न है, जब हमारा लड़का पढ़ने जाता है तो घर से बोरा लेकर जायगा और स्कूल में जाने के बाद उसके बैठने के लिए टाट नहीं है, इस स्कूल में मास्टर के लिए कुर्सी नहीं है। वह उन्हें आम के पेड़ के नीचे बैठा कर पढ़ाता है। मैं जानना चाहता हूं कि छोटे बड़े का भेद कहां पर लिखा हुआ है, यह दकियानूसों के शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन सरमायेदार और पूंजीपतियों के बच्चों के लिए मौन्टेसरी स्कूल और शिशु मन्दिर खुले हुए हैं, आप देखें कि उन बच्चों की पढ़ाई पर कितना रुपया खर्च होता है और गांवों की झोंपड़ियों में रहने वालों के बच्चों पर कितना खर्च होता है। तो पैदायश से ही हीन भावना से देखा जाता है।

जब चुनाव के 2–4 दिन शेष रह जाते हैं तो ये सत्ताधारी पार्टी के लोग एक ही शब्द कहते हैं कि ये तो ठाकुरों और ब्राह्मणों को गाली देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के शोषित और दलित इन्सान उठें और अपने अधिकारों को लेने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को मजबूर करें! इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया है, जिसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय रामसेवक जी ने जिस रूप में इस विधेयक को उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मेरे विरोध का कारण है। रामसेवक जी ने अनुसूची 'ब' में श्रेणी 2 और 3 और 4 में रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की है पृ0 2 पर, उसमें उन्होंने श्रेणी 3 और 4 के लिए 19 प्रतिशत की व्यवस्था रखी है जब कि इस समय हमारी सरकार ने तृतीय श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत की व्यवस्था पहले से की है। अगर हम इस विधेयक को पास कर दें तो आज भी जो व्यवस्था है वह कम हो जायगी, इसलिए विरोध करता हूं।

दूसरी बात, मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं कि उन्होंने श्रेणी 'ब' में जो सूची दी है 66 जातियों की तो हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट ने केवल अनुसूचित जातियों की सूची 65 है और इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों या विमुक्त जातियों की सूची अलग है। अगर हम इसको इस रूप में मान लेते हैं तो ये जातियां छूट जायंगी और ये जो अनुसूचित जन-जातियां, दबा हुआ वर्ग है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा।

तीसरा कारण मेरे विरोध का यह है कि इस विधेयक का नाम रखा गया है "उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक"। ऐसा मालूम होता है कि इन वर्गों के हर प्रकार के उत्थान के लिए यह विधेयक है लेकिन पढ़ने से साफ मालूम होता है कि केवल सर्विसेज के बारे में इसमें सामग्री है और किसी बारे में जो कि उत्थान के लिए आवश्यक चीजें हैं...

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

शिक्षा के बारे में भी है!

श्री माता प्रसाद—

लेकिन रोजगार के बारे में, जमीन के बारे में या उनकी तरक्की के लिए, उत्थान के लिए और भी जो चीजें होती हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इसका मैं विरोध करता हूं।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं अभी सरकार ने इसी हाउस में यह पास किया है अनुसूचित जातियों और जनजातियों क कल्याण के संबंध में हाउस की एक कमेटी सरकार ने बनायी है। इस कमेटी से, मैं समझता हूं कि जितनी भी समस्याएं होंगी, चाहे पिछड़े वर्गों की, चाहे अनुसूचित जातियों की या अनुसूचित जन-जातियों की, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा। उससे बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने अच्छा काम किया है। इन जातियों के कल्याण के लिए सरकार ने 'कोल्टा कल्याण समिति' माननीय बल्देव सिंह आर्य की अध्यक्षता में कायम की थी। इसी तरह राधाकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में राधाकृष्ण कमेटी बनी और हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति आचार्य जुगल किशोर की अध्यक्षता में बनी। आजकल माननीय बैजनाथ कुरील की अध्यक्षता में हरिजन कल्याण समिति बनायी गयी है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो बहुत-सी समितियां सरकार ने बनायी हैं इनकी बहुत सी रिपोर्टें हैं, सिफारिशें हैं। सरकार इन सब समितियों की रिपोर्टों को देखकर उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उनको कार्यान्वित करें तो इस वर्ग का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। अगर माननीय रामसेवक जी कोई इस प्रकार का विधेयक लाये होते जिसमें कि हर प्रकार से हरिजनों का उत्थान और कल्याण होता तो मैं उसका स्वागत करता। केवल नौकरी से ही सभी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लाये होते कि अगर किसी वर्ग को एक रोजी का साधन है तो उसे दूसरी रोजी का साधन नहीं मिलना चाहिये तो मैं उसका स्वागत करता। अगर हमारे पास खेती का जरिया है तो नौकरी नहीं मिलनी चाहिये या अगर हमारे पास रोजगार है तो खेती या नौकरी का साधन नहीं होना चाहिये। आज देश और प्रदेश में बेकारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ लोगों के पास नौकरी है, उन्हीं के पास कोई उद्योग धन्धा है, उन्हीं के पास खेती है। जब तक इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं होगा कि एक व्यक्ति को एक काम, तब तक यह बेकारी और गरीबी की समस्या हल नहीं हो सकती। जहां तक अछूतों की बात है, सामाजिक आधार इसका ज्यादा है। आर्थिक आधार तो है ही लेकिन जो आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से पीड़ित हैं उनके लिये ही विशेष व्यवस्था की गयी है। हमें कोई परेशानी नहीं है अगर पिछड़ी जातियों के लिये भी कोई व्यवस्था हो जाय। लेकिन हरिजनों के साथ सवर्णों के मुकाबले में पिछड़ी जातियों के लोग भी कोई कम अत्याचार नहीं करते। पिछड़ी जातियों के लिये भी कोई व्यवस्था हो जाय हम कोई उसका विरोध नहीं करते।

बातें बहुत कही जा चुकी हैं, बहुत-सी कमेटियां बनी हैं, बहुत-सी रिपोर्टें आयी हैं, हाउस में बार-बार जिक्र हुआ है, चाहे वह जमीन के सम्बन्ध में, चाहे किसी और सम्बन्ध में लेकिन जितना हम कहते हैं उतना कार्यरूप में परिणत करना चाहिये। जो भी सिफारिशें हैं वह बहुत पर्याप्त हैं। बंगला देश का संकट हमारे ऊपर पड़ा। सारा देश एक हुआ और इतनी बड़ी समस्या पर हमने विजय पायी। लेकिन आजादी के 26-27 साल बाद भी यह हरिजनों की समस्या चल रही है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार युद्धस्तर पर कोई कार्यवाही करके इस समस्या को हल कर दे। सभी कहते हैं कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ हो रहा है लेकिन उतना उनको मिलता नहीं है। इतना कह कर मैं श्री रामसेवक यादव द्वारा प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री रामसेवक यादव के बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं। बहुत खुशी की बात हो अगर शासक दल भी इसका समर्थन करे। लेकिन इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये जो हरिजनों की बात तो बहुत करते हैं लेकिन इस बिल का विरोध करते हैं। भूप सिंह जी यहां हैं नहीं वरना मैं उनसे पूछता। सरकार एक ही कौम को हरिजन मानती है। बाकी जितनी कौमें हरिजनों में दी गयी हैं उनको नहीं मानती। मैं तो इस बात का विरोधी हूं कि यह 50 प्रतिशत की छूट केवल एक ही जाति को दी जाय और शेष कौमों को वंचित रखा जाय। या तो आप इसे खत्म कीजिये, या जितनी भी यह कौमें हैं इन सभी को समान सुविधायें

[श्री शिव चरन लाल---]

दी जायें। माननीय भूपसिंह नहीं हैं, मैं उनसे जानना चाहता था कि जिस हरिजन के पास कुआँ नहीं है, क्या वे अपने कुवें से उस हरिजन को पानी भरने के लिये इजाजत देंगे? मेरा निवेदन है कि यह जो बिल आया है इसे सरकार पास करे, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है कि जिन जातियों को वंचित रखा गया है उनको वंचित न रखा जाय। मेरी समझ से जो 50 प्रतिशत का रिजर्वेशन सरकार से रखा है यह कोरा ढोंग है। सबके लिये तो समान अवसर, समान सुविधायें होनी चाहिये या इसे खत्म करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(श्री गौरीशंकर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, ऐसा महसूस हो रहा है कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को ही अवसर दिया जा रहा है मानो उन्हीं को उनके उत्थान से दिलचस्पी हो, हम लोगों को नहीं है...

श्री अधिष्ठाता---

ऐसी बात नहीं है, मैंने माननीय काशीनाथ मिश्र, ओम प्रकाश सिंह आदि को भी अवसर दिया है। आपका आरोप गलत है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री गौरीशंकर---

माननीय रामसेवक यादव जी ने जो विधेयक पेश किया है उसे देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात से हुआ कि जिस दल की तरफ से उन्होंने यह बिल रखा है उस दल में अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जिनकी गरीब तथा पिछड़े लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने अधिकांश शब्द इस्तेमाल किया है, कुछ की हो सकती है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता खैर देर आये दुरुस्त आये। यदि माननीय रामसेवक जी ने इस उद्देश्य से इस बिल को पेश किया होता कि जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसका कुछ हित हो, तो मैं अवश्य इस बिल का समर्थन करता मगर उन्होंने तो इस भावना से इसे यहां रखा है ताकि सदन के बाहर वे इन लोगों के सामने, यह कह सकें कि हमने तुम्हारे लिये यह विधेयक पेश किया। यह इनके घड़ियाली आंसू हैं। इनकी नीति और काम तो हरिजन विरोधी रहे हैं। आज यह विधेयक लाकर वे उनको यह बताना चाहते हैं कि वे उनके हमदर्द हैं।

(व्यवधान)

मैं उनसे इज्जत के साथ प्रार्थना करता हूं कि जो लोग समाज के ठेकेदार हैं, बहुत बड़े प्रकांड पण्डित हैं और वे समझते हैं कि उनके आधार पर ही समाज कायम है। आज आप हमारी स्थिति में रह कर देखें कि कुत्ता को यह कह कर गाली दी जाती है कि 'धत् साला चमार' है। आप उसके दिल से पूछें कि यह सुन कर हमको कितना दुःख होता है।

अब मैं आ रहा हूं पिछड़े वर्ग के लोगों पर। मैं मानता हूं कि एक नाई जिसके पास केवल टाट थी, और उस्तरा था, आज उसके पास टाट के स्थान पर कुर्सी हो गयी है, और उस्तरे के बदले में एक मशीन बाल काटने के लिये आ गयी ह, लेकिन इसके आगे उसके पास कुछ नहीं है। इसी तरह से एक भिश्ती जिसके पास पुराना मसक था, आज एक नया मसक उसने कर लिया है, इसके आगे उसने कुछ नहीं किया है। एक मल्लाह जिसके पास पहले पुरानी नाव थी, आज उसने नयी नाव ले ली है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सी जातियां हिन्दुस्तान और प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि यह बहुत सी जातियों से भरा है और न मालूम इसमें कितनी प्रकार की जातियां हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता है। मैं कहता हूं कि जो 80 प्रतिशत हैं वे क्यों नहीं कहते कि उनको उनके प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण बख्शीं और हरिजनों या मक्तूलों को दिया जाय।

आज जो गरीब हैं उनकी हालत बहुत खराब व खस्ता है। आज जो सवर्ण क्लास या धनी परिवार की मां-बहनें हैं जब उनके पेट से बच्चा पैदा होने को होता है तो कहा जाता है कि उसे हवा नहीं लगने देना चाहिये और बच्चा लाल अंगारे की तरह पैदा होता है। वह इसलिये कि उसको मां को बादाम, काजू, मुनक्का आदि खिलाया जाता है और दूसरी तरफ समाज के वे लोग भी हैं जो अन्तिम दिन तक जब कि उनके पेट में पीड़ा होती रहती है, वे खेतों में कटाई करती रहती हैं और मां, बहनों के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वह नीम और आम के पेड़ों के नीचे छांव में। तो यह मानी हुई बात है कि उसे सूखा रोग आदि हो सकता है। यदि वह सूखे रोग आदि से बच गया और उसने हाई स्कूल, इंटर या बी० ए० तक की शिक्षा प्राप्त करली और यदि उसने पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में क्वालिफाई कर लिया तो कहा जाता है कि और सब तो ठीक है लेकिन पर्सनाल्टी नहीं है। पर्सनाल्टी कहां से होगी, जिनको दूध तक नसीब न हुआ हो, जिसने कभी सेव भी न देखा हो। पर्सनाल्टी तो उनकी बनती है जो पैदा होते ही रुई के अन्दर दबा दिये जाते हैं और पाउडर में डाल दिये जाते हैं और जिनको बाहर की हवा भी नहीं लगती। मेरा निश्चित मत है कि इस तरह के गरीबी के वातावरण में जो लोग पले हैं उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिये।

हमारे माननीय सदस्य मिश्रा जी जो समाजवादी विचारधारा के हैं, वे भी हमारी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और हमारे ही दल के हैं, उनकी बात को सुन कर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जो 20–25 प्रतिशत हैं उसको 80 प्रतिशत वाले लोग क्यों नहीं ले लेते और अपनी सम्पत्ति क्यों नहीं छोड़ते। जो 80 प्रतिशत हैं वे उसी हिसाब से काम भी करें लेकिन जो २० प्रतिशत उनके लिये स्थान सुरक्षित है वह भी उनको नहीं मिल पाता। हमारे माननीय नेता सदन श्री बहुगुणा जी के लिये एक नारा है कि नाम बहुगुणा, काम सौ गुणा। हरिजनों के लिये यह बात जो 'काम सौ गुना' वाली है लेकिन यह जो रिपोर्ट है इसमें उससे कुछ कम नजर आता है। अभी जैसा कि एक भाई ने जिक्र किया—कुरील जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस रिपोर्ट में केवल यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 21 प्रतिशत जिनकी जनसंख्या है, उन पर समूची योजना पर जितना खर्च हुआ उसका केवल 2.05 प्रतिशत ही खर्च हुआ। मान्यवर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2.30 प्रतिशत खर्च हुआ है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1.80 प्रतिशत खर्च किया गया और गैप वर्ष में .40 प्रतिशत खर्च हुआ है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में .75 प्रतिशत खर्च किया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में .7 प्रतिशत का प्राविधान है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक कुल मिलाकर .92 प्रतिशत ही खर्च किया गया है।

मान्यवर, इससे जो स्थिति स्पष्ट होती है वह नितान्त असन्तोषजनक है। उत्तर प्रदेश की चार पंचवर्षीय योजनाओं तथा 1966–67 से 1968–69 के गप वर्षों की वार्षिक योजनाओं के लिये कुल 3024.30 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी। योजनावधि के इन 23 वर्षों से हरिजन कल्याण के लिये कुल 27.63 करोड़ रुपया रखा गया है जो केवल 0.91 प्रतिशत होता है उसमें भी व्यय केवल 23.24 करोड़ है जो 2521.14 करोड़ व्यय का केवल 0.92 प्रतिशत होता है।

तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने आरक्षण की बात कही है अगर क्लास-1 में नहीं हुयी, क्लास–2 में नहीं हुयी, क्लास–3 में नहीं हुयी तो क्लास–4 जिसमें के कोई जाना नहीं चाहता है, उसमें भी जितना उनका आरक्षण रखा गया था वह आज पूरा नहीं हो पाया है। इनके आरक्षण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

आपके टाटा, बिड़ला हैं, इनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकायें हैं। आपके सिंघानिया हैं, इनके पास करोड़ों की सम्पत्ति है। 10–10 हजार बीघे के फार्म हैं पर आज इस गरीब के लिये रहने के लिये झोंपड़ी भी नहीं है। एक तरफ तो आपकी यह अट्टालिकाय हैं, लोगों के पास और दूसरी तरफ इन लोगों के पास न तो रहने का कोई साधन है और न खाने का ही।

[श्री गौरी शंकर---]

आज मांस के टुकड़ों को उनकी तरफ डाला जा रहा है। जिससे वह कुत्तों की तरह अपनी दुम हिलाते रहें। इसको खत्म करना चाहिये। जो यह सामाजिक विषमता फैली है, इसको दूर करना आज बहुत जरूरी हो गया है।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गौरीशंकर---

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, इसको कह कर खत्म करूंगा कि इस विधेयक से गरीब हरिजन समाज का बहुत बड़ा अहित होगा और हरिजनों को मिलने वाली सुविधाओं में बहुत बड़ी कटौती हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना भाषण खत्म कीजिये।

श्री गौरी शंकर---

आज जो आप विधेयक ला रहे हैं इसको बहुत पहले लाना चाहिये था। आपके चौधरी साहब भी मुख्य मंत्री थे। उनके जमाने में भी इस तरफ कुछ नहीं किया गया है। आप लोग उस जमाने में कुछ नहीं कर सके हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, रामसेवक यादव जी ने जो विधेयक रखा है शायद उधर के बैठने वालों ने उसको पढ़ना गंवारा नहीं किया है। मान्यवर, इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे यह तो बड़ा साफ विधेयक है। इसके उद्देश्य को देखें, कहा गया है आजादी के 27 वर्षों में प्रायः यह पाया गया है कि राज्याधीन राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सेवाओं में तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की संख्या अपर्याप्त है तथा पिछड़ी जातियां व हरिजन सामान्यतः अब भी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जा चुके हैं। अतः यह इष्टकर है कि 90 प्रतिशत शोषित एवं पीड़ित जनता के साथ आर्थिक एवं सामाजिक न्याय मिले और मानव मानव में बराबरी स्थापित हो। यह तभी संभव होगा जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) तथा अन्य निदेशक सिद्धान्तों का आदर करते हुये पिछड़े एवं हरिजनों के लिये नौकरी एवं शिक्षा में विशेष अवसर के सिद्धान्त अपनाते हुये स्थानों का आरक्षण किया जाये। यह बातें कही गयी हैं।

मान्यवर, सवाल इस बात का है कि काशीनाथ मिश्रा ने कहा है कि यह तो उल्लू सीधा करने के लिये लाया गया है। मान्यवर, जरा शब्दों को देखें, उल्लू सीधा करने के लिये, यह वाक्य ले आया गया है।

मान्यवर, 27 सालों से यह उल्लू सीधा करते रहे हैं। कुत्ते की दुम पकड़ कर लटकते रहे हैं और कहते हैं कि दुम सीधी हो जाय। लेकिन इन 27 सालों में आज तक दुम सीधी नहीं हो पायी है। आज यह कह रहे हैं कि उल्लू सीधा करने के लिये यह यहां लाया गया है।

मान्यवर, चौधरी साहब तो कुछ ही समय के लिये रहे हैं, शासन में। जैसा यहां पर कहा जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि इतने सालों के शासन में आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया है, और आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिये, उनके वोट लेने के लिये बार बार यह हरिजनों की बात करते हैं। मान्यवर,

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर इनको कुछ करना था तो आज तक इतने दिनों में इन्होंने कर दिया होता। केवल प्रश्न इतना है कि यह प्रस्ताव इधर से आया है और इनको चिन्ता है कि चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जायं।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

मान्यवर एक बात बड़ी सोचनीय है और जैसा कि श्री त्रिवेणी सहाय जी ने कहा है कि 78 बार संशोधन लाये गये हैं। आपने आदेश दिये तो उसको लागू कराने की जिम्मेदारी किस की थी। यह जिम्मेदारी आपकी थी और आपने उसको नहीं किया है। यह कांग्रेस ने नहीं किया है। जितनी सुविधायें हरिजनों को दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी गईं। उन सुविधाओं को देने की जिम्मेदारी आपकी थी। आज जो कहते हैं कि हरिजनों को सुविधायें दी जा रही हैं तो वह वास्तव में केवल वास्तविकता नहीं है, दिखावा है। मैं यह कह रहा था कि आज इनको देखना होगा कि जितनी जातियां हरिजनों के अन्दर हैं, जो सूची में है उनका पिछड़ापन कितना दूर किया गया है। केवल यह कहना कि 18 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा तो इससे काम नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपा करके 'आप' शब्द न कहें। इसकी जगह 'सरकार' शब्द का प्रयोग करें।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल---

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो सूची दी गई है उसके अन्दर बहुत सी जातियों को देखेंगे जैसे कि खटिक, धोबी, कोरी, भंगी आदि। आप एक आयोग बिठा दें जो वह सर्वे करके रिपोर्ट दे कि कौन सी जातियां काफी पिछड़ी हैं। सरकार को इसका सर्वे कराना होगा और सर्वे से बकवर्ड जातियां मालूम हो जायेंगी। यह भी देखना होगा कि जो बैकवर्ड हैं जैसे कि आगरा की तरफ कोरी, डोम, बाल्मीकी और धोबी जो बैकवार्ड जातियां हैं जो कि पिछली नीतियों से पिछड़ गई हैं और इसलिये उनको उठने का मौका नहीं मिला है। इन बैकवार्ड जातियों का भी सरकार को सर्वे करना होगा कि यह शिक्षा में कितने पीछे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कितनी पिछड़ी हुई है। अगर वह इनमें पीछे हैं तो उनको उठाने के लिये आपको मौका देना पड़ेगा। जैसा कि सरकार कहती है कि हरिजन जातियां पिछड़ी हैं तो उस तरफ तथा बैकवर्ड जातियों का सरकार एक सर्वे कराय और उससे सरकार को मालूम होगा कि उनके लिये सरकार क्या कर रही है? जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी शिक्षा का तथा उनकी आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया जाय। अगर वह वास्तव में पिछड़े हैं तो उनको उठाने के लिये इस प्रकार का एक निर्णय लिया कि वह जातियां कैसे उठायी जा सकती हैं। आज प्रदेश क अन्दर यह देखा जाता है कि कितना बड़ा वर्ग हरिजन और बैकवर्ड का है जो कि मिलाकर लगभग 50 प्रतिशत होगा। तो क्या 50 प्रतिशत उनको सुविधायें प्राप्त हो रही हैं? यदि वह 50 प्रतिशत नहीं प्राप्त हो रही हैं। तो उनको दिलाने का सरकार क्या प्रयास कर रही है। सरकार ने जो जाति विशेष का फार्मूला खड़ा कर दिया है और जिससे हरिजन के अन्दर एक ही जाति को सुविधायें मिल पा रही हैं। श्री गौरी शंकर जी ने जैसा कहा कि बड़े-बड़े फार्मों कोलेकर गरीबों में बांटा जाय। तो पं0 कमलापति त्रिपाठी जी का जो 400 एकड़ का फार्म है उसको किसको बांट रहे हैं?

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कहां बांटा? बहराइच में योगेन्द्र सिंह का फार्म 2200 एकड़ का है। वह एक कांग्रेसी है और क्या उन कांग्रेसियों का फार्म बांटने की योजना क्या सरकार बना रही है। नहीं बना रही है। वह केवल इसलिये किया जा रहा है कि हरिजनों के नाम पर कांग्रेसी बड़े बड़े जमींदार बनकर उन पर कब्जा करें और हरिजनों पर अत्याचार होता रहे। जैसे मैंने कहा वह लोग अपना उल्लू सीधा करने की बात कर रहे हैं। हरिजनों को और पिछड़ी हुई जातियों को उनकी

[श्री वेद प्रकाश अग्रवाल]

शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनका रिजर्वेशन होना चाहिये और तभी जब उनको नौकरियां मिलेंगीं उनका पिछड़ापन दूर होगा और जब पिछड़ापन दूर होगा आप देखेंगे कि एक नई क्रान्ति होगी और सभी जगह समानता और समाजवाद आयेगा। लेकिन केवल शोषण करने और जनता का खून चूसने का प्रयास यह सरकार कर रही है। आज जिन परिस्थितियों में श्री राम सेवक यादव जी इस प्रस्ताव को लाये हैं वह एक बुद्धिमत्तापूर्ण है। इससे हरिजनों के साथ पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो इस देश के अन्दर काफी बड़ी संख्या में हैं, उनके साथ न्याय हो सकेगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेसी लोग भी प्रस्ताव इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और उनको ऊपर उठाने की बात करेंगे।

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जब यह प्रस्ताव श्री राम सेवक जी यादव द्वारा पेश हुआ, मैं सदन में मौजूद नहीं था लेकिन जो सुन रहा हूं उससे मुझे ऐसा लगता है कि हम सैकड़ों वर्ष पीछे की बात करने जा रहे हैं। इसमें इतनी जातियां लिखी हुई है कि वह पढ़ी ही नहीं जा सकतीं। जब राम सेवक जी लोक सभा और विधान सभाओं में बोलते रहे तो केवल दो जातियां बोलते रहे एक गरीब और एअ जमीर। इस देश में जातियों के आधार पर जो हरिजनों का नाम लिया गया है वह एक विशेष इसलिये जाति थी कि वह उपेक्षित थी। आज बताया जा रहा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर उनको पानी भरने को नहीं मिलता, रास्ता नहीं चलने को मिलता, वह गुजरे जमाने की बात थी, अतीत की बात थी। मैं भी उस जिले में रहता हूं जहां हरिजन बसते हैं। मैंने कोई ऐसा गांव नहीं देखा कि जहां हरिजन पानी न भरने पाता हो, रास्ता नहीं चलने पाता हो। हमारे जिले में चमार अधिक बसे हुये हैं। भाई राम सेवक जी ने जो पिछड़ी जाति रखा है उसमें अहीर शब्द पहले है? अफसोस इस बात का है कि शायद आप भी अहीर हैं। हमारे जिले में अहीर और कुर्मी दो जातियां बसी हुई हैं और बहुत ही सम्पन्न है। शायद कुर्मी भी पिछड़ेपन में आपने सम्मिलित किया है। मेरे यहां कुर्मियों के पास ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, बड़ी अच्छी खेती है। हमारे जिले में चौधरी, कुर्मी और मुसलमान बहुत सम्पन्न हैं। भगवान करे सभी ऐसे ही सम्पन्न हों। यादवों को भी मैं जानता हूं। मेरे जिले में अहीरों के पास 20-20 भैंसें और बहुत दूध देती हैं। हम लोग दूध के लिये तरसते हैं, क्या बताऊं.....

श्री राम सेवक यादव—

दूध तो बहुत देती हैं लेकिन पीते आप ही लोग हैं.....

(हंसी)

श्री रामसमुझ तिवारी—

मेरा कहना यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि अपने दृष्टिकोण को बदला जाय। हर बात में पार्टी को नहीं लाना है। हमारे भाई कहते हैं कि कांग्रेसियों ने बिगाड़ दिया। मैं पूछता हूं कि उस वक्त आप कहां बैठे रहे, आप कहां सोते रहे। सबका फर्ज है, सब का धर्म है कि जो गरीब है, पिछड़ी है, दलित है बीमार है उनको उठाया जाय। इसीलिये गांधी बाबा ने खासतौर से हरिजन का नाम लिया। बाहमन के घर पैदा हुये तो कोई पाप नहीं किया। मेरी जाति के लोग भी भीख मांगते हैं। आपके दरवाजे पर जाते हैं। फिर देखो, फिर देखो कह देते हैं और भिक्षा भी नहीं देते।

श्री रामसेवक यादव—

सब तरह से लोगे।

श्री रामसमुझ तिवारी--

जो मैंने अनुभव किया वह यह है। मेरे जिले में वरुन साहब कलेक्टर थे, रमेश चन्द्र गये। वर्तमान कलेक्टर भी हरिजन हैं। मैं उनके यहां गरीब हरिजनों की दरख्वास्त लेकर गया। लेकिन मैंने कोई फर्क नहीं पाया ब्राह्मण और हरिजन कलेक्टर में।

श्री रामसेवक यादव--

नहीं पायेंगे क्योंकि उनकी संख्या कम है।

श्री रामसमुझ तिवारी--

हमारे दादा अपने गांव के जमीन्दार थे। राजा बासी के कुछ खेत जोते थे जब जिलेदार के यहां जाते थे तो वह ब्राह्मण से छोटी जाति का होता था तो भी पिताजी को जमीन पर बैठाता था। बिस्तरा तो दादा ने नहीं उठाया लेकिन इंतजाम किया करते थे। हमारे देश में प्रवृत्ति गरीब और अमीर की है। पैसा किन के पास है। इन जातियों के पास है? नहीं। जिनके पास है उनका नाम ही नहीं लेते। टाटा, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया सब रुपया लेकर बैठ गये और आप जातियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सारे सदन को एक तरफ से सोचना है कि इस देश में जो गरीबी है उसको मिटाना है, इस देश का उत्थान करना है। जातियों के चक्कर मे नहीं पड़ना चाहिये। जातियां तो बहुत हैं। ब्राह्मणों में ही कई जातियां हैं और फिर उनकी उपजातियां हैं। एक भाई ने कहा कि सिंह लगाओ। हमारे बलदेव सिंह आर्य भी सिंह हैं। अब कौन सिंह है कौन सियार है पता ही नहीं चलता। चौधरी रामपाल सिंह भी सिंह हैं।

श्री रामसेवक यादव--

आपने तो पूरे देश को ही सियार बना दिया है।

श्री रामसमुझ तिवारी--

राम सेवक जी आप बड़े वक्ता है। मैं तो छोटा ही हूं। मैं पार्लियामेंट में आपके भाषण सुना करता था। अब रहा यह कि किसने किया किसने नहीं। प्रदेश गरीब है, जिला गरीब है। उनके वोट से चुनकर आये हैं। उनका ध्यान सबको रखना चाहिये। आप कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन ब्राह्मण ने मुझको वोट नहीं दिया। दूसरे लोगों ने वोट दिया। मैं सच कहता हूं कि अगर गरीबों ने वोट न दिया होता तो आप सब सदन में चुनकर नहीं आ सकते थे इस नाते गरीबों की बाते करो। गरीबों की उन्नति और उत्थान करो तथा जाति-पांति का नाम छोड़ दो। राम सेवक यादव जी ने अहीर क्या सोच कर लिखा, पहले दूसरी जाति, जाति नहीं लिखते। वह तो समाजवादी हैं। समाजवाद में सब बराबर हैं। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है संत तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है जाति पांति न पूछे कोय, हरि को भजे सो हरि का होय। मुझे अधिक नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही कहना है कि जाति पांति के चक्कर में न पड़ा जाय।

*श्री राम अवतार--

माध्यवर, इस विधेयक पर चर्चा मैंने बड़े ध्यान से सुनी। यह विधेयक बड़ा आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि सत्ता पक्ष के लोग इस विधेयक को पारित कराने में सहायता देंगे। आजादी के 26 साल के बाद आज भी जात पांति की बात की जाती है। इसमें रामसेवक जी अथवा गौरी शंकर जी का दोष नहीं है। स्वयं कांग्रेस ने पूरे समाज को जाति-पांति के आधार पर बांट कर येन केन प्रकारेण सत्ता में रहना चाहती है। मैं इस राय का हूं कि हरिजनों अथवा किस जाति-पांतिके आधार पर सुविधा नहीं होनी चाहिये बल्कि आर्थिक आधार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम अधार]

पर सुविधा मिलनी चाहिये। किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो आर्थिक अधार पर सुविधा दी जाय, उसकी कोई भी सीमा आप बांध दें। (व्यवधान) मैं अपनी समझदारी से कह रहा हूं। गांव के अन्दर अब ब्राह्मण ठाकुर तथा अन्य जाति के लोग जितने परेशान हैं उतने हरिजन नहीं। बलदेव सिंह आर्य, जगजीवन राम जी भी हरिजन हैं। जगजीवन राम जी के पास कई विदेशी गाड़ियां हैं। हर लड़के के पास एक कार है लेकिन पंत जी के गांव के ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं है, भीख मांग कर जीवनयापन करते हैं लेकिन उसको वह सुविधा नहीं मिलेगी जो हरिजन के नाम पर किसी को मिलेगी। जब तक सामाजिक, आर्थिक असमानता नहीं मिटती, जब तक हमारा सामाजिक दृष्टिकोंण नहीं बदलता तब तक दो चार रुपये देने से पिछड़े हुये जो हैं उनमें सम्पन्नता नहीं आ सकती। इससे केवल जातियों में अलगाव की भावना उत्पन्न होगी।

हरिजनों पर जब चर्चा होती है तो मुख्य मंत्री जी ऐसा भाषण करते हैं मानो सबसे बड़े हितैषी वही हैं लेकिन आज भी हरिजनों की पिटाई बन्द नहीं हो रही है। हरिजनों को सुविधा न मिलकर उल्टे आज वह दूसरी जातियों की निगाह में घृणा के पात्र बनते जा रहे हैं। आम जनता कहती है कि सरकार आज सब कुछ हरिजनों के लिये ही कर रही है जब कि वह करती कुछ नहीं है। इस रिएक्शन के कारण हरिजनों की आज दुर्दशा हो रही है। माननीय सदस्य ने जो कहा कि केवल जातियां हैं अमीर और गरीब की। यह सरकार गरीबों को नहीं टाटा बिरला जैसे पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार है। प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने पिछले चुनाव के दौरान यह कहा था कि हम गरीबी मिटा दूगे। लेकिन गरीबी मिटाने वाली प्रधान मंत्री आज टाटा की 20 रुपये की खाद की बोरी के उसे 103 रु०में दिलवा रही है और देश को लूटने वालों की पूंजी को बढ़वा रही है। और गरीबों की गरीबी को बढ़वा रही है। 47में जिस टाटाकी पूंजी 67 करोड़ थी आज उसकी पूंजी बढ़कर साढ़े 8 अरब रुपये हो गई है बिरला पूंजी 47 करोड़ से साढ़े सात अरब रुपये हो गयी। यह सब सत्ता पार्टी की ही देन है, दिल्ली में बैठे हुये कांग्रेसियों और उत्तर प्रदेश में बैठे कांग्रेसियों की देन है। आज यह सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर, उनके पैसे से हरिजनों के वोट लेकर कुर्सी पर बैठना चाहती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर आप यह चाहते है कि पिछड़े लोगों को कुछ राहत मिल सके तो ईमानदारी से माननीय रामसेवक यादव जी के प्रस्ताव का समर्थन करें ताकि उत्तर प्रदेश को एक नई रोशनी मिल सके। इसी से सामाजिक क्रांति आयेगी और जनता वाहवाही करेगी।

श्री रामजी लाल केन (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये जो समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आजादी से पहले अनुसूचित जाति के कहलाने वालों की जो दशा थी, जैसी उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा थी उसको सुधारने के लिये और देश से छुआछूत के कलंक को मिटाने के लिये देश के नेताओं ने एक संकल्प लिया था तथा देश के संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी। उस समय जो बैकवर्ड क्लास के नाम से जातियां हैं, उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया था। बैकवर्ड कहलाने वाली जातियों की दशा उस समय आजादी से पहले उनको सामाजिक रूप से एक सम्मानित स्तर था। वे उच्च वर्ण वाले लोगों के साथ सम्बन्ध रखते थे। उनके घरों में आया-जाया करते थे, उनके यहां पानी पी सकते थे तथा मंदिरों में प्रवेश पर रोक नहीं थी, मानसिक रूप से शोषित नहीं थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये अछूत गरीब भी थे, बेरोजगार भी थे,इनके पास भूमि भी नहीं थी और समाज में उनको कोई सम्मानित स्थान भी नहीं था। इसलिये उनके लिये संविधान में आरक्षण की व्यवस्था रखी गई किन्तु आज आजादी के 28 वर्षों के बाद भी जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों में बताया गया कि वह 18 प्रतिशत का जो आरक्षण था वह किसी विभाग में 2 प्रतिशत किसी में 4 और किसी में 4 प्रतिशत से ज्यादा नहीं गया।

[मैं माननीय राम सेवक जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी जगह यदि वे ऐसा प्रस्ताव लाये होते कि जो हमारे देश का छुआछूत का कलंक था वह अभी भी बाकी है तथा जिन रोगों के लिये आरक्षण रखा गया था उसका प्रतिशत अभी पूरा नहीं हुआ है। उसी प्रतिशत को पूरा करने के लिये और जनमत को जागृत करने के लिये यदि वे प्रस्ताव लाये होते तो मैं उसका अवश्य समर्थन कर देता। इसी प्रदेश में ही अनुसूचित जातियों में से कुछ जातियां ऐसी हैं जो आज भी नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है जो कि इस देश और प्रदेश के लिये कलंक की बात है। आज भी इन्सान अपने सिर पर मैला ढो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 1973 में शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह निर्देश दिया गया था और यह संकल्प लिया गया था कि मैला ढोने की प्रथा इस देश से समा त कर दी जायेगी। 7 लाख से ऊपर रुपया भी मंजूर हुआ था, यह उनके लिये गम-बूट और गाड़ी वगैरह लेने के लिये था। लेकिन मैंने वह कहीं नहीं देखा। आज भी वह सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा इस प्रदेश में जारी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रथा को जितनी भी जल्दी खत्म कर दिया जाय अच्छा है। आखिर कभी न कभी तो इसको खत्म करना ही होगा। इसके लिए प्रभावशाली कदम उठाये जायें और इस प्रथा को खत्म किया जाय। अनुसूचित जाति के लोग आज जिन परिस्थितियों में हैं और जो देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, उसमें बहुत कुछ करने पर भी सरकार उनके लिये पर्याप्त नहीं कर पाई है। आज इस सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिये, उनके हित के लिए जिस दृढ़ता से, जिस संकल्प शक्ति से कदम उठाए हैं, आज के पहले यदि किसी सरकार ने वैसे ही कदम उठाये होते तो आज उनकी यह स्थिति न होती।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय चौधरी बरफसिंह जो 20 साल तक कांग्रेस में एक प्रभावशाली नेता रहे हैं, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसके लिये वह भी जिम्मेदार रहे हैं, उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिये कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारी यह सरकार उनके लिये जो कदम उठा रही है, वे प्रशंसनीय हैं और उनकी हमें सराहना करनी चाहिये। इस समय हमारा जो आरक्षण 3-4 प्रतिशत है, वह भविष्य में बढ़े और पहले उनकी समस्या पूरी तरह से हल हो तो फिर कोई दूसरी बात सोची जाए। यह मैं मानता हूं कि आर्थिक रूप से बैकवर्ड कहलाने वाले भाइयों के लिये भी कुछ करना जरूरी है, और उनके लिये सरकार को कुछ करना चाहिये। लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि आज भी इस प्रदेश में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है, उसको हम जितना जल्दी आगे बढ़ावें, उतना ही सबके हित में होगा। हरिजन जातियों का जो थोड़ा बहुत उत्थान हुआ है वह भी सभी हरिजन जातियों का नहीं हुआ है, उसमें भी काफी जातियों अछूती रह गई हैं। उनको भी हमें उनके साथ ही तरक्की करने का मौका देना है। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिन्होंने, जिस समय आरक्षण रखा गया, हरिजन जातियों में अपना नाम लिखवाना उन्होंने नामंजूर कर दिया और इसका विरोध तक किया। जैसे आगरा में कोरी जाति थी, जिन्होंने अपने आप को 10 वर्ष बाद तक कहा कि हम तो उच्च जाति के हैं, हमें अछूत जाति में क्यों रख दिया। इसके अलावा कुछ खटिकों ने भी वहां पर हरिजन जाति में रखने की बात को स्वीकार नहीं किया और अपने को उच्च कौम में मानते थे। ज्यादा से ज्यादा सुविधायें, अनुसूचित जाति में आने वाली तमाम कौमों को मिले, इसके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

*श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं। 27 वर्ष की देश की आबादी के बाद आज भी पूर्वांचल में जाइये तो देखिये हरिजनों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसमें आज भी कोई खुशहाली नहीं है और इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुनाथ]

सदन के अन्दर हमारे माननीय मुख्य मंत्री रोजाना उनके लिये आंसू बहाते हैं कि हरिजनों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, उनके बहुत बड़े हितैषी बनते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर पूर्वांचल में देखिये वहां की हालत देख कर तरस आता है। बलिया, गोंडा, देवरिया, बांदा में पुलिस की ज्यादती हुई है वह प्रदेश की जनता और इस सदन से छिपी नहीं है। वहां कोटवा नारायनपुर में जो हरिजन लोगों के घर जलाए गये, वह विषय भी सदन में आया था। इतना ही नहीं। यह समाज शोषित और पीड़ित, उपेक्षित रहा है। आज भी है। आप जितनी भी उनके साथ सहानुभूति दिखायें लेकिन आज कोई परिवर्तन नहीं मिल रहा है। जहां 27 वर्ष पूर्व थे वहीं आज हैं।

जब चुनाव आता है, तब कांग्रेसी सरकार क्षेत्रों में दौड़ करके, हरिजन, शोषित, अल्प, संख्यक का नाम लेकर, चुनाव जीतती है। लेकिन इतना ही नहीं, जो 18 प्रतिशत हमारी सीटें रिजर्व हैं वह भी पूरी नहीं हुई। 45, 50, प्रतिशत उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी के भी चपरासी, तृतीय श्रेणी के लोग भी नहीं रखे गये, उनकी जगहें आज तक पूरी नहीं हुई। इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 18 परसेंट सीट का रिजर्वेशन दिखा कर, कुत्ते की तरह यह दिखा कर आपका रिजर्वेशन दिया जाता है, बच्चों को स्कालरशिप, पुस्तकें और होस्टलों में जगहें दी जाती हैं यह नहीं चाहिये। बल्कि हम मानवता का अधिकार चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम दुनिया के अन्दर इंसान बन कर रहें। इसलिये मैं इंसानियत के लिये चाहता हूं, अगर दुनियां में इंसान हैं तो होना चाहिये, हरिजनों को इंसान बन कर रहना चाहियें न कि आज शोषित, पीड़ित, हरिजन बनकर, आज उस समाज को उपेक्षित बना कर, पुलिस उसी तरह से आपके कानून की परवाह न करके, उनके ऊपर जुल्म ढा रही है। अभी-अभी हमारे दोस्त माता प्रसाद जी कह रहे थे, मैंने अभी जिक्र किया वह सीटें आज तक पूर्ति नहीं की गयी। मैं इतनी ही अपनी बातें कह कर समाप्त करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि प्रस्तावक महोदय के दिल में आज से पांच-सात वर्ष पहले जो विचार थे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। समाजवादी दल के उद्देश्य को आप भी जानते होंगे। मैं भी जानता हूं। यह उद्देश्य है कि हम ऐसे समाज की रचना करेंगे जो वर्ण और वर्गविहीन होगा। अगर इस प्रकार का प्रस्ताव इसमें होता तो मैं रामसेवक जी को धन्यवाद देता श्री चौधरी जी का कुछ असर अभी पहुंचा है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि चौधरी जी का और रामवचन जी का असर पड़ा है। इसलिये आज तक का जो मेरे सामने इतिहास है छोटी बड़ी जाति रहा है, यह इतिहास नहीं रहा है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने वालों का, कि इस देश में ऐसा समाज बने जो वर्णन और वर्ग विहीन हो और समानता का राज्य बने। ऐसा कोई प्रस्ताव अगर लाया गया होता तो मैं समझता हूं कि जो पुराना विचार था, जो पुराना खयाल था, वह परिपक्व होता। अध्यक्ष जी, यह मन के परिवर्तन की बात है और आर्थिक समानता की बात है। अगर आर्थिक विपन्नता, आर्थिक विलगाव जब तक देश में रहेगा। तब तक मनुष्य का शोषण करेगा। मैं उधर के माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं और यादव जी तथा रामबचन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बड़ा यादव छोटे यादव का शोषण करता है या नहीं, बड़ा हरिजन छोटे हरिजन का शोषण करता है या नहीं। बड़ा यादव जो जमींदार रहा उसने अपनी यादव रिआया का शोषण किया या नहीं। इसका कारण केवल आर्थिक विषमता है। जब तक देश में आर्थिक विषमता रहेगी तब तक हमारे यहां वर्गों में असमानता रहेगी और हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं मिलेगा। तक जब समानता लाने की बात नहीं करते हैं तब तक ऐसा नहीं हो सकता है।

चौधरी साहब 22 साल तक हुकूमत में रहे हैं और 15 साल तक मैंने भी उधर बैठ कर उनके हर काम को देखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1954 में मुसाफिरखाने में गलत इंदराज का

आंदोलन चला था क्या चौधरी साहब ने जो मुद्दत से खेत जोतता था और काबिज में उसका इंदराज नहीं था, उसको जेलखाने में बन्द किया था या नहीं। इस छोटे सेवक को भी बन्द होना पड़ा था। इस पिछड़ी जाति का उत्थान हो या न हो और यदि इसमें यह बात निहित है तो मैं समझता हूं कि आज तक जितने काम रहे हैं। वे प्रतिक्रियावादी रहे हैं और वे देश को अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले नहीं रहे।

आज कोई दल सदन में यह कहने की जुर्रत नहीं करेगा कि वह इस कुर्सी पर नहीं बैठा। जो दल इस देश में मान्य हैं उनकी मैं बात कह रहा हूं। अब कोई दल यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह इस कुर्सी पर नहीं रहा। कुर्सी पर उसने क्या किया इस पर सोचना पड़ेगा। मैं डाक्टर लोहिया की याद दिलाना चाहता हूं कि वह कहा करते थे कि हमारे देश में औरतें बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, हरिजन पिछड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में कितने हरिजन हैं, महिलायें कितनी हैं तथा पिछड़ी जाति के कितने लोग हैं। आपने इसके उद्देश्य में कहा है कि 90 प्रतिशत लोग उत्थान के लिये तैयार हो जायं। मैं आपसे कहूंगा कि क्या केवल नौकरियों में चले जाने से या शिक्षित हो जाने से मन बदल जाता है। मैं बताता हूं और मैं अपने घर की बात कहता हूं कि हमारे यहां एक हरिजन बी० डी० ओ० है। वह सारे हरिजनों का पैसा खाता है। तो सवाल यह है कि समाज का ढांचा ऐसा बना हुआ है। आप जब तक उस ढांचे को कुल्हाड़ी और हथौड़े से नहीं तोड़ेंगा तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप का दल उस समाज को तोड़ने के लिये तैयार नहीं है। गरीब भुखमरी के कगार पर बैठा है और आप का दल उसको बचाने में सहायता नहीं करता है, बल्कि विरोध करता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में इस प्रकार की परम्परा रहेगी तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। छोटी जातियां भी जो हैं उनमें आपस में विरोध है। उदाहरण के लिये डोम धोबी के घर का खाना नहीं खाता है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है वही हालत इस समाज में है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तब तक नहीं होगा तब तक मानव का परिवर्तन नहीं होगा। मानव का परिवर्तन कांग्रेस कर सकती है। उसके परिवर्तन में आपका सहयोग होगा और सभी लोगों का सहयोग होगा तभी उसमें परिवर्तन आ सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी इस परिवर्तन में विश्वास नहीं रखती है। आपकी पार्टी में बलवान सिंह है उनके पास फार्म है तो कहना चाहता हूं कि वह कितनी जमीन दूसरों को बांटने के लिये तैयार हैं। मैं कहता हूं कि सारे लोगों को एक मत होकर ऐसा करने का प्रयास करना चाहिये। इस चीज का ख्याल नहीं करना चाहिये कि कौन ऊंची जाति है और कौन नीची जाति है। सभी जातियों को समान अवसर मिलना चाहिये तभी यह देश, यह मुल्क तरक्की कर सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट का समय मुझे दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

समय कहां है। (व्यवधान)

(कई सदस्य बोलने के लिये समय मांगते रहे)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

5 मिनट का ही समय दे दीजिए।

***श्री राम सेवक यादव**—

अध्यक्ष महोदय, आमतौर से चाहे इधर के हों या उधर के, सभी लोगों ने विधेयक का एक माने में समर्थन किया अलावा श्री काशीनाथ मिश्र, माननीय मित्र तिवारी और श्री राम सुन्दर पांडेय के। इनको छोड़ कर उधर के लोगों ने भी समर्थन किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशी नाथ मिश्र--

आपका जो हरिजन और शेड्यूल्ड कास्ट का था, उसका मैंने समर्थन किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यव , माननीय काशीनाथ मिश्र को इसमें इन्टरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है।

श्री राम सेवक यादव--

हमारे मिश्र जी ने जो बात कही, मैं उनसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था क्योंकि मैं और वे एक दल में था। मैं उनका नेता तो नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं उनका अफसर था। मान्यवर इन्होंने कहा तिकड़म। मैं तो तिकड़म शायद जानता भी नहीं और तिकड़म सीखना भी चाहूं तो न जाने कितना औतार लेना पड़े। क्योंकि मा0 काशीनाथ मिश्र डा0 राम मनोहर लोहिया के अनुयायियों में से हैं और मित्र भी हैं। आज भी वह जनेऊ और जाति को गैरबराबरी का प्रतीक मानते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं तो जनेऊ पहनता भी नहीं हूं पसंद करता हूं।

श्री राम सेवक यादव--

चुनाव के समय जनेऊ पहनना पसंद करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय चरण सिंह का भी नाम लिया।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

आप नेता हैं तो नाम क्यों न लिया जाय।

श्री राम सेवक यादव--

छपरौली में एक ही जाति थी। मैं तो प्रसन्न होता हूं कि रावण भी राम की भक्ति करता था और फिर उसके भी अतिरिक्त मैं उन लोगों से, जिन्होंने छपरौली का जिक्र किया होगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सत्ता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आपकी है और वहां आपके हिसाब से जुल्म और अन्याय होता है और उस जुल्म और अन्याय के लिये आप कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरों को दोषी ठहराते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर प्रेम लता, कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा के साथ क्या हुआ था ? हरिजन ही तो उसके साथी थे। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इससे ज्यादा जवाब न देकर इतना ही कहूंगा श्रीमन् कि इस देश में अगर यह अमेरिका होता, अगर यह रूस, इंग्लिस्तान होता, तो मैं मा0 राम सुन्दर पांडेय और दूसरे लोग जो आर्थिक कसौटी बताते हैं, यही जाति हैं। जो जाति जितनी नीची है, वह उतनी ही सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से गिरी हुई है। उस तथ्य की अगर हम उपेक्षा करते हैं तो हम समझते हैं कि जो संविधान में सुरक्षा करने की बात की गई है, वह बात उसमें होती ही नहीं। इसको हम हमेशा अपने दिल में रखें।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं कि क्या इनको मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और अनेकों हाई कोर्टस ने कहा है कि शैडयूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के अलावा और किसी के लिये रिजर्वेशन नहीं होगा ? हर एक के रिजर्वेशन को उन्होंने रिजेक्ट किया है। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि नौकरियों में और अनेकों कालेजों में जैसे मेडिकल कालेजों में इनके अलावा रिजर्वेशन नहीं होगा क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। इस पर भी ये इस विधेयक को लाना चाहते हैं जो संवैधानिक नहीं है।

श्री राम सेवक यादव—

इस देश में सामाजिक विषमता है। जो उच्च जाति के लोग हैं, उनमें भी पेट के मारे हुये हैं लेकिन जो पेट से मारे हुए हैं और वैसे भी हीन हैं, अगर वास्तव में इन दोनों समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो फिर देश में कुछ नहीं होने वाला है। मैं माननीय ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि समाजवाद की कसौटी पर समाजवाद में जो सबसे नीचे और आर्थिक रूप से समाज में पिछड़े हैं, अगर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो भले ही आप समाजवाद का शब्द इस्तेमाल करें लेकिन उससे समाजवाद नहीं चलेगा। माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने माननीय बलवान सिंह जी का नाम लिया, किसी ने माननीय जगजीवन राम जी का नाम लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा की बहस का एक उदाहरण देना चाहता हूं। स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया अनुसूचित जातियों और जनजाति के प्रतिवेदन पर बोल रहे थे तो बंगाल के एक माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़े पूंजापति का हवाला दिया जो कि हरिजनों में से था। उसका नाम है श्री नस्कर। कहा गया कि नस्कर जैसे लोग हरिजनों में है तो कहां बराबरी नहीं है। तो डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने सटीक उत्तर दिया कि अगर उच्च जातियों में 5–4 हजार लोग होंगे तो हरिजनों में 5–10 ही मिलेंगे। समाज में जब नियम बनता है तो अपवादों को लेकर नहीं बनता है। पूरे समाज का बहुमत या बड़ा हिस्सा लेकर बनाया जाता है। 5–10 नस्कर, बलवान सिंह और माननीय जगजीवन राम की मिसाल लेकर कोई कानून अगर बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते हैं। कुछदिन पूर्व माननीय राम सुन्दर पांडेय और मैं एक दल में थे। हम नहीं बदले, वे बदल गये। (व्यवधान) हम बदलने की बात नहीं कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि तब हम और आप एक दल में थे। विशेष अवसर पर आप उसको छोड़ कर वहां चले गये, निश्चय ही आप अब बदल गये हैं ?

श्री प्यारे लाल शर्मा (जिला मेरठ)—

आपके दल में समाजवाद तो रहा ही नहीं। क्या चौधरी साहब समाजवाद के पक्षपाती हैं ? वे तो पूंजीपतियों से बात करते हैं।

श्री राम सेवक यादव—

मैं माननीय प्यारे लाल की बात माने लेता हूं।

श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

इसीलिये तो हरिजन सदस्यों को पीटा गया था ?

श्री राम सेवक यादव—

आपके यहां से भी 70 हरिजन सदस्यों की दरखास्त मुख्य मंत्री को गई है। क्या वह हमारी ओर के सदस्यों की गई हैं ? तो अध्यक्ष महोदय, जो कहते थे कि जमाना बदल गया है तो आप जानते होंगे सुमन नाम की एक लड़की और अन्ना नाम का हरिजन लड़का था पूना का। 1960 का मामला है। दोनों में प्रेम होता है, शादी नहीं होती और सुमन जो ऊंची जाति की थी, आर्थिक दृष्टि से संपन्न थी उसके भाई ने अन्ना का कत्ल कर दिया। जज के सामने मुकदमा जाता है तो जज कहता है कि इस संविधान के रहते हुए इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस लड़के को यह काम नहीं करना चाहिए था और अगर आवेश में अगर हत्या हो गयी है तो कातिल को उसका फायदा मिलना चाहिए। उसकी अपील जब उच्च न्यायालय में की जाती है तो वहां भी फैसला होता है कि इस संविधान के रहते हुए...? तो क्या सदन में यहां भी एक मामला नहीं उठा था कि एक हरिजन डिस्ट्रिक्ट जज के प्रति कितना दुर्व्यवहार होता है ? तो शीशे में देखकर लोग अपने को ऊंचा उठाते हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह जो वर्ग है आज सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ गये हैं तो कौन से कारण हैं कि जाति विशेष के बड़े बड़े लोग

[श्री राम सेवक यादव]

तीन चौथाई नौकरियों में जमें हुए हैं ? अगर पिछड़े दबे लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं दी गयी, नौकरी में उस हिसाब से जगह नहीं दी गयी तो वे कैसे उठेंगे ? मैं ओमप्रकाश जी से कहूंगा कि यह विधेयक उनको समान स्तर देकर के विशेष अवसर के रास्ते पर लाकर दूसरे लोगों के समकक्ष लाने का विधेयक है। जातिवाद माला जपने से टूटने वाला नहीं है, उसके वही तरीके हैं जो मैंने बताये हैं।

हमारे माननीय सदस्य माता प्रसाद जी ने कहा कि इसमें ये ये कमियां हैं। तो यह जो जगहें भरी जायंगी उसमें तो वह और बढ़ जायंगे, वह समझ नहीं पाये। माता प्रसाद जी को याद हो कि जनवरी, 73 में तो वह इसका समर्थन कर चुके हैं इसी सदन में, लेकिन पता नहीं कौन परिस्थिति बदल गयी, क्या बात पैदा हो गयी ?

श्री माता प्रसाद--

इस समय सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत और तृतीय श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत रिजर्वेशन स्वयं कर रखा है...

श्री रामसेवक यादव--

इसी तरह से एक माननीय सदस्य बोले थे और कहा कि हमारे दिलों में कहीं कोई चोर है। पता नहीं उस माननीय सदस्य के पास कौन सा पारदर्शी शीशा है जो मन की बात जान लेते हैं। तो हमको भी दे दें--इस सदन के सदस्यों को। यह है सही है कि डा0 अम्बेदकर एक महान् व्यक्ति थे, इस सदन के एक महान नेता थे। उन्होंने इस संविधान की रचना की है। उनका नाम न लेने से अगर गुस्सा हो तो मैं नाम लेकर पुनः स्तुति करूंगा कि उन्होंने ही संविधान बनाया और विशेष अवसर की बात भी उन्हीं की चलाई हुई है। तो हम कौन सी नयी बात कर रहे हैं ? अगर हमारी किसी मांग और तर्क में कोई कमी हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि आप प्रदेश के आंकड़े रख दें। हमारे पुलिस के सिपाहियों की भर्ती में तिवारी व्योरा बता दें कि कितने हिन्दू, कितने मुसलमान, कितने हरिजन,आदिवासी,पिछड़ी जाति के, तृतीय, चतुर्थ और प्रथम श्रेणी के हैं और नौकरियों में उनके आंकड़े दे दें, उससे तय हो जायगा कि किस कारण से हमने उनके शिक्षण और पिछड़ेपन के आधार पर सुरक्षा की बात कही है। पता चल जायगा कि स्थिति में कितना सुधार आ गया है और अगर वह सही है तो मैं पश्चाताप करूंगा और मांग करूंगा कि यह मांग नाजायज है और हमने गलती की है, यह चीज हमको मालूम हुई। लेकिन अगर यह नहीं मालूम है तो मैंने शुरू में कहा कि प्रशासन में खिचाव नहीं होगा। प्रशासन में हरिजन भी वही ज्यादती करता है जब कलेक्टर बन जाता है। करेगा, क्योंकि 75-80 सैकड़ा तो एक तरफ के अफसर हैं तो यह 2-4 जो दाल में नमक की तरह पहुंच जाते हैं वे भी कोशिश करते हैं उसी तरह चलने की और डरते रहते हैं कि अगर उनको तरह से नहीं किया तो परेशानी में पड़ सकते हैं। यह हीन भावना उनकी तभी जायेगी जब समाज की पूरी आबादी का हिस्सा प्रशासन में होगा। आज ऐसा नहीं है। इसीलिये सारी जगह असुरक्षा व्याप्त है। न्यायालय में, थाने में, कचहरी और तहसील में, सभी जगह असुरक्षा व्याप्त है। अगर पूरे वर्ग के लोग वहां रेप्रेजेन्टेड हों तो वह एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे और इस तरह से समान आधार पर अगर हम अपने देश को उठायेंगे तो एकता की भावना बढ़ेगी अनेकता की नहीं और पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र, तामिलनाडु वगैरह की सरकार ने इसको मान्यता भी दी है।

हमारे ओम प्रकाश जी ने कहा कि कास्ट और क्लास आर्डर होगा। उन्होंने बड़े मजे में डा० राममनोहर लोहिया की किताब "वर्ण और वर्ग के कठघरे में" पढ़ी। उसमें लिखा है कि अगर वर्ग गतिहीन हो जाता है तो वह बन जाता ह जाति और जाति गतिमान हो जाती है तो वह बन जाता है वर्ग।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

यह जो अहीर जाति है वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा, सम्पत्ति और जाति स्थिति, इन तीनों के आधार पर कहां खड़ी है ?

श्री राम सेवक यादव--

सिद्धान्त की बात मैं कह रहा हूं और मैंने उन शब्दों को जो काका कालेलकर की रिपोर्ट में कहे गये हैं ज्यों के त्यों रख दिये हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

मैं आपसे कहूंगा कि जमीन में, पैसे में, धन्धे में, किसी चीज में कम नहीं हैं आप। यह बात सही है कि आप में जो लोग गरीब हैं यह कहने से प्रभावित हो जाते हैं नहीं तो आपकी भी अवस्था हमारी तरह है।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

अभी हमारे मित्र रामसेवक जी ने कहा कि डाक्टर अम्बेदकर ने विशेष अवसर की बात कही है। यह गलत है। उन्होंने समान अवसर की बात कही थी। डाक्टर लोहिया ने जरूर कहा था। अपने को आप करेक्ट कर लें।

श्री रामसेवक यादव--

माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये कि डाक्टर अम्बेदकर ने ही अलग मताधिकार मांगा था जब अंग्रेज यहां थे और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था कि उनके वोट अलग-अलग रहें।

श्री जगदीश अवस्थी--

विशेष अवसर की बात नहीं है, समान अवसर की बात कही थी। आप अपने को करेक्ट कीजिये।

श्री राम सेवक यादव--

आपको अगर कोई विशेष जाति से मतलब हो तो निकाल दीजिये, मुझे कोई मतलब नहीं हूं लेकिन उसमें भी मैं चाहता हूं कि गरीबों के लिये हो जाय मैं तैयार हो जाऊंगा लेकिन मैंने सामाजिक और शैक्षणिक कठिनायी बतायी है। मैं सर्वोच्च न्यायालय का एक 1971 का फैसला पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो पृ0 2303 पर है, यह तामिलनाडु का है, इसमें है--कान्सटीटयूशन आफ इण्डिया--आर्टीकिल 15(4), क्लासिफिकेशन आफ बैकवर्ड क्लासेज आन दि बेसिस आफ कास्ट्स :

एक सदस्य--

सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल किया है या नहीं ?

श्री राम सेवक यादव--

नहीं। तो इसमें यह निर्णय दिया है . . .

श्री अध्यक्ष--

उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है यह, जो स्वीकार किया है तो सारे कानूनी पहलुओं को देख लिया होगा।

श्री राम सेवक यादव--

अच्छी बात है।

[श्री राम सेवक यादव]

माननीय रूपनाथ सिंह यादव का जिक्र किया गया। वह बात बेमतलब है। किसी ने किया या नहीं किया यह कोई कसौटी नहीं होना चाहिये। रूपनाथ सिंह जी ने लोकल सेल्फ विभाग में आर्डर कर दिये थे, मगर उसके बाद जब दूसरी सरकार आयी उसने उसको रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय की बात जो कही गयी, उसने रद्द इस आधार पर किया कि आर्टिकिल 15(4) में जो सोशली, एजूकेशनली वैकवर्ड हैं उनके लिये रेजर्वेशन करने का अधिकार है और उन्होंने रिजर्वेशन का आधार माना है इलाके को, उन्होंने अर्बन और रूरल को इस आधार के लिये गलत माना है, नहीं तो फिर आन्ध्र, तामिलनाडु, हरियाणा और पंजाब आदि में जितने कानून इसके लिये बने हैं वे सभी रद्द हो जाते। इसलिये मैं कहूंगा कि जो यह बिल मैंने पेश किया है उसे यह सदन पास करे। यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस समय मौजूद हैं। मैं सत्तारूढ़ दल से भी निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को पास करें क्योंकि इसके पास होने पर ही समाज में वह वर्ग आगे बढ़ सकेगा जो अब तक दबा हुआ था और आपका जो मकसद है वर्गहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना का वह भी पूरा हो सके। अगर एक ताकतवर और एक कमजोर आदमी को आप लड़ायें और यह कहें कि जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, तो निश्चय ही ताकतवर जीत जायेगा, उसे लड़वाकर, कमजोर आदमी की हड्डी पसली तुड़वाने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः पूरे सदन से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित करे।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, माननीय रामसेवक जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करने से जो हमारा सबसे कमजोर वर्ग है, हरिजन वर्ग, उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। राजपत्रित कर्मचारियों में आरक्षण के संबंध में जो हमने नीति बनायी है उसमें कहा है कि किस प्रकार हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ायेंगे। इस बिल की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन्होंने अनुसूचित जन जाति के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। उसकी चर्चा भी इसमें नहीं की। ऐसा होता है कि कभी जब ज्यादा प्रेम आता है तो गला रुध जाता है, शायद रुध गले की वजह से वह बोल नहीं सके (व्यवधान)। मैं तो आपसे जितना प्रेम करता हूं वह आप स्वयं जानते हैं।

श्री राम सेवक यादव---

प्रेम के लिये मैं बहुत आभारी हूं आपका।

श्री मोतीलाल देहलवी---

आप लोगों को चुनाव के मोर्चे पर प्रेम आता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आप मान्यवर, स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि इसी सदन में हमने घोषणा की है कि जिन स्थानों पर हमने हरिजन वर्ग और अनुसूचित जन जाति को आरक्षण दिया है, वहां पहले क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत था, उसको अब क्रमशः 45 और 5 प्रतिशत यानी 50 प्रतिशत किया है। उसके मुताबिक जो अभी 3 हजार सिपाहियों की भर्ती हुई है, उसमें से करीब डेढ़ हजार के हरिजन आदि न निकलें तो मैं यह स्थान छोड़ कर बाहर चला जाऊंगा। उसमें हरिजन और अनुसूचित जन जाति की 45 और 5 प्रतिशत भर्ती हुई है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट में ढूंढने और पता लगाने की बात कही कि सर्विसेज में हर एक की जाति क्या है। उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर हिसाब लगाया जायेगा कि किस वर्ग की सर्विसेज में कौन कौन जातियां हैं तो श्री रामसेवक जी मैं चेलेंज करता हूं कि बड़ा गड़बड़ हो जायेगा और आप उसमें बुरी तरह से फंस जायेंगे।

श्री रामसेवक यादव—

उसकी चिन्ता आप बिलकुल न कीजिये।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में टोटल एस० एस० पीज कितने हैं और उनमें ब्राह्मण की संख्या कितनी है? मैंने पहले भी एक दिन यह सवाल किया था लेकिन उसे प्रेस नहीं किया, जब सवाल आया तो मैं सदन से उठ कर चला गया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—!

पहले दिन आपने उचित किया था कि सवाल के वक्त सदन से बाहर चले गये थे लेकिन आज आपने अनुचित बात की है कि आप ऐसे नौजवान ने इस तरह का प्रश्न उठाया है।

मान्यवर, वह गिनती बहुत साधारण है और मैं उनमें नहीं हूं जो इस बात से इन्कार करूं कि कुछ लोग और कुछ जातियां जो पढ़ी लिखी हैं, बहुत आगे रही हैं और इस लिये परम्परागत बहुत दिनों से शेष समाज को पीछे छोड़ती रही हैं। ये अनुसूचित जन जातियां कहां हैं, यह जो सबसे कमजोर वर्ग है आपने उसका ध्यान नहीं रखा और वैसे ही किसी को पकड़ लिया।

दूसरी बात यह है कि जहां-जहां ब्राह्मण की बात वे करते हैं, मैंने आपको स्पष्ट तौर से कहा कि आई० पी० एस०, आई० ए० एस० आदि में परीक्षा के आधार पर जो हमारे यहां आरक्षण दिया गया है वह स्वराज्य के बाद की बात है, स्वराज्य के पहले आरक्षण नहीं था। इसलिये चन्द किस्म के चन्द लोग उसका लाभ उठाते रहे हैं। परन्तु जैसे जैसे हमारी नीतियों का असर पड़ता जाता है, आज उत्तर प्रदेश में—मैं उल्टा सवाल पूछता हूं कि जितने एस० पी० या सीनियर एस० पी० हैं मुझे याद नहीं आता कि मेरठ में अंग्रेजों के जमाने से लेकर पिछले 20 वर्ष में कभी कोई हरिजन रहा हो। क्या हमने मेरठ में हरिजन एस० एस० पी० नहीं रखा? हरिजन एस० एस० पी० इलाहाबाद में नहीं रखा, हरिजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलाहाबाद में नहीं रखा? जो इस सरकार ने चोटा की कि हमारे पास जितने उपलब्ध मैटिरियल हैं ..... (व्यवधान) .....इतना परेशान होने से काम नहीं चलेगा। तथ्यों को देखना चाहिये। तभी आप महसूस करेंगे कि इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी है।

एक सदस्य—

घट रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नहीं, घट नहीं रही है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने एस० एस० पी० आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास उपलब्ध हैं। इनमें इतने हरिजन पहले कभी नहीं रहे हैं। आप पुलिस में स्टेशन अफसरों की जो 30 फीसदी मांग कर रहे हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे पूरा विश्वास है बड़ी तादाद में छोटी जातियों के लोगों को खासतौर से....

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जैसा आपने कहा कि मेरठ में हरिजन को रखा है। लेकिन जहां तक शिक्षा का सवाल है, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जहां एक भी कुलपति हरिजन हो। कहीं भी हरिजन नहीं लिया गया है। सिवाय इसके कि चपरासी या आपके जो मातहती में कार्य करते हैं। जो समाज को बनाते हैं जो पढ़ाते हैं, इनमें हरिजनों की एक सीट का भी आरक्षण नहीं किया गया है।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, वह जो साढ़े 1800 हैं, उसमें कितने हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं इस विधेयक के संबंध में.....

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आप 18 परसेंट की बात कहते हैं। आजमगढ़ जिले में नौकरी के लिये साढ़े तीन सौ जगहें निकलीं। इनमें से केवल 10 हरिजनों को लिया गया। बाद में छटनी हो गयी और इनको भी निकाल दिया गया। (हंसी)

यह आपका रिजर्वेशन है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, अगर कोई माननीय सदस्य, जिनको कि इस सर्विस में आरक्षण के आधार पर लिया गया है, अगर उनको बाहर निकालने की बात हमारी नोटिस में लायें, तो हमें खुशी होगी और मैं उनको सजा दूंगा जिन्होंने इनको बाहर निकाला है।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर)

पहले आप लोग तय कीजिये कि कौन बोलेगा ।

श्री सत्यराज मलिक—

मान्यवर, इलाहाबाद में लेखपाल के पद पर चुनाव हुआ था। हरिजन लिये गये थे। आज 15 दिन से अधिक हो गये हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। वह लोग स्वामी प्रसाद सिंह जी से भी मिले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह लोग आज भी बैठे हैं। लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गयी है। यह हरिजन लेखपालों की बात मैं कह रहा हूं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं भी एक हरिजनों के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। मुंसिफ की पोस्ट के लिये इम्तहान हुआ था। उसमें एक हरिजन को इंटरव्यू में बुलाया गया। इसके बाद उसको 8 दिन तक लटका दिया। उसने तमाम दरख्वास्तें भी लिखी हैं। प्रधान मंत्री को लिखा है राष्ट्रपति को लिखा है। आपको भी लिखा है। लेकिन आज तक न्याय नहीं हुआ। आप कहते हैं कि हमारी नोटिस में लाइये। आपको भी उसने पत्र लिखा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं हर एक की बात नहीं कर सकता हूं। 100 एप्लीकेशंस होंगी। मान लीजिये कि अगर 45 आदमी लेना है तो इस तरह से 55 आदमी रह जायेंगे। अगर उनको 50 आदमी लेना है तो 50 लोग रह जायेंगे। किस-किस स्थिति में क्या किया जा रहा है यह मैं नहीं कह सकता। इस विधेयक के लिये इतनी तैयारी संभव नहीं है।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

मान्यवर, हर विभाग में जो चुनाव होते हैं उनमें जो योग्य हैं उनको नहीं लिया गया है, जो अयोग्य ह उनका चयन कर लिया जाता है। आपकी जो चयन समिति बनी है उसमें जो योग्य मास्टर था उसको विश्वविद्यालय म नहीं लिया जो अयोग्य था उसका चयन किया गया है। आज हर विभाग म ऊंची जाति के लोगों को लिया जाता है, उनको अफसर बनाया जाता है ।

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर क्वैश्चन अवर शुरू कर दिया है !

(शोर)

श्री जंगबहादुर वर्मा---

मान्यवर, यह भी बता दें कि जितने दिनों में उत्तर प्रदेश में आरक्षण में समता आयेगी।

श्री राम सेवक यादव---

आपके लिये हरिजन ढाल हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आपके लिये वह पाप हैं।

श्री राम सेवक यादव---

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि साढ़े अट्ठारह सैकड़ा जो हरिजनों के लिये रिजर्वेशन है उसका आंकड़ा मंत्री जी बतायें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, यह बात सच है और जैसा हम कहते आये हैं और कह रहे हैं कि इस प्रदेश में हरिजनों के आरक्षण के लिये पूरा नहीं किया गया है। कानून में लिखने मात्र से आरक्षण नहीं मिलता है। उसके लिये वे सब लोग जिम्मेदार हैं जो समाज के तत्व हैं और जो राजनीति में हिस्सा लेते हैं। वह चाहे इस दल के हों या उस दल के हों। शासक दल में आप लोग भी रहे हैं और जब आपने हरिजनों की भर्ती के लिये क्या किया है ! 10 महीने की संविद सरकार ने अपने हरिजनों के रिजर्वेशन के लिये क्या किया था ? 8 नवम्बर को मैंने शपथ ली और नवम्बर की कैबिनेट में यह तय किया था कि आने वाले जमाने में जितनी भर्तियां है उनमें यदि 18 प्रतिशत हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है तो उसमें 50 प्रतिशत भर्ती करके उसको पूरा करेंगे। हमारी नीति आपके सामने है।

श्री सत्यपाल मलिक---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बात कर रहा हूं कि 15 अगस्त के अखबार में मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश की सरकार से विज्ञापन निकला है जिसमें उत्तर प्रदेश को एक पत्थर या काली चट्टान दिखाया गया है और उसमें बताया गया है कि 15 अगस्त, 1974 को उत्तर प्रदेश में जो खामियां थीं वह अब दूर हो गई है। तो 10 महीने में चौधरी साहब की सरकार ने जो काम किया है और 25 साल कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया उन दोनों की निन्दा एक साथ क्यों कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी क्रान्तिकारी बनते हैं और 10 महीने में 25 साल के पाप को नहीं जोड़ते हैं। तो निन्दा करें तो 25 साल की निन्दा किया करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, संविद सरकार ने हरिजनों के लिये 60 प्रतिशत आरक्षण किया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैं मान्यवर यही बात कर रहा हूं कि विधेयक पास करने और आज्ञा प्रसारित करने से काम यदि होता तो हरिजनों के संबंध में जो आज स्थिति है वह नहीं होती। जो वास्तविक स्थिति है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। यह विश्वास कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और जितने जिला मजिस्ट्रेट हरिजन हमारे जमाने में मौजूद हैं उतने इसके

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पहले कभी नहीं रहे। 50 प्रतिशत आरक्षण जो उनको देना है यदि मैं इस प्रस्ताव को मानता हूं, तो 50 प्रतिशत आरक्षण 18 प्रतिशत आरक्षण को पूरा होने के पहले 50 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के आरक्षण में डालना पड़ेगा जो कि सम्भव नहीं है। क्योंकि पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति हरिजनों से अच्छी है।

माननीय, दूसरी बात जो पिछड़ी जातियां हमारे यहां मिलती हैं वह पिछड़ी जातियां हो सकती हैं। यह भी सच है कि लैन्ड ओनिंग क्लास का कैरेक्टर है और चाहे वह किसी भी जाति का हो वह अन्याय करते हैं भूमिहीनों पर, वह अत्याचार करते हैं भूमिहीनों पर, वह मजदूरी पूरी नहीं देते। वह लोग पूरी तरह से भूमिहीनों की सामाजिक और आर्थिक जीवन को नष्ट किये हुये हैं, भ्रष्ट किये हुये हैं। तो अब किसी जाति विशेष के लिये यह कहना कि जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है वह आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ी होगी, और उसको दोनों दृष्टियों से पिछड़ी हुई मान लिया जाय, यह वस्तुत स्थिति से परे बात है और यह बात मानी नहीं जा सकती।

भाई राम सेवक जी ने यह भी कहा कि तामिल नाडु और दूसरे सूबों में आरक्षण दिये हुये हैं। मैं मना नहीं करता कि नहीं दिये गये हैं, वह तरह तरह से दिये गये हैं। लेकिन इतनी बात स्पष्ट है और मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके विधेयक का अर्थ कोई दूसरा नहीं है सिवाय इसके कि इस विधेयक के द्वारा जो लैन्ड ओनिंग क्लास है, यानि आर्थिक आधार को छोड़ दिया जाय। हरिजनों को लेने का कारण आर्थिक और सामाजिक दोनों कारण हैं। वह भूमिहीन भी हैं और समाज में भी त्रस्त हैं। जो भू-स्वामी वर्ग के लोग हैं उनको और साधन सम्पन्न बना देना इस देश और इस प्रदेश के लिये समाजवादी कदम नहीं होगा। इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मैं ज्यादा बहस नहीं करके केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो दबे और थके लोग हैं जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो अनुसूचित जाति में नहीं हैं, जो अनुसूचित जन-जाति में नहीं है, ऐसा वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी मदद करना होगा और यह सरकार उस पर विचार कर रही है। जो हरिजन भाई बौद्ध हो गये हैं, जो मुसलमान भाई मेहतर का काम कर रहे हैं, चाहे वह जात के मुसलमान क्यों न हों, कोई-कोई धर्म के क्यों न हों, यह सरकार विचार कर रही है कि ऐसे जो लोग हैं उनकी किस प्रकार सहायता की जा सकती है। हमें आशा है हम उस पर विचार करके कुछ कार्य कर सकेंगे। सिद्धान्त की दृष्टि से मैं इस बिल का विरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घण्टी बजाई गई)

(घण्टी बन्द होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

हां की संख्या अधिक है। हम मत विभाजन चाहते हैं।

श्री राम सेवक यादव—

लाबी में वोटिंग होनी चाहिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अगर आप हाथ उठवा कर देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी और समय ज्यादा लगेगा। आप लाबी में करा दें।

श्री अध्यक्ष--

डिवीजन आप मांगते हैं तो वह आपका हक है। इस वक्त 'नहीं' शब्द हम नहीं पढ़ रहे हैं और न ही 'हां' शब्द पढ़ रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं अब यह समझा कि आपके बायें हाथ की लाबी 'हां' की लाबी होगी और आपके दायें हाथ की लाबी 'नहीं' की लाबी होगी। इसको राम सेवक जी मान लें तो फिर आगे की कार्यवाही हो।

श्री राम सेवक यादव--

मुख्य मंत्री जी बिला वजह डर रहे हैं। हम तिकड़मी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब 'हां' के पक्ष के लोग मेरे बाईं तरफ तथा 'नहीं' के पक्ष के लोग मेरे दाईं तरफ जायंगे।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, 3 सदस्य घुस आये हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने दो देखें हैं।

प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--112

अठई राम, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
उदय नाथ, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जुगल किशोर, श्री
छिलमिल, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दर्लसिंह यादव, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री

नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव सिंह, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भाभी, श्री
भीषम, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मूल चन्द, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज बहादुर, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम सेवक यादव, श्री
विश्राम, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान वर्क, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्री नारायण, श्री उर्फ (भुलई भाई)
श्री पाल सिंह, कुंवर
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर सिंह, श्री
सीताराम निषाद, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री

विपक्ष में--160

अजीत सिंह, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां) (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अभिद्ध राय, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आबिद अली, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री

ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कैलाशपति, श्रीमती
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गया सिंह, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, (जिला अल्मोड़ा)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकट)
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
देव बहादुर, श्री
त्रिवेदी, श्री
दुर्योधन, श्री
तेज बहादुर सिंह, श्री
धर्म चन्द, मिश्र श्री
धमपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मवीर, श्री
ध्रुवनारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री उर्फ (लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूप सिंह केन, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राजपाल, श्री
राज मं पांडेय, श्री

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राज देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
यामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम स्वरुप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्ध प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण मौर्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरुप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवनन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामा देवी, श्रीमती
सत्तार अहमद, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
स्वरुप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

श्री राम अधार--

यह दस्तखत फर्जी हुआ है । इसमें फर्जी कराया गया है । माननीय मुख्य मंत्री ने फर्जी कराया है । फिर से होना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 540-546 पर ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 21-8-74 की बैठक में 21 तथा 22 अगस्त, 1974 के उपवेशनों में लिये जाने वाले विधेयकों एवं कार्यों के लिये समय निर्धारण की जो सिफारिश की है वह इस प्रकार है कि---

21 अगस्त, 1974

1---उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार ।

22 अगस्त, 1974

1---उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण ।

2---विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण ।

3---शासकीय कार्य में हिन्दी को प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में कुंवर श्री पाल सिंह, काशीनाथ मेहरोत्रा, नारायण सिंह, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, हरिकेवल तथा चन्द्र शेखर सिंह की नियम 52 की सूचना पर 2 घंटे की चर्चा ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 की 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, श्री मधुकर दिघे तथा श्री रामसेवक यादव की है "कि बांदा जनपद के पुलिस द्वारा तथाकथित नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार ।"

कल सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य होगा इसलिये अस्वीकार है ।

दूसरा श्री तीरथ राम कोहली का है "कि राजपुर घाट जिला बांदा के सम्बन्ध में जिला परिषद्, बांदा द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत व जब उच्चन्यायालय में वाद है तो यह कैसे लिया जा सकता है ?"

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)---

सरकार ने वाद वापस ले लिया । (व्यवधान)

(कई सदस्यों के साथ बोलने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

एक-एक करके माननीय सदस्य बोलें। न्यायालय में मुकदमा था और सरकार ने वापस ले लिया। सरकारी वकील की रिपोर्ट थी। सरकार को अधिकार है कि वह मुकदमा दायर करे और वापस ले।

श्री तीरथ राम कोहली--

मान्यवर, इसमें सरकार की पार्टी थी और सरकार ने वाद वापस ले लिया है। इस पर वक्तव्य करा दी जिये।

श्री अध्यक्ष--

यह तो दैनिक प्रशासन की बात है। इस पर वक्तव्य क्या होगा। सरकार वाद दायर करती है और वापस लेती है। यदि मंत्री जी चाहें तो वह आप को बता दें।

माननीय हरिकेवल जी का है कि "पुराना सिनेमा हाल, देवरिया के चौराहे पर असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट एवं लूटपाट की घटना से उत्पन्न संकट।" यह चौराहे का मामला है।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

इसमें एक आदमी की हालत चिन्ताजनक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर दिया है, यदि समय मिला।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह चौराहे की घटना है।

श्री अध्यक्ष--

आप क्यों बोल रहे हैं? इस पर कृष्णा राय जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर दिया है।

अब श्री बादाम सिंह और श्री हरीश कुमार गंगवार की है कि "मैदा के अभाव से प्रभावित बेकरी के मजदूरों की समस्या।" यह पहले हो चुका है।

वह वक्तव्य के लिये नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहराइच के बारे में था, उस पर आप सरकार का वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

वह वक्तव्य के लिये नहीं है। लेकिन शासन अपना वक्तव्य देना चाहे तो दे सकता है। इसी बारे में आपने विशेषाधिकार की नोटिस भी दी थी।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

श्रीमान्, आप ने कहा था कि नियम 51 में दे दें?

श्री अध्यक्ष--

बावजूद इसके, इसको मंजूर नहीं किया गया, उन्होंने खबर भेज दी है, वायरलेस भेज दिया है। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के साथ खड़े होने और बोलने पर)

उस पर वक्तव्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मुख्य मंत्री बयान देना चाहें तो दे सकते हैं। शिव मंदिर, बहराइच, वाले मामले में जिसमे आप और दूसरे लोग पकड़े गये, अगर उस मामले में आप कोई उपचार चाहते हैं तो उसका उपचार न्यायालय में ही है। हम सरकार को इस मामले में वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, आगरे के बारे में जो मैंने नियम 56 में दिया था, उस पर आपने क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 तो होता नहीं है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

आपने कल तो वक्तव्य के लिये कहा था।

(व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं .....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। अगर एक-एक माननीय सदस्य बोलें तो समझ में आ सकता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाबू लाल जी ने जो दिया है, अगर उसमें कोई गैर कानूनी कार्यवाही हुयी है तो उसका उपचार आपको न्यायालय से मिल सकता है। हम न्यायालय नहीं हैं। विधान सभा में ऐसे सवालों को वक्तव्य को लिये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि आपको रौन्गफुली डिटेन्शन (गैर कानूनी निरोध) हुआ है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

श्रीमन्, वहां पर लाठी चार्ज हुआ है, वहां पर महिलाओं को मारा-पीटा गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जेलों में लोगों को बन्द किया गया है। इसके बारे में नहीं है। मेरा प्रश्न तो दूसरा ही है।

श्री अध्यक्ष--

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी बयान देना चाहें तो दे सकते हैं। आप कहते हैं कि मनमाने ढंग से वहां पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों को पूजा करने से, इबादत करने से वंचित किया जा रहा है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मैंने लिख कर दिया है कि उस जिले में आतंक फैला दिया गया है। वहां पर लाठी चार्ज हुआ है, इसी के बारे में मेरा नियम 51 में प्रश्न है।

आगरा में हुए दंगे के सम्बन्ध में वक्तवय की मांग

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

कल यह सदन उठ रहा है। मेरी यह जानकारी है कि यह झगड़ा मुसलमानों का नहीं था। दो व्यक्तियों के निजी सम्पत्ति का था। अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में स्थिति को ठीक प्रकार से हैंडिल नहीं किया है। इसीलिये साम्प्रदायिकता का मसला बन गया है। मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि स्थिति को स्पष्ट कर दें। प्रशासन ढीला है उसको चुस्त करने की कोशिश करें। इसीलिये गल्तियों को आप के सामने लाता हूं। तो मेरा आग्रह है कि मुख्य मंत्री से आगरे में जो दंगा हुआ वहा करफ्यु लगा और वहां पर काफी लोग गिरफ्तार हुये। मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं। दो व्यक्ति थे और विभिन्न साम्प्रदाय के थे और उनमें झगड़ा हुआ और वह झगड़ा सामप्रदायिक दंगे का रूप धारण किया और निरापद लोगों की दुकानों को लूटा गया। इस तरह की शिकायतें आयीं तो इस तरह की धारणा पूरे प्रदेश में हो रही है। मुख्य मंत्री जी उस स्थिति पर प्रकाश डालें। उस सम्बन्ध शासन को जानकारी अवश्य होगी।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरे का प्रश्न है इसलिये दो मिनट का समय मैं चाहता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। आगरे में कोई भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। आगरे में जो हुआ था वह 2 व्यक्तियों के परिवारों के बीच का मामला था।

श्री अध्यक्ष—

यह तो वह भी कह रहे हैं।

श्री रामजी लाल केन (जिला आगरा)—

आगरे में किसी तरह का दंगा नही हुआ। जो कुछ हुआ है वह गुन्डा एलीमेन्ट के कारण हुआ है, लेकिन अधिकारियों की असावधानी के कारण वहां कुछ नहीं हुआ और वहां पर जो महिला मरी वह पत्थर फेंकने के कारण मरी।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)—

आप कहते हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ। वहां बहुत बड़ी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। लूट खसोट हुई है। उसकी जिम्मेदारी किस पर है?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

वहां पर कोई झगड़ा नहीं हुआ है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय बाबू लाल ने नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं जिले में सारी स्थिति तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि वह क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें हस्तक्षेप करें वहां पर जो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष—

यही मैं कह रहा हूं, सत्याग्रह पर वक्तव्य देने के लिये नहीं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, आगरा के संबन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो माननीय उप नेता विरोधी दल ने बात कही कि झगड़ा कुछ व्यक्तिगत दोनों व्यक्तियों में शुरू हुआ। यह बिल्कुल बात सही है। अब उसको लोगों ने रंग भरने की कोशिस की उसमें रंग भर दें धर्म के झगड़े पर। स्थानीय अधिकारी पूरे तौर पर देख रहे हैं। मैं बयान देता लेकिन इस समय कुछ भी कहना स्थिति को अनावश्यक रूप में जैसे कि आग में कुछ घी डालने का काम करेगा। वहां पर इस वक्त शान्ति है। हम पूरे तौर पर सतर्क हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे जिससे कि कोई ऐसी बात हो।

श्री मो० असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आरोप यह नहीं है कि झगड़ा किस तरह से हुआ या क्या हुआ ? हमारे कहने का मतलब यह कि वहां पर पुलिस की पी० ए० सी० की नियुक्ति है, उसके खिलाफ पूरा आरोप है कि वह वहां पर ऐसी करा रही है। वह खुद लुटवा रही है और खुद लूट रही है। उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें कि उसको तुरन्त हटाने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं कि वहां पर पुलिस अधिकारी ने कोई कोताही बर्ती है या गड़बड़ी फैलायी है। अगर कोई ऐसी जानकारी माननीय सदस्य मुझे देंगे तो मैं जरूर जांच करा लूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, लिख कर दे चुका हूं।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, जितने घर लूटे गये हैं या उन्हें या तो पी० ए० सी० वालों ने खुद लूटा है या पुलिस वालों ने लूटा है या उनकी साजिश रही है।

श्री अध्यक्ष--

आपको तो खुद शक है घटना के बारे में।

श्री मुहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, वहां का भी यही हाल होगा जैसा कि पी० ए० सी० वालों का फिरोजाबाद में हुआ था। लगता ऐसा ही है कि वही होने वाला है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

पी० ए० सी० पर चार्ज बिल्कुल गलत है।

श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, पी० ए० सी० और पुलिस दोनों का ही हाथ है। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य दिला दी जिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम सेवक यादव ने जो सवाल उठाया, आपके नेता की आग्रह पर इतने प्रश्न हो गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने थोड़ा सा बताया। मैं उसकी बहस की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मुहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, चोट की वजह से वहां पर लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है .....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप गये हैं वहां पर ?

श्री मुहम्मद मसूद खां--

गया हूं मान्यवर, पी० ए० सी० वालों ने कुरान शरीफ को भी जला दिया है। जली हुई किताब को मैं लाया हूं ।

(माननीय सदस्य ने जली हुई कुरान शरीफ की किताब को सदन में दिखाया।)

मान्यवर, वहां पर 100 घर लूटे गये हैं ।

(श्री त्रिवेणी राय के कुछ कहने पर शोर।)

श्री मुहम्मद मसूद खां--

[× × × ×]

एक सदस्य--

श्री मुहम्मद मसूद खां-- [×××××]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायगा, अब हम आगे चलते हैं।

माननीय सत्यपाल मलिक । (कार्यसूची 21)

श्री मोहन लाल कपूर--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहराइच की जो स्थिति है कि वहां पर आन्दोलन चल रहा है .....

श्री अध्यक्ष--

बार-बार इस तरह नहीं उठना चाहिये। मैं टोक दूंगा कि कोई मुख्य मंत्री या मंत्री बयान नहीं देगा । आप बैठें ।

प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकों एवं कापियों के न मिलने के संबंध में चर्चा

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, इतना गर्मी का वातावरण सदन में है, लेकिन फिर भी मुझे हमदर्दी है इस सवाल पर बोलते हुये मुख्य मंत्री जी के साथ। इनकी कितनी जबरदस्त मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश में किताबों के नाम पर इतना जबरदस्त घोटाला हुआ और उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी चाह कर भी शिक्षा मंत्री जी को नहीं हटा पाये। कोई भी ऐसा मुख्य मंत्री होता तो उस शिक्षा मंत्री को फौरन बरखास्त करना चाहता कि जिस शिक्षा मंत्री के फैसले को कैबिनेट को बदलना पड़ा ।

मान्यवर, इस बयान में बताया गया है कि किताबों के दाम बढ़ाने का फैसला माध्यमिक परिषद ने लिया है यह झूठ है। यह माध्यमिक परिषद् नियम संग्रह है। पाठ्य पुस्तकों के

[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बारे में एक कमेटी होती है, एक इम्पार्टेन्ट कैरीकुलम कमेटी होती है। उस कमेटी की बाकायदा कोई मीटिंग इस सिलसिले में नहीं हुई बोर्ड की बैठक 8 फरवरी के बाद से नही बुलाई गई। तीन मेम्बरों की एक कमेटी होती है । जो डायरेक्टर आफ एजूकेशन है वह एक हद तक माध्यमिक शिक्षा परिषद् को फिजूल करके तानाशाह बन गये हैं, जो बैठक नहीं बुलाते हैं, इमरजेंसी पावर्स के तहत गलत-सलत काम करते हैं । तीन मेम्बरों की कमेटी है । उसमें मेरठ के एक सज्जन हैं जिनका प्रकाशकों के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता है । उस कमेटी ने किताबों की कीमत 50 सैकड़ा बढ़ाने का फैसला कर दिया । उसके बाद जो बोर्ड के सामने नहीं रखा गया, करिकुलम कमेटी के सामने नहीं रखा गया उस फैसले को मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट में खत्म किया और किताबों के दाम बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। जब शिक्षा मंत्री एक आदेश करवा देते हैं और रद करता हैं कैबिनेट और जिस आदेश के आने की वजह से उत्तर प्रदेश भर के लाखों-लाख विद्यार्थियों का एक महीना खराब होता है, सरकार की स्थिति खराब होती है, मुकदमें चलते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में । तो आज तक उन जिम्मेदार डायरेक्टर आफ एजुकेशन और शिक्षा मंत्री को किसलिये नहीं हटाया गया ? मेरा यह आरोप है कि किताबों के इस मामले में बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है जिसकी वजह से सरकार की पोजीशन आकवर्ड हुई और प्रदेश के जवानों का नुकसान हुआ। मेरठ में जिस वक्त शिक्षा मंत्री चुनाव जीते उसके बाद शिक्षा मंत्री महोदय की दावत हुई इस्लामिया गर्ल्स कालेज में । उस दावत को मेरठ के प्रकाशकों की तरफ से आयोजित किया गया था । यह भी खेद की बात है कि जिस-जिस शहर के शिक्षा मंत्री हुआ करते हैं उन-उन शहरों में ही प्रकाशकों का धन्धा फलता-फूलता है । हमारे शहर में जब कैलाश प्रकाश जी शिक्षा मंत्री बने थे तो इसी तरह से वहां के प्रकाशकों का धन्धा फला और फूला था और मैं पूरी गम्भीरता के साथ यह आरोप लगाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री के चुनाव के खर्चे में और उनके दूसरे खर्चे में मेरठ के किताब छापने वाले लोगों का काफी रुपया आया और आता रहता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस बात की जांच करायी जाय ।

मेरठ में एक नवीन प्रकाशन है जो 8वें दर्जे से नीचे की नेशनलाइज्ड किताबें हैं उनको छापता है । किताबें छापने का जो क्राइटेरिया है सरकार का उसको नवीन प्रकाशन पूरा नहीं करता है लेकिन आज भी उसके पास लाइसेंस है, वह दूसरे प्रेस में किताबें छपवाता और बेचता है । उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के घर में नवीन प्रकाशन के परिवार के लोग महीने में बीस दिन रहते हैं । इस बात की जांच करायी जा सकती है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् का जो नियम संग्रह है इसके सारे कायदे-कानून किताबों के इस मामले में तोड़े गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

महीन में 30 दिन आपने कहा । तो फरवरी के महीने में 30 दिन कहां होते हैं ?

श्री सत्यपाल मलिक--

महीने में 20 दिन । सरकार का यह फर्ज था कि फरवरी और मार्च में किताबों की जरूरत, कागज की उपलब्धता, इन सारी चीजों पर विचार हो जाना चाहिये था । अगर शिक्षा मंत्री जी चुनाव में व्यस्त थे, सरकार की सारी मशीनरी चुनाव में लगी हुई थी तो भी डायरेक्टर आफ एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तमाम लोग मौजूद थे । वे इस चीज को कर सकते थे । लेकिन फरवरी और मार्च में इस तरफ नहीं सोची गया और जो प्रकाशक थे, जिसको ये अपना आदमी समझते थे जब उन प्रकाशकों ने प्रदेश की शिक्षा को ठप्प करने का निश्चय कर लिया या मुनाफा कमाने का फैसला कर लिया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक क्रान्तिकारी मुद्रा अपनायी । उत्तर प्रदेश सरकार की यह आदत हो गयी है कि जब सरकार और पूंजीपतियों की लड़ाई हो तो सरकार पूंजी पतियों के खिलाफ एक फैसला ले लेती है और उस फैसले में कोई न कोई कानूनी कमी छोड़ देती है । जब पूंजीपतियों का दबाव पड़ता है या केन्द्र के जरिये दबाव पड़ता है उस वक्त सरकार कहती है कि तुम कोर्ट में जा सकते हो ।

[श्री सत्यपाल मलिक]

तीन मामले में गिना सकता हूं । उत्तर प्रदेश में बीयर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गयी । उसके बाद जब प्रदेश के बीयर निर्माताओं ने कहा कि हमें नुकसान हो रहा है तब उनको सलाह दी गयी कि तुम हाई कोर्ट में चले जाओ । इसी तरह के पुस्तकों के मामले में शिक्षा मंत्री ने दाम बढ़ाये । कैबिनेट ने पोस्चर लिया कि हम क्रांतिकारी हैं, ज्यादा कीमत पर किताबें नहीं बिकने देंगे लेकिन दुर्गति हुई कैबिनेट की, सरकार की जा कर कोर्ट में । इसी तरह बिड़ला के मामले में हुआ । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि फरवरी और मार्च के महीने में सरकार का फर्ज था कि वह प्रदेश की कागज ,कापी और किताबकी जरूरतों को देखती । आज यह बयान देने से कोई फायदा नहीं है कि स्थिति सुधरी है । स्थिति नहीं सुधरी है, लेकिन अगर मैं यह मान भी लूं कि स्थिति सुधरी है तो भी जितनी जबर्दस्त भूल सरकार की तरफ से हुई है उसमें किसी हैन किसी को सजा मिलनी चाहिये थी, शिक्षा मंत्री को तो जाना चाहिये था, उनको तो एक और वजह से जाना चाहिये था । असल में यह बहुगुणा जी की मजबूरी है कि तमाम लूले लंगडों को ले कर सरकार चलानी पड़ रही है । जब तक इस तरह के शिक्षा मंत्री रहेंगे यह चीज सुधर नहीं सकती । आपने पूरा बजट अपने नाकारा मिनिस्टरों से पास करवा लिया, उसकी मिसाल कहीं ढूंढें नहीं मिलेगी (व्यवधान) . . .

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

आपको इधर बुला रहे हैं ।

श्री सत्य पाल मलिक--

कांग्रेस पक्ष के ही सैकड़ों माननीय सदस्यों का यह कहना है कि जब इतने रद्दी मिनिस्टरों से बजट पास करवा लिया तो हम लोगों की क्या जरूरत . . . .

श्री त्रिवेणी--

आप इधर आ जाइये ।

श्री सत्य पाल मलिक--

मैं जब उस तरफ आ जाऊंगा तो आपको वहां (विरोध पक्ष में) बैठना पड़ेगा जिसमें आपको तकलीफ होगी ।

तो मैं यह कह रहा था कि शिक्षा बोर्ड के सचिव को और शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिये था । शिक्षा बोर्ड के सचिव किस गलत तरीके से शिक्षा का इन्तजाम चला रहे हैं उसके कई नमूने सामने आये । सदन में ही शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हाई स्कूल की परीक्षा की 600 लड़कों की कापियों के बन्डल जो स्टेशन पर पड़े हुये थे बाद को मिल गये, उन लड़कों को प्रोपोर्शनेट नम्बर दिये गये । मान्यवर, मेरे सामने यह नियम संग्रह है, इसमें कहीं पर भी बोर्ड को या उसके डायरेक्टर को या किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह कापियों के रहते हुये प्रोपोर्शनेट नम्बर दे दे । वह उस स्थिति में दिये जाते है जब कि कापियां ही मौजूद न हों । 6 बन्डल मिले इस बात को कबूल किया है मंत्री महोदय ने स्वयं ही । यह भी कहा है कि 2 बडल जचवाये भी गये । चूंकि रेजल्ट दिल्ली भेजा जा चुका था, यह किया गया, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि जब 10 हजार लड़कों का और आप रेजल्ट विद्हेल्ड कर सकते थे तो इन 600 लड़कों का रेजल्ट रोकने में आपको क्या दिक्कत थी ? मैं यह कहना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के डायरेक्टर आफ एजूकेशन तानाशाह बन गये हैं । कायदे-कानून को ताक में रख कर रेजल्ट आऊट करने का उनको कोई अधिकार नहीं है । उन्होंने सारे कायदे कानून को ताक में रख दिया और रेजल्ट आउट किया । जब देखा कि हाई स्कूल रेजल्ट गिर रहा है तो 28 सैकड़ा पर ही लोगों को पास कर दिया । एक दर्जन क्लर्क जिस काम को कर सकते थे उस डेवुलेशन आदि के काम के लिये अब 80 हजार का

बिल पेश किया गया है । एक और आदेश होता है कि जो लोग नकल करते हुये पकड़े गये हैं वे सप्लीमेन्टरी में बैठ सकते हैं । यह अखबार में छपा है। अगले दिन फिर उसको बदला जाता है ।

मान्यवर, किताबों के मामले में, कापियों के मामले में, कागज के मामले में, इम्तिहान के मामले में शिक्षा मंत्री ने डायरेक्टर आफ एजूकेशन से मिल कर तथा प्रकाशकों को मिला कर बहुत बड़ा घपला किया है और उससे सरकार की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गिरी है, विद्यार्थियों का नुकसान है और सरकार की पोजीशन खराब हुई है । जो भी मामले अदालतों में लटके हुये है, मेरा यकीन है कि उसमें भी प्रकाशक जीत जायेंगे और उसके कारण भी सरकार की प्रतिष्ठा व इज्जत गिरेगी और बदअमनी भी फैलेगी ।

मान्यवर, एक माह के लिये जो कालेज और स्कूलों को बन्द किया गया वह इतना गलत काम था कि उसके लिये शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिये था, डायरेक्टर आफ एजूकेशन के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी । एक माह तक पढ़ाई बन्द करने का जो फैसला लिया गया वह चाहे जिस नीयत से लिया गया हो, वह अवश्य विद्यार्थियों के खिलाफ फैसला था उससे विद्यार्थियों का अहित हुआ है । अगर बढ़िया और नौजवान शिक्षा मंत्री होते तो मैं स्कूलों के बारे में और एजूकेशन के विषय पर बहस करता और इस पर बहस करता कि किस प्रकार इस सब का इन्तजाम हो सकता था। मगर शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसकी दिलचस्पी शिक्षा में न होकर, केवल लेडी टीचर्स के तबादलों में और प्रकाशकों को पुस्तकें छापने के लिये देने में ही लगी रहती है । अतः मेरा निवेदन है कि प्रदेश की भलाई के लिये और विद्यार्थियों के हित के लिये मौजूदा शिक्षा मंत्री को फौरन हटाना चाहिये, और सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिये ।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक किताबों और कापियों का मामला है और उससे सम्बन्ध रखते हुये सरकार ने जो स्कूल और कालेज बन्द किये, यह उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का मामला रहा, जिसके लिये यह कहा जा सकता है कि यह बच्चों के जीवन के साथ पूरी खिलवाड़ की गयी है । इससे यह भी सिद्ध हो गया कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है । वास्तव में देखा जाय तो इस सरकार को इस प्रश्न पर तुरन्त त्याग-पत्र देना चाहिये था अन्यथा शिक्षा मंत्री को तो त्याग-पत्र देना ही चाहिये था ।

जिस समय 8 जुलाई को स्कूल खुलने थे, उसी समय यहां से एकदम आदेश प्रकाशित होता है 7 जुलाई को कि सारे स्कूल बन्द कर दिये जायेंगे । स्कूलों में अध्यापक पहुंच जाते है, बच्चे पहुंच जाते है और उस समय वहां पर प्रधानाचार्य को कहना पड़ता है कि स्कूल बन्द कर दिये गये, आप लोग घर जा सकते हैं । फिर आपको आश्चर्य होगा कि स्कूल, कालेज जो 1 अगस्त को खुलने थे, सब को पता था वे 26 जुलाई को आकस्मिक रूप से खोल दिये जाते हैं। सब अपने-अपने घर चले गये थे । स्कूल, कालेज में अध्यापक भी नहीं जा रहे थे, बच्चों को पता नहीं था, रेडियो से एकदम से अकस्मात घोषणा की जाती है कि स्कूल 26 जुलाई को खुल जायेंगे । उस समय स्कूल कहीं खुला था तो वहां पर अध्यापक नहीं थे, वहां पर बच्चे नहीं थे। यह निर्णय और ऐसा निर्णय यह साबित करता है कि सरकार का कोई भी नियंत्रण इस प्रदेश में नहीं है । सरकार बिलकुल अक्षम है, वह व्हीम के तौर पर कोई निर्णय लेती है और सरकार द्वारा इतना बडा खिलवाड़ प्रदेश के बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ किया गया है जो आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने न किया होगा । इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यह देखा जाय कि कौन से ऐसे बच्चे थे जिनकी किताबें प्रकाशकों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन लाल कपूर]

पास नहीं थीं । आप तो जानते है कि पहली से 8वीं क्लास की किताबें सरकार छपवाती है और ये सारी पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं । यहां का जो पाठ्यक्रम विभाग है वह इन किताबों को छापता है । यहां से उनको विभाग को कागज देना चाहिये । जब कि कागज की कीमत चौगुनी और पांच गुनी बढ़ गयी है, प्रकाशकों ने कहा कि कागज सप्लाई करें, कवर सप्लाई करें, वे नहीं दे सके इसलिये पहली से 8वीं कक्षा तक की किताबें नहीं छप सकीं। परन्तु अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि जिस समय आठवें क्लास तक क स्कूल बन्द करने की घोषणा की जाती है तो 9 से 12 तक की कक्षायें तो बन्द रहेंगी लेकिन 1 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे । वे जूनियर और प्राइमरी स्कूल जिनकी किताबें और कापियां नहीं हैं वे तो खुलते हैं लेकिन 9 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल व कालेज जिनकी कापियां मारकेट में आ गयी हैं, जिनकी पुस्पके छपी है, जिनकी पुस्तकों के बारे में तय हो गया कि कितनी प्राइस पर वे बिकेंगी, वे स्कूल बन्द कर दिये जाते हैं । इस प्रकार से यह देखा जाय कि इस सरकार की नीति कैसी है, जिन कक्षाओं की किताबें नहीं हैं वे तो खाली जाती हैं और जिनकी किताबें हैं वे बन्द की जाती हैं । इससे यह प्रकट होता है कि यह सरकार बिलकुल अक्षम है, और व्यावहारिक निर्णय लेने में यह सरकार समर्थ नहीं रही । यह बच्चों के साथ खिलवाड़ है ।

साथ ही साथ सरकार का यह दावा बिलकुल झूठ है कि उसने बहुत सारी किताबें छपवायीं हैं । राष्ट्रीयकृत जो 50 पुस्तकें हैं, उनमें से केवल 33 पुस्तकें छपी हैं । सारी पुस्तकें पहली जुलाई को छप कर मिल जानी चाहिये थीं लेकिन आज आधा अगस्त बीत गया है, आज 21 तारीख है लेकिन अभी तक वे किताबें नहीं छप सकी हैं । मैं तो आप पर यह आरोप लगाता हूं कि उन प्रकाशकों को जिनसे आप अपनी किताबें छपवाते हैं उनको समय पर आपने कागज नहीं दिया । कहीं कागज दियाहै तो कवर नहीं दिया है, कहीं कवर दिया है तो कागज नहीं दिया है, और अभी भी पहले से लेकर आठ वीं कक्षा की किताबें नहीं मिलती हैं । आपने यह कहा है कि किताबें मुहैया की हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असत्य है !

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आपने कहा है कि कापियां दी गयी हैं । मैं इस पर कहना चाहता हूं कि कापियां आज भी बाजारों में नहीं हैं । आपने यह कहा है कि कापियों को स्कूलों में बंटवाया है, यह गलत है । मेरी खुद की जानकारी है । मुझे एक अध्यापक मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि कालेजों में अभी तक कापियां नहीं पहुंची हैं ।

आपने डिप्टी डाइरेक्टर, एजूकेशन, इन लोगों को कहा है कि सहारनपुर जायं और कापियां बनवाकर आयें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं स्कूलों में कापियां बांटी नहीं गयी हैं । जितने स्कूलों में बच्चे आज हैं उनकी संख्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । मान्यवर, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1972-73 में 60 हजार 532 थी । डिग्री कालेजों में 1972-73 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1 लाख 82 हजार 813 थीं । उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1972-73 में 25 लाख 38 हजार, 572 थी । सीनियर बेसिक विद्यालयों में, 1972-73 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 16 लाख 65 हजार 810 थी तथा जूनियर बेसिक स्कूलों में या प्राथमिक स्कूलों में 1972-73 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1, 05, 30, 293 थी आपकी प्रगति पुस्तिका के यह आंकड़े हैं । इन छात्रों को देखते हुए जो कापियां दी गयीं हैं वह बहुत ही कम हैं । मात्र 2-2 कापियां आपने दी हैं । तो इस तरह से जो आपने कापियां दी हैं उनको कितने बच्चों में बांटा जा सकता है इसका आपने कोई अन्दाजा नहीं किया है । आज अगस्त का महीना खत्म होने वाला है पर आज कापियां नहीं हैं ।

आज जहां तक बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, पहले बच्चे तो तख्ती या स्लेट से काम चला लेते थे । वह पहले तख्ती या स्लेट पर लिखते थे, पर आज जो नर्सरी विद्यालय या प्राइमरी विद्यालय हैं वहां पर भी तख्ती या स्लेट का प्रयोग नहीं होता है । यह सारे के सारे छोटे और बड़े बालक आज कापियों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आज कापियां उपलब्ध नहीं हैं । मान्यवर, साधारण कापियों के अलावा जो ड्राइंग की कापियां हैं, जो बुक क्राफ्ट की कापियां हैं और बाकी जो इसी तरह की कापियां हैं, उनकी भी आज बहुत कमी है । जो बी0टी0सी0, एल0टी० के विद्यार्थी हैं, उनको भी कापियां मुहैया नहीं की गयी हैं । आपने कहा है कापियां बांटी हैं, प्रधानाचार्य बांट रहे हैं । यह बिल्कुल असत्य कहते हैं । अगस्त का महीना पूरा बीत गया है लेकिन अभी तक कापियां उपलब्ध नहीं है । सारी शिक्षा अस्तव्यस्त स्थिति में है ।

जहां तक पुस्तकों का सवाल है मैंने पहले ही कह दिया है । आपको पुस्तकों के कवर के लिये कागज मुहैया करना चाहिये था, वह नहीं किया गया है । इस तरह से प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों को किताबें मिलने में दिक्कत रही है । केवल उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिये यह मामला नहीं रह जाता है । यहां पर मूल्य वृद्धि की बात की गयी थी । इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने प्रकाशकों और मुद्रकों के हाथ जोड़ करके, प्रेस करके उनसे कहा था कि तुमको 50 प्रतिशत जो बढ़ाया गया है, उस पर नहीं बल्कि पुराने रेट पर ही पुस्तकों को बेचना पड़ेगा । अगर यह बात थी तो सरकार को सस्ते दामों में प्रकाशकों को कागज देना चाहिये था । जो मुद्रक हैं उनको सस्ते रेट पर कागज देना चाहिये था । अगर ऐसा हुआ होता तो शायद उनको न्यायालय नहीं जाना पड़ता । न्यायालय में जाकर यह बात सिद्ध हो गयी कि आपने जो निर्णय लिया था वह गलत था । यह बात ठीक थी कि पुस्तकों को सस्ते मूल्य पर बेचा जाये पर सरकार को उनको कागज तो दिलवाना चाहिये था । प्रकाशकों को सस्ते रेट पर कागज न देने से आज यह स्थिति हो गयी है ।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग एक गोरखधंधा है । इसमें किसी भी प्रकार का उचित निर्णय नहीं लिया जाता है । मैं यह कह रहा हूं यद्यपि शिक्षा मंत्री जी मेरठ के हैं और इस नाते मुझे उनके प्रति सहानभूति होनी चाहिये परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद अब वह शिक्षा विभाग में नहीं रहना चाहते हैं । वह किसी दूसरे विभाग में रहना चाहते हैं । मैं ऐसा समझता हूं । जब भी हमारे माननीय सदस्य उनसे मिलने जाते हैं तो उनको मिलने का समय नहीं मिलता है । इस प्रकार से शिक्षा विभाग में कोई नियंत्रण नहीं है, कोई विचार नहीं है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय इस शिक्षा विभाग की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें । स्थिति बड़ी विकट है। प्रदेश की बिगड़ती हुई स्थिति सारे, बच्चे जो किताबों से विहीन हैं और अभी तक शिक्षा जो विद्यालयों में परिचालित नहीं हुई है इसलिये किताबों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कोई कदम उठायें, कागज दिलवायें जिससे पुस्तकें मिल सकें । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी जो वक्तव्य पढ़ा और उसके पढ़ने से जो हालात इस सूबे में पैदा हुए हैं उसे देखने से पुरानी बात जो सरकार के मन में धारणा है वह मजबूत हो जाती है । यह सरकार एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहती है जिसके परिणाम भयावह हों ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जैसे कि आग घर में लगा दे और पानी फेंकने का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

ड्रामा करे और जलने वालों से हमदर्दी करे । यह नीति इस सरकार की है । हम सब जानते हैं कि यह सब मामले दिसम्बर और जनवरी के माह में तय हो जाते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि माननीय मंत्री जी ने इस वर्ष बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजूकेशन द्वारा पाठ्य क्रम के लिये स्वीकृत किताबों के मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का बोर्ड का प्रस्ताव स्वीकार किया था ।

श्रीमन्, एक तरफ तो रिपोर्ट यह कहती है कि कैबिनेट में जो मंत्रि परिषद है जो इस शासन के प्रति उत्तरदायी है वह आगे चलकर स्वीकार करती है तो इसका अभिप्राय जो है वह यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के अलावा एक दूसरी कैबिनेट चलती है जिसके आदेश दूसरे होते हैं और मंत्रि परिषद् के आदेश दूसरे होते हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन सी शक्ति है जो कि एक आदेश पारित करती है और फिर मंत्रिपरिषद उसको रेक्टीफाई करती है दूसरे दिन । जहां तक मेरी जानकारी है माध्यमिक शिक्षा परिषद् में तमाम कमेटियां हैं लेकिन केरीकुलम कमेटी का काम पाठ्यक्रमों में पढ़ाई का स्तर क्या है इस तरह का कुछ काम होता है । लेकिन किताबों की कीमत क्या है, किताबों की कीमत घटाई जाय या बढ़ाई जाय यह तय करने का और निर्णय लेने का कोई भी अधिकार माध्यमिक शिक्षा परिषद् को नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने 50 प्रतिशत जो दाम बढ़ा दिये वह उनको बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था । परन्तु महात्मा गांधी के समाजवाद को लाने वाले मुख्य मंत्री जी उस आदेश को पारित करते हैं । श्रीमन मजे की बात यह कि 18 तारीख को दोनों बैठकें होती हैं एक मंत्रि परिषद् की और दूसरी जो मंत्रि परिषद शैडो के रूप में कार्य करती है उसकी । मंत्रि परिषद द्वारा बोर्ड में लिये गये निर्णयों को निरस्त कर दिया गया । दूसरे आदेश पारित किये गये और उस पर रोक लगाई गई । इसके बाद 21 तारीख को फिर मीटिंग होती है । यह मीटिंग मुख्य मंत्री जी के यहां होती है और उसमें सहर्ष यह स्वीकार करते हैं कि किताबों की कीमत न बढ़ायेंग । परन्तु 22 जून को प्रकाशकों ने कहा कि हम आपके निर्णय को नहीं मानते हैं । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जो निर्णय लेते हैं उनको प्रकाशक लोग नहीं मानते हैं । उनका तो व्यापार करना पेशा है पहले तो मान जाते हैं और फिर उसी से मुकर जाते हैं । इसलिये वह कौन सी शक्ति है जो आदेश के पालन करने से मुकर गये । तो यह वही शक्ति है जो किताबों के मूल्य बढ़ाये जाने के लिये कहा था । और उससे कहा कि इंकार कर दें, मुकर जायं और हम देख लेंगे और उसके बाद वह हाई कोर्ट में गये और फैसला क्या हुआ, उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ वह अन्याय हो रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । आज बदकिस्मती से इस प्रदेश के विद्यार्थियों के अन्दर विक्षोभ की ज्वाला सुलग रही है, बेकारी की समस्या, मंहगाई की समस्या, आज जितनी भी समस्यायें हैं उन सभी को विद्यार्थी भुक्तभोगी है । आज विद्यार्थियों के मन में जो असन्तोष की भावना, बगावत की ज्वाला बलवती हो रही है, प्रज्वलित हो रही है उसको कोई रोक नहीं सकता ।

25-26 तारीख को श्री जय प्रकाश जी आ रहे हैं, केवल विद्यार्थियों के संघ का उद्घाटन करने के लिये । आज सरकार में इतना नैतिक साहस और बल नहीं है कि उस ज्वाला को दबा सके और आज 144 शहर में लगा रखी है । उसको डर है, भय है कि आक्रोश की ज्वाला जो भड़क रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह जय प्रकाश जी के आने के बाद भड़क जाय और अगर ऐसा होता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता । मैं पूछना चाहता हूं कि इसका उत्तरदायित्व किस पर है। जुलाई के महीने में एक दिन भी पढ़ाई नहीं हुई, यहां तक अगस्त के महीने में भी एक दिन पढ़ाई नहीं हो सकी है । यह रपट झूठी है कि लड़कों को किताबें और कापी दे दी गई हैं । माननीय सदस्य के अपने-अपने बच्चों होंगे, उनसे पूछा जाय कि क्या सभी

पुस्तकें ह, तो शायद ही किसी के पास पूरी पुस्तकें निकलें । मैं अध्यापक होने के नाते यह जानकारी रखता हूं । वह बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर सीधे घर चले आते हैं ।

इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है वह इस बात का द्योतक है कि जो 50 प्रतिशत किताबों के दाम बढ़ाने की बात कही गई है उसमें एक बड़ी साजिश है, एक घिनौनी मंशा है । मैं मख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी इंक्वायरी करायें कि कौन दोषी हैं । और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी दोषी हैं तो उनमें इतना नैतिक साहस नहीं होना चाहिये कि वह कैबिनेट में आपके साथ बैठें । हमारे देश का संविधान बताता है कि कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसीबिलिटी होती है । एक मंत्री का एक विचार और कैबिनेट का दूसरा, ऐसा कैसे हो सकता है । कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है । मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस रिपोर्ट पर तनिक भी भरोसा न करें और अविलम्ब जितनी गल्दी हो सके, कापियों और किताबों की व्यवस्था करें, वरना विद्यार्थियों के मन में जो विक्षोभ की ज्वाला पनप रही है अगर भड़क उठी तो कोई रोक नहीं सकता । अतः मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों पर फिर से विचार किया जाय और दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाय।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, आज जो यहां चर्चा चल रही है उस संबंध म एक निवेदन करना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि सब चीजों की तरह से शिक्षा विभाग भी एक व्यवसाय हो गया है और उसी का परिणाम है कि यह जो दृश्य देखने को मिला कि एक महीने के अन्दर, जैसा मुख्य मंत्री ने मीटिंग बलाई और प्रकाशकों ने सहमति दी कि पुस्तकों के दाम नहीं बढ़ायेंगे और फिर निकल कर फैसला बदला और हाई कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट में गये, यह सब बात यह जाहिर करती है कि जो हमारा अर्थतंत्र है, जिन लोगों के पास पैसा है, वह आपसे नाजायज फायदा उठा कर सरकार को और समाज को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं । और उसी के चलते यह मेस पैदा हुआ । इसमें कोई दो राय नहीं है । मैं मलिक जी की राय से सहमत हूं कि जिन्होंने भी फैसला लिया कि पुस्तकों के दाम 50 प्रतिशत बढ़ा दिये जायं तो उसमें यह ध्यान नहीं रखा कि विद्यार्थियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, अभिभावकों पर इसका क्या असर पड़ेगा । लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि और मैं समझता हूं कि सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है कि कम से कम सामूहिक रूप से उस निर्णय को बदला मैं ओझा जी के कथन से सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार ने साहस के साथ इस बात को कहा कि वह फैसला गलत था और पुस्तकों की कीमत नहीं बढ़नी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि कुछ तो परेशानी कमी की वजह से हुई और कुछ परेशानी स्थानीय तौर पर अधिकारियों की वजह से हुई । गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर जैसे जो छोटे-छोटे जिले हैं वहां जो कापियां आती हैं उनका स्टाक इलाहाबाद और वाराणसी में रहता है । मुझे छोटे-छोटे बिक्रेताओं ने बतलाया कि वाराणसी और इलाहाबाद के अधिकारियों ने यह आदेश प्रसारित किये कि कोई भी कापियां और कागज बिना उनकी अनुमति के दूसरी जगह नहीं जायेंगे । इस तरह से जौनपुर, बलिया, गाजीपुर में कागज होते हुए भी कापियां उपलब्ध न हो सकीं । मैं चाहता हूं कि सरकार भविष्य में इस बात को बराबर ध्यान में रखे कि कम स कम इस तरह के जो प्रशासकीय आदेश होते हैं वे न होने पायें और जो फौरी तौर पर दिक्कत हो जाती है वह न होने पाय।

एक बात और किताबों से संबंधित है । कई बार पिछली असेम्बली में भी यह सवाल उठ चुका और शिक्षाविदों ने भी कहा कि जो पैसे वाले लोग हैं वह कागज को इकट्ठा कर लेते हैं और हर दूसरे वर्ष यह कोशिश होती है कि जो किताबें चल रही हैं दर्जा 5, 6, 8, 9 में वह किताबें बदल जायं । नतीजा यह होता ह कि मामूली सा पाठ्यक्रम के हेरफेर

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

करके किताबें बदल जाती हैं । एक तरफ तो कागज की कमी है । लाखों की तादाद में किताबें छपती हैं । जब किताबें बदल जाती हैं तो स्वाभाविक है कि बाजार में उनकी कमी हो जायगी।

साथ ही मैं माननीय सत्यपाल मलिक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रकाशकों का षड़यंत्र था उसमें माननीय नेता विरोधी दल भी सम्मिलित थे । एक दिन उन्होंने इस विधान सभा में आकर कहा कि मालूम होता था कि उन्हें बड़ा कष्ट है कि दो प्रकाशक आकर मेरे यहां रोने लगे । उनसे कहा जा रहा है कि किताबें पुराने दामों पर बेचें।

श्री रामाधार (जिला आजमगढ़)--

ऐसा नहीं कहा ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

जो उन्होंने कहा वह लिखा हुआ है।

श्री रामाधार --

कार्यवाही आपके पास नहीं होगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजियेगा । मैं यह कह रहा हूं कि जो प्रकाशकों का षडयंत्र है उसमें इस प्रदेश के बहुत से नेता सम्मिलित हैं जिसमें विरोधी दल के नेता भी हैं । मैं चाहूंगा कि इसको बिना दलगत राजनीति का हथियार बनाये हुए प्रकाशकों का जो षडयंत्र है उसे विफल करने के लिये जितना भी कड़ा कदम उठाया जा सके उसका समर्थन सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों को करना चाहिये, तभी हम उस पर विजय पा सकेंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार.. ..

श्री अध्यक्ष--

मोतीलाल देहलवी बोल रहे हैं । इनके बाद मंत्री जी बोलेंगे ।

*श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, यह सरकार 27 साल से बराबर अभिभावकों के जीवन के साथ खिलवाड़, कर ही रही थी लेकिन अब इसने पढ़ने वाले बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ शुरू कर दिया । कितनी हास्यास्पद बात है कि अचानक मुख्य मंत्री जी ने आदेश कर दिया एक महीने के लिये स्कूल बन्दी के जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ । 50 प्रतिशत किताबों के दाम शिक्षा मंत्री जी ने बढ़ा दिये । जाहिर है कि प्रकाशक लोग जब अदालत में गये तो 50 प्रतिशत मूल्य को ले कर गये । उनको एक आड़ मिल गयी । जितना मूल्य बढ़ाना सरकार ने स्वीकार किया था उसी बढ़ोत्तरी को लेकर वह अदालत में गये । यह सब इसलिये हो रहा है चूंकि पिछले 27 साल से इस सरकार की कोई दाम नीति नहीं रही । अगर दाम नीति रही होती तो यह हास्यास्पद स्थिति आज उत्पन्न न हुई होती और मुख्य मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जी को एक तीर से दो शिकार खेलने की जरूरत न पड़ती । एक तरफ उन्होंने यह भी ले लिया, बच्चों तथा उनके अभिभावकों को खुश करने की कोशिश भी की कि जो मूल्य 50 प्रतिशत बढ़ाये गये हैं उनको वह खत्म कर देंगे, उनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने सप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है लेकिन जैसा मलिक जी ने कहा यह निश्चित बात है कि कोई न कोई कमजोरी प्रकाशकों तथा पूंजीपतियों के लिये छोड़ दी जाती है ताकि उस कमजोरी का फायदा पैसे वाले उठा सकें ।

हम लोग 27 साल से बराबर कह रहे हैं कि हर चीज के दाम बांधिये। जो चीज जितनी लागत में तैयार हो रही है वह उससे डेढ़ गुनी या अधिक से अधिक दूनी कीमत में बिके लेकिन आज यह सरकार बात समाजवाद की करती है और क्रिया उसकी पूंजीवादी होती है । मुख्य मंत्री जी तर्कों का जवाब देने में बड़े माहिर हैं । उनके पास ऐसा हुनर तथा कला है जिससे वह दिमाग को मोड़ देते हैं और ताली पिटवाते हैं । मुख्य मंत्री जी ने बड़े दावे किये कि हमने यह किया, वह किया लेकिन अगर सही मानो में वह समाजवादी हैं तो हर चीज के दाम बांधिये, दाम बांधने में पहल कीजिये और दिल्ली की सरकार तथा दूसरे प्रदेशों की सरकारों को दिखा दीजिये कि आप सही मानो में समाजवादी हैं। लेकिन दाम आप इसलिये नहीं बांध रहे हैं कि जो सौदेबाजी आपकी है वह नहीं हो पायेगी जो मुनाफा पूंजीपति अथवा प्रकाशक को मिलता है वह कम हो जायगा और तब एक दिन भी आपकी सरकार नहीं रह पायेगी । फिर काला धन चुनाव के लिये कहां से मिलेगा ? सारा देश व प्रदेश जानता है कि चुनाव लड़ने के लिये पैसा कांग्रेस के पास कहां से आता है?

माननीय चन्द्रभान गुप्ता ने तो बिलकुल साफ बता दिया था और इस संबंध में उनके पास टैप रिकार्ड भी हैं कितने ही करोड़ रुपये चुनाव के लिये पूंजीपतियों से लिये गये और आप कहते हैं कि हमने पैसा नहीं लिया । इसकी मिसालें मौजूद हैं । गुप्ता जी जो कहेंगे वह जिम्मेदारी के साथ कहेंगे क्योंकि वे मुख्य मंत्री भी रहे हैं। आप में अगर हिम्मत है तो आप उन्हें चैलेंज करें और कहें कि आप गल्ती में हैं ...।

श्री अध्यक्ष--

इससे पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी तरफ से कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं ...(व्यवधान)

श्री राम अधार--

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लें ?

श्री अध्यक्ष--

जब मंत्री जी बोलने लगें तो बीच में आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं ।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय कपूर साहब की इस बात के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल 26 जुलाई से खोले गये, उससे बड़ी असुविधा हुई । पहली बात उसमें यह है कि इसका काफी प्रचार हुआ रेडियोग्राम द्वारा ही नहीं बल्कि डी०आई०ओ०एस० और अन्य जितने भी अधिकारी थे, उनके द्वारा तथा अखबारों में भी इस सूचना का प्रसारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

किया गया । साथ ही यह भी किया गया कि अगर 26 तारीख को कोई विद्यार्थी नहीं आता है और तीन दिन तक नहीं आता है तो उसका नाम नहीं काटा जायेगा। इसी तरह की सुविधा अध्यापकों के लिये भी दी गई कि यदि उन्हें सूचना समय पर न मिले और वे उस दिन न आ सके तो उनका दोष नहीं माना जायेगा । इसलिये यह कहना कि विद्यार्थियों या अध्यापकों को बड़ी असुविधा हुई, ठीक नहीं है । उन्होंने यह भी किया कि मुख्य मंत्री जी के यहां प्रकाशक लोग इकट्ठे हुए और उनसे उनकी बात हुई । यह उन्होंने मामा । साथ ही कपूर जी ने यह भी कहा कि उनकी सुविधा के लिये कोई चर्चा नहीं हुई । उनसे यह कहा गया कि जो सुविधा वे चाहें, चाहे वह कागज की हो, कम कीमत का कागज इस्तेमाल करने की हो, प्रिंट और साइज कम करने की हो, वे कर दें । यह सब चीज उनके सामने रख दी गई थीं । यह सही है कि उन्होंने भी कुछ दिक्कतें रखीं । साथ ही यह भी सही है कि आज प्रदेश की हालत को देखते हुए कागज मिलने में कठिनाई हो रही है और अध्यापकों छात्रों और अभिभावकों पर भार न पड़े इसलिये यह निश्चय हुआ कि उनको सुविधा देने के लिये उन्हें यह कहा गया था कि जितना हो सकेगा, कागज उपलब्ध कराया जायेगा । लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को नहीं माना और वाकया अदालत तक गया यह बात सभी को मालूम है । दूसरी बात यह कही गई पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं की कमी है, ऐसी बात नहीं है ।

श्री सत्यपाल मलिक--

मैं आपकी आसानी के लिये एक निवेदन कर दूं । अध्यक्ष महोदय, कोई नुकसान नहीं होगा । मान्यवर, मैं चाहता था कि इस मामले पर माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देते, क्योंकि शिक्षा मंत्री की हैसियत इस समय अध्यापक के हाथ पिटे हुए और मुर्गा बने हुए छात्र की जैसी है । फिर भी जब वह खड़े हुए हैं, मैं उनको सुन रहा हूं और उनसे दो आश्वासन चाहता हूं । रेडियो पर सुना है जो पहाड़ी इलाके के छात्र हैं उनको कम कीमत पर कापियां दी जा रही हैं, जो कि एक अच्छा काम है, किन्तु पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से पूर्वी जिले के लोग भी पहाड़ी जिलों से कोई अच्छे नहीं हैं, तो क्या मंत्री जी पूर्वी जिले के छात्रों को भी कम कीमत पर कापियां देने का सदन में आश्वासन देंगे ? दूसरा आश्वासन यह चाहता हूं कि कल के बाद सदन समाप्त हो जायेगा और मुझे लगता है फिर यह 6 महीने से पहले बुलाया नहीं जायेगा ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

क्यों डर रहे हो, आपके दर्शनों के बिना चैन ही कहां है।

श्री सत्यपाल मलिक--

यह सारा मौसम छात्र आन्दोलन का मौसम है, अब तक की सरकारों की यह परम्परा रही है कि जब विद्यार्थियों का कोई आन्दोलन होने की संभावना हुई या सरकार की ही गल्ती से भी कोई आन्दोलन होने की संभावना उन्हें हुई तो उसको रोके बिना, उनसे बिना बात किये हुए, सम्मानजनक समाधान सोचे बिना, उन्हें फैक्टरियों की तरह से बन्द कर दिया जाता रहा है, तो मैं उनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि अब भविष्य में इस तरह के आन्दोलनों को लेकर छात्रों की पढ़ाई का हर्जा नहीं होगा और कालेज खुले रहेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि जहां तक पाठ्य-पुस्तकों का सवाल है, जो पुरानी किताबें थीं वे छपकर निकलीं और पुरानी किताबें भी बाजारों में बिकती हैं । नई किताब जो चली, वे भी छपकर अब निकल रही हैं लोगों के पास पहुंच रही हैं । ऐसे ही अभ्यास

पुस्तिकाओं का प्रबन्ध किया गया है। उसको मैं विस्तार से बताना नहीं चाहता। अन्त में यही कह देना चाहता हूं कि जितना भी अध्यापकों, छात्रों या अभिभावकों को असुविधा का सवाल पैदा किया गया, मेरे ख्याल से वह सही नहीं है।

श्री रामअवतार—

माननीय, जब आपने जुलाई में स्कूल-कालेज बन्द कर दिये तो क्या ऐसी दशा में सरकार जुलाई की फीस छोड़ने के लिये तैयार है? क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है और यही छात्र-आन्दोलन का कारण बनेगा। इसी पर छात्र आन्दोलन प्रदेश में होने वाला है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, मैं एक बात वैसे ही कहना चाहता हूं कि चाहे नतीजा कितना ही गलत क्यों न निकलता हो, माननीय सत्यपाल मलिक अपना जो विषय उठाते हैं, उसमें गम्भीरतापूर्वक और बहुत अच्छी तरह उसका अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं। अब विरोधी दल के कुछ सीमायें होती हैं—क्योंकि उनके सामने सब तथ्य आना सम्भव भी नहीं है। उनको तो एक पक्षीय जानकारी होती है। एक बात माननीय समस्य अतसंघ ने कही, उसको भी सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनके दल की सामान्य नीति जो है, उसी दृष्टि से उन्होंने उसको देखा है। उनकी शिकायत थी कि सब चीजों के दाम बढ़ गये, यह मुख्य-मंत्री का पागलपन था जो लोगों को उन्होंने किताबों के दाम नहीं बढ़ाने दिये। मैं इस प्रश्न पर ज्यादा तो नहीं कहूंगा, किन्तु सच में इस प्रश्न पर बहस करना ही नहीं चाहिये था, क्योंकि इस पर हाईकोर्ट फैसला देने वाला है। फिर भी बहस छिड़ गई है तो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी यह मान्यता है, मेरी व्यक्तिगत नालेज है, क्योंकि मैंने लगभग 9 साल प्रेस इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व किया है। गवर्नमेन्ट प्रेस से लेकर अनेक प्राइवेट छापेखानों के कर्मचारियों का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। चाहे आपका गीता प्रेस हो, इंडियन प्रेस हो, इलाहाबाद का या भार्गव प्रिंटिंग प्रेस हो, मैंने उनके बीच में काम किया है, ये और अन्य बहुत से तमाम प्रेस हैं, उनके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व मैंने किया है। तो छापेखानों के जितने कास्ट मैटीरियल हैं, जिन पर दाम आधारित है। उससे मान्यवर, मेरी भरपूर जानकारी है, बोनस के मुकदमें लड़ते लड़ते पूरा पक्का चिट्ठा मालूम है। मैंने प्रकाशकों के सामने चार प्रश्न उपस्थित किये। पहला प्रश्न मैंने पूछा कि पिछले दो सालों म मजदूरों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई, जो आप कहते हैं कि कास्ट कम्पोनेन्ट में मजदूरों की तनख्वाह है। उन्होंनें स्वीकार किया कि कुछ भी नहीं बढ़ाया। मैंने उनसे कहा कि दूसरी बात, बताइये, 120 पेज की किताब है अगर 100 पेज में छप जाय ऐसी विधि बता दूं तो फिर कागज का दाम तो कम हो गया। उन्होंने कहा कि बहुत कम हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप प्रशासक जो लेखकों को रायल्टी देते हैं, ऊंचे दर्जे की किताबों के सिलसिले में, 8 दर्जे के नीचे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मने कहा कि दो चार को कहिये आप के यहां भेज दूं मैं मुकदमा लड़ चुका हूं, क्या मैंने पकड़ा नहीं था, छापते हैं 50,000 और रायल्टी देते हैं 20,000 की। मैंने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं इनीशिएट करूंगा कि जितने लेखक हैं उनके साथ बातचीत की अगर आप 10 परसेंट रायल्टी लेते हैं तो मेहरबानी करके पांच परसेंट इस साल लीजिये। पूरी तादाद का सच्चा-सच्चा पैसा दीजिये। इस साल उनको कम पैसा मिलने वाला नहीं है। उनके जो अखिल भारतीय महामंत्री थे और एक व्यक्ति और था उन्होंन कहा कि हमारे साथ सुब्रमणियम् के पास चले चलिये, लिख कर दीजिये, हम को सस्ता कागज मिल जाय। मैंने तत्काल उसको स्वीकार कर लिया कि सस्ता कागज दिलाने के लिए सुब्रमणियम् के यहां आपके साथ चलूंगा। मेरे सामने उन्होंने हां कह दिया। लेकिन मान्यवर, प्रकाशकों में वह लोग जो कार्यकर्ता ह कि किसी राजनीतिक पार्टी के एक दो सज्जन उसमें भतपूर्व विधायक भी थे, उन लोगों ने यह समझा कि कोई बड़ी भारी राज-

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

ीतिक लाभ इस दल को मिलने वाला है, किताबों के मूल्य घटाने से, उन्होंने राजनीतिक के चक्के के अन्दर न्याय की पिसाई कर दी और उसका यह परिणाम हुआ कि इस स्थिति में पहुंच गये, सबसे प्रकाशक मंजूर कर गये थे सर्व सम्मति से, क्योंकि तर्क और बात के ऊपर उनके पास कोई उत्तर नहीं था, मैंने कोई हिटलरी हुक्म नहीं दिया कि मैं मुख्य मंत्री कहता हूं कि आप नहीं बढ़ाएंगे । मैंने कारण दिये और मैं आपसे आज कहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा चला उसमें विद्यार्थियों की ओर से यूथ कांग्रेस की तरफ से कुछ लोगों ने पैरवी की है, उनके वकील ने जो कास्ट दी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ देने की कोशिश की है, पर मैं कह सकता हूं कि जितनी अच्छी उनके वकील ने कास्ट दी है, हाई कोर्ट के सामने है ।

श्री सत्य पाल मलिक—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रकाशकों की तरफ से कौन साहब वकील हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रकाशकों के वकील का नाम मुझे नहीं मालूम है । श्री सत्यपाल मलिक को जरूर मालूम होगा।

श्री सत्य पाल मलिक—

आपकी पार्टी की तरफ से लोक सभा का जिन्होंने चुनाव लड़ा था, सतीश चन्द्र।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उनके खिलाफ कौन खड़े हैं, वह भी हमारे दल के ही हैं । वकीलों के ऊपर यहां कुछ कहना मुनासिब नहीं है । न मैं कहना चाहता हूं । मलिक जी के प्रश्नों में तथ्य भी होता है, तेजी भी होती है, और पेंच भी होता है, थोड़ी मजाक भी होती है । मैं आप से सब कहता हूं कि मेरी नजर उन पर टिकी हुई है ।(व्यवधान) कहीं आप उस स्तर को पहुंचते, अगर आप अपने को उच्च स्तर तक ले जायं, पढ़ कर आते हैं, तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा । वह खासा पढ़ कर आते हैं । यह सारे सदन के लिए, सभी सदस्यों के लिये अच्छी बात है, जो पढ़ कर आयें, सब को स्वीकार करना चाहिये चाहे इस पक्ष में हों या उस पक्ष में हों। यह बुरी बात नहीं है। यह पहलू यहां उठाया गया कि हमारी यह नीति है कि हम कानून में कमी छोड़ देते हैं यह श्री सत्यपाल मलिक ने कहा । जब अविश्वास होता है तो अपनी छाया भी भूत दिखाई देती है । अविश्वास को दुनिया से उठ सकें । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे कानूनी सलाहकार जो बता सकते थे उनकी राय से हमने किया है। फजिला-इजर के मामले को हम जीत चुके हैं । स्टे से अंतिम फैसले का निर्णय न लें । मैं कह सकता हूं कि प्रदेशीय सरकार के विधि परामर्शीदाता जो हमको बता सकें उसके आधार पर हमने किया है । एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि किताबों का मामला इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है और बहुत ही गम्भीरता से हम सोच रहे हैं कि हमेशा के लिये हल कसे निकालें । जनसंघ के विधायक श्री मोहनलाल कपूर ने कहा कि कब्र नहीं मिले । वह मेरे साथ चले चलें । मैं उनको करोड़ों से ऊपर कब्र दिखा दूं । मेरा निवेदन यह है कि लड़के एक साथ सारी किताबें नहीं खरीदते हैं । जरूरी नहीं है कि यदि 50 किताबें हैं तो सभी लड़के खरीदेंगे । जो भी किताबें छप गई हैं तो उनसे पढ़ाई हो सकती है।

श्री मोहनलाल कपूर—

गणित की किताब गणित की होगी, विज्ञान की विज्ञान की होगी । क्लास में यदि पांच विषय हैं तो पांच किताबें होंगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

एक किताब के लेखक आप हैं, एक का मैं हूं और एक के वह हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर--

आप जांच बिठा दीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं जरूर करा लूंगा । यदि कोई व्यक्ति कवर मांगने आये और उसको कठिनाई हो तो मैं जिम्मेदार हूं । माननीय सत्यपाल जी ने कहा कि बोर्ड ने काम ठीक नहीं किया । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सच है कि यह प्रश्न हाई कोर्ट के सामने विचाराधीन है कि बोर्ड ने इस सवाल को ठीक से देखा या नहीं । हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरह से देखने का जैसा मतलब होता है वैसे नहीं देखा गया है । हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है । हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं । अगर हाई कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में होता है तो कैसे भूल हुई और किससे भूल हुई इसकी जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि बच्चों के अभिभावकों की वाह वाही लूटने के लिये हम दाम घटा रहे थे । माननीय मोतीलाल जी ने कहा कि सब चीजों के दाम घटाइये और सारे देश के लिये उदाहरण बनिये । अगर हमारी क्षमता दाम घटाने की होती···

श्री सत्यपाल मलिक--

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया वह बहुत अच्छा है । उन्होंने स्वयं माना है कि बोर्ड ने ठीक से काम नहीं किया । बोर्ड 50 परसेंट दाम बढ़ाने की इजाजत दी । अब अगर इसमें है और उस आधार पर हम मुकदमा हार जायं तो क्या संबंधित लोगों को सजा देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हाइपोथेटिकल सवाल का कभी जवाब नहीं होता है । लेकिन जिस दिशा में आप देख रहे हैं उससे विपरीत दिशा में मैं नहीं देख रहा हूं। जाहिर है कि अगर किसी की गल्ती होगी तो जरूर उसको सजा दी जायेगी । अर्थ शास्त्री कोई भी बताये कि क्या प्रदेशीय सरकार के हाथ में इतना तंत्र है कि वह दाम बांध सकती है या दुनिया में कोई मुल्क अकेला दाम बांध सकता है । दाम कैसे बांधे । पैट्रोल का दाम तय ही नहीं है कि क्या होगा । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तय ही नहीं है कि क्या होगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

जीवन से संबंधित जो आवश्यकतायें हैं उनके बारे में ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वह पैदा होती हैं खेत खलिहान में। हमारी कोशिश है कि मुनाफाखोरी घटे, जमाखोरी घटे और लोगों को सामान मिल सके।

श्री अध्यक्ष--

अब एक घंटा पूरा हो चुका है ।

श्री मोहन लाल कपूर---

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं कि जितने विद्यार्थी हैं उनके हिसाब से कागज बहुत कम आया है। इसके साथ ही साथ उत्तर पुस्तिकायें भी नहीं हैं तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ।

(उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाये ।

विधान परिषद् ने इसमें एक शाब्दिक संशोधन किया है कि "फैजाबाद विश्वविद्यालय" के स्थान पर "अवध विश्वविद्यालय" रख दिया जाये । तो यह उसका एक करेक्टर है और उसका स्वरूप निखरता है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में जहां कहीं 'अवध' आया है उसके स्थान पर "साकेत' रख दिया जाये ।

इस संबंध में मेरा केवल यह कहना है कि इससे गरिमा बढ़ेगी और साकेत का पूरा संबंध अयोध्या से है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इसका नाम 'साकेत विश्वविद्यालय' रख दिया जाये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं समझता था कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार कर लेंगे । साकेत नाम था और अवध राज्य था । मैं समझता हूं कि राज्य के नाम से होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में जहां कहीं "अवध" आया है उसके स्थान पर "साकेत" रख दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में उपखण्ड (1-क) में शब्द "फैजाबाद विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द

"अवध विश्वविद्यालय" रख दिया जाये और जहां कहीं भी शब्द "फैजाबाद विश्वविद्यालय" इस विधेयक में आया है वहां शब्द "अवध विश्वविद्यालय" रख दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, 1974 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सःय प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
21 अगस्त, 1974 ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अधीन तारांकित प्रश्न सख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर]

भवन रहित/अर्द्धनिर्मित प्राइमरी विद्यालयों के नाम

क्रमांक	ब्लाक का नाम	शिक्षा क्षेत्र का नाम	भवन रहित, प्राइमरी विद्यालयों के नाम	अर्धनिर्मित प्राइमरी विद्यालयों के नाम
1	2	3	4	5
1	जमालपुर	जमालपुर	1—घीवही 2—घरवार 3—मदरा 4—चेनपुरवा 5—डीहरी अमरपाल 6—हड़ोरा 7—विपरही 8—शेरवा 9—लटिया सहिजनि 10—बनोली 11—खखड़ा	1—भुईली 2—अमोदहा 3—कोड़िया 4—हुसेनपुर 5—सकरोड़ी 6—ओड़ी 7—जमालपुर 8—मदनपुरा 9—धारी 10—कैमा रसूलपुर 11—पिड़खिल 12—ररूपुर 13—जफरपुरा 14—सहिजनी कला 15—भाईपुर 16—जफरावाद 17—मकरोथ 18—बिसोरा 19—गोरा 20—भड़कुड़ा 21—धन्नपुर 22—पसियाही 23—हासीपुर 24—छीतकपुर 25—लरछुट 26—बिटट्लपुर
2	सीखड़	सीखड़	12—कुसहा	

1	2	3	4	5
				27—पूरनपट्टी
				28—सुरसी
3	नरायनपुर	नरायनपुर	13—बाहपुर	29—रेपुरिया नरायनपर
			14—जसवां	30—छाटा मीरजापुर
				31—गिरोडी
				32—पथरोरा
				33—हिनौती
				34—बरेव
				35—कोलना
				36—भुड़कुड़ा
				37—रहिया
				38—अल्हुआ
				39—कुदारन
				40—बाराडीह
				41—महुली
				42—मानिकपुर
				43—बेलखरा
				44—मदापुर
				45—परशुरापुर
				46—खजुरोल
4	नरायनपुर	चुनार	15—कादीपुर	47—फत्तेपुर
			16—परसिया	48—बेलबारी
			17—निवास पलपुरकलां	49—शिवपुर
			18—नियायतपुरखुर्द	50—रसूलपुर
			19—जमुई	51—जमाल पुर मैदान
			20—मरहटा	52—बेला
			21—इसलामिया चुनार	53—रेपुरिया (चुनार)
			22—बहरामगंज	54—पकियाबाद
5	रामगढ़	राजगढ़	23—सिमरहा	55—सोनवरसा
			24—शेरवां	56—एकली
			25—थोहा	57—कुबाकला
			26—बड़ागांव	5 —बदरा हिनौती
			27—कुसम्ही	59—जरवा
			28—सरसों ग्राम	

1	2	3	4	5
			29—लहोरा	
			30—नगनार	
			हरैया	
			31—खटखरिया	
			32—रामपुर, 38	
			33—तालर	
			34—खीराडीह	
			35—अटारी	
			36—करोंब	
			37—डढ़िया	
			38—तेनुआर्क	
			39—खुरका	
			40—बार	
			41—राजापुर	
		भवनहीन कन्या प्रा० पा० की सूची		
1 राजगढ़	1—राजगढ़	42—कन्या प्रा० पा0- नमुआर		
		43—कन्या पा0 प्रा0 मड़ी	60—कन्या प्रा० पा0, पटिहरा	
		44—क0 प्रा0 पा0, राजगढ़		
		45—क0 प्रा0 पा0, देवबुरा		
		46—क0 प्रा0 पा0, बयोढ़ा		
		47—क0 प्रा0 पा0, धनसरिया		
2 जमालपुर	2—जमालपुर	48—क0 प्रा0 पा0, शेरवा	61—क 0 प्रा0 पा०, डूहीकलां	
		49—क० प्रा0 पा0, औड़ी	62—क0 प्रा0 पा0, मदनपुरा	
			63—क0 प्रा0 पा0, जोगवां	
			64—क0 प्रा0 पा0, छोटभीरजपुर	
			65—क० प्रा0 पा0, डोहरी	
			66—क0 प्रा0 पा0, हिनौती माफी	

1	2	3	4	5
			67—क0 प्रा0 पा0, मचारपुरा	
			68—क0 प्रा0 पा0, जवुई	
			69—क0 प्रा0 पा0, हसौला	
3	नरायनपर	3—नरायनपुर	5८—क0 प्रा0 पा0, मूमडी	70—क0 प्रा0 पा0, नरायनपुर
			51—क0 प्रा0 पा0, टंकोर	
			52—क0 प्रा0 पा0, जलालपुरमाफी	
			53—क0 प्रा0 पा0, रोहिया	
			54—क0 प्रा0 पा0, रैपुरिया	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 416 पर)

सूची

सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, 7--दिशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री को दिनांक 8-7-74 को दिये गये मांग-पत्र (प्रथम) में दी गयी मांगें ।

**1--श्री जे0 एस0 नेगी, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 5-1-73 के अनुसार बिना किसी भेदभाव के पी0 डब्लू0 डी0 और राज्य सेतु निगम में तीन साल तक की सेवा अवधि पूरी करने वाले वर्क चार्ज मस्टर रोल मजदूरों की सेवायें रेगुलर की जाय ।

2--समान कार्य के लिये रेगुलर और गैररेगुलर मजदूरों को समान वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता दी जाय ।

**3--वर्ष 1973 मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 वि0 ने विभाग के मस्टर रोल वर्क चार्ज मजदूरों के वेतनों में पुनः संशोधन हेतु दो विभागीय समितियों का गठन किया था इन समितियों की रिपोर्ट शासन के समक्ष विचाराधीन है। अतएव उपरोक्त दोनों समितियों की रिपोर्ट को अविलम्ब प्रकाशित कर लागू किया जाय।

**4--सड़कों, पुलों और इमारतों के रखरखाव और निर्माण कार्य म लगे मजदूरों को औद्योगिक मजदूर घोषित कर, स्टैन्डिग आर्डर तथा सेवा शर्तें बनायी जायें ।

**5--जिस प्रकार से मेट को 5 रुपया स्पेशल एलाउन्स दिया गया है उसी प्रकार से वर्क एजेन्ट और वर्क सुपरवाइजर को भी स्पेशल एलाउन्स दिया जाय ।

**6--विभागीय मजदूरों के लिये चैनेल आफ प्रोमोशन श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों से परामर्श करके शीघ्र ही बनाये जायें।

**7--सभी मजदूरों को समान रूप से साइकिल एलाउन्स और पदों की सुविधा दी जाय ।

*8--साइट पर रहने वाले मजदूरों के लिये गैंग हट तथा अस्थाई वर्क चार्ज टीन शेड बनाये जायें।

9--जिस प्रकार से मेट को छाता दिया जाता है उसी प्रकार से सभी मजदूरों को बरसाती दी जाय ।

10--चौकीदारों से आठ घंटे से अधिक ड्यूटी पर अतिरिक्त ओवरटाइम दिया जाय तथा रेगुलर मजदूरों को इतवार के दिन काम करने पर ओवरटाइम दिया जाय। चौकीदारों के रहने तथा रोशनी की व्यवस्था की जाये।

**11--तीन साल से अधिक अवधि वाले रेगुलर अस्थायी मजदूरों को परमानेंट किया जाय।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 422 पर)

प्रदेश के उन सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची जिन्हें वर्ष 1973–74 म विज्ञान की शिक्षा देने हेतु प्रयोगशाला निर्माणार्थ तथा यन्त्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वीकृत हुआ।

हाई स्कूल विज्ञान प्रयोगशाला

बालक विद्यालय

1—वाराणसी	..	उदय प्रताप इन्टर कालेज, वाराणसी ।
2—बिजनौर	..	राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इन्टर कालेज, बिजनौर ।
3—मेरठ	..	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, निवाड़ी, मेरठ ।
4—लखीमपुर-खीरी	..	धर्म सभा इण्टर कालेज, लखीमपुर-खीरी ।
5—देवरिया	..	बखरा इण्टर कालेज, बखरा, देवरिया ।
6—लखीमपुरखीरी	..	गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, लखीमपुर-खीरी ।
7—अलीगढ़	..	अग्रसेन इण्टर कालेज, हरदुआगंज, अलीगढ़ ।
8—गोरखपुर	..	इन्द्रासना इण्टर कालेज, बालापार, गोरखपुर ।

बालिका विद्यालय

9—कानपुर	..	जुहारी देवी गर्ल्स इण्टर कालेज, कैनाल रोड, कानपर ।

हाई स्कूल विज्ञान उपकरण

बालक विद्यालय

1—बुलन्दशहर	..	एल0 के0 इण्टर कालेज, ईलना परवाना, बुलन्दशहर ।
2—मेरठ	..	जवाहर लाल इण्टर कालज, रछौती, मरठ ।
3—सहारनपुर	..	गुरूनानक इण्टर कालेज, अम्बला रोड, सहारनपुर ।
4—अलीगढ़	..	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, अकबराबाद, अलीगढ़ ।
5—अलीगढ़	..	अग्रसेन इण्टर कालेज, हरदुआगंज, अलीगढ़ ।
6—बदायूं	..	नगरपालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ककराला, बदायूं ।
7—कानपुर	..	चाचा नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर ।
8—कानपुर	..	सुभाष स्मारक इण्टर कालेज, सहयोगीनगर, कानपुर।
9—वाराणसी	..	राम बाबा इण्टर कालेज, सिन्धौरा, वाराणसी।
10—बलिया	..	श्रीनाथ इण्टर कालेज, गढ़मलपुर, सहुलाई, बलिया।
11—लखीमपुरखीरी	..	गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी।
12—लखीमपुरखीरी	..	धर्मसभा इण्टर कालेज, लखीमपुरखीरी।
13—देवरिया	..	बाबूराम इण्टर कालेज, भुजौली, हेतिमपुर, देवरिया।
14—गोरखपुर	..	जनता इण्टर कालेज, चरगवां, गोरखपुर ।
15—सुलतानपुर	..	श्री हनुमत इण्टर कालेज, धन्मौर, सुलतानपुर ।
16—फैजाबाद	..	बल्देव विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेवारा, फैजाबाद।
17—झांसी	..	त्यागमूर्ति आत्माराम खेर इण्टर कालेज, गुरसरांय, झांसी।
18—देहरादून	..	श्री भरत मन्दिर इण्टर कालेज, ऋषिकेश, देहरादून।
19—देहरादून	..	आशाराम वैदिक इण्टर कालेज, विकासनगर, देहरादून ।

बालिका विद्यालय

20—आगरा .. मुरारी लाल खत्री गर्ल्स इण्टर कालेज, बागमुजफ्फरखां, आगरा।

इंटरमीडिएट विज्ञान प्रयोगशाला

बालक विद्यालय

1—मिर्जापुर .. मिश्री लाल इण्टर कालेज, मवैया, मिर्जापुर।
2—मैनपुरी .. देवनागरी इण्टर कालेज, कुरावली, मैनपुरी।
3—मनपुरी .. आजाद हिन्द इण्टर कालेज, करहल, मनपुरी।

बालिका विद्यालय

4—लखनऊ .. नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज, राजेन्द्रनगर, लखनऊ।

इण्टरमीडियट विज्ञान उपकरण

बालक विद्यालय

1—मेरठ .. श्री सरस्वती विद्यालय इण्टर कालेज, हापुड़, मेरठ।
2—नैनीताल .. मथुरादास परसादी लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामनगर नैनीताल।
3—पौड़ी गढ़वाल .. मेसमौर इण्टर कालेज, पौड़ी गढ़वाल।

बालिका विद्यालय

4—सहारनपुर .. जे० वी० एस० हिन्दू महिला इण्टर कालेज, सहारनपुर।

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पष्ठ 423 पर)

प्रश्न संख्या 14 के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्रम-सं०	जिलों के नाम	विद्यालय का नाम
		बालकों के विद्यालय
1	आगरा	श्री चन्दन सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, छीतापुर मोती पुरा, पो० नदोम
2	अलीगढ़	महात्मा गांधी जूनियर हाई स्कूल, हाथरस
3	अलीगढ़	श्री विद्यापति जू० हा० स्कूल हाथरस
4	एटा	जनता जूनियर हाई स्कूल, तजापुर
5	मुरादाबाद	कृषि औद्योगिक जू० हा० स्कूल, अमरपुर काशी
6	कानपुर	जन कल्याण माध्यमिक विद्यालय, उरसान
7	कानपुर	श्री लालमणि विद्यालय, रेउना
8	फतेहपुर	ग्राम्य दर्शन पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कल्यानपुर, कवरौली
9	बांदा	श्री गोस्वामी पूत्रमाध्यमिक विद्यालय, छोवों
10	मिर्जापुर	जनता लघु माध्यमिक विद्यालय, बड़गवां
11	जौनपुर	श्री लाल बहादुर शास्त्री जू० हा० स्कूल, बीबीपुर पो० गुलजारगंज
12	जौनपुर	केशवनाथ सी० वे० विद्यालय, हौरइया पो० रायनगर, विक्रमौआ
13	जौनपुर	सरस्वती बाल मन्दिर जू० हा० स्कूल, जौनपुर
14	जौनपुर	श्री स्वामी हनुमन्त राष्ट्रीय विद्यालय, देहुआ, मारिकापुर
15	बलिया	श्री हरिवंश बाबा जू० हा० स्कूल, पुर
16	उन्नाव	स्वामी विवेकानन्द जू० हा० स्कूल, रामटेकरी निहारी बेड़ा, मो० बारा
17	सुल्तानपुर	जूनियर हाईस्कूल, जासावारा
18	आजमगढ़	गंगादास लघु माध्यमिक विद्यालय, धरियासाय
19	आजमगढ़	श्री दुर्गा जी जूनियर हाई स्कूल, चिउटीडांड, पो० नई बाजार
20	देवरिया	श्री जवाहर लाल नेहरू रघुनन्दन पूर्व माध्यमिक विद्यालय कसिलोयनुमा, पो० सतरांव
21	नैनीताल	पूर्व माध्यमिक विद्यालय लखनमन्डी, पो० चौरगलिया
22	पौड़ी-गढ़वाल।	श्री शिवदयाल गिरि पू० मा० वि० पोखरखाल
23	पौड़ी गढ़वाल।	जूनियर हाई स्कूल, उखरेखाल
		बालिका विद्यालय
24	इलाहाबाद	जनता देवी आदर्श बालिका विद्यालय, कौपियारा

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 423 पर)

फर्रुखाबाद जिला में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों के निर्माण कार्य किया जा रहा है:--

क्रम संख्या	सड़क का नाम	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित लक्ष्य तिथि
1--	अमृतपुर जौनपुर मार्ग	मार्च, 1976
2--	समसाबाद-ढाईघाट मार्ग	,,
3--	कम्पिल दाइन मार्ग	,,
4--	कायमगंज सराय अगहत माग	,,
5--	नबाबगंज अचरा मार्ग	,,
6--	परवना से बो0 ई0 मार्ग	,,
7--	मोहम्मदागढ़ ताजपुर छिबरामऊ मार्ग	,,
8--	सौरिख तिर्वा मार्ग (नादेमऊ तक)	,,
9--	लाल ग्राम ताहपुर इन्दरगढ़ मार्ग	,,
10--	तिर्वा ठठिया मकनपुर मार्ग	,,
11--	छिबरामऊ विशानगढ़ मार्ग	,,
12--	सौरिख सकरावा मार्ग	,,
13--	गंगा सेतु पहुंच मार्ग:--	
	(क) बरेली साइट	मार्च, 1975 तक
	(ख) फतेहगढ़ साइट	,,

नत्थी "च"

(देखिये पीछे पृष्ठ 427 पर)

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य में पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1953 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(क क) उसका नोटिस सम्बद्ध गांव सभा को देगा।"

धारा 11 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 में—

(1) उपधारा (2) में शब्द "तथा सम्बद्ध गांव पंचायत" के स्थान पर "सम्बद्ध गांव सभा" रख दिये जायें;

(2) उपधारा (3) तथा (4) में, जहां कहीं भी शब्द "भू-दान प्रख्थापन" आये हैं, उनके स्थान पर शब्द "भू-दान प्रख्यापन अथवा उसके भाग" रख दिये जायें; तथा

(3) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(6) इस धारा के अधीन तहसीलदार के किसी आदेय से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध कलेक्टर को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर कलेक्टर का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

नई धारा 15-क का बढाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

अनुदान का रद्द किया जाना

"15-क (1) कलेक्टर, इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् धारा 14 के अधीन अनुदत्त की गई किसी भूमि के सम्बन्ध में स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगा और ऐसे अनुदान से व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाय कि धारा 14 के उल्लिखित समिति या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति क तात्विक अनियमितता से या इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्यथा कार्यवाही की है या अनुदान अनुदानग्रहीता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त किया गया था तो वह—

(i) अनुदान रद्द कर सकेगा और इस प्रकार रद्द किये जाने पर, धारा 14 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि म किसी बात के होते हुये

भी, ऐसी भूमि में अनुदानग्रहीता या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और भूमि समिति को प्रतिवर्तित हो जायगी; और

(ii) ऐसी भूमि पर कब्जा करने या कब्जा रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बदखल करने के पश्चात् भूमि का कब्जा समिति को परिदत्त करने का निदेश दे सकेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित कलेक्टर का आदेश अन्तिम और निश्चयात्मक होगा ।"

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि कतिपय मामलों में भूमिहीन व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन दान की गयी भूमि को दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किया है। यह प्रस्ताव है कि अधिनियम में ऐसे अनुदानों को रद्द करने की व्यवस्था की जाय ।

2—यह भी आवश्यक समझा गया है कि सम्बद्ध गांव सभा पर प्रत्येक भू-दान प्रख्यापन का नोटिस तामील किया जाय जिससे कि वह अपनी किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी प्रख्यापन के विरुद्ध आपत्ति, यदि कोई हो, दाखिल कर सके ।

3—तदनुसार उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित किया जाता है ।

स्वामी प्रसाद सिंह,
राजस्व मंत्री ।

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1974 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं के उद्धरण

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952

धारा 11—(2) तहसीलदार ऐसी प्रत्येक उज्रदारी को रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करेगा जिसकी सूचना प्रस्थापन करने वाले व्यक्ति, उज्रदारी करने वाले व्यक्ति तथा सम्बद्ध गांव पंचायत को दी जायगी।

(3) सुनवाई के दिनांक पर या किसी ऐसे अन्य दिनांक पर, जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाय, तहसीलदार उज्रदारी की जांच पड़ताल और निस्तारण की कार्यवाही आरम्भ कर देगा और धारा 12 के उपबन्धों को बाधित न करते हुए—

(क) या तो भू-दान प्रस्थापन को पुष्ट (Con firm) करेगा, अथवा

(ख) उसे अधिक्रान्त (Supersede) कर देगा।

(4) यदि तहसीलदार भू-दान प्रस्थापन को पुष्ट कर देता है तो समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी स्वामी (Owner) के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, आगम और स्वत्व भू-दान यज्ञ के प्रयोजनों के निमित्त भू-दान समिति को हस्तान्तरित तथा उसमें निहित हो जायेंगे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भू-दान प्रस्थापन की पुष्टि के दिनांक से ठीक बाद की जुलाई के पहले दिन से आरम्भ होने वाले तीन वर्ष की अवधि तक ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई मालगुजारी देय नहीं होगी, यदि वह दान के दिनांक पर परती कदीम अथवा बंजर हो।

———

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 427 पर)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1974

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया ।)

उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत उपाध्यक्ष अथवा तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई अन्य सदस्य भी है;

(ख) "महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा सहयुक्त महाविद्यालय से है जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार दिया जाय ;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग से है;

(घ) "निधि" अथवा "आयोग निधि" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन संघटित निधि से है,

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(च) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(छ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ज) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमो, 1973 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय से है ।

अध्याय—2

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

3—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित किया जायगा ।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायगा।

आयोग की संरचना

4--(1) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

(क) शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक व्यक्ति, जो राज्य सरकार का अधिकारी न हो, सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा;

(ख) शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित दो व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो अथवा रहा हो, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग, पदेन तथा

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिदिष्ट किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष नामांकित कर सकती है।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जब वह राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित की जाय।

(4) उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में अभिदिष्ट अधिकारी आयोग की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उसके विभाग में संयुक्त सचिव के कम न हो या खंड (ग) में अभिदिष्ट अधिकारी की अवस्था में, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) का हो बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा मत देने का भी अधिकार होगा।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें

5--(1) आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों के अधीन सदस्य बने रहने के लिये अनर्ह न हो जाय तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) सिवाय किसी पदेन सदस्य की दशा में, कोई भी व्यक्ति दो क्रमवर्ती कार्यकाल से अधिक के लिये आयोग का सदस्य नहीं होगा।

(3) आयोग का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) अध्यक्ष अथवा आयोग के अन्य सदस्य के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी प्रकार की जायगी जिस प्रकार ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति की जानी है, चुना गया था, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला ऐसा व्यक्ति उस अवशिष्ट अवधि के लिये अध्यक्ष अथवा आयोग का अन्य सदस्य होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान की पूर्ति ऐसा व्यक्ति करे, यथास्थिति अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य होता।

(5) अध्यक्ष का पद पूर्णकालिक होगा और उसकी सेवा के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे।

(6) अन्य सदस्यों तथा धारा 8 के अधीन सहयुक्त व्यक्तियों को आयोग की निधि से ऐसा भत्ता दिया जायगा जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे ।

आयोग की बैठक

6--आयोग की बैठक ऐसे समय तथा स्थानों पर होगी और वह अपनी बैठकों में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया नियमावली का अनुपालन करेगा जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय ।

अनौपचारिकता रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

7--आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल--

(क) आयोग में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने के कारण अविधिमान्य न होगी ।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग से व्यक्तियों का अस्थायी सहयोग

8--(1) आयोग, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये चाहे, आयोग से सहयुक्त कर सकता है ।

(2) किसी प्रयोजन के लिये उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा सहयुक्त व्यक्ति को उक्त प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे आयोग की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

आयोग के कर्मचारिवर्ग

9--(1) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जैसा राज्य सरकार अवधारित करे, नियुक्त किया जायगा ।

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार द्वारा तद्‌र्थ जारी किये जांय, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझे, सेवा के लिये ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।

आयोग के आदेशों तथा अन्य संलेखों का प्रमाणीकरण

10--आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे और आयोग द्वारा जारी किये गये सभी अन्य संलेख आयोग के सचिव अथवा आयोग द्वारा तद्‌र्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किये जायेंगे ।

अध्याय--3

आयोग की शक्तियां तथा कृत्य

आयोग के कृत्य

11--आयोग का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालयों अथवा अन्य सम्बद्ध निकायों के परामर्श से, ऐसी सभी कार्यवाहियां करे जिन्हें वह विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा तथा शोध की प्रोन्नति के लिये उचित समझे, और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, आयोग--

(क) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच कर सकता है;

(छ) अपनी निधि से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के ऐसे अनुदान जिन्हें वह ऐसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अनुरक्षण या विकास के लिये अथवा ऐसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के किन्हीं विनिर्दिष्ट कार्य कलापों के लिये अथवा किसी अन्य सामान्य या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये आवश्यक या समुचित समझें, आवंटित तथा संवितरित कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को कोई अनुदान स्वीकृत कराते समय आयोग सम्बद्ध विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के विकास, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं, उसके द्वारा प्राप्त स्तर तथा उन प्रयोजनों जिनकी पूर्ति ऐसा अनुदान करे, पर सम्यक् रूप से विचार करेगा;

(ग) किसी विश्वविद्यालय को उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के लिये आवश्यक उपायों की संस्तुति कर सकता है;

(घ) खंड (ख) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य की संहत निधि में से किसी सामान्य अथवा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को कोई अनुदान आवंटित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह दे सकता है;

(ङ) जहां उसे यह प्रतीत हो कि खंड (ख) के अधीन उसके द्वारा किसी महाविद्यालय को आवंटित या खंड (घ) के अधीन उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है, या नहीं किया जा रहा है जिसके लिये वह आवंटित किया गया था और उसे पूर्णतः या अंशतः संवितरित किया गया है, ऐसे प्रयोजन के लिये अनुदान का उचित उपयोग करने के निमित्त जिसके अन्तर्गत उपस्कर क्रय करने के लिये सीधे भुगतान करना अथवा वेतन का सीधे भुगतान करना भी है, ऐसा सीधा प्रबन्ध कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे और इस प्रयोजन के लिये महाविद्यालय से यह उपेक्षा कर सकता है कि वह पहले से संवितरित अनुदान को वापस करे अथवा उसे पहले से आवंटित किसी अग्रेतर अनुदान में से या आवंटित किये जाने वाले अनुदान से काट सकता है;

(च) किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना पर अथवा किसी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के विस्तार से सम्बद्ध प्रस्तावों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है;

(छ) किसी नये महाविद्यालय की स्थापना पर अथवा किसी महाविद्यालय के कार्यकलापों के विस्तार से सम्बद्ध प्रस्तावों पर किसी विश्वविद्यालय को, यदि उसके द्वारा कुलाधिपति के माध्यम से सलाह मांगी जाये सलाह दे सकता है;

(ज) राज्य सरकार अथवा किसी विश्वविद्यालय को किसी ऐसे प्रश्न पर जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को अभिदिष्ट किये जायें, सलाह दे सकता है;

(झ) भारत तथा अन्य देशों में उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे सभी विषयों पर सूचना एकत्र कर सकता है जिसे वह उचित समझे और उसे किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को उपलब्ध करा सकता है;

(ञ) किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से उसकी वित्तीय स्थिति अथवा उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में विद्या की विभिन्न शाखाओं

में दिये जाने वाले शिक्षण से सम्बद्ध ऐसी सूचना जो आवश्यक हो और उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में विद्या की प्रत्येक ऐसी शाखा के सम्बन्ध में अध्ययन स्तर तथा परीक्षा स्तर से सम्बन्धित सभी सूचनायें, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ट) ऐसे अन्य कृत्य सम्पादित कर सकता है जो विहित किये जायें अथवा जो राज्य में उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये आयोग द्वारा आवश्यक समझे जायें अथवा जो उपयुक्त कृत्यों के सम्पादन के लिये आनुषंगिक या साधक हों ।

निरीक्षण

12--(1) किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आयोग, विश्वविद्यालय की सहमति से, उसके किसी विभाग अथवा किन्हीं विभागों का निरीक्षण ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, करा सकता है;

(2) आयोग किसी ऐसे निरीक्षण के परिणाम के सम्बन्ध में अपने विचार विश्वविद्यालय को सूचित करेगा और विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् उसे ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है ।

आयोग को धन-राशि संदत्त करना

13--राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा तदर्थ सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात् आयोग को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसी धनराशि संदाय करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझी जाय ।

आयोग की निधि

14--(1) आयोग की अपनी निधि होगी, और ऐसी समस्त धनराशि जो उसे, समय-समय पर, राज्य सरकार, या भारत सरकार या किसी अन्य व्यक्ति (जिसमें कोई निकाय, संगठन या प्रतिष्ठान भी शामिल है) द्वारा संदत्त की जाये और आयोग की सभी प्राप्तियां (जिन के अन्तर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जिसे राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति आयोग को दे) इस निधि में जमा की जायगी और इस अधिनियम के अधीन-अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आयोग द्वारा सभी भुगतान निधि से किये जायेंगे ;

(2) आयोग का सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किया जायगा अथवा ऐसी रीति से विनिहित किया जायगा जैसा आयोग, राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुये निश्चित करे ।

बजट

15--आयोग, प्रति वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा, राज्य सरकार निदेश दे, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में बजट तैयार करेगा, जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे, और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेसित की जायेंगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

16--आयोग, प्रति वर्ष ऐसे प्रपत्र म और ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के अपने कार्यकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायगा और उनकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेसित की जायेंगी और सरकार उन्हें राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी ।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

17--(1) आयोग अपने लेखे के सम्बन्ध में, ऐसी लेखा बहियां तथा अन्य बहियां, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे रखवायेगा ।

(2) आयोग, अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे महालेखाकार को ऐसे दिनांक तक अग्रेसित करेगा, जैसा राज्य सरकार, के कंट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल्स (ड्यूटीज, पावर्स एण्ड कंडिशन्स आफ सर्विस) ऐक्ट, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे;

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेसित की जायगी और सरकार उन्हें राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

राज्य सरकार द्वारा निदेश

18--(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में आयोग की नीति विषयक प्रश्नों पर पथ-प्रदर्शन ऐसे निदेशों से होगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे दिये जायं ।

(2) यदि राज्य सरकार और आयोग के बीच इस बात पर कोई विवाद उत्पन्न हो कि कोई प्रश्न नीति विषयक प्रश्न है या नहीं तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

विवरणियां तथा सूचना

19--आयोग, राज्य सरकार को अपनी सम्पत्ति अथवा कार्यकलापों के सम्बन्ध में ऐसी विवरणियां अथवा अन्य सूचना, जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा ।

प्रत्यायोजित करने की शक्ति

20--(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन अथवा उसकी धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों को, किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसे नियम बनाने की शक्ति नहीं है, आयोग को प्रत्यायोजित कर सकती है और ऐसे प्रत्यायोजन में किसी भी समय परिष्कार कर सकती है अथवा उसे वापस ले सकती है;

(2) आयोग, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अपने किसी अधिकारी को, अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों को, जिनके अन्तर्गत आयोग के कार्यालय तथा आन्तरिक प्रशासन को बनाये रखने के सम्बन्ध में कोई व्यय करने की शक्ति भी है, किन्तु जिनके अन्तर्गत उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित कोई शक्ति या कृत्य नहीं है, प्रत्यायोजित कर सकता है और ऐसे प्रत्यायोजन में, किसी भी समय, परिष्कार कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है ।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन रहते हुये अध्यक्ष या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे उपाध्यक्ष तथा सचिव को, इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है और ऐसे प्रत्यायोजन में किसी भी समय परिष्कार कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है ।

नियम बनाने की शक्ति

21--(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्--

(क) आयोग के सदस्य के रूप में बने रहने के लिये अनर्हतायें;

(ख) ऐसे अतिरिक्त कृत्य जो आयोग द्वारा धारा 11 के खंड (2) के अधीन सम्पादित किये जायें,

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो अथवा जो विहित किया जा सके;

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

विनियम बनाये की शक्ति

22--(1) आयोग इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत ऐसे विनियम बना सकती है जो:--

(क) आयोग की बैठकों को और उसके कार्य-संचालन की प्रक्रिया को विनियमित करे;

(ख) ऐसी रीति जिसमें तथा उन प्रयोजनों को जिनके लिये व्यक्ति धारा 8 के अधीन आयोग से सहयुक्त किये जायें विनियमित करे;

(ग) आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तों को विनिर्दिष्ट करे;

(घ) ऐसी अर्हताओं, जिनकी अपेक्षा ऐसे व्यक्ति से, जो किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापकवर्ग में नियुक्त किया जाने वाला हो उस शिक्षा-शाखा को ध्यान में रखते हुये जहां उसे संशिक्षण देना हो, साधारणतया की जाय, को निर्धारित करे;

(ङ) विश्वविद्यालयों में स्तर तथा कार्य अथवा सुविधाओं को बनाये रखने को विनियमित करे;

(2) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अधीन कोई विनियम नहीं बनाया जायगा ।

बाद का वर्जन

23--राज्य सरकार अथवा आयोग अथवा उसके अध्यक्ष अथवा उसके किसी सदस्य अथवा अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों और सहयुक्त तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, जिनका पहले सीधे सरकार द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, एक स्वशासी निकाय स्थापित करने का निश्चय किया है । इस निकाय का नाम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग होगा । यह, अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करेगा और उन्हें अनुरक्षण या विकास के लिये अथवा किसी अन्य सामान्य या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये अनुदान आवंटित करेगा, विश्वविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के लिये आवश्यक उपायों की संस्तुति करेगा और नये विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना पर राज्य सरकार को सलाह देगा और नये महाविद्यालयों की स्थापना पर तथा वर्तमान महाविद्यालयों के कार्यकलापों के विस्तार के सम्बन्ध में भी सलाह देगा । उक्त अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को कतिपय शक्तियां प्राप्त है । यह प्रस्ताव है कि सरकार को ऐसे प्राधिकार होने चाहिये जिससे कि वह उन शक्तियों को आयोग को प्रत्योजित कर सके ।

उपर्युक्त उद्देश्यों से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अध्यादेश, 1974 राज्यपाल द्वारा 15 जनवरी, 1974 को प्रख्यापित किया गया था ।

उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1974 सम्बन्धित वित्तीय ज्ञापन-पत्र

खंड 5 (5) तथा (6)---उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पद पूर्णकालिक होगा । इसके अतिरिक्त आयोग के कार्यालय के सचिव तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि पर व्यय होगा । इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 2.16 लाख रुपया वार्षिक आवर्तक व्यय होगा जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

2---खंड 13---अभी तक विश्वविद्यालयों को अनुपालन अनुदान तथा विकास अनुदान शासन द्वारा दिया जाता था जिसका प्राविधान प्रतिवर्ष आय-व्ययक में किया जाता था । विधेयक के खंड 13 में यह प्राविधान रखा जा रहा है कि राज्य सरकार राज्य विधान मंडल द्वारा तदर्थ सम्यक विनियोजन किये जाने के पश्चात् आयोग को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसी धनराशि संदाय करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझी जाय ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री ।

ज्ञापन-पत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1974 के ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकार अन्तर्ग्रस्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1974 में निम्नलिखित ऐसे उपबन्ध हैं जो विधायी शक्ति पूरक है:—

(1) खंड 18(1) में राज्य सरकार को नीति विषयक प्रश्नों पर पथ-प्रदर्शक हेतु आयोग को निदेश देने का अधिकार दिया जा रहा है, और कोई प्रश्न नीति विषयक प्रश्न है या नहीं इस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

(2) खंड 20—

(i) उपखंड (1) द्वारा राज्य सरकार को बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन अथवा उसकी धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों की, किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसे नियम बनाने की शक्ति नहीं है, आयोग को प्रत्यायोजित करने तथा ऐसे प्रत्यायोजन में किसी भी समय परिष्कार करने अथवा उसे वापस लेने का अधिकार दिया जा रहा है ।

(ii) उपखंड (2) में आयोग को बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अपने किसी अधिकारी को, अपनी किन्हीं शक्तियों तथा कृत्यों को किन्तु जिनके अन्तर्गत उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित कोई शक्ति या कृत्य नहीं है, प्रत्यायोजित करने का अधिकार दिया जा रहा है ।

(3) खंड 21—राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने का अधिकार दिया जा रहा है ।

(4) खंड 22—आयोग को इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बनाने का अधिकार दिया जा रहा है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री ।

नत्थी "ज"

(देखिये पीछे पृष्ठ 444 पर)

उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान विधेयक, 1974

भारत संविधान के अनुच्छेद 15(4), 29(2) तथा 16(4) की मंशा, राष्ट्रीय एकता और उत्थान के हित में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं और राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष अवसर का अभाव तथा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण स्थान आरक्षण करना सामान्य जनहित में अत्यन्त आवश्यक है और इस व्यवस्था के लिये

विधेयक

प्रतएव भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाती है :—

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषा

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2—इस अधिनियम में जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) पिछड़े वर्ग का तात्पर्य देश के ऐसे नागरिकों से है जिनको मान्यता पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में है और जो राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में है यानी जो अनुसूची 'अ' में उल्लिखित हैं।

(ख) पिछड़े वर्ग आयोग से तात्पर्य है जो संविधान के अनुच्छेद 340(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश पर 29 जनवरी, 1953 ई० में पिछड़ा वर्ग कमीशन की नियुक्ति श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई और जिसका प्रतिवेदन 30 मार्च, 1955 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

(ग) राज्य सरकार से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार ।

(घ) हरिजन का तात्पर्य ऐसे नागरिकों से है जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा विमुक्त जातियों के रूप में भारत संविधान में वर्णित है और अनुसूची 'ब' में उल्लिखित है ।

आरक्षण

3—पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के आधार पर ध्यान रखते हुए राज्याधीन समस्त सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिये सीधी नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये निम्नलिखित तौर पर स्थान सुरक्षित होगा, अर्थात्—

अनुसूची "अ" के लिए

(पिछड़ा वर्ग)

श्रेणी 1 (प्रथम)	..	..	.. 27 प्रतिशत
श्रेणी 2 (द्वितीय)	..	..	.. 30 प्रतिशत
श्रेणी 3, 4 (तृतीय या चतुर्थ)		..	.. 30 प्रतिशत

अनुसूची 'ब' के लिए

(हरिजन)

श्रेणी 1 (प्रथम)	..	..	.. 21 प्रतिशत
श्रेणी 2 (द्वितीय)	..	..	.. 19 प्रतिशत
श्रेणी 3, 4 (तृतीय या चतुर्थ)		..	.. 19 प्रतिशत

इन आरक्षित जगहों के लिए प्रतियोगिता अथवा चयन केवल पिछड़े वर्ग समूहों के अभ्यर्थियों के अन्तर्गत ही होगा।

अवधि

4--यह आरक्षण की व्यवस्था अस्थायी तौर पर अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से पंद्रह वर्ष की अवधि तक रहेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सरकार को यह समाधान हो जाय कि पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग का राज्याधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो सका है तो वह विज्ञप्ति द्वारा इस अवधि को पुनः बढ़ा देगी ।

शिक्षा संस्थाओं में लागू होने

5--उत्तर प्रदेश में सरकारी तकनीकी शिक्षा संस्थायें, अर्थात् मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कृषि कालेज, विज्ञान एवं टेक्नोलाजिकल विद्यालयों में पिछड़ा वर्ग एवं हरिजन (अनुसूची 'अ' तथा 'ब') के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कम से कम 49 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होगा और अन्य शेष बातों के लिए अधिनियम की धारा 3, 4 लागू हुयी समझी जायगी । इन वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने में विशेष सुविधा सामाजिक एवं शिक्षात्मक पिछड़ापन ही आधार होगा ।

सूचना

6--सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि प्रत्येक वित्तीय बजट वर्ष के विधान सभा सत्र में इस अधिनियम की धारा 3 तथा 5 के परिपालन संबंधी सूचना सदन के पटल पर रक्खेगी ।

निरस्त

7--लोक सेवा आयोग की सेवा नियमावली तथा राज्य सरकार द्वारा अन्य संबंधित नियम या अन्य विधि जो इस अधिनियम की धारा 3, 4 तथा 5 के प्रतिकूल तथा असंगत पाये जाये निरस्त हुआ समझा जाय।

राम सेवक यादव,
सदस्य, विधान सभा।

मोहम्मद असरार अहमद,
सदस्य, विधान सभा।

अनुसूची "अ"

(पिछड़ा वर्ग)

1—अहीर, 2—अराख, 3—बंजारा, 4—बढ़ई, 5—बारी, 6—बैरागी, 7—भर, 8—भोटिया, 9—भुर्जी या भड़भूजा, 10—बन्दि, 11—छीपी, 12—दर्जी, 13—धीमर, 14—गड़रिया, 15—गोसाई, 16—गूजर, 17—हलवाई, 18—जोगी, 19—काछी, 20—कहार, 21—केवट या मल्लाह, 22—किसान, 23—कोडरी, 24—कोरी (आगरा, मेरठ और रुहेलखंड डिवीजन में), 25—कुम्हार, 26—कुर्मी, 27—लोध 28—लुहार 29—लोनिया, 30—माली, 31—मनिहार, 32—मुराव या मुरई, 33—नाई, 34—नायक, 35—सोनार, 36—तमोली, 37—तेली, 38—भटियार, 39—बढ़ई, 40—चिकवा (कस्साब) 41—दर्जी, 42—डफाली, 43—फकीर, 44—गद्दी, 45—हज्जाम, 46—झोजा, 47—कसगर, 48—कुंजड़ा, 49—किसान, 50—मनिहार, 51—मिरासी, 52—मोमिन (अंसार), 53—मुस्लिम कायस्थ, 54—नद्दाफ (धुनया), 55—नक्कल, 56—नट, 57—रंगरेज, 58—स्वीपर ।

अनुसूची "ब"

(हरिजन)

1—आगरिया, 2—बादी, 3—बधिक, 4—बहेलिया, 5—बैगा, 6—बेतवार, 7—बजनिया, 8—बजागी, 9—बलहर, 10—बलहई, 11—बाल्मीकि, 12—बंगाली, 13—बनमानुष 14—बंशफोर, 15—बरबार, 16—बसोर, 17—बाबरिया, 18—बेलदार, 19—बेड़िया, 20—भांतू, 21—भूईया, 22—भुइयार, 23—बोरिया, 24—चमार, धुसियार, धुसिया जाटव तथा चरमी व सहित, 25—चेरी, 26—दबगर, 27—धनगर, 28—धानुक, 29—धरकर, 30—धोबी, 31—डोम, 32—डोमर, 33—दुसाध, 34—धरमी, 35—धुसिया, 36—ग्वाल, 37—हबूड़ा, 38—हरी, 39—हेला, 40—कलाबाज, 41—कंजड़, 42—कपियार, 43—करवल, 44—खैरहा, 45—खरोट, 46—खरवार, बनवासी को छोड़कर, 47—खटिक, 48—कोल, 49—कोखा, 50—लालबेगी, 51—मजहबी, 52—मसहर, 53—नट, 54—पंखा, 55—परडिय, 56—पासी या तरमाली, 57—तपरी, 58—रावत, 59—सहरिया, 60—सनौरोया, 61—सासिया, 62—शिल्पकार, 63—तरैया, 64—मझवार, 65—कोरी, आगरा, मेरठ, रुहेलखंड को छोड़कर राज्य भर में 66—गोंड़-बन्देलखंड डिवीजन और मिर्जापुर के कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ।

राम सेवक यादव,
सदस्य विधान सभा ।

मोहम्मद असरार अहमद,
सदस्य, विधान सभा ।

उद्देश्य और कारण का विवरण

आजादी के 27 वर्षों में प्रायः यह पाया गया है कि राज्याधीन राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सेवाओं में तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की संख्या अपर्याप्त है तथा पिछड़ी जातियां वा हरिजन सामान्यतः अब भी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व दबे हैं। 1962 के आंकड़ों के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

हरिजन	.. ..	2 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	.. ..	1 प्रतिशत
अग्रिम जातियां	.. ..	88 प्रतिशत
अग्रिम मुस्लिम एवं ईसाई आदि	.. .. ..	9 प्रतिशत

1961 में विधान सभा के प्रश्नोत्तर

उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में गजटेड अधिकारियों की संख्या वर्गों के आधार पर

	1946	1955	1960
हरिजन ..	16	70	194
अन्य पिछड़ी जातियां ..	34	25	67
अग्रिणी जातियां ..	1,251	4,555	8,500
मस्लिम, ईसाई तथा अंग्रेज आदि ..	1,901	630	858
योग ..	3,202	5,280	9,619

अतः यह इष्टकर है कि 90 प्रतिशत शोषित एवं पीड़ित जनता के साथ आर्थिक एवं सामाजिक न्याय मिले और मानव मानव में बराबरी स्थापित हो। यह तभी संभव होगा जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) तथा अन्य निदेशक सिद्धांतों का आदर करते हुए पिछड़े एवं हरिजनों के लिये नौकरी एवं शिक्षा में विशेष अवसर के सिद्धांत अपनाते हुए स्थानों का आरक्षण किया जायें। ऐसा आदेश अथवा नियम तामिलनाडू, हरियाणा, पंजाब तथा आन्ध्र प्रदेश में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार भी जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं जातियां हैं उनके उत्थान के लिये ऐसा उपबन्ध करना वैध है। अतएव संविधान तथा सर्वोच्च न्याय की मर्यादा को सुरक्षित करने हेतु यह आवश्यक है कि इस विधेयक को विधान सभा में पारित कराके अधिनियम बनाया जाय।

राम सेवक यादव,
सदस्य, विधान सभा।

मोहम्मद असरार अहमद,
सदस्य, विधान सभा।

वित्तय ज्ञापन

इस विधेयक के अधिनियम हो जाने के फलस्वरूप राज्य की संचित निधि में कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

राम सेवक यादव,
सदस्य, विधान सभा।

मोहम्मद असरार अहमद,
सदस्य, विधान सभा।

विधायनी शक्ति प्रयोजित करने के सम्बन्ध में ज्ञापन

इस विधेयक में कोई नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रत्योजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

राम सेवक यादव,
सदस्य, विधान सभा।

मोहम्नद असरार अहमद,
सदस्य, विधान सभा।

विधान परिषद

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 490 पर)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र, विनियमन संशोधन विधेयक, 1974

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1956 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 की उपधारा (1) में—

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(कक) भवन या वह अन्य स्थान जहां चल-चित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो —

(1) राजभवन, राज्य सरकार के सचिवालय उच्च न्यायालय, राज्य लोक-सेवा आयोग या राजस्व परिषद् से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर स्थित है,

(2) अन्य सार्वजनिक भवनों और मान्यता प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और सार्वजनिक अस्पताल से ऐसी न्यूनतम दूरी पर स्थित है जो नियत की जाय;

(3) ऐसे क्षेत्र में स्थित नहीं है जो अनन्यतः आवासिक प्रकार का हो अथवा अनन्यता आवासिक प्रयोजनों के के लिए आरक्षित हो; और";

(2) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) लाइसेंस का दिया जाना अन्यथा लोकहित के प्रतिकूल नहीं है।";

(3) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—(1) विभिन्न वर्ग के सार्वजनिक भवनों संस्थाओं तथा अस्पतालों के सम्बन्ध में खंड (कक) के उपखंड (2) के अधीन विभिन्न न्यूनतम दूरियां नियत की जा सकती है

(2) खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए दूरी, चलचित्र के भवन के हाते की बाहरी सीमा से, उक्त खंड में उल्लिखित अन्य भवन के हाते की, यदि कोई हो, बाहरी सीमा तक नापी जायगी।"

धारा 7 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 7 में--

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:--

"(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 5 के अधीन कोई लाइसेंस दिया गया हो, तो उसे--

(1) राज्य सरकार द्वारा, जहां लाइसेंस सरकार ने या लाइसेंस प्राधिकारी ने दिया हो,

(2) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, जहां लाइसेंस ऐसे प्राधिकारी ने दिया हो, लोकहित में निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है ।

(1-क) विशिष्टतः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई लाइसेंस उस उपधारा के अधीन, निम्नलिखित में से किसी आधार पर निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, अर्थात्--

(क) लाइसेंस छल से अथवा दुर्व्यदेशन से प्राप्त किया गया था; या

(ख) धारा 5 के अधीन, यथास्थिति, आवेदन-पत्र या अपील पर विचार करते समय, लाइसेंस प्राधिकारी या राज्य सरकार ने किसी ऐसे विषय के संबंध में भूल की हो जो लाइसेंस देने या न देने के प्रश्न के संबंध में अत्यावश्यक हो, या

(ग) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अथवा लाइसेंस में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों अथवा निरोधों के, अथवा धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लघन का दोषी हो, या।

(घ) लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस का जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिये अहितकर समझा जाता है; या

(ङ) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन अथवा सिनेमेंटोग्राफ ऐक्ट, 1952 की धारा 7 के अधीन किसी अपराध के किये सिद्धादोष ठहराया गया हो ।";

(2) उपधारा (2) में--

(क) शब्द "स्थगित अथवा" निकाल दिये जायें,

(ख) उसमें निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की अग्रेतर राय हो कि किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विलम्ब के कारण पूरा नही हो सकेगा तो वह प्रस्तावित कार्यवाही करने के आधार को लाइसेंस

गृहीता को उपर्युक्त प्रकार से बतलाते समय अथवा उसके उपरान्त लाइसेंस स्थगित करने का अन्तरिम आदेश अभ्यन्तर काल में दे सकता है।

(3) उपधारा (3) में, शब्द "स्थगित" निकाल दिया जाय;

(4) उपधारा (4) में, शब्द "उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस स्थगित या निरस्त करने अथवा वापस लेने" के स्थान पर शब्द "उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन लाइसेंस स्थगित करने या उपधारा (3) के अधीन उसे निरस्त करने अथवा वापस लेने" रख दिये जायें।

धारा 12 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) में, शब्द "दी गई कोई आज्ञा" के स्थान पर शब्द "बनाये गये नियम या दी गई कोई आज्ञा" तथा शब्द "इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा समझी जायगी" के स्थान पर शब्द "उसे इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम या दी गई आज्ञा समझा जायगा" और शब्द "ऐसी किसी आज्ञा" के स्थान पर शब्द 'ऐसे किसी नियम या आज्ञा" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

धारा 13 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "पूर्व प्रकाशन के पश्चात्" निकाल दिये जायें और सदैव से निकाले गये समझे जायें।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल 30 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

विचाराधीन आवेदन-पत्रों आदि पर अधिनियम का लागू होना।

6—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन, चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के निमित्त लाइसेंस देने के लिए अथवा उक्त प्रयोजन के निमित्त स्थायी भवन के निर्माण के लिए सभी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दिये गये हों या उसके पश्चात् दिये गये, लागू होंगे, और चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के लिए लाइसेन्स देने के लिए ऐसे सभी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए स्थायी भवन के निर्माण के निमित्त अनुमोदन दे दिया गया था।

उद्देश्य और कारण

सरकार की जानकारी में कतिपय ऐसे मामले आये हैं जिनमें सिनेमा-गृह का निर्माण किये जाने के लिए लाइसेन्स दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने यह पाया कि उसका किसी विशिष्ट स्थान पर निर्माण करना लोक-हित में नहीं है अथवा लाइसेन्स भूल से दिया गया है। किन्तु, उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 में न तो लाइसेन्स प्राधिकारी और न राज्य सरकार ही को यह अधिकार है जिससे कि वह किसी सिनेमा-गृह के निर्माण के लिए दी गई अनुज्ञा को अथवा स्वीकृत किये गये लाइसेन्स को ऐसी दशाओं में विखंडित कर सके। ऐसा भी कोई उपबन्ध नहीं है जिससे कि जांच होने तक लाइसेन्स को अन्तरिम रूप से निलम्बित किया जा सके। यह भी आवश्यक है कि इस आशय का विशेष उपबन्ध किया जाय कि प्रमुख सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं तथा इसी प्रकार के अन्य भवनों से न्यूनतम दूरी के भीतर सिनेमा-गृह के लिए अनुज्ञा न दी जाय। यह विधेयक उपर्युक्त अधिनियम को उक्त उद्देश्यों और उससे सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए संशोधित करने के लिये है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

-हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974 के ऐसे उपबन्धों की व्याप्ति का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायी शक्तियों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है

खण्ड संख्या	मूल अधिनियम की धारा संख्या	विधायिनी शक्ति के प्रतिनिधान का विवरण
2 (1) व (3)	5 (1) (कक) (2) व स्पष्टीकरण (2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को शक्ति दी जा रही है कि वह ऐसी न्यूनतम दूरी नियमों द्वारा नियत करे जो ऐसे भवन जिसमें चलचित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन प्रस्तावित हो व सार्वजनिक भवनों और मान्यता प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और सार्वजनिक अस्पतालों के बीच होनी अनिवार्य है।
4	12	इसमें निरसित अधिनियम (सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, 1918) के अधीन बनाये गये नियमों को उसी प्रकार जारी समझे जाने का उपबन्ध है मानो वे मूल अधिनियम के अधीन बनाये गये हों। (नोट--यह उपबन्ध पहले से ही मूल अधिनियम में है। उसे केवल शाब्दिक संशोधन द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा रहा है।)
5	13	इस धारा में पहले से ही राज्य सरकार को शक्ति प्रदत्त है कि वह मूल अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। इसमें केवल यह संशोधन किया जा रहा है कि ऐसे नियम बजाय गजट में पूर्व प्रकाशन के बाद बनाये जाने के, विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायं व विधान मंडल को उनमें आवश्यक संशोधन अथवा अभिशून्यन करने का अधिकार प्राप्त हो। ऐसा उपबन्ध सरकार की वर्तमान शक्ति पर विधान मंडल का सीधा नियंत्रण स्थापित करता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,

मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1974 द्वारा संशोधित होने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं के उद्धरण

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955

लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के अधिकारों पर निरोध

5--(1) लाइसेन्स प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन तब तक लाइसेन्स नहीं देगा जब तक कि वह निम्नांकित के विषय में संतुष्ट न हो कि---

(क) इस अधिनियम के अधीन बने नियम तत्वतः (substantilly) अनुपालित किये गये हैं, तथा

(ख) उस स्थान में, जिसके निमित्त लाइसेन्स देना है, प्रदर्शन देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त पूर्वावधान (precautions) रखे गये हैं।

(2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन तथा राज्य सरकार के नियंत्रण एवं सामान्य जनता के हित का पालन करते हुए लाइसेन्स प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रतिबन्धों और ऐसी शर्तों पर और ऐसे निरोधों के अधीन जिन्हें वह अवधारित करे तथा ऐसा शुल्क देने पर जो नियत किया जाय, लाइसेन्स दे सकता है।

(3) लाइसेन्स प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स न देने के निर्णय से क्षुब्ध (aggrieved) कोई भी व्यक्ति, उस अवधि के भीतर जो नियत की जाय, राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है, और राज्य सरकार इस मामले में ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

(4) किसी फिल्म अथवा फिल्म वर्ग के प्रदर्शन के विनियमन के प्रयोजन से राज्य सरकार समय-समय पर सामान्यतया लाइसेन्स गृहीताओं को अथवा किसी विशेष लाइसेन्स गृहीता को ऐसे आदेश दे सकती है जिससे वैज्ञानिक फिल्मों, शिक्षार्थ फिल्मों (films intended for educational purposes) तथा समाचारों एवं वर्तमान घटनाओं से सम्बद्ध फिल्मों, वर्णनात्मक फिल्मों (documentary films) एवं स्वदेश में निर्मित फ़िल्मों (indigenous films) के प्रदर्शन को उपयुक्त अवसर प्राप्त हो तथा जब ऐसे कोई आदेश जारी किये जायं तो उनके विषय में यह समझा जायेगा कि वे उन शर्तों और निरोधों (conditions and restrictlons) के अतिरिक्त (additional) हैं जिनके अधीन लाइसेन्स दिया गया था।

लाइसेंस स्थगित करने, आपस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार

7--(1) इस अधि नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अथवा लाइ सेन्स प्राधिकारी निम्नलिखित के आधार पर किसी भी समय धारा 5 के अधीन दिया गया लाइसेन्स स्थगित कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं अथवा वापस ले सकते हैं (may suspend, cancel or revoke):--

(क) लाइसेन्स छल से अथवा गलत बात बताकर (by fraud or misrepresentation) प्राप्त किया गया था; अथवा

(ख) लाइसेन्स गृहीता, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्धों के, लाइसेन्स में उल्लिखित किन्हीं शर्तों अथवा

निरोधों के, अथवा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रचारित किसी भी आदेश के, उल्लंघन का दोषी है ; अथवा

(ग) लाइसेन्स प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी भी परिवर्तन हो जाने के कारण लाइसेन्स जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिये अहितकर (Prejudicial to decency or morality) समझा जाता है ; अथवा

(घ) लाइसेन्स गृहीता धारा 8 के अधीन किसी अपराध का दोषी सिद्ध हो गया है।

(2) जब राज्य सरकार अथवा लाइसेन्स प्राधिकारी की राय हो कि धारा 5 के अधीन दिया हुआ लाइसेन्स स्थगित अथवा निरस्त कर देना चाहिये अथवा वापस ले लेना चाहिये तो वह यथाशीघ्र लाइसेन्स गृहीता को वह आधार बतलायेंगे जिनके अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा उसे उसके विरुद्ध निवेदन पत्र (representation) प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेंगे।

(3) यदि निवेदन-पत्र पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, संतुष्ट हो कि लाइसेंस स्थगित, निरस्त अथवा वापस होना चाहिये तो वह तदनुसार आज्ञा देगी और उसे तत्सम्बन्धी लिखित आधारों के साथ लाइसेंस गृहीता को बतलायेगी।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस स्थगित या निरस्त करने अथवा वापस लेने की आज्ञा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, तो उक्त आज्ञा द्वारा क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(5) राज्य सरकार की आज्ञा अन्तिम (final) होगी।

निरसन

12—(1)

*** *** ***

(2) सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, 1918 के अधीन दी गई, कोई आज्ञा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो, प्रचलित रहेगी और इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा समझी जायगी, और ऐसी किसी आज्ञा के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेंस, आरोपित शर्तें या निरोध (conditions or restrictons) तथा प्रचारित आदेश जो उक्त प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो, यथावत् प्रचलित रहेंगे, और इस अधिनियम के अनुसार की गई, दिये गये, आरोपित अथवा प्रचारित समझे जायेंगे।

नियम बनाने का अधिकार

13—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

———

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 150 बि० सभा—(1723)—1975—845.